Prof. Dr. V. RAJENDRAN
M.Tech., Ph.D., D.Sc., FinstP.(UK), FASCh, FIAAM(Sweden)
Vice Chancellor

UNDERTAKING

Provision for the University to offer ODL/OL programmes by UGC

This is undertake that as per the following provisions of UGC regulations and our Memorandum of Association (MoA) and with the "A" grade (CGPA-3.13) in NAAC accreditation, the Academy of Maritime Education and Training (AMET) Deemed to be University is eligible to offer the programmes in ODL and OL mode.

1. University Grants Commission (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 (Sub-section 28 reads as "28. Online or distance education. - Institutions deemed to be Universities may offer courses online or distance courses or degrees in accordance with the regulations notified by the Commission from time to time)
2. University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 and its amendments (Sub-section 3A and 3B)

J. Rengamani

Director-CDOE

Dr. J.RENGAMANI, MBA., Ph.D.,
Director
Centre for Distance and Online Education (CDOE)
AMET Deemed to be University
Kanathur, Chennai - 603 112.

7/2/24

Vice Chancellor

Prof. Dr. V. RAJENDRAN
VICE - CHANCELLOR
ACADEMY OF MARITIME EDUCATION AND TRAINING
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act. 1956)
135, East Coast Road,
Kanathur, Chennai - 603 112, India.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062023-246256
CG-DL-E-02062023-246256

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2023/ज्येष्ठ 12, 1945
No. 365] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2023/JYAISHTHA 12, 1945

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2023

सं. एफ. 1-1/2021 (सीपीपी-1/डीयू).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 के खंड (च) और खंड (छ) तथा धारा 12 (क) की उपधारा (2) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एक व्यवस्थित तरीके से विनियमित करने के लिए समविश्वविद्यालय संस्थाओं के रूप में अकादमिक उत्कृष्टता के संस्थानों की घोषणा की प्रक्रिया और समविश्वविद्यालय की अवधारणा के आदर्शों के अनुरूप ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: –

1. संक्षिप्त नाम,लागू होना और प्रारंभः-

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 है।

(2) ये विनियम सम विश्वविद्यालय संस्था के रूप में किसी घोषणा की मांग करने वाली किसी भी संस्था के लिए और **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम** की धारा 3 के अधीन घोषित उच्चतर शिक्षा के लिए किसी संस्था के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों **के लिए समविश्वविद्यालय संस्था पर लागू होगा।**

परंतु धारा 3 के अधीन पहले से ही सम विश्वविद्यालयों के रूप में घोषित संस्थाओं का विनियम 4 के उप-विनियम(1) में उल्लिखित पात्रता मानदंड इन विनियमों के आरंभ की तारीख से दस वर्ष के भीतर प्राप्त करेंगे।

परंतु आयोग ऐसी संस्थाओं पर समुचित अध्युपाय करेगा जो इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करने में विफल हो जाते हैं।

(3) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

परंतु इन विनियमों के प्रारंभ होने की तिथि से पहले घोषित समविश्वविद्यालय संस्थाएं इन विनियमों के प्रारंभ की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर इन विनियमों का अनुपालन करने के लिए समविश्वविद्यालय संस्था के संस्थापन प्रलेख (Memorandum of Association) या नियमों में संशोधन करेगी और अनुपालन रिपोर्ट उक्त समय सीमा के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाएगी, ऐसा न करने पर इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सकेगी।

2. परिभाषाएं.- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(1) "अकादमिक परिषद्" से समविश्वविद्यालय संस्था की अकादमिक परिषद् अभिप्रेत है;

(2) "अधिनियम" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 3) अभिप्रेत हैं,

(3) "संबद्ध महाविद्यालय" से किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त, उसके साथ सहयुक्त और उसके विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय अभिप्रेत है;

(4) "अध्ययन बोर्ड" से समविश्वविद्यालय संस्था के किसी विभाग का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

(5) "कैम्पस" से ऐसे समविश्वविद्यालय संस्था के परिसर (शहर के भीतर एक या कई स्थान) अभिप्रेत है, जिसमें इसकी सुविधाएं, संकाय, कर्मचारीगण, छात्र और शैक्षणिक विभाग स्थित हैं;

(6) "केंद्र" से समविश्वविद्यालय संस्था का अध्ययन केंद्र अभिप्रेत है;

(7) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति कुलपति" से समविश्वविद्यालय संस्था के क्रमशः कुलाधिपति, कुलपति और प्रति कुलपति अभिप्रेत है;

(8) "महाविद्यालय" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है, चाहे वह संबद्ध महाविद्यालय या घटक महाविद्यालय हो, जिसे इस तरह या किसी अन्य नाम से जाना जाता है और स्नातक या स्नातकोत्तर या पीएचडी प्रदान करता है। ऐसे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय से कोई अर्हता प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम या सभी एक साथ, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस तरह के कार्यक्रम या अध्ययन के पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए सक्षम के रूप में मान्यता दी गई है;

(9) "संघटक महाविद्यालय" से कोई ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जो प्रायोजक निकाय के प्रशासनिक, शैक्षिक और वित्तीय नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है;

(10) "संघटक इकाई" से समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने वाले किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की तारीख पर विद्यमान संस्था की कोई शैक्षिक इकाई (विद्यालय या केन्द्र या विभाग) अभिप्रेत है;

(11) "विभाग" से समविश्वविद्यालय संस्था का अध्ययन विभाग अभिप्रेत है;

(12) "विशिष्ट श्रेणी" से कोई मौजूदा संस्था या कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो शुरू से ही अद्वितीय विषयों में शिक्षण या अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करती है या देश की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करती है या भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण या पर्यावरण के संरक्षण में लगी हुई है या कौशल विकास के लिए या खेल या भाषाओं या किसी अन्य अनुशासन के लिए समर्पित है।जैसा कि आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किया गया है;

(13) "कार्यकारी परिषद्" से समविश्वविद्यालय संस्था की कार्यकारी परिषद् अभिप्रेत है;

(14) "विशेषज्ञ समिति" से शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से युक्त एक समिति अभिप्रेत है और इसमें आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित सांविधिक निकायों के प्रतिनिधि भी हैं;

(15) "सरकार" से उच्चतर शिक्षा से संबंधित केंद्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय का विभाग अभिप्रेत है;

(16) "संस्था" से स्नातक, स्नातकोत्तर या उच्चतर स्तर पर शिक्षण और अनुसंधान में लगे उच्चतर शिक्षा संस्था अभिप्रेत है;

(17) "समविश्वविद्यालय संस्था" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग की सलाह पर घोषित उच्चतर शिक्षा संस्था अभिप्रेत है;

(18) "मुख्य परिसर" से समविश्वविद्यालय संस्था के परिसर अभिप्रेत है जहां इसकी प्रमुख सुविधाएं, संकाय, कर्मचारीगण, छात्र, शैक्षणिक विभाग और प्रशासन स्थित हैं;

(19) "एनएएसी" से राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् अभिप्रेत है;

(20) "एनबीए" से राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अभिप्रेत है;

(21) "अनिवार्य अवसंरचना" से यथास्थिति, संबंधित सांविधिक निकाय/आयोग के मानदंडों के अधीन अपेक्षित अवसंरचना अभिप्रेत है;

(22) "एनइपी" से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 अभिप्रेत है;

(23) "एनआईआरएफ" से राष्ट्रीय संस्थागत श्रेणीक्रम ढांचा अभिप्रेत है;

(24) "अधिसूचना" से केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में जारी कोई अधिसूचना अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 3 के अधीन एक उच्चतर शिक्षा संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करता है;

(25) "ऑफ-कैंपस" से मुख्य परिसर/परिसर से भिन्न सरकार द्वारा अनुमोदित समविश्वविद्यालय संस्था का परिसर अभिप्रेत है;

(26) "ऑफ-शोर कैम्पस" से सरकार द्वारा अनुमोदित सम विश्वविद्यालय संस्था के परिसर अभिप्रेत है, जो भारत के मुख्य परिसर से भिन्न भारत की सीमा से बाहर है;

(27) "संसाधन शुल्क" से ऐसा शुल्क अभिप्रेत है जिसे आवेदक संस्थान द्वारा ऐसे आवेदन के संसाधन हेतु आवेदन के साथ आयोग को भुगतान करना होगा;

(28) "स्कूल/फैकल्टी" से समविश्वविद्यालय संस्था के स्कूल या अध्ययन संकाय अभिप्रेत हैं;

(29) "प्रायोजक निकाय" से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन पूर्त अथवा लाभ अर्जित न करने वाली सोसाइटी/न्यास कंपनी अभिप्रेत है जो प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा वित्तीय नियंत्रण के अधीन किसी संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने के लिए आवेदन करता है;

(30) "स्थायी समिति" से सांविधिक शिक्षाविदों और अन्य क्षेत्रों के अन्य विशेषज्ञों से मिलकर बनी समिति अभिप्रेत है और इसमें सांविधिक निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे तथा आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित होंगे;

(31) "सांविधिक निकाय" से उच्चतर शिक्षा के सुसंगत क्षेत्रों में गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण और रखरखाव करने के लिए प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित निकाय अभिप्रेत है जिसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), भारतीय दंत परिषद (डीसीआई), भारतीय परिचर्या परिषद (आईएनसी) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) आदि अथवा संसद के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित कोई अन्य सांविधिक निकाय सम्मिलित है;

(32) "शिक्षक" से आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्यऔर ऐसे अन्य शैक्षणिक कर्मचारी अभिप्रेत हैं जिन्हें समविश्वविद्यालय संस्था में निर्देश देने या शोध करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है जिसमें सहायक संकाय/कार्य करने वाला आचार्य/अतिथि संकाय सम्मिलित है;

(33) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो इस विनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उनका है।

3. समविश्वविद्यालय संस्था के उद्देश्य-(1) समविश्वविद्यालय संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे -

(क) ज्ञान की ऐसी शाखाओं में उत्कृष्टता और नवाचार की ओर ले जाने वाली उच्चतर शिक्षा प्रदान करना, जो मुख्य रूप से स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध डिग्री स्तरों पर पूरी तरह से विश्वविद्यालय की अवधारणा के अनुरूप हो, जिसे उचित समझा जाए;

(ख) डोमेन-विशिष्ट विशेषज्ञता के अलावा अंतःविषय या बहु-अनुशासनात्मक या अंतर-अनुशासनात्मक शिक्षण और अनुसंधान में संलग्न हैं;

(ग) राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने के लिए;

(घ) प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता को संवेदनशील बनाकर प्रत्येक छात्र की अनूठी क्षमताओं को मान्यता देना पहचानना और बढ़ावा देना;

(ड.) विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल और अन्य विषयों के संकायों में बहु-अनुशासनात्मक और समग्र शिक्षा प्रदान करना;

(च) समय की अवधि में अनुसंधान और/या शिक्षण गहन विश्वविद्यालयों में बदलने के लिए;

(छ) स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना; प्रौद्योगिकी विकास केंद्र; अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में केंद्र; अधिक उद्योग-अकादमिक संबंध; और मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतःविषय अनुसंधान;

(ज) लचीला और अभिनव पाठ्यक्रम प्रदान करें, जिसमें सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा, मूल्य-आधारित शिक्षाआदि के क्षेत्रों में क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम और परियोजनाएं शामिल हैं;

(झ) सामाजिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण, सीखने, अनुसंधान और फील्डवर्क के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लिए योगदान;

(ञ) एनईपी, 2020 के प्रावधानों को अपनाना; और

(ट) अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ (आरडीसी) की स्थापना करके पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।

4. किसी संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने के लिए पात्रता मानदंड -

(1) समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने वाली संस्थाओं के आवेदनों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड होंगे-

(क) एक बहु-अनुशासनात्मक संस्था (स्नातक या स्नातकोत्तर या एकीकृत या शोध कार्यक्रमों या इन सभी के संयोजन में कम से कम पांच विभाग हों) या पांच कार्यक्रमों की पेशकश करने वाली संस्थाओं का समूह या एकीकृत या अनुसंधान कार्यक्रम या इन सभी का एक संयोजन):

परंतु संस्थाओं के समूह के मामले में, संस्था या तो एक ही प्रायोजन निकाय से हो सकते हैं या एक अलग प्रायोजन निकाय या निकायों से हो सकते हैं।

परंतु यह और प्रत्येक संस्था इस खंड में निर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करेगी।

परंतु यह भी कि यदि विभिन्न प्रायोजक निकायों से संबंधित संस्थाओं का समूह सम विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल करना चाहता है, तो सभी प्रायोजक निकाय प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय के नाम से एक विशेष प्रायोजक निकाय बनाएंगे और वह प्रायोजक निकाय सम विश्वविद्यालय के लिए आवेदन जमा करें और ऐसे प्रायोजक निकायों की सभी चल और अचल संपत्तियां प्रस्तावित समविश्वविद्यालय के नाम पर कार्यकारी प्रायोजक निकाय को हस्तांतरित की जाएंगी;

(ख) एक संस्था होना -

(i) एनएएसी द्वारा लगातार तीन चक्रों के लिए कम से कम 3.01 संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सीजीपीए) के साथ विधिमान्य प्रत्यापन का होनाः

परंतु संस्था द्वारा इन तीन चक्रों में से प्रत्येक में समय पर प्रत्यायन या पुनः प्रत्यायन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हो; या

(ii) तकनीकी संस्थाओं के मामले में पात्र तकनीकी कार्यक्रमों का दो-तिहाई लगातार तीन चक्रों के लिए एनबीए द्वारा प्रत्यापनः

परंतु संस्था द्वारा इन तीन चक्रों में से प्रत्येक में समय पर प्रत्यायन या पुनः प्रत्यायन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हो; या

(iii) लगातार तीन वर्षों तक किसी विशिष्ट श्रेणी में एनआईआरएफ की शीर्ष पचास रैंकिंग में शामिल होना; या

(iv) लगातार तीन वर्षों तक एनआईआरएफ की समग्र रैंकिंग में शीर्ष सौ रैंकिंग में शामिल होना;

(ग) ऐसी शैक्षणिक और भौतिक आधारभूत, जैसा कि आयोग या प्रासंगिक वैधानिक निकाय द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जैसा भी मामला हो;

(घ) आवेदन के समय संस्था में पेशकश किए जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित वैधानिक निकाय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है;

(ड.) शिक्षक-छात्र अनुपात 1:20 न्यूनतम संयुक्त संकाय शक्ति के साथ कम से कम एक सौ पचास शिक्षक और नियमित कक्षा मोड के अतंर्गत रोल पर तीन हजार की न्यूनतम संयुक्त छात्र संख्या, जिनमें से कम से कम 1/5 पोस्ट ग्रेजुएट या शोध या संबंधित वैधानिक निकाय के मानदंडों के अनुसार होना चाहिए; और

(च) एक प्रशासनिक क्षेत्र, पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएं, छात्रावास, स्वास्थ्य देखभाल, सामान्य सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं हैं।

(2) **अधिनियम** की धारा 2 के खंड (च) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय इन विनियमों के अधीन अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

5. **कायिक (कोर्पस) निधिः (1)** सरकार द्वारा वित्तपोषित न होने वाली संस्था के मामले में पच्चीस करोड़ रुपये की एक कायिक निधि या जैसा आयोग द्वारा समय समय पर विनिश्चित किया गया हो, समविश्वविद्यालय संस्था के नाम से, जिसमें समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में अधिनियम की धारा 3 के अधीन घोषित विद्यमान संस्था शामिल है, सृजित और बनाए रखा जाएगा।

(2) कायिक निधि पर अर्जित ब्याज का उपयोग केवल समविश्वविद्यालय संस्था के और विकास के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

(3) समविश्वविद्यालय संस्थाएं किसी भी उपयुक्त योजना या योजना में कायिक निधि का निवेश कर सकते हैं।

6. **किसी संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया-** (1) एक संस्था का प्रायोजक निकाय विनियम 4 में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में अपनी संस्था की घोषणा करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने हेतु इस उद्देश्य के लिए आयोग की विकसित वेब पोर्टल पर 'ऑनलाइन' आवेदन कर सकता है,

(2) निम्नलिखित दस्तावेज उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे-

(क) संबद्ध कॉलेज के मामले में संबद्ध विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)।

परंतु यदि आवेदक प्रायोजक निकाय द्वारा आवेदन की तिथि से साठ दिनों के भीतर कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि संबद्ध विश्वविद्यालय को अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है और ऐसे मामलों में, अनुरोध की प्राप्ति की पावती दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत की जाएगी;

(ख) शैक्षणिक योजना, संकाय भर्ती योजना, छात्रों के प्रवेश योजना, अनुसंधान योजना, परिसर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना, अवसंरचना विकास योजना, वित्त योजना, प्रशासनिक योजना, शासन योजना आदि के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), जिसमें इसकी पंद्रह वर्ष विस्तृत सामरिक दृष्टि योजना और पांच वर्ष की उत्तरोत्तर (रोलिंग) योजना समाविष्ट है, जिसमें स्पष्ट वार्षिक उपलब्धि के साथ अकादमिक योजना, संकाय भर्ती योजना, छात्रों के प्रवेश योजना, प्रशासनिक योजना, प्रशासन योजना, संचालन योजना आदि को समाविष्ट किया जाएगा और यह निर्धारित किया जाएगा कि विश्वविद्यालय के रूप में माना गया नया संस्थान कैसे स्थापित किया जाएगा/विकसित किया जाएगा, जिसमें संस्थान के साथ शैक्षिक और भौतिक अवसंरचना भी उपलब्ध होगी।

(ग) प्रमुख शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मियों के विवरण के साथ प्रायोजक निकाय का इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ विवरण;

(घ) प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था या प्रायोजक निकाय के नाम पर भूमि स्वामित्व दस्तावेज (कम से कम तीस वर्ष की अवधि के लिए विक्रय विलेख या पट्टा विलेख) और राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, के आधिकारिक राजस्व रिकॉर्ड पोर्टल से प्राप्त भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड का विवरण देना होगा;

(ड) एनएएसी, एनबीए या एनआईआरएफ संबंधी प्रमाणपत्र; जैसा भी मामला हो;

(च) संस्था में वर्तमान में चलाए जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमोदन के अनुसार संबंधित कानूनी निकायों का अनुमोदन;

(छ) मौजूदा शैक्षणिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी;

(ज) सम विश्वविद्यालय के रूप में प्रस्तावित संस्था की वित्तीय स्थिरता के ब्यौरे के साथ-साथ प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय संस्थान के नाम पर सृजित कायिक निधि का विवरण;

(झ) इस आशय का एक उपक्रम कि प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय संस्था अधिनियम के सभी उपबंधों, उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और इन विनियमों का पालन करेगा; और

(ञ) ऐसी संस्थाओं के मामले में जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से वित्तपोषित हैं, संबंधित सरकार की ओर से सम विश्वविद्यालय घोषित संस्था के रूप में घोषित होने के पश्चात् भी संस्था को वित्तीय सहायता जारी रखने की प्रतिबद्धता का पत्र;

(3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियों और आयोग के वेब पोर्टल पर अपलोड की गई प्रतियों का संस्था की वेबसाइट पर प्रकटीकरण किया जाएगा, जो यथास्थिति संस्था या प्रायोजक निकाय के प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित हो और यदि उचित सत्यापन के पश्चात् कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो इसे अपलोड करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) के उपबंधों के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) आयोग, आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच के लिए आवेदन का उल्लेख करेगा और समिति आवेदक को यह प्रदर्शित करने के लिए एक प्रस्तुति देने का निर्देश दे सकेगी कि संस्था इन विनियमों में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं। विशेषज्ञ समिति अपने संदर्भ की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी, जिसके आधार पर आयोग सिफारिशें/रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर सरकार को अपनी सलाह देगा।

(5) केन्द्रीय सरकार, आयोग की सलाह पर विचार करने और मामले के सभी पहलुओं की जांच करने पर, आयोग की सलाह प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर उच्च शिक्षा के एक संस्थान को अधिनियम की धारा 3 के अधीन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समविश्वविद्यालय संस्था घोषित कर सकेगी।

परंतु यदि एक समविश्वविद्यालय के रूप में विचार और घोषणा के प्रस्ताव पर सहमति नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार प्रायोजक निकाय को उसके कारणों के साथ लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगी और केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा:

परंतु ऐसी संस्था जिसे सीमित अवधि के लिए अधिनियम की धारा 3 के अधीन समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित और अधिसूचित किया गया था, इन विनियमों की अधिसूचना से पहले इन नियमों के अनुसार एक संस्था के रूप में सम विश्वविद्यालय बना रहेगा। उस अवधि के बावजूद जिसके लिए प्रारंभिक अधिसूचना और उसका विस्तार, यदि कोई हो, सरकार द्वारा जारी किया गया था। ऐसी संस्थाओं के लिए सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर जारी रखने के लिए अधिसूचना जारी करेगी।

परंतु यह भी कि यदि प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है, तो प्रायोजक निकाय कमियों को दूर करने के एक वर्ष के पश्चात् नया प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा।

(6) सम विश्वविद्यालयों के रूप में घोषित संस्थाओं के मामले में, विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों जिन्होंने अब तक ऐसी संस्थाओं को संबद्धता प्रदान की थी, क्रेडिट और उन छात्रों के प्रतिलेख स्थानांतरित करेंगे जो उक्त संस्था में नामांकित और अध्ययन कर रहे हैं। विद्यमान छात्र, संबद्ध विश्वविद्यालय या समविश्वविद्यालय से छात्र की पसंद के अनुसार डिग्री प्राप्त कर सकेंगें, नव प्रवेशित छात्रों को ऐसी संस्था से डिग्री प्राप्त होगी जिसे सम विश्वविद्यालय की प्रास्थिति प्रदान की गई है।

7. **'विशिष्ट श्रेणी' के अंतर्गत किसी संस्थान को सम विश्वविद्यालय घोषित करने की प्रक्रिया.- (1)** अपने मुख्य परिसर या मुख्य परिसर के लिए एक नए सम विश्वविद्यालय संस्था की स्थापना के लिए इन विनियमों के विनियम 2 के खंड (12) में निर्दिष्ट विषयों में अध्ययन और अनुसंधान के लिए समर्पित घटक इकाई के लिए आयोग के पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा: -

(i) किसी परोपकारी उद्देश्य के साथ या समाज के प्रति प्रतिबद्धता के साथ या देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के उद्देश्य से किसी भी प्रायोजक निकायद्वारा ; या

(ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा।

(2) संस्था/संस्थाओं का समूह (चाहे सरकार या स्व-वित्तपोषित) या तो एक ही प्रायोजक निकाय या विभिन्न प्रायोजक निकायों से भी इस श्रेणी के अधीन केवल मुख्य परिसर या मुख्य परिसर और घटक इकाई (इकाइयों) की स्थापना के लिए आवेदन कर सकेंगे, परंतु वे इन विनियमों के विनियम 2 के खंड (12) में परिभाषित विषयों में अध्ययन और शोध करने हेतु समर्पित हों। यदि, विभिन्न प्रायोजक निकायों से संबंधित संस्थाओं का समूह सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करना चाहता है, तो संबंधित प्रायोजक निकाय प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय के नाम पर एक अनन्य प्रायोजक निकाय बनाएंगे और वह प्रायोजक निकाय सम विश्वविद्यालय के दर्जों के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगाऔरऐसी दशा में संपूर्ण चल और अचल संपत्ति उस प्रायोजक निकाय को हस्तांतरित हो जाएगी।

(3) 'विशिष्ट श्रेणी' के अधीन आने वाली संस्थाओं को इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के उपबंधों के लागू होने से छूट प्राप्त हैं:

परंतु इस श्रेणी के अधीन प्रस्तावित संस्था भौतिक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के मानदंडों के अनुसार कम से कम पांच शैक्षणिक कार्यक्रमों (या तो स्नातक या स्नातकोत्तर या एकीकृत या अनुसंधान या इन सभी कार्यक्रमों के संयोजन में) के साथ अपना संचालन प्रासंगिक वैधानिक यथास्थिति निकाय या आयोग के मानदंडों के अनुसार प्रारंभ करेगा।

(4) प्रायोजक निकाय विनियम 6 के उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों को उक्त उप-विनियम के खंड (ड) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के सिवाय, के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(5) आयोग, आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति को जांच के लिए आवेदन का उल्लेख करेगा और समिति आवेदक को यह प्रदर्शित करने के लिए एक प्रस्तुति देने का निर्देश दे सकेगी कि संस्था इन विनियमों में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है या नहीं।

विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट आयोग को उसके संदर्भ की तारीख से 30 दिनों के भीतर सिफारिश के रूप में प्रस्तुत करेगी कि क्या आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जा सकता है या नहीं और क्या उसे बिना किसी अतिरिक्त शर्त के जारी किया जाएगा या नहीं।

(6) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर आयोग सरकार को अपनी सलाह भेजेगा; और उसके पश्चात् सरकार, आयोग की सलाह को ध्यान में रखते हुए, तीस दिनों की एक और अवधि के भीतर, या तो अनुमोदन जारी करेगी या तीन साल की अवधि के लिए वैध आशय पत्र (एलओआई) जारी करेगी या कारण बताते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी।

असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं या महामारी के कारण, आशय पत्र (एलओआई) की वैधता को आयोग की सलाह पर सरकार द्वारा तीन साल से आगे बढ़ाया जा सकेगा, जो एलओआई की शर्तों को पूरा करने के संबंध मेंसंस्था/संस्थाओं की तैयारियों को ध्यान में रखेगा।

परंतु यह और कि यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजक निकाय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो प्रायोजक निकाय एक वर्ष के पश्चात् ही नया प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा।

(7) प्रायोजक निकाय, आशय पत्र (एलओआई) में निर्दिष्ट अनुपालन शर्तों पर सरकार को तीन वर्ष की अवधि के भीतर अनुपालन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसे उसके सत्यापन और सलाह के लिए आयोग को भेजा जाएगा और सरकार इन विनियमों के विनियम 6 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई करेगी।

8. ऑफ-कैंपस केंद्र-(1) (i) सुसंगत वर्ष में एनआईआरएफ रैंकिंग की "विश्वविद्यालयों" श्रेणी में न्यूनतम **'क'** ग्रेड और ऊपर या **1** से **100** तक रैंक वाले सम विश्वविद्यालय संस्था ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए पात्र हैं।

(ii) "विशिष्ट श्रेणी" के अधीन सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्था अपनी घोषणा के पांच वर्ष के पश्चात् ऑफ-कैंपस के लिए आवेदन कर सकेंगे, यदि वे खंड (i) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।

(2) सुसंगत वर्ष में एनआईआरएफ रैंकिंग की "विश्वविद्यालयों" श्रेणी में न्यूनतम 'क' ग्रेड और उससे ऊपर या 1 से 100 से तक रैंक तक वाले सम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल के माध्यम से ऑफ-कैंपस केंद्र प्रारंभ करने के लिए अपना आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा कर सकेंगे: -

(i) संबंधित कानूनी निकाय (जहां भी लागू हो) से यथास्थिति ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए अनुमोदन या, ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए आशय पत्र (LoI) जारी करने के लिए।

(3) ऑफ-कैंपस केंद्रों की स्थापना के लिए आयोग के पोर्टल पर इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए, सम विश्वविद्यालय संस्था भी प्रायोजक सोसायटी/ ट्रस्ट/ कंपनी के अधीन किसी संबद्ध कॉलेज को अपने अधीन लेकर संबद्ध कॉलेज को धीरे-धीरे बंद करके और संबद्ध विश्वविद्यालय से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकेगी और संबद्ध विश्वविद्यालय अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर निर्णय ले सकेगा, जिसके विफल होने पर यह मान लिया जाएगा कि संबद्ध विश्वविद्यालय को एक ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा दिए आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है और ऐसे मामलों में, अनुरोध की प्राप्ति की पावती एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत की जाएगी;

(4) सम विश्वविद्यालय संस्था प्रस्तावित ऑफ-कैंपस केंद्रों पर बुनियादी ढांचा यथास्थिति संबंधित कानूनी निकाय या आयोग द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुसार होगा और ऑफ-कैंपस केंद्र न्यूनतम पांच स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ प्रारम्भ किया जा सकेगा जिसमें कम से कम एक हजार छात्रों के साथ स्नातक या शोध या उनका संयोजन, जिनमें से कम से कम 1/5 छात्र स्नातकोत्तर या शोध छात्रों के साथ पचास शिक्षक तथा बुनियादी सुविधाए होनी चाहिए।

(5) आयोग के अध्यक्ष एक स्थायी समिति का गठन संस्था द्वारा दी गई जानकारी की जांच करने के लिए कर सकेगा तथा अध्यक्ष, आयोग की ओर से उक्त स्थायी समिति द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर सरकार को भेजेंगे।

(6) सरकार आयोग की सलाह को ध्यान में रखने के पश्चात् ऐसी सलाह की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर यथास्थित ऑफ कैंपस प्रारम्भ करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी या, नया ऑफ कैंपस स्थापित करने के लिए सहमति पत्र जारी करेगी या सहमति नहीं बने तो इसके कारणों को बताते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार करेगी, सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(7) विशेषज्ञ समिति की सलाह के आधार पर, आयोग मामला-दर-मामला आधार पर, सरकार को ऐसे किसी ऑफ-कैंपस के अनुमोदन पर विचार करने के लिए अपनी सलाह देगा जो इन विनियमों के प्रारम्भ होने से पहले संचालित थाऔर पास-आउट छात्रों के प्रत्येक कार्यक्रम की डिग्री को मान्य करेगा, यदि वे ऑफ-कैंपस केंद्र प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित बुनियादी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

(8) यदि किसी भी समय, आवेदक सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रदान की गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो सरकार ऑफ-कैंपस केंद्र प्रारम्भ करने के लिए अनुमोदन वापस ले सकती है; और ऐसे केंद्र में नामांकित छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सम विश्वविद्यालय संस्था छात्रों को मुख्य परिसर में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(9) सम विश्वविद्यालय अपने विद्यमान परिसर में और अनुमोदित ऑफ कैम्पस केन्द्रो में इसकी कार्यकारी परिषद के पूर्व अनुमोदन से और जहाँ कहीं लागू हो, सुसंगत कानूनी निकायों के अनुमोदन से, किसी भी क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम प्रारम्भ कर सकेंगे ।

परन्तु सम विश्वविद्यालय संस्था को यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से अनुरक्षण के लिए सहायता अनुदान या अन्य निधियां प्राप्त हो रही हों, तो समुचित सरकार का पूर्व अनुमोदन भी अपेक्षित होगा।

9. ऑफ-शोर-कैम्पस– (1) सम विश्वविद्यालय संस्था अधिनियम के उपबंधों, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऑफ शोर कैम्पस प्रारम्भ या स्थापित कर सकेंगे।

(2) विद्यमान ऑफ-शोर-कैम्पस कार्य करते रहेंगे यदि उन्होंने उचित अनुमति और अग्रिम अनुमोदन प्राप्त किया हो।

10. निगरानी.—(1) आयोग, सम विश्वविद्यालय संस्थाओं वार्षिक रूप से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर, प्रत्येक पांच वर्ष के अपश्चात्, एनएएसी द्वारा 'क' क्षेणी से न्यून विधिमान्य प्रत्यायन रखने वाले या एनआईआरएफ रैंकिंग (विश्वविद्यालय श्रेणी) में 100 से अधिक रैंक वाली सम विश्वविद्यालय संस्थाओं के प्रदर्शन या शैक्षणिक परिणामों की निगरानी करेगा।

(2) एनएसीसी द्वारा 'क' श्रेणी से न्यून विधिमान्य प्रत्यायन रखने वाले या एनआईआरएफ रैंकिंग (विश्वविद्यालय श्रेणी) में 100 रैंक से अधिक रैंक वाली सम विश्वविद्यालय संस्थाओं का प्रदर्शन और शैक्षणिक परिणामों का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ द्वारा भौतिक या आभासी रूप से किया जाएगा। समिति, जैसा कि आयोग द्वारा तय किया गया है, इस तरह के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, ऐसी प्रक्रिया अपना सकती है जो वह उचित समझे।।

(3) विशेषज्ञ समिति, सम विश्वविद्यालय संस्था के प्रदर्शन और शैक्षणिक परिणामों पर अपनी सिफारिशों को निर्दिष्ट करते हुए आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा जिन सम विश्वविद्यालयों में कुछ पहलुओं में कमी पाई जाती है, उन्हें कमियों को दूर करने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि दी जाएगी, जिसके विफल होने पर, विशेषज्ञ समिति विनियम 8 के उप-विनियम (9) के अधीन सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा किसी भी क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए दी गई अनुमति को वापस लेने की सिफारिश करेगी ।

(4) ऐसे मामलों में जहां विशेषज्ञ समिति ने उप-विनियम (3) के अधीन अनुमति वापस लेने की सिफारिश की है, आयोग संबंधित समविश्वविद्यालय संस्था और संबंधित कानूनी निकाय को सूचित करते हुए उचित आदेश जारी करेगा और यदि आयोग पाता है कि सम विश्वविद्यालय संस्था उसके आदेश का पालन नहीं कर रही है, तो आयोग विनियम 34 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

(5) आयोग सम विश्वविद्यालय संस्था के प्रत्यक्ष सत्यापन पर निर्णय लेगा, या ऐसे सत्यापन के लिए टीमों का गठन स्वयं या आयोग को प्रस्तुत की गई जानकारी की सटीकता और सत्यता और संस्था की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होने पर करेगा।

11. शासन — (1) प्रस्तावित या विद्यमान समविश्वविद्यालय संस्था को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन गैर-लाभकारी संस्था के रूप में या गैर-लाभकारी ट्रस्ट के अधीन रजिस्टर किया जाएगा। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 (1882 का 2) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

परन्तु शैक्षिक संस्थानों को चलाने के लिए अनन्यत: स्थापित एक प्रायोजक निकाय को सम विश्वविद्यालय के लिए एक अलग गैर-लाभकारी सोसायटी या ट्रस्ट या कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण से छूट दी जाएगी। प्रायोजक निकाय अपने रजिस्ट्रीकरण विलेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि प्रायोजक निकाय अनन्यत: से शैक्षिक गतिविधियों को चलाने के लिए है और इसके अधीन कोई अन्य गतिविधियाँ नहीं की जा रही हैं या, ना ही भविष्य में की जाएँगी।

परन्तु यह भी कि यदि सम विश्वविद्यालय के विद्यमान संस्था के प्रायोजक निकाय के पास अनन्यत: शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए कोई सोसायटी या ट्रस्ट या कंपनी नहीं है, तो यह सम विश्वविद्यालय के लिए एक नई गैर-लाभकारी सोसायटी या ट्रस्ट या कंपनी का गठन करेगा। ऐसे मामलों में, प्रायोजक निकाय को अपनी चल और अचल संपत्तियों को नव निर्मित सोसायटी या ट्रस्ट या कंपनी को स्थानांतरित करने से छूट दी जाएगी, यदि ऐसा प्रायोजक निकाय इस आशय का एक नोटरीकृत शपथ पत्र प्रदान करता है कि, संपूर्ण चल और अचल संपत्ति सम संस्था को आवंटित की गई है। सम विश्वविद्यालय होने के लिए आयोग की पूर्व अनुमति के बिना पट्टे पर नहीं दिया जाएगा या अन्यथा निपटाया नहीं जाएगा।

परन्तु यह भी कि प्रायोजक निकाय समविश्वविद्यालय संस्था के संचालन के लिए बिना किसी किराये या अन्य प्रभार के बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा।

(2) सम विश्वविद्यालय संस्था की सभी चल और अचल संपत्तियों का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों के संचालन, अनुसंधान को बढ़ावा देने और सम विश्वविद्यालय संस्था की संबंधित प्रशासनिक अपेक्षाओं के प्रयोजन से किया जाएगा, जिसमें आउटरीच शैक्षिक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं।

(3) सम विश्वविद्यालय संस्था का सर्वोच्च शासी निकाय कुलपति की अध्यक्षता वाली कार्यकारी परिषद् होगी, जिसमें कम से कम 10 सदस्य और 13 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(4) कार्यकारी परिषद् समविश्वविद्यालय संस्था की प्रमुख कार्यकारी निकाय होगी।

(5) कार्यकारी परिषद् की संरचना निम्नानुसार होगी:-

क. कुलपति - अध्यक्ष;

ख. प्रतिकुलपति (जहां भी लागू हो),

ग. अध्ययन विद्यापीठों के संकायाध्यक्षों में से दो सदस्य बारी-बारी से कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे;

घ. एक आचार्य, जो डीन नहीं है, क्रमावर्ती से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

ङ. कुलपति द्वारा क्रमावर्ती से नियुक्त किया जाने वाला एक सह -आचार्य;

च. कुलपति द्वारा क्रमावर्ती से नियुक्त किया जाने वाला एक सहायक -आचार्य;

छ. सम विश्वविद्यालय के मामले में, जो केंद्रीय/राज्य सरकार से उनकी वार्षिक प्राप्ति के 50% से अधिक या बराबर धन प्राप्त करता है, संबंधित सरकार एक अधिकारी को नामित करेगी, जो भारत सरकार या उसके प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त सचिव के रैंक से कम का न हो। अन्य सभी सम विश्वविद्यालयों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने कार्यालय से एक प्रतिनिधि नामित करेगा।

ज. प्रायोजक निकाय के नामांकित व्यक्ति, संख्या में चार से अधिक नहीं हो;

झ. कुलसचिव, जो कार्यकारी परिषद् के पदेन सचिव होंगे।

12. कार्यकारी परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल. - (1) कार्यकारी परिषद् के सभी सदस्य, कुलपति और प्रति-कुलपति के अतिरिक्त, तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और संकायाध्यक्ष के मामले में, कार्यकाल तीन साल या उनके पद पर रहने तक, जो भी पहले हो, होगा।

(2) आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य श्रेणी से कुलपति द्वारा नियुक्त कार्यकारी परिषद् के सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं रह जाते, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।

13. कार्यकारी परिषद् की शक्तियां और सीमाएं - (1) कार्यकारी परिषद् के पास समविश्वविद्यालय संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन की शक्ति होगी।

(2) शैक्षणिक, प्रशासनिक, कार्मिक, वित्तीय और विकासात्मक मामलों सहित समविश्वविद्यालय संस्थान के प्रत्येक मामले के संबंध में कार्यकारी परिषद् समविश्वविद्यालय संस्थान का अंतिम निर्णय लेने वाला निकाय होगा।

(3) समविश्वविद्यालय संस्थान के इन विनियमों और नियमों के प्रावधानों के अधीन कार्यकारी परिषद् को इसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

क. इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर अचार्यों, सह अचार्यों, सहायक अचार्यों और पीठों सहित अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उसमें अस्थायी रिक्तियों को भरना;

ख. नियमों के अनुसारसंस्थान के कर्मचारियों के बीच अनुशासन को विनियमित और लागू करने के लिए;

ग. अतिथि अचार्यों, एमेरिटस अचार्यों, प्रैक्टिस के आचार्य, सलाहकारों, विद्वानों आदि की नियुक्ति के लिए प्रावधान करना और ऐसी नियुक्तियों के नियमों और शर्तों को निर्धारित करना;

घ. ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो सम विश्वविद्यालय संस्थान के इन नियमों और विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या अधिरोपित किए जा सकते हैं;

ङ. सम विश्वविद्यालय संस्थान के लिए नियम और विनियम बनाना; और

च. यदि संस्थान केन्द्रीय/राज्य सरकार से नियंत्रित या प्रबंधित है या केन्द्रीय या राज्य सरकार से उनकी वार्षिक प्राप्ति के आधार पर पचास प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर धन प्राप्त कर रही है, तो पदों का सृजन कार्यकारी परिषद् द्वारा संबंधित सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा, जिससे अनुदान जारी किया जा रहा है।

14. कार्यकारी परिषद् की बैठकें — (1) कार्यकारी परिषद् वर्ष में कम से कम चार बार (एक सेमेस्टर में न्यूनतम दो बार) बैठक करेगी, जिसमें कार्यकारी परिषद् की प्रत्येक बैठक से पहले कम से कम 07 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। अल्प सूचना देकर आपात बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसी आपातकालीन बैठक के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(2) कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई सदस्य बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।

(3) कुलपति की अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति बैठक की अध्यक्षता करेंगे; और जहां सम विश्वविद्यालय संस्थान में कोई प्रतिकुलपति नहीं हो, वहां बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) कार्यकारी परिषद् के प्रत्येक सदस्य, इसके अध्यक्ष सहित, के पास एक वोट होगा और कार्यकारी परिषद् की बैठकों में निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाएंगे; और मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(5) कोई भी कार्य, जो अनिवार्य रूप से किया जाना हो, उसके सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा किया जा सकता है।

(6) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति बैठक के बाद यथाशीघ्र सम विश्वविद्यालय संस्थान के कुलाधिपति को उपलब्ध कराई जाएगी।

15. **सदस्यता की समाप्ति. -** यदि कुलपति और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्यगण, सम विश्वविद्यालय संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करते है अथवा उचित रूप से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्राप्त किए कार्यकारी परिषद् की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं तो वे कार्यकारी परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।

16. कार्यकारी परिषद् की शक्तियों का प्रत्यायोजन.- कार्यकारी परिषद्, एक संकल्प द्वारा, कुलपति या किसी अन्य अधिकारी/संकाय या समविश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान के अधिकारियों/संकाय की समिति को ऐसी शक्तियाँ सौंप सकती है, जो वह उचित समझे, इस शर्त के अधीन कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग में कुलपति या अधिकारी/संकाय, या समिति द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कार्यकारी परिषद् की आगामी बैठक में दी जाएगी।

17. समविश्वविद्यालय संस्था के अन्य प्राधिकरण—

क. शिक्षा परिषद्:(1) शिक्षा परिषद्, सम विश्वविद्यालय संस्थान का मूल शैक्षणिक निकाय होगा तथा जो विश्वविद्यालय माना जाता है और, विश्वविद्यालय, समन्वय और संस्थान की शैक्षणिक नीति पर सामान्य पर्यवेक्षण का उपयोग करने वाले संस्थान के नियमों के उपबंध के अधीन होगा।

(2) शिक्षा परिषद् की संरचना निम्नानुसार होगी:

क. कुलपति - अध्यक्ष;

ख. प्रति कुलपति (जहां भी लागू हो);

ग. स्कूलों के संकायों के संकायाध्यक्ष और विभागों या केंद्रों के प्रमुख;

घ. विभिन्न स्कूलों, विभागों या केंद्रों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए कुलपति द्वारा क्रमावर्ति से दस अचार्यों (स्कूलों के संकायाध्यक्ष और विभागों/केंद्रों के प्रमुखों को छोड़कर) को नियुक्त किया जाएगा;

ङ. विभागों या केंद्रों के प्रमुखों के अतिरिक्त अन्य विभागों या केंद्रों से पांच सह- आचार्य तक, कुलपति द्वारा क्रमावर्ति से नियुक्त किया जाएगा;

च. विभागों या केंद्रों के प्रमुखों के अतिरिक्त अन्य विभागों/केंद्रों से कुलपति द्वारा क्रमावर्ती से पांच सहायक अचार्यों की नियुक्ति की जाएगी।

छ. ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों अथवा सम विश्वविद्यालय संस्थान में क्रियाकलापों के क्षेत्र से जुडे किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित छह व्यक्ति, जो कि सम विश्वविद्यालय संस्थान में सेवारत नहीं हो, जिन्हें कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

ज. कुल सचिव, जो शैक्षणिक परिषद् का पदेन सचिव होगा।

(3) अलग-अलग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व चयन द्वारा नहीं बल्कि क्रमावर्ति तरीके से ही होगा। पदेन सदस्यगणों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों के लिए होगा। शिक्षा परिषद् की बैठकों में परीक्षा नियंत्रक स्थायी आमंत्रिती होगा।

ख. शैक्षणिक परिषद् की शक्तियाँ और कार्य: सम विश्वविद्यालय संस्थान के इन विनियमों और नियमों के प्रावधानों के अधीन, शैक्षणिक परिषद् को इसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

क. सम विश्वविद्यालय संस्थान की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना और निर्देश देने के तरीकों, विभागों या संकाय या स्कूल या केंद्रों के बीच शिक्षण का समन्वय, अनुसंधान के मूल्यांकन और शैक्षणिक मानकों में सुधार के संबंध में निर्देश देना;

ख. अंतर-विभागीय, अंतर-संकाय, अंतर-विद्यालय, विद्यालय, अंतर-केंद्र समन्वय लाने और बढ़ावा देने के लिए और ऐसी समितियों या बोर्डों को स्थापित करने या नियुक्त करने के लिए जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे जा सकते हैं;

ग. सामान्य अकादमिक हित के मामलों पर विचार करने के लिए या तो स्वयं की पहल पर, या किसी विभाग या संकाय या स्कूल या केन्द्र या कार्यकारी परिषद् द्वारा एक संदर्भ पर, और उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए;

घ. सम विश्वविद्यालय संस्थान के डिग्री और डिप्लोमा के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम निर्धारित करना;

ङ. नियमों या उपनियमों के अनुरूप परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना;

च. परीक्षाओं के उचित मानकों को बनाए रखने के लिए;

छ. विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के डिप्लोमा और डिग्री को मान्यता देना और समविश्वविद्यालय संस्थान के डिप्लोमा और डिग्री के साथ समानता निर्धारित करना;

ज. अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक, पुरस्कार आदि स्थापित करना;

झ. विश्वविद्यालय के रूप में संस्थान के शैक्षणिक कामकाज, प्रवेश, परीक्षा, अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति, फीस माफी, रियायतें, उपस्थिति, अनुशासन, निवासआदि के नियमों को तैयार करना;

ञ. विभागों/केंद्रों की गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा करना और निर्देश के मानकों को बनाए रखने और सुधारने के लिए उचित कार्रवाई करना;

ट. कार्यकारी परिषद् को शिक्षण पदों (आचार्यों, सह आचार्यों और सहायक आचार्यों) की संस्था की सिफारिश करने के लिए;

ठ. विभागों या केंद्रों या स्कूलों या संकाय आदि की स्थापना या समाप्ति के लिए कार्यकारी परिषद् को सिफारिशें करना।

ड. कार्यकारी परिषद् को सिफारिशें करना; और

ढ. ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो नियमों द्वारा उसे प्रदत्त या अधिरोपित किए जा सकते हैं।

ग. **शैक्षणिक परिषद् की बैठक**.—(1) शैक्षणिक परिषद् एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान जितनी बार आवश्यक हो, लेकिन कम से कम चार बार (एक सेमेस्टर में कम से कम दो बार) बैठक करेगी, जिसमें शैक्षणिक परिषद् की प्रत्येक बैठक से पहले कम से कम सात दिनों की सूचना दी जाएगी। अल्प सूचना देकर आपात बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसी आपातकालीन बैठक के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(2) शैक्षणिक परिषद् की कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई सदस्य शैक्षणिक परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।

(3) प्रत्येक सदस्य, इसके अध्यक्ष सहित, के पास एक मत होगा और शैक्षणिक परिषद् की बैठकों में निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाएंगे; और बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

(4) शिक्षा परिषद् द्वारा अनिवार्य रूप से निष्पादित किया जाने वाला कोई भी कार्य, जो अत्यावश्यक हो सकता है, को संकल्प परिचालित कर निष्पादित किया जा सकता है।

18. वित्त समिति-(1) वित्त समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:

क. कुलपति - अध्यक्ष;

ख. प्रति कुलपति (जहाँ लागू हो);

ग. सोसाइटी या न्यास या कंपनी द्वारा नामित एक व्यक्ति, जैसा भी मामला हो (जहां भी लागू हो);

घ. कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित किए जाने वाले तीन व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक कार्यकारी परिषद् का सदस्य होगा;

ङ. केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो या भारत सरकार में उसका प्रतिनिधि, यदि संस्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित है या अपने कुल निधि के पचास प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर निधि प्राप्त कर रहा है। केन्द्रीय सरकार से सीधे या उसकी एजेंसियों के माध्यम से वार्षिक प्राप्ति; और अन्य सभी सम विश्वविद्यालयों में आयोग एक प्रतिनिधि को नामित करेगा;

च. कुलाधिपति द्वारा नामित किए जाने वाले तीन व्यक्ति;

छ. वित्त अधिकारी-सचिव – पदेन

(2) यदि सम विश्वविद्यालय संस्थान राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित या वित्तपोषित है, तो ऐसी सरकार का प्रतिनिधि।

(3) पदेन सदस्य के अतिरिक्त वित्त समिति के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे

(4) वित्त समिति खातों की जांच करने और व्यय के प्रस्तावों की जांच करने के लिए वर्ष में कम से कम चार बार (प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम दो बार) बैठक करेगी और वित्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्य बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।

(5) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्तावों और उन मदों को, जिन्हें बजट में शामिल नहीं किया गया है, कार्यकारी परिषद् द्वारा उन पर विचार करने से पहले वित्त समिति द्वारा जांच की जाएगी तथा शुल्क में छूट, छात्रवृत्ति की स्थापना, फीस माफी और किसी भी अन्य वित्तीय लाभ का निर्णय लेना।

(6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार समविश्वविद्यालय के वार्षिक खातों और वित्तीय अनुमानों को विचार और टिप्पणियों के लिए वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद कार्यकारी परिषद् को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) वित्त समिति समविश्वविद्यालय संस्था की आय और संसाधनों के आधार पर वर्ष के लिए कुल आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी

19. अध्ययन बोर्ड: (1) समविश्वविद्यालय संस्थान के प्रत्येक विभाग/विद्यालय के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा। अध्ययन बोर्ड की संरचना निम्नवत् होगी:

क. विद्यालय के संकायाध्यक्ष /विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष;

ख. विद्यालय - विभाग के सभी आचार्य;

ग. क्रमावर्ती द्वारा विद्यालय / विभाग के दो सह आचार्य;

घ. क्रमावर्ती द्वारा विद्यालय / विभाग के दो सहायक आचार्य;

ङ. दो बाहरी विशेषज्ञों को उनके विशेष ज्ञान के लिए सहयोजित किया जाएगा।

(2) शैक्षणिक परिषद् के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, अध्ययन बोर्ड के कार्य विभिन्न उपाधि और अनुसंधान उपाधि की अन्य आवश्यकताओं के अनुसंधान के लिए विषयों को अनुमोदित करना और नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से संबंधित स्कूल बोर्ड को सिफारिश करना, जैसा की संस्थान के विनियम में संदर्भित होगा: -

(क) अध्ययन के पाठ्यक्रम

(ख) अनुसंधान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति; और

(ग) शिक्षण और अनुसंधान के मानकों में सुधार के उपाय

(3) अध्ययन बोर्ड की शक्तियां और कार्य विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान के नियमों द्वारा निर्धारित किये जाएंगे।

20. अध्यापन स्टाफ की नियुक्ति हेतु चयन समिति:

जैसा निहित किया जाए आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों और ऐसे अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए (न्यूनतम योग्यताओं पर) कार्यकारी परिषद् को सिफारिशें करने के लिए एक या एक से अधिक चयन समितियां गठित की जाएंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) विनियम, 2018 किया जाता है।

21. अयोग्यता- (1) एक व्यक्ति को किसी भी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, या संस्थान के रूप में सम विश्वविद्यालय के एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, यदि:

(क) यदि वह विकृत चित्त है; या

(ख) यदि वह एक अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) यदि उसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो और उसके संबंध में कम से कम छह महीने के कारावास क सजा सुनाई गयी हो; या

(घ) यदि उसे इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया है।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है की क्या कोई व्यक्ति उपरोक्त उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन है या नहीं, तो प्रश्न कुलाधिपति को भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा और ऐसे फैसले के खिलाफ कोई भी मुकदमा या अन्य कार्यवाही किसी भी सिविल कोर्ट में नहीं होगी।

22. विभिन्न प्राधिकरणों से संबंधित मामले-(1) यदि कोई प्रश्न उठता है की क्या सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किये गए व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को विधिवत् नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किया गया है या नहीं, जो सम विश्विवद्यालय संस्थान के किसी प्राधिकरण या संस्थान की किसी समिति का सदस्य होने के लिए हकदार है, तो मामले को कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(2) किसी भी प्राधिकरण के पदेन् सदस्य को छोड़कर कोई भी सदस्य कुलसचिव को सम्बोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकता है और यथास्थिति कुलाधिपति या कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकारते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा।

(3) सम विश्वविद्यालय की संस्था की किसी समिति के या किसी प्राधिकरण के सदस्य के बीच अचानक रिक्तियों को संबंधित प्राधिकरण द्वारा, जितनी जल्दी हो सके, और छह महीने की अवधि के भीतर भर दिया जाएगा।

23. समविश्वविद्यालय संस्थान के अधिकारीगण-

(क) कुलाधिपति-

(1) कुलाधिपति पहली बार पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, और कुलाधिपति की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परन्तु केंद्रीय/ राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से उनकी वार्षिक प्राप्ति के पचास प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर धन प्राप्त करने वाले सम विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति की नियुक्ति संबंधित सरकार द्वारा की जायेगी और अन्य समविश्वविद्यालयों के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक निकाय द्वारा की जायेगी।

(2) कुलाधिपति, अपने कार्यालय के आधार पर, सम विश्विद्यालय संस्थान के प्रमुख होंगे और यदि उपस्थित हों, तो उपाधि प्रदान करने के लिए आयोजित सम विश्विद्यालय संस्थान के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) सरकार के मामले में उनकी वार्षिक प्राप्ति के पचास प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर नियंत्रित प्रबंधित प्राप्त करने वाले कुलाधिपति को उपयुक्त सरकार के उद्देश के बिना कार्यालय से नहीं हटाया जाएगा।

(ख) कुलपति-(1) कुलपति सम विश्वविद्यलाय संस्थान का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और उसके खोज-सह-चयन समिति द्वारा सुझाये गए तीन नामों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) कुलपति की योग्यता विश्वविद्यलय अनुदान आयोग विनियम (विश्वविद्यलायों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय), विनियम 2018, के अनुसार होगी।

(3) कुलपति के चयन के लिए खोज-सह-चयन-समिति (एससीएससी) की प्रक्रिया/संरचना निम्नानुसार होगी:

क. ऐसे समविश्वविद्यालय जो राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में हो अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या इसकी एजेंसियों से उनकी वार्षिक प्राप्ति के पचास प्रतिशत से अधिक या बराबर की राशि प्राप्त करता हो, के कुलपति राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

ख. अन्य सम विश्वविद्यालयों संस्थानों की दशा में, खोज सह चयन समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

(i) कुलाधिपति का एक नामित व्यक्ति, जो एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद हो, समिति का अध्यक्ष होगा।

(ii) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति; और

(iii) कार्यकारी परिषद द्वारा नामित आचार्य के रूप में कम से कम दस वर्ष की सेवा के साथ एक शिक्षाविद;

(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5(पांच) वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह 70 (सत्तर) वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर ले, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा तथा कुलपति की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

परन्तु, उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति होते हुए भी, वह तब तक पद पर बना/बनी रहेगा/रहेगी जब तक कि उसके उत्तरवर्ती की नियुक्ति नहीं हो जाती है और वह अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता/लेती है, तथापि, किसी भी स्थिति में कुलपति की आयु 70 (सत्तर वर्ष) से अधिक होने पर पदाधारण नहीं करेगा/करेगी।

परन्तु यह और कि कुलाधिपति, कुलपति को, उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के पश्चात ऐसी, अवधि के लिए पद पर बने रहने के लिए निदेश दे सकेगा, जो एक वर्ष की कुल अवधि से अधिक नहीं होगी।

(5) यदि कुलपति का पद उसकी मृत्यु पदत्याग या अन्यथा के कारण रिक्त हो जाता है, या यदि वह खराब स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो प्रति-कुलपति उसके स्थान पर कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा;

परंतु यदि प्रति-कुलपति अनुपलब्ध है, तो कुलाधिपति वरिष्ठतम आचार्य को नियुक्त करेगा, जो कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा जब तक कि यथास्तिथि कोई नया कुलपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है या विद्यमान कुलपति अपने पद का कार्यभार संभाल नहीं लेता है।

परन्तु यह और कि, ऐसे सम विश्वविद्यालय जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रण या प्रबंधन में हो अथवा उनकी वार्षिक प्राप्ति के 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक या बराबर कि निधि प्राप्त करता हो, यदि प्रति कुलपति अनुपलब्ध है, तो सरकार वरिष्ठतम आचार्य या किसी अन्य प्रतिष्ठित शिक्षाविद को आरंभ में छह महीने

की अवधि के लिए या नए कुलपति के पद ग्रहण करने तक या विद्यमान कुलपति के अपने कार्यालय के कर्तव्यों को पुनः ग्रहण करने तक, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करेगी।

ग. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य. (1) कुलपति सम विश्वविद्यालयसंस्थान के प्रधान कार्यकारी अधिकारी और शैक्षणिक अधिकारी होंगे और सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का करेंगे और सम विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(2) कुलपति, यदि उसके विचार से किसी मामले में तुरंत कार्यवाही किए जाने की आवश्कता हो तो सम विश्वविद्यालय संस्थान के विनियमों द्वारा या उनके अधीन हो संस्थान के किसी प्राधिकरण को प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करेगा कर सकेगा तथा ऐसे मामले पर उसके द्वारा की गई कार्यवाई के ऐसे में संबंधित प्राधिकरण को रिपोर्ट देगा:

परन्तु इस विनियम में वर्णित प्रधिकरण की यह राय हो, कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामले को कुलाधिपति को भेजेगा, जिसका तत्संबंध में विनिश्चय अंतिम होगा;

परन्तु यह कि यदि कोई व्यक्ति जो कि सम विश्वविद्यालय संस्थान में सेवारत हो तथा इस विनियम के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से क्षुब्ध हो तो उसे ऐसी कार्यवाई पर विनिश्चय के बारे में संसूचित की गई तिथि से ९० (नब्बे) दिनों के भीतर ऐसे निर्णय के संबंध में कार्यकारी परिषद के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा तथा कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगी, उसे उपान्तरित कर सकेगी अथवा उलट सकेगी।

(2) कुलपति, यदि उनकी राय है कि सम विश्वविद्यालय संस्थान के किसी प्राधिकरण का कोई विनिश्चयों इन विनियमों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण की शक्ति से परे है या सम विश्वविद्यालय संस्थान के हित में, नहीं है, संबंधित प्राधिकारी को इस के साठ दिनों के भीतर अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकता है और यदि प्राधिकरण विनिश्चय का पूरी तरह से या आंशिक रूप से पुनर्विलोकन करने से इनकार करता है या उसके द्वारा साठ दिनों के भीतर कोई विनिश्चय नहीं लिया जाता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(4) कुलपति कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में छात्रों को उपाधि प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(5) कुलपति सम विश्वविद्यालय के किसी भी प्रधिकरण या अन्य निकाय की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और संबोधित करने का हकदार होगा, लेकिन जब तक वह ऐसे संस्थान या निकाय का सदस्य नहीं है, तब तक उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(6) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इन विनियमों का सम्यक रूप से पालन और कार्यान्वयन किया जा रहा है और उसे अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी।

(7) कुलपति के पास समविश्वविद्यालय संस्थान में अनुशासन बनाये रखने के लिए आवश्यकसभी शक्तियाँ होंगी, और वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी कोई भी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(8) कुलपति के पास कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद, वित्त समिति और अन्य प्रधिकरणों की बैठक बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

घ. कुलपति को हटाना

(1) यदि ऐसा विश्वास करने के समुचित कारण हों कि सम विश्वविद्यालय संस्थान के कुलपति के पास इन विनियमों में यथा-अपेक्षित योग्यताएं नहीं हैं और साथ ही साथ समय-समय पर यथा-संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक कर्मचारी वृंदों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम

अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रखरखाव करने हेतु उपाय) विनियम, 2018 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया हो अथवा उन्होंने कोई वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितताएं की हों, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष इस मामले की जांच करने के लिए शैक्षणिक, प्रशासनिक अथवा वित्तीय विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगा।

(2) आयोग के निदेश पर, कुलाधिपति कुलपति को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर सकेगा।

(3) जांच समिति आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले कुलपति को सुनवाई का अवसर देगी और जहां जांच समिति की रिपोर्ट में यथास्थिति अपात्रता, या प्रतिक्रियात्मक उल्लंघन, या अनुपयुक्तता, निदेश की पुष्टि होती है, आयोग कुलाधिपति को उचित प्रक्रिया का पालन करके कुलपति को हटाने का निदेश देगा।

परन्तु, ऐसे सम विश्वविद्यालय जो केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रण में हो अथवा उनकी वार्षिक प्राप्ति के पचास प्रतिशत से अधिक या बराबर निधि प्राप्त करता हो, संबंधित सरकार एक जांच समिति का गठन करेगी जो सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले कुलपति को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी, अंतरिम अवधि में सरकार कुलपति को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर देगी और कुलपति को संबंधित सरकार द्वारा ही हटाया जाएगा।

(4) इन विनियमों में अंतविशिष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति, कुलपति के पदग्रहण करने के पश्चात किसी भी समय, लिखित आदेश द्वारा कुलपति को अक्षमता, कदाचार या इन विनियमों का उल्लंघन करने पर हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं देगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति, ऐसा आदेश देने से पहले किसी भी समय कुलपति को जांच लंबित रहने तक निलम्बित कर सकेगा।

(5) ऐसे सम विश्वविद्यालय जो केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रण में हों अथवा उनसे या उनके अभिकरणों से उनकी वार्षिक प्राप्ति के 50 % (पचास प्रतिशत) से अधिक या बराबर निधि प्राप्त करता हो, उप-विनियम (1) से (4) में निर्दिष्ट कार्यवाइयों को समुचित सरकार का अनुमोदन प्राप्त होगा।

ड. **प्रति कुलपति** (1) कुलपति की सिफारिश पर, कार्यकारी परिषद एक आचार्य को प्रति आचार्य के रूप में उसके कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रति कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करेगी।

ऐसे सम विश्वविद्यालय जो सरकार के नियंत्रण या प्रबंधन में हो अथवा उनकी वार्षिक प्राप्ति के 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक या बराबर निधि प्राप्त करता हो, कुलपति, प्रतिकुलपति की नियुक्ति से पूर्व समुचित सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगा:

परन्तु, यह और की जहां कुलपति की सिफारिश कार्यकारी परिषद द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जो या तो कुलपति द्वारा सिफारिश किए गए आचार्य को नियुक्त कर सकेगा या कुलपति से दूसरे आचार्य के नाम को कार्यकारी परिषद द्वारा पुन: विचार की सिफारिश करने के लिए कह सकेगा।

(2) प्रतिकुलपति के पद की अवधि ऐसी होगी जो कार्यकारी परिषद द्वारा विनश्चित की जाए किन्तु यह किसी भी मामले में पांच वर्ष से अधिक या कुलपति के कार्यकाल की समाप्ति से अधिक नहीं होगी, जो भी पहले हो:

परन्तु, प्रतिकुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो चुकी है, प्रतिकुलपति की नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः नियुक्ति का पत्र होगा।

परन्तु, यह और कि प्रतिकुलपति, कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, प्रतिकुलपति के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के होते हुए भी, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि यथास्थिति, कुलपति पद ग्रहण नहीं कर लेता या एक नया कुलपति पद ग्रहण करता है।

परन्तु, यह भी कि, किसी भी दशा में प्रतिकुलपति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा;

(3) प्रतिकुलपति के पास समविश्वविद्यालय संस्थान के नियमों द्वारा विहित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे।

(4) प्रतिकुलपति ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जो समय-समय पर कुलपति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो कुलपति द्वारा उसे सौंपा या प्रत्यायोजित किया जाए।

च कुलसचिव (1) (क) कुल सचिव, सम विश्वविद्यालय संस्थान का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और चयन समिति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

i. कुलपति – अध्यक्ष

ii. कुलाधिपति का एक नामिती ;

iii. इसके द्वारा नामित कार्यकारी परिषद के दो सदस्य; और

iv. कार्यकारी परिषद द्वारा नामित एक विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है।

(ख) चयन समिति की बैठक कुलाधिपति के नामिती और कार्यकारी परिषद द्वारा नामित विशेषज्ञों की सुविधा एवं उनसे परामर्श पूर्व तय की जाएगी और चयन समिति की कार्यवाही तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि कुलाधिपति के नामितों या कार्यकारी परिषद द्वारा नामित व्यक्तियों में से कम से कम तीन ने बैठक में भाग नहीं लिया हो।

(2) कुल सचिव पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और कुल सचिव के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा।

परन्तु, कुल सचिव कुल सचिव बासठ वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त होगा तथा परिलब्धियाँ और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें संस्थान समविश्वविद्यालय के नियमों द्वारा विहित की जाएंगी।

(3) जब कुल सचिव का पद रिक्त होता है या जब कुल सचिव रुग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तो कुल सचिव के कर्तव्यों का पालन किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।

(4) कुल सचिव कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद का पदेन सचिव होगा, लेकिन उसे इनमें से किसी भी प्राधिकरणो का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(5) कुल सचिव प्रत्यक्ष रूप से कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा और उनके निर्देश के अंतर्गत कार्य करेगा।

(6) कुल सचिव के पास शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के अतिरिक्त, जैसा कि कार्यकारी परिषद के आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और जांच लंबित रहने तक

उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की शक्ति अधिरोपित करने या उनकी वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति होगी;

परन्तु ऐसी किसी शक्ति को तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि व्यक्ति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में कारण बताने का समुचित अवसर न दिया गया हो।

(7) कुल सचिव के उपविनियम (6) के किसी भी शक्ति को अधिरोपित करने वाले किसी भी आदेश के विरुद्ध कुलपति से अपील की जा सकेगी।

(8) ऐसे मामले में जहां जांच से यह प्रकट होता है कि कुल सचिव की शक्ति से परे दंड की मांग की गई है, कुल सचिव, जांच के समापन पर, अपनी सिफारिशों के साथ कुलपति को एक रिपोर्ट सौंपेगा;

परन्तु कुलपति के किसी भी शक्ति को अधिरोपित करने के आदेश के विरुद्ध कार्यकारी परिषद में अपील की जा सकेगी।

(9) कुल सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह:-

(क) सम-विश्वविद्यालय संस्था के अभिलेखों, सामान्य मुहर और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा, जैसा कि कार्यकारी परिषद उसके प्रभार के प्रति वचनबद्ध हो;

(ख) कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों की बैठकें बुलाने के लिए सभी नोटिस जारी करेगा;

(ग) कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों की सभी बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा;

(घ) कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद के बीच आधिकारिक पत्राचार करेगा;

(ङ) सम-विश्वविद्यालय संस्थान के प्राधिकारियों की बैठकों का कार्यवृत्त और उन बैठकों की कार्यसूची की प्रतियां जारी होते ही कुलाधिपति को उपलब्ध कराएगा;

(च) विश्वविद्यालय की ओर से या उसके विरुद्ध मुकदमे या कार्यवाहियों को लेकर सम विश्वविद्यालय संस्थान का प्रतिनिधित्व करना, अधिकार पत्र हस्ताक्षर करना तथा याचिकाओं का सत्यापन करना या इस प्रयोजन हेतु अपना/अपनी प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्त करेगा;

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो यथास्थिति समविश्वविद्यालय संस्थान के नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं या जो समय-समय पर कार्यकारी परिषद या कुलपति द्वारा अपेक्षित हों;

(ज) समविश्वविद्यालय संस्थान की ओर से करार करना, दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करेगा और अभिलेख का अधिप्रमाणन करेगा;

(झ) समविश्वविद्यालय संस्थान के भवनों, उद्यानों, कार्यालय, कैंटीन, कार तथा अन्य वाहनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, पठन कक्षों, उपस्कर एवं अन्य संपत्तियों की सुरक्षा और रखरखाव की व्यवस्था करेगा; और

(ञ) समविश्वविद्यालय संस्थान के प्राधिकारियों की ओर से आधिकारिक पत्राचार करेगा।

छ. वित्त अधिकारी

(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी और वह सम विश्वविद्यालय संस्थान का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(2) वित्त अधिकारी को पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह वित्त अधिकारी की नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होगा। परन्तु, किसी भी मामले में, वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।

(3) वित्त अधिकारी की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जो कार्यकारी परिषद द्वारा समय–समय पर विहित की जाएं।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त होता है या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा किन्तु उसे ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझ जाएगा।

(6) वित्त अधिकारी के कार्य:-

(क) सम-विश्वविद्यालय संस्थान की निधियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कार्यों का निष्पादन करेगा जो उसे कार्यकारी परिषद द्वारा सौंपे जाएं या जो सम-विश्वविद्यालय संस्थान के नियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(7) कार्यकारी परिषद के नियंत्रणाधीन वित्त अधिकारी

(क) सुनिश्चित करेगा कि कार्यकारी परिषद द्वारा एक वर्ष के लिए आवर्ती और गैर-आवर्ती व्ययों के लिए नियत सीमाएं पार नहीं की जाती हैं और यह कि सभी राशियां उस उद्देश्य पर खर्च की जाती हैं जिस उद्देश्य विशेष के लिए उन्हें अनुदत्त किया गया है या आवंटित किया गया है;

(ख) सम विश्वविद्यालय संस्थान के वार्षिक लेखा और उसके बजट की तैयारी के लिए तथा कार्यकारी परिषद के समक्ष उसकी प्रस्तुति को लेकर उत्तरदायी होगा;

(ग) नकदी और बैंक शेष की स्थिति और निवेशों की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखेगा;

(घ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नज़र रखेगा और नियोजित संग्रहण की पद्धति पर परामर्श देगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टरों का रख-रखाव और अद्यतन कार्य किया जा रहा है तथा सभी कार्यालयों, विभागों, विद्यालयों, संकायों, केन्द्रों और विशिष्ट प्रयोगशालाओं में उपस्कर एवं अन्य उपभोग्य सामग्रियों का स्टॉक-जांच कार्य हो;

(च) अनधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति के ध्यान में लाएगा और त्रुटि करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर सुझाव देगा;

(छ) सम-विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा अनुरक्षित किसी कार्यालय, विभाग, विद्यालय, संकाय, केन्द्र, प्रयोगशाला आदि से ऐसी कोई सूचना या विवरण मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे; और

(ज) कुलपति के निदेश के अंतर्गत कार्य करेगा और कुलपति के माध्यम से कार्यकारी परिषद के प्रति उत्तरदायी होगा।

ज. परीक्षा नियंत्रक. (1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी और वह सम विश्वविद्यालय संस्थान का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक को पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परन्तु परीक्षा नियंत्रक बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो कार्यकारी परिषद द्वारा समय–समय पर विहित की जाएं।

(4) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त होता है या जब परीक्षा नियंत्रक बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें कुलपति ने इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया होगा।

(5) परीक्षा नियंत्रक ऐसी रीति में जो सम विश्वविद्यालय संस्थान के नियमों द्वारा विहित की जाए सम विश्वविद्यालय संस्था की परीक्षाओं की व्यवस्था और अधीक्षण करेगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक शैक्षिक परिषद का स्थायी आमंत्रित सदस्य होगा।

(7) परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा और मूल्यांकन के संबंध में कार्यकारी समिति, शैक्षिक परिषद और कुलपति के सभी विनिर्दिष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाता है।

झ. संकायाध्यक्ष - (1) संबद्ध विषयों से संबंधित विभागों को संकायों/ विद्यालयों आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है और प्रत्येक संकाय का नेतृत्व एक संकायाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(2) कुलपति द्वारा दो वर्षों की अवधि के लिए चक्रानुक्रम द्वारा विद्यालय/संकाय में से प्रत्येक विद्यालय/संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा;

परंतु यदि किसी मामले में एक विद्यालय/संकाय में केवल एक आचार्य या कोई भी आचार्य न हो, ऐसे में तत्समय के लिए संकायाध्यक्ष को विद्यालय/संकाय में आचार्य में से, यदि कोई हो, सह-आचार्य नियुक्त किया जाएगा; यदि किसी मामले में एक विद्यालय में केवल एक आचार्य या कोई भी आचार्य न हो, ऐसे में तत्समय के लिए संकायाध्यक्ष को विद्यालय/संकाय में आचार्य में से, यदि कोई हो, सह-आचार्य नियुक्त किया जाएगा;

(3) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त होता है या जब संकायाध्यक्ष बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो कार्यालय के कर्तव्यों को विद्यालय में यथास्थिति, ज्येष्ठतम आचार्य या सह-आचार्य द्वारा किया जाएगा।

(4) संकायाध्यक्ष विद्यालय/संकाय केंद्र का अध्यक्ष होगा और विद्यालय/संकाय केंद्र में शिक्षण तथा अनुसंधान के मानकों का संचालन और अनुरक्षण और ऐसे अन्य कार्य जो सम विश्वविद्यालय संस्थान के नियमों द्वारा विहित किए जाए के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(5) संकायाध्यक्ष को यथास्थिति विद्यालय/संकाय केंद्र के पाठ्य बोर्ड या समितियों की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार प्राप्त होगा, किन्तु उसे तब तक मताधिकार प्राप्त नहीं होगा जब तक कि वह उनका सदस्य न हो ।

ञ. विभागाध्यक्ष.-(1) समविश्वविद्यालय संस्था में प्रत्येक विभाग/केंद्र के लिए विभाग का एक प्रमुख/केंद्र का अध्यक्ष होगा जिसे कुलपति द्वारा विभाग/केंद्र के आचार्यों में से नियुक्त किया जाएगा परन्तु आचार्य नहीं है या केंद्र/विभाग में केवल एक आचार्य है जिसका केंद्र के विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो कुलपति एक सह-आचार्य को विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) केंद्र के विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्ष का होगा और वह विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(3) विभाग के प्रमुख/केंद्र के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य सम विश्वविद्यालय संस्था के नियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

24. प्रवेश और फीस संरचना

क. प्रवेश.-सार्वजनिक या स्ववित्तपोषित सम विश्वविद्यालय संस्था में छात्रों का प्रवेश, सरकारी परीक्षण अभिकरण या सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में योग्यता के आधार पर सही अर्थ में और समुचित कानूनी प्राधिकरण द्वारा विहित, जहां भी लागू हो, होगा। प्रवेश परीक्षा नहीं होने की स्थिति में सम विश्वविद्यालय संस्था में छात्रों का प्रवेश विवरण पत्रिका में विनिर्दिष्ट रीति से किया जा सकेगा।

ख. **फीस संरचना-** (1) किसी भी नामपद्धति या रूप में दान/प्रतिव्यक्ति फीस, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कड़े रूप से प्रतिषिद्ध है।

(2) सम विश्वविद्यालय संस्था सुसंगत कानूनी निकायों द्वारा जारी फीस संरचना, सीटों की संख्या आदि के संबंध में नियमों/विनियमों का पालन करेंगीन और यदि कोई सम विश्वविद्यालय संस्था विभिन्न पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है, जो विभिन्न कानूनी निकायों अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद आदि के विनियामक दायरे में आते हैं, तो ऐसे कानूनी निकाय द्वारा जारी की गई फीस संरचना, सीटों की संख्या आदि के संबंध में नियम/विनियम लागू होंगे।

(3) फीस अलाभकारी/ वाणिज्येतर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी रूप से नियत होगा।

(4) फीस सम विश्वविद्यालय संस्था की विवरण पत्रिका में घोषित और ऐसे संदाय के लिए उचित रसीद के साथ एकत्रित की जाएगी। विवरण पत्रिका में यह भी होगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी नामपद्धति या रूप में दान/ प्रति व्यक्ति फीस छात्र/अभिभावक से नहीं वसूली जाएगी। किसी शिकायत के मामले में छात्र/ अभिभावक अपनी शिकायत संस्थान/सम विश्वविद्यालय संस्था को प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) सम विश्वविद्यालय संस्था सोसाइटी के आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से वंचित समूहों के मेधावी छात्रों को फीस रियायत/छात्रवृतियां प्रदान करेगा या कुछ सीटें उन्हें आबंटित कर सकेगा।

(6) समविश्वविद्यालय संस्था फीस की वापसी और मूल प्रमाण-पत्रों की वापसी के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं/मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगा।

(7) प्रत्येक समविश्वविद्यालय संस्था अभ्यार्थियों के चयन की पूरी प्रक्रिया के अभिलेख बनाए रखेगा तथा अपनी वेबसाइट पर ऐसे अभिलेख प्रदर्शित करेगा और ऐसे अभिलेख को कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित रखेगा।

(8) समविश्वविद्यालय संस्था प्रवेश आरंभ होने के कम से कम 60 दिन पहले अपनी वेबसाइट पर फीस संरचना प्रतिदाय नीति, कार्यक्रम में सीटों की संख्या, पात्रता, आर्हता एवं प्रवेश प्रक्रिया आदि सहित विवरण पत्रिका उपलब्ध करवाएगा।

(9) सम विश्वविद्यालय संस्था छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के किसी भी मूल प्रमाण पत्र को अपने पास नही रखेगा।

25. सम विश्वविद्यालय संस्था सभी के लिए खुला हैः (1) सम विश्वविद्यालय संस्थान सभी लिंगों के और किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग के व्यक्तियों के लिए खुला होग और यह किसी भी व्यक्ति पर धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की किसी भी परीक्षा को अपनाने या अधिरोपण के लिए विधिपूर्ण नही होगा जिससे कि उसे सम विश्वविद्यालय संस्था के संकाय सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सके या कार्यालय में अन्य कोई भी प्रक्रिया अपनाने का अधिकार दिया जा सके या सम विश्वविद्यालय संस्था में एक छात्र के रूप में भर्ती किया जा सकें या वहां स्नातक हो सके या किसी भी विशेषाधिकार का आनंद ले सके या उसका उपयोग कर सकें।

परंतु इस धारा की किसी बात से यह नही समझा जाएगा जो संस्था को महिलाओं, दिव्यांगजनों या कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के रोजगार या प्रवेश के लिए या सोसाइटी और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

और नागरिकों के अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछडे वर्गों के लोगो को रोजगार या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से रोके।

(2) प्रवेश, फीस और रोजगार के मामलों में सभी नीतियों और प्रक्रियाएं, जो क्रमशः विश्वविद्यालय स्तर के सार्वजनिक वित्तपोषित और स्व-वित्तपोषित संस्थानों पर लागू होती हैं, लागू होगी।

26. सम विश्वविद्यालय संस्था का एकात्म स्वरूपः सम विश्वविद्यालय संस्था प्रकृति में एकात्मक होगा और किसी अन्य संस्था को संबद्ध नही करेगा।

27. आरक्षण नीतिः- सम विश्वविद्यालय संस्था भारत के संविधान और तत्समय प्रवृत्त संसद के किसी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रवेश और भर्ती में आरक्षण पर नीति को लागू करेगा और अपनर वेबसाइट पर ऐसी सभी जानकारी को प्रदर्शित करेगा।

28. **ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षाः**- सम विश्वविद्यालय संस्था समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार ऑनलाइन पाठ्यक्रमों/दूरस्थ पाठ्यक्रमों/उपाधियों को पेश कर सकेगा।

29. **विनियमों के उल्लघंन करने के लिए जांच और परिणाम के संचालन की शक्तिः** (1) जहां, यथास्थिति सरकार या आयोग शिकयत के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से सूचना प्राप्त करना चाहता है या किसी सम विश्वविद्यालय संस्था ने इन विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है तो उक्त आशय की सूचना की जांच हेतु उक्त सम विश्वविद्यालय संस्था को नोटिस जारी करने के पश्चात् ऐसी सूचना के तथ्यों की जांच करेगा।

(2) आयोग शैक्षिक परिणामों या जांच के प्रयोजन के लिए सम विश्वविद्यालय संस्था के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में शिक्षाविदों, प्रशासन और वित्त के मामलों में विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण भी कर सकेगा।

(3) जांच के आधार पर या इन विनियमो में उल्लिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से, यदि यथास्थिति, सरकार या आयोग का यह समाधान हो जाता है कि इन विनियमों का उल्लंघन किया गया है तो सम विश्वविद्यालय संस्था इन विनियमों में यथा उपबंधित ऐसी कार्रवाई के अधीन होगा।

30. **पूर्व विनियमों के अधीन प्रस्तावो पर विचारः**- किसी संस्था को सम विश्वविद्यानय संस्था के रूप में घोषणा या ऑफ कैम्पस केंद्र/केंद्रों या ऑफ शोर कैम्पस/कैम्पसों की स्थापना के लिए अनुमोदन के सभी आवेदन हेतु जो सरकार द्वारा प्राप्त किए गए है या यथास्थिति या इन विनियमों की प्रकाशन की तारीख से पहले आयोग में लंबित या प्रक्रियाधीन है इन विनियमों द्वारा शासित किया जाएगा परंतु कि आवेदक लिखित रूप में एक वचनबंध प्रस्तुत करें कि ऐसे आवेदन की तारीख से सम विश्वविद्यालय संस्था को शासित करने वाले आयोग विनियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है और यह कि इन विनियमों के अधीन आवेदन के अनुमोदन के अधीन छह वर्षो की अवधि के भीतर यथास्थिति आवेदक इन विनियमों के उपबंधो का पालन करेगा पर आवेदक की प्रास्थिति को सम विश्वविद्यालय संस्था ऑफ कैम्पस/ऑफ शोर कैम्पस के रूप में प्रास्थिति को वापिस ले लिया जायेगा।

31. **निधियां, लेखा, लेखा परीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट.-** (1) सम विश्वविद्यालय संस्था की लेखा बही का रख-रखाव, प्रबंधन तथा प्रचालन सम विश्वविद्यालय संस्था के नाम पर किया जाएगा न कि प्रायोजक निकाय या किसी अन्य निकाय के नाम पर और सम विश्वविद्यालय संस्था के लेखा का रख-रखाव ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जो कार्यकारी परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए तथा आयोग द्वारा इस संबंध में विहित किए गए नियमों, यदि कोई हों तो, के अनुरूप किया जाएगा ।

(2) किसी भी समय सम विश्वविद्यालय संस्था के लेखा से प्रायोजित निकाय या अन्य किसी निकाय के लेखा सहित किसी अन्य लेखा में निधियों का अपयोजन नहीं किया जाएगा।

(3) सम विश्वविद्यालय संस्था अपनी लेखा बहियों की वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा कराएगा, उसे अलग से प्रकाशित करेगा और संस्था की वेबसाइट पर अपलोड करेगा; और यदि ऐसे संस्था को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसके अभिकरणों के माध्यम से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाता है, तो ऐसे सम विश्वविद्यालय संस्था के लेखा की भारत के नियंत्रक- महा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी सम विश्वविद्यालय संस्था के लेखा का, जहां अपेक्षित हो, आयोग द्वारा निरीक्षण भी किया जा सकेगा।

(4) वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखाओं की लेखा परीक्षा एक अर्हित वृत्तिक द्वारा की जाएगी जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का सदस्य या अध्येता हो, जिसे सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा नियुक्त किया जाए परन्तु कि आयोग सम विश्वविद्यालय संस्था के लेखा से वित्तीय अनियमितता या गबन या अवैध अपयोजन या इन विनियमों के उपबंधों के विरूद्ध फीस संग्रहित करने के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर एक नोटिस जारी करेगा जिसमें सम विश्वविद्यालय संस्था को कारण बताने को कहा जाएगा कि शिकायत के संबंध में फोरेंसिक लेखा परीक्षा सहित निरीक्षण का आदेश क्यों न जारी किया जाए, तथा प्रतिवादी संस्था को एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् आयोग इस बात से संतुष्ट हो कि इस मामले में आगे की कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार है, आयोग एक दल द्वारा निरीक्षण करवाएगा, और फोरेंसिक लेखा परीक्षा का भी निदेश देगा; इन विनियमों के अधीन निरीक्षण दल की रिपोर्ट और फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट आयोग के लिए आगे की कार्रवाई करने का आधार बनेगी, जैसा भी उचित समझा जाए, जिसमें सरकार को सम विश्वविद्यालय संस्थान की प्रास्थिति वापिस लेने के लिए सिफारिश भी सम्मिलित है ।

(5) वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षा रिपोर्टें कार्यकारी परिषद् से सम्यक् अनुमोदन के पश्चात् सम विश्वविद्यालय संस्था की वेबसाइट और आयोग पोर्टल पर भी अपलोड की जाएंगी। केंद्रीय सरकार /राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित/नियंत्रित/वित्तपोषित सम विश्वविद्यालय संस्थाएं वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरणों और वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित सरकार को प्रस्तुत करेंगी।

32. **प्रकीर्ण -**(1) समविश्वविद्यालय संस्था यथा शीघ्र शैक्षिक कार्यक्रम के पूरा होने के पश्चात् और ऐसे समापन की तारीख से 180 दिनों के भीतर किसी भी मामले में, यह सुनिश्चित करेगा कि डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में कोई अन्य अर्हता छात्रों को प्रदान की जाती है या उपलब्ध कराई जाती है।

(2) सम विश्वविद्यालय संस्था अनिवार्य रूप से अपने छात्रों के शैक्षिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी (एबीसी) बनाएंगे और डिजिटल लॉकर में उनके क्रेडिट स्कोर अपलोड करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में परिलक्षित हों और समर्थ ई-जीओवी को अपनाएंगे।

(3) कोई भी समविश्वविद्यालय संस्था किसी भी समय चाहे प्रत्यक्ष रूप से या संपरिवर्तित रूप से सम विश्वविद्यालय संस्था के ऑफ या ऑफ शोर कैम्पस या संघटक इकाई या पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम या विभाग या विद्यालय या संकाय की स्थापना के रखरखाव करने या संचालित करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन से कोई विशेषाधिकार करार या ठहराव नही करेगा, निम्नलिखित मामलों के सिवाय अर्थात:-

(क) सम विश्वविद्यालय संस्था जो विनियम 8 के उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के अधीन पात्र है एक करार या ठहराव कर सकेगा यदि-

(1) ऐसी संस्था की स्थापना, रखरखाव या संचालन की अनुज्ञा संसद के किसी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन दी गई है; और

(2) इसने इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् विनियम 8 के उपविनियम(3) के अधीन आवेदन किया है।

(ख) ऐसे करार या ठहराव के अधीन स्थापित किया जाने वाला कैम्पस निम्नलिखित होगा:

(1) जब तक ऐसा करार या ठहराव ऐसे विधि के अधीन विधिमान्य रहती है, तब तक उसे समविश्वविद्यालय संस्था के ऑफ कैम्पस केंद्र के रूप में माना जाता है:- तथा

(2) लेखा परीक्षा और प्रकटीकरण के समान मानकों के अधीन एक अलाभकारी इकाई के रूप में सम विश्वविद्यालय संस्था के समान;

(ग) जो समविश्वविद्यालय संस्था विनियम (8) के अधीन पात्र है संस्थान कौशल-उन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए एक करार या ठहराव कर सकेगा यदि ऐसा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संसद के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(घ) ट्विनिंग कार्यक्रम, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम और ड्यूल डिग्री कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और ड्यूल डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों शैक्षिक सहयोग), विनियम 2022 में नियत उपबंधों के अनुसार पेश किए जाएंगे।

(ङ) सम विश्वविद्यालय संस्था की आय और संपत्ति केवल सम विश्वविद्यालय संस्थान के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए उपयोजित की जाएगी।

(च) आयोग के पास सरकार की किसी लोक नीति के कार्यान्वयन के लिए या किसी प्रवृत विधि के संबंध में सम विश्वविद्यालय संस्था को निदेश जारी करने की शक्तियां होंगी, जिसमें सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा किसी विधि या नीति के किसी उल्लंघन के मामले में उपयुक्त निदेश सम्मिलित हैं।

(छ) सम विश्वविद्यालय संस्था की आय तथा संपत्ति से कोई भी भाग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्तियों को जो किसी समय सम-विश्वविद्यालय संस्था के सदस्य थे या है उनके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति को लाभांश, बोनस या किसी अन्य तरीके से लाभ संदत्त या अंतरित नहीं किया जाएगा, सम विश्वविद्यालय संस्था को प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए या यात्रा के लिए या अन्य भत्तों और ऐसे प्रभारों के लिए प्रतिफल के रूप में किसी सदस्य को या अन्य व्यक्ति को सद्भाव पूर्वक पारिश्रमिक के संदाय से नहीं रोकेगी।

(ज) आयोग के परामर्श से सरकार के पास अधिसूचना में ऐसी अन्य (शर्त)तें अधिरोपित करने की शक्तियां होंगी, जो इन विनियमों से असंगत नहीं हैं, और ये सम विश्वविद्यालय संस्था पर बाध्यकारी होंगी।

(झ) जहां कोई सम विश्वविद्यालय संस्था अपने 'सम विश्वविद्यालय संस्था' की प्रतिस्थिति का समपर्ण चाहता है, वह सरकार की पूर्व अनुज्ञा से ऐसा कर सकता है और इसी प्रकार सम विश्वविद्यालय संस्था के किसी संघटक इकाई(यों) ऑफ कैम्पस ऑफ शोर कैम्पस को सम विश्वविद्यालय संस्था के दायरे से हटा सकता है, इसके लिए प्रायोजित निकाय को सरकार की पूर्व अनुज्ञा लेना अपेक्षित होगा।

परन्तु, यथास्थिति, ऐसा समर्पण या वापसी, तभी प्रभावी होगा जब यथा स्थिति सम विश्वविद्यालय की नामावलियों में छात्रों के अन्तिम बैच को विश्वविद्यालय संस्था अध्ययन कार्यक्रम को पूरा करने और डिग्री प्रदान करने के लिए अर्हता प्राप्त या इसकी संघटक ईकाई करने का अवसर प्रदान किया गया हो।

(ञ) सम विश्वविद्यालय संस्था अपनी सम्पत्ति या कार्यकलापों के संबंध में ऐसी विवरणी या अन्य जानकारी केन्द्रीय सरकार या आयोग को प्रस्तुत करेगी जो केंद्रीय सरकार या आयोग द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो ऐसी अवधि के भीतर जो केंद्रीय सरकार या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(ट) डिग्री प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए सम विश्वविद्यालय संस्था का दीक्षांत समारोह ऐसी रीति से आयोजित किया जाएगा जो सम विश्वविद्यालय संस्था के नियमों द्वारा विहित किया जाए।

(ठ) कार्यकारी परिषद उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो -तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, अच्छा और पर्याप्त कारण के लिए सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए शैक्षिक वैशिष्ट्य की डिग्री, या दिए गए किसी भी प्रमाण पत्र या डिप्लोमा को वापस ले सकेगी;

परन्तु कि ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को लिखित में नोटिस न दिया गया हो कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर कारण बताए कि ऐसा संकल्प क्यों पारित नहीं किया जाना चाहिए और जब तक उसकी आपत्तियां, यदि कोई हों, और कोई साक्ष्य जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत कर सके, कार्यकारी परिषद द्वारा विचार किया गया हो।

(ड) इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में विचारों के टकराव की दशा में आयोग की राय अंतिम होगी।

(ढ) सम विश्वविद्यालय संस्थानों के संबंध में, इन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंध अधीनियम के उपबंधों के अधीन आयोग द्वारा अन्य विनियमों में किसी असंगति या उपबधों के मामले में अभिभावी होगें।

(33) **विधिक कार्यवाहियां** (1) रजिस्ट्रार समविश्वविद्यालय संस्था के विरूद्ध किन्ही विधिक कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए वाद दायर कर सकेगा, जिसके पास सम विश्वविद्यालय संस्था की और से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को प्रमाणित करने की शक्ति होगी इन विनियमों के उपबंधों के प्रधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने की शक्तिया होगीं।

(2) इनमें से किसी विनियम के अनुसरण में सरकार या आयोग इन विनियमों के उपबंधों के अधीन विनियम के अनुसरण में की गई कोई बात या तात्पर्यित या आशयित के बाबत आयोग के विरुद्ध कोई दावा की गई कोई बात या तात्पर्यित या आशयित के बाबत या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(34) विनियमों के उल्लंघन के परिणाम

जहां एक सम विश्वविद्यालय संस्था को इन विनियमों या आयोग के किसी अन्य लागू विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो यह निम्नलिखित कारवाईयों में से एक या अधिक के अधीन हो सकेगा।

(क) आयोग या सरकार द्वारा गठित जांच समिति द्वारा स्थापित इन विनियमों के उल्लंघन के लिए, सम विश्वविद्यालय संस्था को सार्वजनिक सूचना के साथ लिखित में चेतावनी दी जाएगी या नए पाठ्यक्रमों/ अध्ययन कार्यक्रमों/विभागों और ऑफ कैम्पसों/शोर कैम्पसों के स्थापना के जैसी से विविधीकरण के संदर्भ में किसी भी विस्तार से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जैसा जांच समिति द्वारा सिफारिश की जाए जो भी उच्चत्तर हो तक वर्जित रखा जाएगा।

(ख) आयोग या सरकार द्वारा गठित जांच समिति द्वारा स्थापित विनियमों का निरंतर उल्लघंन पाठ्यक्रमों या अध्ययन कार्यक्रमों या विभागों या ऑफ कैम्पसों या संघटक संस्थाओं या ऑफ शोर कैम्पसों के बंद होने का परिणाम होगा और सम विश्वविद्यालय संस्था की प्रास्थिति वापस होने का परिणाम होगा।

प्रो. मानिष आर. जोशी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./146/2023-24]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2023

No. F. 1-1/2021 (CPP-I/DU).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of section 26 and sub-sections (2) and (4) of section 12A of the University Grants Commission Act, 1956 and in supersession of the UGC [Institutions Deemed to be Universities] Regulations, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the University Grants Commission, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to regulate in an orderly manner, the process of declaration of institutions of academic excellence as institutions deemed to be Universities and to maintain the quality of higher education imparted by such Universities consistent with the ideals of the concept of a University, namely:—

1. Short-title, application and commencement.— (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

(2) These regulations shall apply to any institution seeking declaration as an institution deemed to be University and to any institution for higher education declared under section 3 of the said Act, to be an institution deemed to be University for the purposes of the University Grants Commission Act:

Provided that the institutions already declared as deemed to be Universities under section 3 shall achieve the eligibility criteria mentioned in sub-regulation (1) of regulation 4 within ten years from the date of commencement of these regulations.

Provided further that the Commission shall take appropriate measures on such institutions which fail to meet the eligibility criteria specified in sub-regulation (1) of regulation 4 of these regulations.

(3) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette:

Provided the institutions deemed to be Universities declared prior to the date of commencement of these regulations shall amend the Memorandum of Association or rules of the institution deemed to be University to comply with these regulations within a period of one year from date of commencement of these regulations and the compliance report shall be submitted to the Commission within said time frame, failing which necessary action may be initiated as per the provisions of these regulations.

2. Definitions.— In these regulations, unless the context otherwise requires—

(1) "Academic Council" means the academic council of the institution deemed to be University;

(2) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

(3) "affiliated college" means a college recognised by, associated with and admitted to the privileges of a University;

(4) "Board of Studies" means the Board of Studies of a Department of the institution deemed to be University;

(5) "campus" means campus (single or multiple locations within the city) of the institution deemed to be University wherein its facilities, faculty, staff, students, and Academic Departments are situated;

(6) "centre" means a centre of studies of the institution deemed to be University;

(7) "Chancellor", "Vice-Chancellor", and "Pro-Vice-Chancellor" means the Chancellor, Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor of the institution deemed to be University, respectively;

(8) "college" means any institution whether affiliated college or constituent college, known as such or by any other name and provides undergraduate or postgraduate or Ph.D. programmes or all together, for obtaining any qualification from a University, in accordance with the rules and regulations of such University, which has been recognised as competent by the University Grants Commission to provide such programmes or courses of study;

(9) "constituent college" means a college operating under the administrative, academic, and financial control of the sponsoring body;

(10) "constituent unit" means an academic unit (Schools or centres or departments) of the institution existing on the date of submission of a proposal to declare an institution to be an institution deemed to be University;

(11) "Department" means a department of studies of the institution deemed to be University;

(12) "distinct category" means an existing institution or an institution starting from the beginning with the focus on teaching or research in the unique disciplines or addressing the strategic needs of the country or engaged in the preservation of Indian cultural heritage or preservation of the environment or dedicated to skill development or dedicated to sports or languages or any other discipline, as so determined by the Expert Committee approved by the Chairman of the Commission;

(13) "Executive Council" means the executive council of the institution deemed to be University;

(14) "Expert Committee" means a committee consisting of academics and other experts from other fields and includes representatives of the statutory bodies and approved by the Chairman of the Commission;

(15) "Government" means the Department in the Ministry of Education in the Central Government dealing with the higher education;

(16) "institution" means an institution of higher education engaged in teaching and research at the undergraduate, post-graduate or higher level;

(17) "institution deemed to be University" means an institution of higher education so declared by the Central Government by notification under section 3 of the Act, on the advice of the Commission;

(18) "main campus" means the campus of the institution deemed to be University, where its major facilities, faculty, staff, students, academic departments and administration are situated;

(19) "NAAC" means the National Assessment and Accreditation Council;

(20) "NBA" means the National Board of Accreditation;

(21) "necessary infrastructure" means the infrastructure required under the norms of the concerned statutory body or the Commission, as the case may be;

(22) "NEP" means the National Education Policy, 2020;

(23) "NIRF" means the National Institutional Ranking Framework;

(24) "notification" means a notification issued by the Central Government in the Official Gazette declaring an institution of higher education, as an institution deemed to be University under section 3 of the Act;

(25) "off-campus" means the premises of the institution deemed to be University, approved by the Government, other than the main campus or the campuses;

(26) "off-shore campus" means the premises of the institution deemed to be University, approved by the Government, outside India, other than the main campus in India;

(27) "processing fee" means the fee to be paid by the applicant institution to the Commission along with the application for processing such application;

(28) "school" or "faculty" means a school or faculty of studies of the institution deemed to be University;

(29) "sponsoring body" means a body being a charitable or a not-for-profit society or trust or a company under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), submitting an application for declaring an institution under its administrative, academic and financial control as an institution deemed to be University;

(30) "Standing Committee" means a committee consisting of academics and other experts from other fields and includes representatives of the statutory bodies and approved by the Chairman of the Commission;

(31) "statutory body" means a body constituted under any law for the time being in force for determining or maintaining standards of quality in the relevant areas of higher education, including the All India Council for Technical Education (AICTE), the Bar Council of India (BCI), the Dental Council of India (DCI), the Indian Nursing Council (INC), the National Council for Teacher Education (NCTE) and the National Medical Commission (NMC), or any other statutory body established under an Act of Parliament;

(32) "teacher" means professors, associate professors, assistant professors and such other academic staff as may be appointed for imparting instructions or conducting research in the institution deemed to be University including the adjunct faculty or professor of practice or visiting faculty; and

(33) the words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them.

3. Objectives of an institution deemed to be University.— (1) The objectives of the institution deemed to be University shall be to —

(a) provide for higher education leading to excellence and innovations in such branches of knowledge as may be deemed fit, primarily at undergraduate, post-graduate, and research degree levels, fully conforming to the concept of a University;

(b) engage in inter-disciplinary or multi-disciplinary or trans-disciplinary teaching and research in addition to domain-specific specialisation;

(c) provide for high-quality teaching and research recognised nationally and globally;

(d) recognise, identify and foster the unique capabilities of each student, by sensitising teachers as well as parents to promote each student's holistic development;

(e) provide multi-disciplinary and a holistic education in the faculties of science, engineering, technology, social sciences, arts, humanities, sports and other disciplines;

(f) transform into research and teaching intensive University over a period of time;

(g) focus on research and innovation by setting up start-up incubation centers; technology development centres; centres in frontier areas of research; greater industry-academic linkages; and inter-disciplinary research including humanities and social sciences research;

(h) provide flexible and innovative curriculum, which includes credit-based courses and projects in the areas of community engagement and service, environmental education, value-based education, etc.;

(i) contribute for social transformation through socially responsive teaching, learning, research, and fieldwork;

(j) adopt the provisions of NEP, 2020; and

(k) strengthen the research ecosystem by establishing Research and Development Cell (RDC).

4. Eligibility criteria for an institution to be declared as institution deemed to be University.—(1) The eligibility criteria for considering the applications of the institutions to be declared as institutions deemed to be Universities shall —

(a) be a multi-disciplinary institution (having minimum five departments either in under-graduate or post-graduate or integrated or research programmes or a combination of all these) or a cluster of institutions offering five programmes (having minimum five departments either in under-graduate or post-graduate or integrated or research programmes or a combination of all these):

Provided that in the case of cluster of institutions, the institutions may be either from the same sponsoring body or from a different sponsoring body or bodies:

Provided further that each institution shall fulfill the eligibility conditions specified in this clause:

Provided also that in case, if the cluster of institutions belonging to different sponsoring bodies intends to acquire deemed to be University status, all the sponsoring bodies shall form an exclusive sponsoring body in the name of the proposed deemed to be University and that sponsoring body shall submit the application for deemed to be University status and all the moveable and immovable assets of such sponsoring bodies shall be transferred to the exclusive sponsoring body;

(b) be an institution—

(i) having valid accreditation by NAAC with at least 3.01 cumulative grade point average (CGPA) for three consecutive cycles:

Provided that the application for accreditation or re-accreditation has been submitted by the institution within time in each of these three cycles; or

(ii) providing two-thirds of eligible technical programmes accredited by the NBA for three consecutive cycles, in the case of the technical institutions:

Provided that the application for accreditation or re-accreditation has been submitted by the institution within time in each of these three cycles; or

(iii) figuring among the top fifty rankings of the NIRF in any specific category for three consecutive years; or

(iv) figuring among the top hundred rankings in the overall ranking of NIRF for three consecutive years;

(c) possess such academic and physical infrastructure as may be specified by the Commission or the relevant statutory body, as the case may be;

(d) have obtained the approval of the relevant statutory body for the professional courses being offered in the institution at the time of application;

(e) teacher-student ratio of 1:20 with a minimum combined faculty strength of not less than one hundred and fifty teachers and a minimum combined student strength of three thousand on rolls under the regular classroom mode, of which not less than one fifth being post-graduate or research or as per the norms of the relevant statutory body; and

(f) have an administrative area, library, lecture halls, labs, hostels, health care, common facilities, and recreational facilities.

(2) Universities established under clause (f) of section 2 of the Act shall not be eligible to apply under these regulations for declaration under section 3 of the Act to declare an institution as an institution deemed to be University.

5. Corpus Fund.— (1) In the case of institutions not funded by the Government, a corpus fund of rupees twenty-five crores or as decided by the Commission from time to time, shall be created and maintained in the name of the institution deemed to be University, including the existing institutions declared under section 3 of the Act as institutions deemed to be Universities.

(2) The interest accrued on the corpus fund shall be used only for the purpose of further development of the institution deemed to be University.

(3) Institutions deemed to be Universities may invest the corpus fund in any suitable scheme or schemes.

6. Procedure for declaration of an institution as an institution deemed to be University.— (1) The sponsoring body of an institution, fulfilling the eligibility criteria specified in regulations 4 may apply 'online' to the Commission on its web portal developed for this purpose, for considering the proposal for declaration of its institution as an institution deemed to be University.

(2) The following documents shall be uploaded on the web portal referred to in sub-regulation (1)—

(a) no objection certificate (NOC) from the affiliating University in the case of an affiliated College:

Provided that, if no NOC is received by the applicant sponsoring body within sixty days from the date of application, it shall be presumed that the affiliating University has no objection to the request and in such cases, the acknowledgment for receipt of the request shall be submitted as a document;

(b) a detailed project report (DPR) containing its fifteen-year detailed strategic vision plan and a five-year rolling implementation plan, namely, the academic plan, faculty recruitment plan, students admission plan, research plan, campus information and communication technology plan, infrastructure development plan, finance plan, administrative plan, governance plan, etc. with clear annual milestones and action plans as to how the new institution deemed to be University is being set up and developed, with identifiable output and outcomes and shall also include the available academic and physical infrastructure with the institution;

(c) details of the sponsoring body with its aims and objectives, along with the details of the key academic and administrative personnel;

(d) land ownership documents (Sale Deed or Lease Deed for a minimum period of thirty years) in the name of the proposed institution deemed to be University or the sponsoring body and shall give details of land ownership records derived from the official revenue records portal of the State Government or the Union territory administration, as the case may be;

(e) certificates issued by the NAAC, NBA, or NIRF for accreditation or ranking, as the case may be;

(f) approval of the relevant statutory bodies according approval for conducting the professional courses, which are currently being run in the institution;

(g) information regarding the existing academic and physical infrastructure;

(h) details of the financial sustainability of the proposed institution deemed to be University along with the details of the corpus fund being created in the name of the proposed institution deemed to be University;

(i) an undertaking to the effect that the proposed institution deemed to be University shall abide by all the provisions of the Act, rules made under the said Act and these regulations; and

(j) in the case of institutions that are fully or partially funded by the State or Central Government, a letter of commitment from the respective Government to continue financial support to the institution even after the declaration of the institution as an institution deemed to be University.

(3) Copies of the documents referred to in sub-regulation (2) and uploaded on the Commission's web portal shall be disclosed on the website of the institution, duly certified by the Head of the institution or sponsoring body, as the case may be, and if any information is found to be false after due verification, the person responsible for its uploading shall be liable for prosecution under the provisions of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

(4) The Commission shall refer the application for examination by the Expert Committee to be constituted by the Chairman of the Commission and the said Committee may direct the applicant to make a presentation to demonstrate whether or not the institution fulfills the requirements as specified in these regulations and the Committee shall submit its report to the Commission, within thirty days from the date of reference to it and on the basis of the said report, the Commission shall provide its advice to the Central Government within sixty days from the date of receipt of the said report.

(5) Upon consideration of the advice of the Commission and examination of all aspects of the matter, the Central Government, may within thirty days from the date of receipt of the advice of the Commission, declare an institution of higher education as an institution deemed to be University under section 3 of the Act, by notification in the Official Gazette:

Provided that if the proposal for consideration and declaration as an institution deemed to be University is not agreed upon, the Central Government shall convey its decision in writing to the sponsoring body along with the reasons thereof and the decision of the Central Government shall be final:

Provided further that an institution that was declared and notified for a limited period, as an institution deemed to be University under section 3 of the Act, prior to the publication of these regulations shall continue to be an institution deemed to be University in terms of these regulations irrespective of the period for which the initial notification and extension thereof, if any, was issued by the Central Government and in such cases, the Central Government shall issue separate notification for continuation, on the advice of Commission:

Provided also that if the proposal of the sponsoring body is rejected by the Central Government, the sponsoring body may submit a fresh proposal only after one year.

(6) In case of institutions declared as deemed to be Universities, the University which had granted affiliation to such institutions shall transfer the credits and the transcripts of students who are enrolled and studying in the said institution and the existing students may get the degree from the affiliating University or deemed to be University as per the preference of the student and the newly admitted students shall get a degree from the institution which has been granted status as an institution deemed to be University.

7. Procedure for declaration of an institution as institution deemed to be University under 'distinct category'.— (1) Online application may be submitted through the Commission's portal for setting up a new institution deemed to be University for its main campus or main campus and constituent unit devoted to study and research in disciplines referred to in clause (12) of regulation 2 of these regulations, by the following, namely:—

(i) any sponsoring body, with a philanthropic aim or with a commitment to society or aiming for the social, cultural, and educational development of the country; or

(ii) Central or the State Government or the Union territory administration.

(2) Existing institutions or cluster of institutions (whether Government or self-financing institution) either from the same sponsoring body or different sponsoring bodies may also apply under this category for the establishment of main campus or main campus and constituent unit, provided that they are devoted to study and research in disciplines referred to in clause (12) of regulation 2 of these regulations and in the case of cluster of institutions belonging to different sponsoring bodies intends to acquire deemed to be University status, the sponsoring bodies concerned shall form an exclusive sponsoring body in the name of the proposed deemed to be University, and that sponsoring body shall submit the application for deemed to be University status, and in such case the entire moveable and immoveable assets shall be transferred to that sponsoring body.

(3) Institutions falling under 'distinct category' are exempted from the application of provisions of sub-regulation (1) of regulation 4 of these regulations:

Provided that the proposed institution under this category shall start its operations with a minimum of five academic programmes (either in under graduate or post-graduate or integrated or research or combination of all these programmes) with physical and academic infrastructure as per the norms of the relevant statutory body or the Commission, as the case may be.

(4) The sponsoring body shall submit the application along with all the documents referred to in sub-regulation (2) of regulation 6 except the documents referred to in clause (e) of the said sub-regulation.

(5) The Commission shall refer the application for examination by the Expert Committee to be constituted by the Chairman of the Commission and the said Committee may direct the applicant to make a presentation to demonstrate whether or not the institution fulfills the requirements as specified in these regulations and the Committee shall submit its report to the Commission, within thirty days from the date of reference to it, by way of recommendation as to whether or not the Letter of Intent (LoI) can be issued and whether the same shall be issued with or without any additional conditions.

(6) The Commission shall forward its advice to the Government within sixty days from the date of receiving the report of the Expert Committee; and thereafter, the Government shall, having taken into consideration the advice of the Commission, within a further period of thirty days, either issue approval or Letter of Intent (LoI) valid for a period of three years or reject the proposal stating reasons thereto:

Provided that under exceptional circumstances, such as due to natural calamities or pandemics, the validity of Letter of Intent (LoI) may be extended beyond three years by the Central Government for reasons to be recorded in writing, on the advice of the Commission, which may take into account the preparedness of the institution in respect of the fulfillment of the conditions of LoI:

Provided further that if the proposal of the sponsoring body is rejected by the Central Government, the sponsoring body may submit a fresh proposal only after one year.

(7) The sponsoring body shall submit a report regarding the compliance of the conditions specified in the Letter of Intent (LoI) within a period of three years to the Government, which shall be forwarded to the Commission for its verification and advice and the Government may take further steps following the procedure referred to in regulation 6 of these regulations.

8. Off-campus centres.—(1) (i) Institutions deemed to be Universities with minimum 'A' grade and above or ranked from 1 to 100 in the "Universities" category of NIRF rankings of the relevant year are eligible to set up off-campus centres.

(ii) Institutions declared as deemed to be Universities under "distinct category" may apply for off-campuses after five years of their declaration, if they fulfill the criteria specified in clause (i).

(2) Institutions deemed to be Universities with minimum 'A' grade and above or ranked from 1 to 100 in the "Universities" category of the NIRF rankings of the relevant year may submit their application to start off-campus centres through the Commission's portal along with the following documents, namely:—

(i) from the relevant statutory body (wherever applicable) for approval to set up off-campus centres or, for issuance of Letter of Intent for setting up off-campus centres, as the case may be.

(3) By following the procedure specified in these regulations for setting up the off-campus centres, an institution deemed to be University may also apply on the Commission's portal for establishing an off-campus centre by taking over any affiliated college under the same sponsoring society or trust or company by progressively closing the affiliated college to convert it into an off- campus centre and a no objection certificate from the affiliating University shall accompany the application and the affiliating University may decide on granting no objection certificate to the institution deemed to be University within a maximum period of sixty days from the date of receipt of the request, failing which it shall be presumed that the affiliating University has no objection to the application by the institution deemed to be University for establishing an off-campus centre and in such cases, the acknowledgement for receipt of the request shall be submitted as a document.

(4) The infrastructure at the proposed off-campus centres shall be in accordance with the norms and standards specified by the relevant statutory body or the Commission, as the case may be, and the off-campus centre shall be started with a minimum of five under-graduate or post-graduate or research or combination thereof with a minimum of one thousand students, of which not less than one-fifth of the students are post-graduate or research students with fifty teachers and with required infrastructure facilities.

(5) The Chairman of the Commission may constitute a Standing Committee to undertake an examination of the information furnished by the institution deemed to be University and the Chairman, on behalf of the Commission, shall forward the advice to the Government within sixty days from the date of receipt of the application, by taking into the consideration, the observations made by the said Standing Committee.

(6) The Government shall, after taking into consideration the advice of the Commission may within a period of thirty days from the date of receipt of such advice, either issue a notification for starting an off-campus centres or, as the case may be, a Letter of Intent for setting up of new off-campus centres or reject the proposal by recording the reasons for doing so and the decision of the Central Government shall be final.

(7) On the basis of the advice of the Expert Committee, the Commission shall render its advice to the Government to consider the approval of any such off-campus which was operating before the commencement of these regulations on a case-to-case basis, and to validate the degrees of each programme for the passed-out students, if they fulfill the basic eligibility conditions required for starting the off-campus centre.

(8) If at any time, the information provided by the applicant institution deemed to be University is found to be incorrect, the Government may withdraw the approval granted for starting the off-campus centre; and in order to protect the interests of students enrolled at such centre, the institution deemed to be University shall take necessary action for shifting of such students to the main campus.

(9) Institution deemed to be University may start new courses or programmes in any field in their existing campus and approved off-campus centres, with the prior approval of its Executive Council and, also wherever applicable, with the approval of the relevant statutory bodies:

Provided that where the institution deemed to be University is in receipt of grant-in-aid or other funds for maintenance from the Central Government or the State Government or its Agencies, as the case may be, prior approval of the appropriate Government shall also be required.

9. Off-shore campus.—(1) Institutions deemed to be Universities may start or establish off-shore campuses with the prior approval of the Central Government in accordance with the provisions of the Act, rules and regulations made thereunder.

(2) Existing off-shore campuses shall continue to operate, provided they have obtained proper permissions and approval.

10. Monitoring.—(1) The Commission shall monitor the performance and academic outcomes of the institutions deemed to be Universities having valid accreditation by the NAAC with less than an 'A' grade or ranked more than 100 ranks in the NIRF rankings (Universities category) not later than every five years, on the basis of a report submitted annually by the institutions deemed to be Universities.

(2) The performance and academic outcomes of the institutions deemed to be Universities having valid accreditation by the NAAC with less than an 'A' grade or ranked more than 100 in the NIRF rankings (Universities category) shall be evaluated either physically or virtually by an Expert Committee, as may be decided by the Commission and for the purposes of such evaluation, the Expert Committee may adopt such procedure as it may deem appropriate.

(3) The Expert Committee shall submit a report to the Commission specifying its recommendations on the performance and academic outcomes of the institution deemed to be University and those institutions deemed to be Universities that are found to be deficient in some aspects, shall be given a period to be specified by the Expert Committee, to rectify the deficiencies, failing which, the Expert Committee shall recommend for withdrawal of permission given under sub-regulation (9) of regulation 8 for starting new courses or programmes by the institution deemed to be University, in any field, in their existing campus and the approved off-campus centres.

(4) In cases where, the Expert Committee has recommended for withdrawal of permission under sub-regulation (3), the Commission shall issue appropriate order informing the institution deemed to be University and the relevant statutory body concerned and in case, if the Commission finds that the institution deemed to be University is not adhering to its order, the Commission shall take action as per the provisions of regulation 34.

(5) The Commission shall decide on the physical verification of an institution deemed to be University or constitute teams for such verification on its own or upon receipt of any complaint against the accuracy and veracity of the information submitted to the Commission and also hosted on the website of the institution.

11. Governance.—(1) The proposed or existing institution deemed to be University shall be registered as a not-for-profit society under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or as a not-for-profit trust under the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882) or as a not-for-profit company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013):

Provided that a sponsoring body exclusively established for running educational institutions shall be exempted from registering as a separate not-for-profit society or trust or a company and the sponsoring body shall specifically mention in its registration deed that the sponsoring body is exclusively for running educational activities and no other activities are being carried out or shall be carried out in the future under it:

Provided further that if the sponsoring body of an existing institution deemed to be University does not have a society or trust or company exclusively for running educational institutions, it shall form a new not-for-profit society or trust or company, for the purposes of institution deemed to be University and in such cases, the sponsoring body shall be exempted from transferring its moveable and immovable assets to the newly created society or trust or company, if such sponsoring body provides a notarised affidavit to the effect that the entire moveable and immovable assets allocated to the institution deemed to be University shall not be leased or otherwise disposed of without the prior permission of the Commission:

Provided also that the sponsoring body shall make available the necessary infrastructure for operating the institution deemed to be University without any rental or other such charges.

(2) All moveable and immovable assets of the institution deemed to be University shall be used for the purposes of conducting academic activities, promotion of research and related administrative requirements of the institution deemed to be University, including the outreach educational activities.

(3) The highest governing body of the institution deemed to be University shall be the Executive Council to be headed by the Vice-Chancellor and consisting of not less than ten and not more than thirteen members.

(4) The Executive Council shall be the principal executive body of the institution deemed to be University.

(5) The composition of the Executive Council shall be as under -

(a) Vice-Chancellor-Chairperson;

(b) Pro-Vice-Chancellor (wherever applicable);

(c) two members from amongst the Deans of schools of studies, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;

(d) one Professor, who is not a Dean, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;

(e) one Associate Professor, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;

(f) one Assistant Professor, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;

(g) in the case of institution deemed to be University that is controlled or managed or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipts from the Central or State Government, the respective Government shall nominate an officer, not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or his or her representative and in respect of all other institutions deemed to be Universities, the Commission shall nominate a representative;

(h) up to four nominees of the Sponsoring body; and

(i) the Registrar, who shall be the *ex-officio* Secretary of the Executive Council.

12. Tenure of the members of Executive Council.—(1) All the members of the Executive Council, other than the Vice-Chancellor and Pro-Vice- Chancellor, shall hold office for a term of three years and in the case of Deans, the term shall be three years or until they hold the office of Dean, whichever is earlier.

(2) Members of the Executive Council appointed by the Vice-Chancellor from Professor, Associate Professor and Assistant Professor category shall hold office for a period of one year or till such time they cease to be teachers of the University, whichever is earlier.

13. Powers and limitations of Executive Council.—(1) The Executive Council shall have the power of management and administration of the institution deemed to be University.

(2) The Executive Council shall be the final decision-making body of the institution deemed to be University in respect of every matter of the institution deemed to be University, including academic, administrative, personnel, financial, and developmental matters.

(3) Subject to the provisions of these regulations and the rules of the institution deemed to be University, the Executive Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:—

(a) to appoint such Professors, Associate Professors, Assistant Professors and other academic staff, including Chairs, as may be necessary, on the recommendation of the Selection Committee constituted for the said purpose and to fill up temporary vacancies therein;

(b) to regulate and enforce discipline amongst the employees of the institution in accordance with the rules of the institution deemed to be University;

(c) to provide for the appointment of Visiting Professors, Emeritus Professors, Professor of Practice, Consultants, Scholars, etc., and determine the terms and conditions of such appointments;

(d) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by the rules and regulations of the institution deemed to be University;

(e) to make rules and regulations for the institution deemed to be University; and

(f) if the institution is controlled or managed or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt from the Central or State Government, the creation of posts shall be done by the Executive Council with prior approval of the respective Government from which grants are being released.

14. Meetings of Executive Council.—(1) The Executive Council shall meet at least four times a year (minimum two in one semester), with not less than seven days' prior notice given before every meeting of the Executive Council and emergency meetings may be convened at a shorter notice, for reasons to be recorded in writing for such emergency meeting.

(2) One-third of the total number of members of the Executive Council shall form the quorum for the meeting.

(3) In the absence of the Vice-Chancellor, the Pro-Vice Chancellor shall preside over the meeting; and where there is no Pro-Vice-Chancellor in an institution deemed to be University, a member chosen by the other members of the Executive Counsel present at the meeting, shall preside over the meeting.

(4) Every member of the Executive Council including the Chairperson, shall have one vote and the decisions at the meetings of the Executive Council shall be taken by simple majority; and in case of a tie, the Chairperson shall have a casting vote.

(5) Any business, which may be urgent in nature, may be carried out by circulation amongst its members.

(6) A copy of the minutes of each meeting shall be furnished to the Chancellor of the institution deemed to be University, as soon as possible after the convening of the meeting.

15. Termination of membership.— If a member other than the Vice-Chancellor and those representing the teachers, accepts a full- time appointment in the institution deemed to be University or fails to attend three consecutive meetings of the Executive Council, without proper leave of absence, such member shall cease to be a member of the Executive Council.

16. Delegation of powers of Executive Council.— The Executive Council may, by a resolution, delegate to the Vice-Chancellor or any other officer or faculty or to a Committee of officers or faculties of the institution deemed to be University, such powers as it may deem fit, subject to the condition that the action taken by the Vice-Chancellor or the officer or faculty or the Committee in the exercise of the powers so delegated, shall be reported at the next meeting of the Executive Council.

17. Other authorities of institution deemed to be University.—

A. Academic Council: (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the institution deemed to be University and shall, subject to the provision of the rules of the institution deemed to be University, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policy of the institution deemed to be University.

(2) The composition of the Academic Council shall be as under—

(i) Vice Chancellor - Chairperson;

(ii) Pro Vice-Chancellor (wherever applicable);

(iii) Deans of faculties of the schools and heads of the departments or centres;

(iv) up to ten Professors (excluding those who are Deans of schools and heads of departments or centres) by rotation, to be nominated by the Vice-Chancellor giving due regard to the representation of different schools or departments or centres;

(v) up to five Associate Professors from departments or centres other than the heads of the departments or centres, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;

(vi) up to five Assistant Professors from the departments or centres other than the heads of the departments or centres, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;

(vii) six persons of repute from amongst the educationists or experts for their specialised knowledge, who are not in the service of the institution deemed to be University, nominated by the Vice-Chancellor; and

(viii) the Registrar, who shall be the *ex-officio* Secretary of the Academic Council.

(3) The representation of different categories shall be through rotation and not through an election and the term of members, other than the *ex-officio* members, shall be three years and the Controller of Examination shall be the permanent invitee to the meetings of the Academic Council.

B. Powers and Functions of Academic Council: Subject to the provisions of these regulations and rules of the institution deemed to be University, the Academic Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:—

(a) to exercise general supervision over the academic policies of the institution deemed to beUniversity and to give directions regarding methods of instruction, co-ordination of teaching among departments or faculties or schools or centers, evaluation of research and improvement of academic standards;

(b) to bring about and promote inter-departmental, inter-faculty, inter-school, inter-center co-ordination and to establish or appoint such committees or boards, as may be deemed necessary for the purpose;

(c) to consider matters of general academic interest either on its own initiative, or on a reference by a department or faculty or school or centre or the Executive Council, and to take appropriate action thereon;

(d) to prescribe courses or programmes of study leading to degree and diploma of the institution deemed to be University;

(e) to make arrangements for the conduct of examinations in conformity with the rules and bye-laws of the institution deemed to be University;

(f) to maintain proper standards of the examination;

(g) to recognise diplomas and degrees of Universities and other Institutions and to determine equivalence with the diplomas and degrees of the institution deemed to be University;

(h) to institute Fellowships, Scholarships, Medals, Prizes, etc.;

(i) to frame rules covering the academic functioning of the institution deemed to be University, admissions, examinations, award of fellowships and studentships, free-ships, concessions, attendance, discipline, residence, etc.;

(j) to take a periodical review of the activities of the departments or centres and to take appropriate action to maintain and improve the standards of instruction;

(k) to recommend the institution of teaching posts (Professors, Associate Professors, and Assistant Professors) to the Executive Council;

(l) to make recommendations to the Executive Council for the establishment or abolition of departments or centres or schools or faculties, etc.

(m) to make recommendations to the Executive Council; and

(n) to exercise such other powers and to perform such other duties, as may be conferred or imposed upon it by the rules of the institution deemed to be University.

C. Meeting of Academic Council.—(1) The Academic Council shall meet as often as necessary but not less than four times (at least two times in a semester) during an academic year with not less than seven days prior notice being given before every meeting of the Academic Council and emergency meetings may be convened at a shorter notice, for reasons to be recorded in writing for such emergency meeting.

(2) One-third of the total number of members of the Academic Council shall constitute the quorum for the meeting of the Academic Council.

(3) Each member, including its Chairperson, shall have one vote, and decisions at the meetings of the Academic Council shall be taken by simple majority; and in case of a tie, the Chairperson shall have a casting vote.

(4) Any business that may be necessary for the Academic Council to perform, which may be urgent in nature, may be carried out by circulation amongst its members.

18. Finance Committee.— (1)The composition of the Finance Committee shall be —

(i) Vice Chancellor - Chairperson;

(ii) Pro Vice-Chancellor (wherever applicable);

(iii) one person nominated by the society or trust or company, as the case may be (wherever applicable);

(iv) three persons to be nominated by the Executive Council, out of whom at least one shall be a member of the Executive Council;

(v) one representative of the Central Government not below the rank of Joint Secretary or his representative to the Government of India, in case the institution is controlled and managed by the Central Government or is receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt from the Central Government directly or through its Agencies; and in all other institution deemed to be Universities, the Commission shall nominate a representative;

(vi) three persons to be nominated by the Chancellor;

(vii) Finance Officer-Secretary- *ex officio*

(2) In case the institution deemed to be University is controlled or managed or funded by the State Government, one representative of such Government.

(3) All members of the Finance Committee other than *ex-officio* member shall hold office for a term of three years.

(4) The Finance Committee shall meet at least four times in an academic year (at least twice each semester) to examine the accounts and scrutinise the proposals for expenditure and one-third of the total number of members of the Finance Committee shall form the quorum for a meeting.

(5) All proposals relating to the creation of posts and those items which have not been included in the Budget, shall be examined by the Finance Committee before the Executive Council considers them and to decide waiver in fees, the establishment of scholarships, freeship and any other financial benefits.

(6) The annual accounts and financial estimates of the institution deemed to be University prepared by the Finance Officer shall be laid before the Finance Committee for consideration and comments and thereafter the same shall be submitted to the Executive Council for approval.

(7) The Finance Committee shall recommend limits for the total recurring and non-recurring expenditures for the year, based on the income and resources of the institution deemed to be University.

19. Board of Studies.— (1) There shall be one Board of Studies for each department or school of the institution deemed to be University. The composition of the Board of Studies shall be—

(i) Dean of school or Head of the department - Chairperson;

(ii) all Professors of the school or department;

(iii) two Associate Professors of the school or department, by rotation;

(iv) two Assistant Professors of the school or department, by rotation; and

(v) two external experts to be co-opted for their specialised knowledge.

(2) Subject to the overall control and supervision of the Academic Council, the functions of a Board of Studies shall be to approve subjects for research for various degrees and other requirements of research degrees and to recommend to the concerned School Board in such manner as may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University regarding—

(a) courses of studies;
(b) appointment of supervisors for research; and
(c) measures for the improvement of the standards of teaching and research.

(3) The powers and functions of the Board of Studies shall be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.

20. Selection Committee for appointment of teaching staff.—There shall be one or more Selection Committees constituted, for making recommendations to the Executive Council for appointment to the post of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other posts as may be prescribed, in accordance with the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018.

21. Disqualification.—(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of any of the authorities, or being appointed as, and for being, an officer, of the institution deemed to be University if—

(a) if he or she is of unsound mind; or

(b) if he or she is an un-discharged insolvent; or

(c) if he or she has been convicted by a court of law for an offense involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months; or

(d) if he or she has not been appointed as per the provisions of these regulations.

(2) If any question arises as to whether a person is or had been subjected to any of the disqualifications mentioned above, the question shall be referred to the Chancellor, and his or her decision shall be final and no suit or other proceedings shall lie in any civil court against such decision.

22. Miscellaneous matters relating to different authorities.— (1) If any question arises, as to whether any person, other than Government nominated or appointed, has been duly nominated or appointed as, or is, entitled to be a member of any authority or any committee of the institution deemed to be University, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final and binding.

(2) Any member, other than an *ex-officio* member of any authority, may resign by a letter addressed to the Registrar, and the resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Chancellor or the Chairperson of the Executive Council, as the case may be.

(3) Sudden vacancies among the members of any authority or any Committee of the institution deemed to be University shall be filled by the respective authority, as soon as may be, and within a period of six months.

23. Officers of institution deemed to be University.—

A. Chancellor: (1) The Chancellor shall hold office for a period of five years from the date of assuming office and shall be eligible for re-appointment for one more term by following the procedure prescribed for the appointment of the Chancellor:

Provided that the Chancellor in the institutions deemed to be Universities managed or controlled or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt from the Central or State Government or its Agencies, shall be appointed by the respective Government and for other institutions deemed to be Universities, the Chancellor shall be appointed by the sponsoring body.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his or her office, be the head of the institution deemed to be University and shall, if present, preside at the Convocations of the institution deemed to be University held for conferring degrees.

(3) In the case of Government controlled or managed or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt, the Chancellor shall not be removed from office except by an order of the appropriate Government.

B. **Vice-Chancellor:** (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the institution deemed to be University and shall be appointed by the Chancellor from a panel of three names suggested by a Search-cum-Selection Committee.

(2) The qualifications of the Vice-Chancellor shall be in accordance with the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018.

(3) The procedure for composition of Search-cum-Selection-Committee (SCSC) for the selection of Vice-Chancellor shall be as under—

(a) the Vice-Chancellor in the institution deemed to be University managed or controlled or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt from the Central or State Government or its Agencies shall be appointed by Central Government or the State Government, as the case may be.

(b) in case of other institutions deemed to be Universities, the composition of the Search-cum-Selection Committee shall be as under—

(i) a nominee of the Chancellor, who shall be a reputed academician as the Chairperson of the Committee;

(ii) a nominee of the Chairman, University Grants Commission; and

(iii) an academician, with not less than ten years' service as Professor, nominated by the Executive Council.

(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he or she enters upon his or her office or until he or she attains the age of seventy years, whichever is earlier and shall be eligible for re-appointment for one more term by following the procedure prescribed for the appointment of Vice-Chancellor:

Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he or she shall continue in office until his or her successor is appointed and enters upon his or her office, however, in no case, the Vice-Chancellor shall hold office beyond the age of seventy years:

Provided further that the Chancellor may direct the Vice-Chancellor, after his or her term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year.

(5) In the case of Government controlled or managed or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt, the respective Government may direct the Vice-Chancellor, after his or her term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year.

(6) If the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if he or she is unable to perform his or her duties due to ill health or any other cause, the Pro-Vice- Chancellor shall perform the duties of the Vice-Chancellor:

Provided that if the Pro-Vice-Chancellor is unavailable, the Chancellor shall appoint the senior most Professor who shall perform the duties of the Vice-Chancellor, until a new Vice-Chancellor assumes office or the existing Vice-Chancellor resumes the duties of his or her office, as the case may be.

Provided further that, in the case of Central Government or State Government controlled or managed or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt, if the Pro-Vice-Chancellor is unavailable, the Government shall appoint the senior most Professor or any other eminent academician to perform the duties of the Vice-Chancellor initially for a period of six months or until a new Vice Chancellor assumes office or the existing Vice-Chancellor resumes the duties of his or her office, as the case may be.

C. Powers and duties of Vice-Chancellor.— (1)The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive Officer and academic officer of the institution deemed to be University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the institution deemed to be University and give effect to the decision of all authorities of the institution deemed to be University.

(2) The Vice-Chancellor may, if he or she is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the institution deemed to be University by or under these regulations and shall report to such authority at its next meeting the action taken by him or her on such matter:

Provided that, if the authority mentioned in this sub-regulation is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided further that any person in the service of the institution deemed to be University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this regulation shall have the right to represent against such action to the Executive Council within ninety days from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(3) The Vice-Chancellor, if he or she is of the opinion that any decision of any authority of the institution deemed to be University is beyond the power of the authority conferred by the provisions of these regulations or that any decision taken is not in the interest of the institution deemed to be University, may ask the authority concerned to

review its decision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review the decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

(4) The Vice-Chancellor shall be the e*x-officio* Chairperson of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the Convocations held for conferring degrees to the students.

(5) The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and address, any meeting of any authority or other body of the institution deemed to be University, but shall not be entitled to vote unless he or she is a member of such authority or body.

(6) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that these regulations are duly observed and implemented and he or she shall have all the powers necessary to ensure such implementation.

(7) The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the institution deemed to be University, and he or she may delegate any such powers to such person or persons, as he or she may deems fit.

(8) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meetings of the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, and other authorities.

D. Removal of Vice-Chancellor.— (1)Where there are reasons to believe that the Vice-Chancellor of an institution deemed to be University does not possess the qualifications as required under the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, or is not appointed as per the procedure stipulated in these regulations or has committed any financial or administrative impropriety, the Chairman of Commission shall constitute an enquiry committee consisting of academic, administrative or financial experts to enquire into the matter.

(2) On the directions from the Commission, the Chancellor shall place the Vice-Chancellor under suspension, pending an enquiry.

(3) The enquiry committee shall give an opportunity of hearing to the Vice-Chancellor before submitting its report to the Commission and where the report of the enquiry committee confirms the ineligibility or procedural violations or impropriety, as the case may be, the Commission shall direct the Chancellor to remove the Vice-Chancellor by following due procedure:

Provided that, in respect of the Vice-Chancellor of institution deemed to be University managed or controlled or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt from the Central Government or State Government, the concerned Government shall constitute an enquiry committee which shall provide an opportunity of hearing to the Vice-Chancellor before submitting its report to the Government and in the interregnum period, the Government shall place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry and the Vice-Chancellor shall be removed only by the concerned Government.

(4) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Chancellor may, at any time after the Vice-Chancellor has entered upon his or her office, by order in writing, remove the Vice- Chancellor from office on the grounds of incapacity, misconduct or violation of these regulations:

Provided that the Chancellor shall make no such order unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him:

Provided further that the Chancellor may, at any time before making such order, place the Vice- Chancellor under suspension, pending an inquiry.

(5) In case of an institution deemed to be University managed or controlled or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of its annual receipt from the Central or State Government or its Agencies, the actions referred to in sub-regulations (1) to (4) shall have the approval of the appropriate Government.

E. Pro-Vice-Chancellor.— (1) On the recommendation of the Vice-Chancellor, the Executive Council shall appoint a Professor as Pro-Vice-Chancellor to discharge the duties of the Pro-Vice-Chancellor in addition to his or her duties as a Professor:

Provided that in case of Government controlled or managed or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt, the Vice-Chancellor shall seek approval of the appropriate Government before appointing Pro-Vice-Chancellor:

Provided further that where the recommendation of the Vice-Chancellor is not accepted by the Executive Council, the matter shall be referred to the Chancellor, who may either appoint the Professor recommended by the Vice-Chancellor or ask the Vice-Chancellor to recommend name of another Professor for re-consideration by the Executive Council.

(2) The term of office of the Pro-Vice-Chancellor shall be such as may be decided by the Executive Council, but it shall not, in any case, exceed five years or until the expiration of the term of office of the Vice-Chancellor, whichever is earlier:

Provided that the Pro-Vice-Chancellor whose term of office has expired shall be eligible for re-appointment by following the procedure prescribed for the appointment of Pro-Vice-Chancellor:

Provided further that the Pro-Vice-Chancellor shall, while discharging the duties of the Vice- Chancellor, continue in office, notwithstanding the expiration of his or her term of office as Pro-Vice-Chancellor, until the Vice-Chancellor resumes office or a new Vice-Chancellor assumes office, as the case may be:

Provided also that, in any case, the Pro-Vice-Chancellor shall retire on attaining the age of sixty-five years.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall have the powers and duties as may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice-Chancellor on this behalf, from time to time, and shall also exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor.

F. Registrar.— (1) (a) The Registrar shall be a whole-time salaried officer of the institution deemed to be University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of the selection committee consisting of the following:—

(i) Vice-Chancellor - Chairperson;

(ii) one nominee of the Chancellor;

(iii) two members of the Executive Council nominated by it; and

(iv) one expert not in the service of the University to be nominated by the Executive Council.

(b) The meeting of the selection committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of the Chancellor's nominee and the experts nominated by the Executive Council and the proceedings of the selection committee shall not be valid unless at least three of the Chancellor's nominees or persons nominated by the Executive Council attended the meeting.

(2) The Registrar shall hold office for a term of five years from the date of assuming office and shall be eligible for re-appointment for a second term by following the procedure prescribed for Registrar:

Provided that, the Registrar shall retire on attaining the age of sixty-two years and the emoluments and other terms and conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.

(3) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence, or any other cause, unable to perform the duties of his or her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(4) The Registrar shall be ex-officio Secretary of the Executive Council and the Academic Council, but shall not be deemed to be a member of any of these authorities.

(5) The Registrar shall be directly responsible to the Vice-Chancellor and work under his or her direction.

(6) The Registrar shall have the power to take disciplinary action against employees, excluding teachers and other academic staff, as may be specified in the order of the Executive Council and to suspend them pending inquiry, to administer warnings to them or to impose on them the penalty of censure or the withholding of increment:

Provided that no such penalty shall be imposed unless the person has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him or her.

(7) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Registrar imposing any of the penalties specified in sub-regulation (6).

(8) In the case where the inquiry discloses that a punishment beyond the power of the Registrar is called for, the Registrar shall, upon the conclusion of the inquiry, make a report to the Vice- Chancellor along with his or her recommendations:

Provided that an appeal shall lie to the Executive Council against an order of the Vice- Chancellor imposing any penalty.

(9) It shall be the duty of the Registrar—

(a) to be the custodian of the records, the common seal, and such other property of the institution deemed to be University as the Executive Council shall commit to his or her charge;

(b) to issue all notices convening meetings of the Executive Council, the Academic Council, and any Committees appointed by those authorities;

(c) to keep the minutes of all the meetings of the Executive Council, the Academic Council, and any Committees appointed by those authorities;

(d) to conduct the official correspondence between the Executive Council and the Academic Council;

(e) to supply to the Chancellor copies of the agenda of the meetings of the authorities of the institution deemed to be University as soon as they are issued and the minutes of such meetings;

(f) to represent the institution deemed to be University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his or her representative for the purpose;

(g) to perform such other duties as may be specified in the rules of the institution deemed to be University or as may be required from time to time by the Executive Council or the Vice-Chancellor, as the case may be;

(h) to enter into an agreement, sign documents, and authenticate records on behalf of the institution deemed to be University;

(i) to make arrangements to safeguard and maintain the buildings, gardens, office, canteen, cars and other vehicles, laboratories, libraries, reading rooms, equipment and other properties of the institution deemed to be University; and

(j) to conduct the official correspondence on behalf of the authorities of the institution deemed to be University.

G. Finance Officer.—(1)The Finance Officer shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of a selection committee constituted for the purpose and he or she shall be a whole-time salaried officer of the institution deemed to be University.

(2) The Finance Officer shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for re-appointment by following the procedure prescribed for the appointment of the Finance Officer:

Provided that, the Finance Officer shall retire on attaining the age of sixty-two years.

(3) The emoluments and other terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as may be prescribed by the Executive Council from time to time.

(4) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his or her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Finance Officer shall be *ex-officio* Secretary of the Finance Committee but shall not be deemed to be a member of such Committee.

(6) The Finance Officer shall—

(a) exercise general supervision over the funds of the institution deemed to be University and shall advise it as regards its financial policy; and

(b) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Executive Council or as may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.

(7) Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall—

(a) ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and non-recurring expenditures for a year are not exceeded and that all amounts of money are expended on the purpose for which they are granted or allotted;

(b) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the institution deemed to be university and for their presentation to the Executive Council;

(c) keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments;

(d) watch the progress of the collection of revenue and advice on the methods of collection employed;

(e) ensure that the registers of buildings, land, furniture, and equipment are maintained and up-to-date and that stock-checking is conducted, of equipment and other consumable materials in all offices, departments, schools, faculties, centers and specialised laboratories;

(f) bring to the notice of the Vice-Chancellor un-authorised expenditure and other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault;

(g) call for from any office, department, school, faculty, centre, laboratory, etc. maintained by the institution deemed to be University any information or returns that he or she may consider necessary for the performance of his or her duties; and

(h) work under the direction of the Vice-Chancellor and shall be responsible to the Executive Council through the Vice-Chancellor.

H. Controller of Examinations.— (1) The Controller of Examinations shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of a selection committee constituted for the purpose and he or she shall be a whole-time salaried officer of the institution deemed to be University.

(2) The Controller of Examinations shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for re-appointment by following the procedure prescribed for the appointment of Controller of Examination:

Provided that the Controller of Examinations shall retire on attaining the age of sixty-two years.

(3) The emoluments and other terms and conditions of service of the Controller of Examination shall be such as may be prescribed by the Executive Council from time to time.

(4) When the office of the Controller of Examinations is vacant or when the Controller of Examinations is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his or her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Controller of Examination shall arrange for and superintend the examinations of the institution deemed to be University in the manner as may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.

(6) The Controller of Examinations shall be a permanent invitee to the Academic Council.

(7) The Controller of Examinations shall ensure that all the specific directions of the Executive Council, Academic Council and Vice-Chancellor in respect of examination and evaluation are complied with.

I. Dean.— (1) The Departments dealing with allied subjects may be grouped into faculties or schools, etc., and every faculty shall be headed by a Dean.

(2) Every Dean of the school or faculty shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors in the school or faculty, by rotation, for a period of two years:

Provided that if there is only one Professor or no Professor in a school or faculty, the Dean shall be appointed, for the time being, from amongst the Professor, if any, and the Associate Professors in the school or faculty.

(3) When the office of the Dean is vacant or when the Dean is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his or her office, the duties of the office shall be performed by the senior-most Professor or Associate Professor, as the case may be, in the School.

(4) The Dean shall be the Head of the school or faculty or centre and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of teaching and research in the school or faculty or centre and shall have such other functions as may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.

(5) The Dean shall have the right to present and speak at any meeting of the Board of Studies or Committees of the school or faculty or centre, as the case may be, but shall not have the right to vote there unless he is a member thereof.

J. Head of the Department.— (1) There shall be a Head of the Department or chairperson of the centre for each of the department or centre in the institution deemed to be University, who shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors of the department or centre:

Provided that if there is no Professor in the department or centre or there is only one Professor in the department or centre, whose term as Head of the department or chairperson of the centre is ending, the Vice-Chancellor may appoint an Associate Professor as Head of the Department.

(2) The term of the Head of the department or chairperson of the centre shall normally be two years and he or she shall be eligible for re-appointment for one more term by following the procedure prescribed for appointment of the Head of the department or chairperson of the centre.

(3) The powers and functions of the Head of the department or chairperson of the centre shall be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.

24. Admission and fees structure.—

A. Admission.—Admission of students to the institution deemed to be University, public or self-financing, shall be strictly based on merit in the entrance exam conducted by a Government Testing Agency or the institution deemed to be University and as prescribed by the appropriate statutory authority, wherever applicable and in case of no entrance examination, the admission of students to the institution deemed to be University may be made in the manner specified in the prospectus.

B. Fee structure.— (1) Donation or capitation fee in whatever nomenclature or form, either directly or indirectly, isstrictly prohibited.

(2) The institutions deemed to be Universities shall follow the rules and regulations regarding fee structure, number of seats, etc., issued by the relevant statutory bodies and in case an institution deemed to be University offers different courses which come under the regulatory ambit of different statutory bodies, namely the University Grants Commission, the All India Council of Technical Education, National Medical Council etc., the rules and regulations regarding fee structure, number of seats, etc., issued by such statutory body concerned shall be applicable.

(3) The fee shall be fixed transparently, keeping in view non-profiteering or non-commercial aspects.

(4) The fee shall be collected as declared in the prospectus of the institution deemed to be University and with a proper receipt for such payment and the prospectus shall also state that donation or capitation fee in whatever nomenclature or form, either directly or indirectly, shall not be collected from the student or parent and in case of any grievance, the student or parent may submit their complaint to the institution deemed to be University.

(5) The institution deemed to be University may provide fee concession or scholarships or may allocate some seats to meritorious students belonging to socially and economically deprived groups of the society.

(6) The institution deemed to be University shall abide by all the University Grant Commission notifications, guidelines regarding the refund of fees and return of original certificates, as may be issued from time to time.

(7) Every institution deemed to be University shall maintain the records of the entire process of selection of candidates, exhibit such records on its website, and preserve such records for a minimum period of five years.

(8) The institution deemed to be University shall make available the prospectus on its website at least sixty days before the commencement of admissions, including fee structure, refund policy, number of seats in a programme, eligibility qualifications, admission process, etc.

(9) The institution deemed to be University shall not retain any original certificates of the students, faculty members, and staff.

25. Institution deemed to be University open to all.— (1) The institution deemed to be University shall be open to the persons of all genders and of whatevercaste, creed, race or class, and it shall not be lawful for the institution deemed to be University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him or her to be appointed as a faculty member of the institution deemed to be University or to hold any other office therein or to be admitted as a student in the institution deemed to be University or to graduate there at or to enjoy or exercise any privilege thereof:

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the institution deemed to be University from making special provision for the employment or admission of women, persons with disabilities, or of persons belonging to the weaker section of the society and, in particular, of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the other socially and educationally backward classes of citizens.

(2) All policies and procedures, in matters of admission, fee, and employment as applicable to the university level public funded and self-financing institutions, respectively, shall apply.

26. Institution deemed to be University to be unitary.— The institution deemed to be University shall be unitary in nature and shall not affiliate any other institution.

27. Reservation policy.— Institution deemed to be University shall implement the policy on reservations in admissions and recruitment, in accordance with the provisions of the Constitution of India and any Act of Parliament for the time being in force and disclose all such information on its website.

28. Online or distance education.— Institutions deemed to be Universities may offer courses online or distance courses or degrees in accordance with the regulations notified by the Commission from time to time.

29. Power to conduct enquiry and consequences for violation of regulations.— (1) Where the Government or the Commission, as the case may be, receives information by way of a complaint or otherwise, that an institution deemed to be University has violated any of the provisions of these regulations, it shall cause to conduct an enquiry into the facts of such information after issuing a notice to the said effect to the institution deemed to be University.

(2) The Commission may also cause an inspection, to be made by experts in matters of academics, administration, and finance regarding academic outcomes or any matter connected with the administration or finances of the institution deemed to be University for the purpose of the enquiry.

(3) Based on the enquiry or through procedures mentioned in these regulations, if the Government or the Commission, as the case may be, is satisfied that the regulations have been violated, the institution deemed to be University shall be subjected to such action as provided in these regulations.

30. Consideration of proposals under previous regulations.—All the applications for the declaration of an institution as an institution deemed to be a University, or for the approval for establishing off-campus centres or off-shore campuses, that have been received by the Government or are pending or under process in the Commission prior to the date of publication of these regulations, as the case may be, shall be processed under the provisions of these regulations:

Provided that the applicant may submit an undertaking in writing that such an application may be processed in terms of the regulations of the Commission governing an institution deemed to be University as were in force on the date of such application, and that, subject to the approval of the application under those regulations, the applicant shall comply with the provisions of these regulations within a period of six years from the date of approval, as the case may be, failing which the status of the applicant as an institution deemed to be University or status of the off-campus or off-shore campus shall be withdrawn.

31. Funds, Accounts, Audit, and Annual Report.— (1) The books of accounts of the institution deemed to be University shall be maintained, managed, and operated in the name of the institution deemed to be University and not in the name of the sponsoring body or any other body; and, shall be kept in such form as may be specified by the Executive Council and conform to the rules or regulations, if any, prescribed by the Commission, in this regard.

(2) Funds shall not be diverted at any time from the accounts of the institution deemed to be University to any other accounts, including to the accounts of the sponsoring body or to any otherbody.

(3) The institution deemed to be University shall get its books of accounts audited annually, separately published and uploaded on the website of the institution; and if such institution is funded by Central or State Government or through its Agencies fully or partially, then the accounts of such institution deemed to be University shall be open for examination by the Comptroller and Auditor General of India and the accounts of institution deemed to be University shall also, where required, be open for inspection by the Commission.

(4) The annual financial statements and accounts shall be audited by a qualified professional, a Member or Fellow of the Institute of Chartered Accountants of India, to be appointed by the institution deemed to be University:

Provided that, the Commission may, on receipt of information regarding financial impropriety or embezzlement or illegal diversion of funds from the accounts of the institution deemed to be University; or of fees being collected against the provisions of these regulations, issue a notice directing the institution deemed to be University to show cause as to why an inspection, including a forensic audit, not be ordered in respect of the complaint, and after providing a reasonable opportunity to the respondent institution, the Commission may on being satisfied that there were sufficient grounds to proceed further, cause an inspection by a team of the Commission or may direct a forensic audit; the report of and the inspection team and the forensic audit report taken together shall form the basis for the Commission to take further action, as it may be deem fit, under these regulations including the recommendation for withdrawal of institution deemed to be University status, to the Government.

(5) Annual Reports, Annual Financial Statements, and Audit Reports shall be uploaded on the institution deemed to be University website and also on the Commission's portal, after due approval by the Executive Council and the institution deemed to be Universities managed or controlled or funded by the Central or State Government shall submit a copy of the annual report, Annual Financial Statements and annual audit report to the respective Government.

32. Miscellaneous.— (1) The institution deemed to be University shall, as soon as may be, after the completion of the academic programme, and in no case later than one hundred and eighty days from the date of such completion, ensure

that the degree, diploma, certificate, or any other qualification in respect of the programme of studies, is awarded and made available to students.

(2) The institutions deemed to be Universities shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit scores in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC portal and adopt Samarth e-Gov.

(3) No institution deemed to be University shall at any time enter into any franchise agreement or arrangement, either overtly or covertly, with any individual or organisation for establishing, maintaining, or operating the off-campus or off-shore campus or constituent units or course or programme of study or department or school or faculty of the institution deemed to be University except in the following cases, namely:—

(a) the institution deemed to be University, which is eligible under sub-regulations (1) and (2) of regulation 8 may enter into an agreement or arrangement, if—

(i) the establishment, maintenance, or operation of such institution is permitted under any Act of Parliament or the rules or regulations made there under; and

(ii) it has made an application under sub-regulation (3) of regulation 8, after following the procedure specified in these regulations

(b) the campus to be established under such agreement or arrangement shall be—

(i) treated as an off-campus centre of the institution deemed to be University as long as such agreement or arrangement remains valid under such law; and

(ii) subject to similar standards of audit and disclosure as a not-for-profit entity as that of the institution deemed to be University;

(c) the institution deemed to be University, which is eligible under regulation 8 may enter into an agreement or arrangement for practical training of students of a skill-oriented vocational courses, if such course is approved by the University Grants Commission or any other body established under any Act of Parliament.

(d) twinning Programmes, Joint Degree Programmes, and Dual Degree Programmes shall be offered in accordance with the provisions stipulated in the University Grants Commission (Academic Collaboration between Indian and Foreign Higher Educational Institutions to offer Twinning, Joint Degree, and Dual Degree Programmes) Regulations, 2022.

(e) the income and property of the institution deemed to be University shall be utilised solely for promoting the objectives of the institution deemed to be University.

(f) the Commission shall have the power to issue directions to an institution deemed to be University for implementation of any public policy of the Government or in respect of any law in force, including appropriate directions in case of any violation of any law or policy by the institution deemed to be University.

(g) no portion of the income and property of the institution deemed to be University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus, or otherwise how so ever by way of profit to the persons who were at any time or are members of the institution deemed to be University or to any of them or any persons claiming through them:

Provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or another person as consideration for any service rendered to the institution deemed to be University or for traveling or other allowances and such other charges.

(h) in consultation with the Commission, the Government shall have the power to impose such other conditions, not inconsistent with these regulations, in the notification, and the same shall be binding on the institution deemed to be University.

(i) where an institution deemed to be University wishes to surrender its status of "institution deemed to be University", it may do so with the prior permission of the Government; and similarly, withdrawal of any constituent units or off-campus or off-shore campus of the institution deemed to be University from the purview of an institution deemed to be University, shall require the sponsoring body to take the prior permission of the Government:

Provided that such surrender or withdrawal, as the case may be, shall take effect only after the last batch of students on the rolls of the institution deemed to be University or its constituent units, as the case may be, have been accorded the opportunity to qualify for the completion of the programme of study and award of degree.

(j) the institution deemed to be University shall furnish to the Central Government or the Commission such returns or other information with respect to its property or activities as the Central Government or the Commission may, from time to time, require, within such period as may be specified by the Central Government or Commission.

(k) convocations of the institution deemed to be University for conferring the degrees or for other purposes shall be held in such manner as may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.

(l) the Executive Council may, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw a degree of academic distinction conferred on, or any certificate or diploma granted to, any person by the institution deemed to be University for good and sufficient cause:

Provided that no such resolution shall be passed until a notice in writing has been given to that person calling upon him or her to show cause within such time as may be specified in the notice as to why such a resolution shall not be passed and until his or her objections, if any, and any evidence he or she may produce in support of them, have been considered by the Executive Council.

(m) in the event of conflict of opinion with regard to the interpretation of these regulations, the opinion of the Commission shall be final.

(n) with regard to institutions deemed to be Universities, the provisions contained in these regulations shall prevail in case of any inconsistency or conflicting provisions in any other regulations issued by the Commission under the provisions of the Act.

33. Legal proceedings.— (1) The Registrar may sue or be sued for the purpose of any legal proceedings against institution deemed to be University, who shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the institution deemed to be University, and have the powers to exercise such powers and perform such duties under the provisions of these regulations.

(2) No suit or legal proceedings shall lie against the Government or the Commission in respect of any thing done or purported or intended to be done in pursuance of any of these regulations.

34. Consequences of the violations of regulations.— Where an institution deemed to be University is found to have violated the provisions of these regulations or any other applicable regulations of the Commission, it may be subjected to one or more of the following actions, namely:—

(a) for violation of these regulations established by the enquiry committee set up by the Commission or Government, the institution deemed to be University shall be warned in writing with public notice or barred from any expansion in terms of diversification to new courses or programmes of study or departments and establishment of off-campuses or off-shore campuses, for a period of three years or as recommended by the enquiry committee, whichever is higher;

(b) continuous violation of regulations established by the enquiry committee set up by the Commission or the Government may result in closure of the courses or programmes of study or Departments and off-campuses or constituent institutions or off-shore campuses or may result in withdrawal of the status of institution deemed to be Universit;

(c) in order to protect the interests of students in case of surrender or withdrawal of the status, as the case may be, shall take effect only after the last batch of students on the rolls of the institution deemed to be University or its constituent units, has been accorded opportunity to qualify for the completion of the programme of study and award of degree.

Prof. MANISH R JOSHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./146/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.06.02 23:53:00 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092020-221580
CG-DL-E-05092020-221580

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2020/भाद्र 13, 1942
No. 354] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020/BHADRA 13, 1942

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2020

सं. मि. 1-1/2020 (डेब-I).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 12 के खंड (**ञ**) के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय, जिन्हें इस अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से एतदद्वारा इन विनियमों को बनाता है, नामत:

भाग- I

प्रारंभिक

1. **लघु शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रारंभ –** (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) इन विनियमों में मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर पर डिप्लोमा प्रदान करने के न्यूनतम मानकों को निर्धारित किया गया है और यह आयोग द्वारा जारी अन्य विनियमों, अधिसूचनाओं,दिशानिर्देशों अथवा अनुदेशों को निष्प्रभावी नहीं बनाएंगे बल्कि उनके अनुपूरक होंगें।

(3) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम,1956 (1956 का 3) की धारा 2 के खंड (च) के अधीन विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालयों, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालय संस्थान पर लागू होंगे। परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आदेश द्वारा, इन विनियमों के अनुप्रयोग से किसी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान या उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को छूट दे सकता है।

(4) वे शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "शैक्षणिक परिषद या सीनेट" का अभिप्राय इन विनियमों के अनुपालन में मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों और ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने के निर्णय सहित उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में सभी शैक्षणिक मामलों के संबंध में निर्णय लेने वाले सशक्त निकाय से है;

(ख) "शैक्षणिक सत्र" का अभिप्राय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी-फरवरी अथवा जुलाई-अगस्त, जैसा भी मामला हो, के महीने से आरंभ होने वाले बारह महीने की अवधि से है;

(ग) "अधिनियम" का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) से है;

(घ) "आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र" (सीआईक्यूए) का अभिप्राय **अनुलग्नक-I** में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति में पेशकश किए जा रहे कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा स्थापित केंद्र से है;

(ड.) "आयोग" का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;

(च) "पारंपरिक पद्धति" का अभिप्राय नियमित कक्षा के वातावरण में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच आमने-सामने पारस्परिक संवाद के माध्यम से ज्ञान अर्जन के अवसर प्रदान करने की पद्धति से है लेकिन शिक्षार्थी के लिए ऑनलाइन उपयोग के माध्यम से अनुपूरक निर्देशों, यदि कोई हो, को वर्जित नहीं करता है;

(छ) "क्रेडिट" का अभिप्राय उस इकाई के संबंध में ज्ञान अर्जन के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम घंटों के अध्ययन प्रयासों के साथ एक शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त किए गए इकाई पुरस्कार से है।

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक क्रेडिट के लिए एक अध्ययन प्रयास का अभिप्राय एक शिक्षार्थी द्वारा कक्षा शिक्षण के 15 घंटे या उस इकाई के संबंध में ज्ञान अर्जन के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्वतः ज्ञान अर्जन सहित 30 घंटे के बराबर सामग्री को समझने के अपेक्षित समय से है;

(ज) "डिग्री" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा(3) के अधीन विनिर्दिष्ट डिग्री से है;

(झ) "दोहरी पद्धति विश्वविद्यालय" का अभिप्राय पारंपरिक पद्धति के अधीन तथा मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति के अधीन कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थान से है;

(ञ) "ई-ज्ञान अर्जन सामग्री" का अभिप्राय ज्ञान अर्जन प्रबंधन के माध्यम से डिजिटल प्रारूप में प्रतिपादित किए गए, ऑनलाइन कार्यक्रम में एक या अधिक पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में संरचित पाठ्यक्रम सामग्री के रूप में शामिल विषय सामग्री से है, जो अन्य बातों के साथ स्वतः स्पष्ट, स्वतः पूर्ण, शिक्षार्थी पर आत्म-निर्देशित और आत्म-मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी और अध्ययन पाठ्यक्रम में ज्ञान अर्जन के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को सक्षम बनाती है, लेकिन इसमें पाठ्य-पुस्तकें या गाइड-पुस्तकें शामिल नहीं हैं; जैसा कि इन विनियमों में परिभाषित किया गया है;

(ट) "परीक्षा केंद्र" का अभिप्राय उस स्थान से है जहां अन्य बातों के साथ, मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति के अधीन कार्यक्रम कर रहे शिक्षार्थियों के आकलन के लिए परीक्षाएं संचालित की जाती हैं और परीक्षाओं के सुचारु संचालन और इन विनियमों के ऐसे न्यूनतम मानकों का पालन करने सहित शिक्षा की संबन्धित पद्धति के संगत अपेक्षित अवसंरचना हो जैसा कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ठ) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ " फ्रेंचाइजिंग" के अभिप्राय में मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के अधीन ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए इन विनियमों के अधीन मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के अतिरिक्त, या मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की ओर से अध्ययन के ऐसे कार्यक्रमों या अन्य संबन्धित कार्यकलाप की पेशकश करने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्थान या संगठन को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अनुमति प्रदान करने का संव्यवहार शामिल है और फ्रेंचाइज़ ' और ' फ्रेंचाईजी ' शब्दों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ड) "उच्चतर शिक्षा" का अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो पारंपरिक पद्धति अथवा मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से नियमित कक्षाओं का संचालन करके या मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से प्रदान की जाए जिससे बारह वर्ष की विद्यालयी शिक्षा के पश्चात स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रमाण पत्र या डिप्लोमा प्रदान किया जा सके;

(ढ) "उच्चतर शैक्षणिक संस्थान" (एचईआई) के अभिप्राय में धारा 2 के खंड (च) के अधीन कोई विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालय संस्थान शामिल है, जो उच्चतर शिक्षा या उसमें शोध के क्षेत्र में पारंपरिक पद्धति और/या मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश कर रहा है;

(ण) "सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" का अभिप्राय संचार, सृजन, प्रसार, भंडार, सूचना के प्रबंधन के लिए उपयोग किए गए उपकरणों और संसाधनों के विविध समूह से हैं और पारस्परिक संवाद से शिक्षण-ज्ञान अर्जन, पहुंच बढ़ाने, ज्ञान सह सूचना शेयरिंग को सुनिश्चित करने, शैक्षणिक प्रणाली और संसाधनों के क्षमता निर्माण और प्रबंधन के लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जाता है ;

(त) "एकीकृत कार्यक्रम" का वही अभिप्राय होगा जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के डिग्री विनिर्देश अधिसूचना, 2014 में परिभाषित किया गया है;

(थ) "ज्ञान अर्जन की प्रबंधन प्रणाली" का अभिप्राय ई-ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों के प्रतिपादन, शिक्षार्थी के नियोजन, मूल्यांकन, परिणाम, एक केंद्रीकृत स्थान पर रिपोर्ट करने और अन्य संबन्धित विवरण का पता लगाने की प्रणाली से है;

(द) "शिक्षार्थी सहायता केंद्र" का अभिप्राय सलाह देने, परामर्श देने, शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच संपर्क का माध्यम प्रदान करने, मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के शिक्षार्थियों द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी शैक्षणिक या किसी भी अन्य संबद्ध सेवा और अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त केंद्र से है;

(ध) "शिक्षार्थी सहायता सेवाओं" का अभिप्राय उसमें शामिल ऐसी सेवाओं से हैं जो किसी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान की जाती हैं ताकि शिक्षार्थी द्वारा मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के अधीन अध्ययन कार्यक्रम के बारे में शिक्षण-ज्ञान अर्जन के अनुभवों की प्राप्ति को आयोग द्वारा या आयोग की ओर से निर्धारित स्तर तक सुविधाजनक बनाया जा सके;

(न) "एमओओसीएस" (MOOCS) का अभिप्राय वही होगा जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढाँचा) विनियम, 2016 के विनियम 3 के उप विनियम 3.6 में दिया गया है;

(प) "ऑनलाइन पद्धति" का अभिप्राय इंटरनेट प्रयोग के प्रौद्योगिकी सहायता तंत्र और संसाधनों के माध्यम से इंटरनेट, ई-ज्ञान अर्जन सामग्री और पूर्ण कार्यक्रम वितरण का उपयोग करके शिक्षक और शिक्षार्थी के पृथक्करण की बाधा को पार कर लचीले ज्ञान अर्जन के अवसर प्रदान करने से है;

(फ) "मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति" का अभिप्राय व्यावहारिक या कार्य अनुभव सहित शिक्षण-ज्ञान अर्जन अनुभवों को प्रदान करने के लिए शिक्षार्थियों या शिक्षार्थी सहायता सेवाओं के साथ प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक, ऑनलाइन और कभी-कभी आमने-सामने पारस्परिक संवाद के लिए बैठकों सहित विभिन्न मीडिया का उपयोग करके शिक्षक और शिक्षार्थी के पृथक्करण की बाधा को पार कर लचीले ज्ञान अर्जन के अवसर प्रदान करने की पद्धति से है;

(ब) "मुक्त विश्वविद्यालय" का अभिप्राय एक उच्चतर शैक्षणिक संस्थान से है जो प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक, ऑनलाइन, सूचना और मुक्त शैक्षणिक संसाधन (OER) या वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठयक्रम (MOOCS) आदि सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शैक्षणिक सहायक सामग्री सहित विभिन्न मीडिया का उपयोग करके केवल मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है और इसके अधिनियम, संघ के ज्ञापन या उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को नियंत्रित करने वाले अन्य कानूनी दस्तावेजों में पारंपरिक पद्धति में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है;

(भ) "स्नातकोत्तर डिप्लोमा" का अभिप्राय दो वर्ष की न्यूनतम अवधि, न्यूनतम प्रवेश स्तर की अर्हता स्नातक, आयोग तथा नियामक प्राधिकरण या कानूनी परिषद, जैसा लागू हो, द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम 80 क्रेडिट और नामावली वाले कार्यक्रम से है;

(म) "प्रमाणित परीक्षा" का अभिप्राय अनुमोदित व्यक्ति या प्रौद्योगिकी सक्षम प्रोक्टरिंग के पर्यवेक्षण में आयोजित परीक्षा से है जो परीक्षण लेने वाले की पहचान और परीक्षण लेने के वातावरण की शुचिता को सुनिश्चित करती है, या तो पेन-पेपर पद्धति में या कंप्यूटर आधारित परीक्षण पद्धति में या पूर्ण-ऑनलाइन पद्धति में; जैसा कि इन विनियमों के अधीन मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति में अनुमत्य हो।

(य) "प्रतिषिद्ध कार्यक्रम" का अभिप्राय ऐसे कार्यक्रमों से है जिन्हें उच्चतर शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति में पेशकश करने की अनुमति नहीं है, इनका विवरण नीचे दिया गया है:

(क) इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और अन्य पैरा मेडिकल विषयों, फार्मेसी, नर्सिंग, दंत, वास्तुकला, विधि, कृषि, बागवानी, होटल प्रबंधन, खानपान प्रौद्यौगिकी, पाककला विज्ञान, विमान अनुरक्षण, दृश्य कला और खेल विषयों (उनके संबद्ध अधिकार-क्षेत्र सहित) के कार्यक्रम;

(ख) शोध आधारित कार्यक्रम जैसे एम.फिल. और पीएच. डी;

(ग) ऐसे अन्य कार्यक्रम जिन्हें किसी भी संबंधित कानूनी या नियामक निकाय या परिषद द्वारा मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पेशकश किये जाने की अनुमति न हो।

परंतु यह कि यदि संबंधित कानूनी या नियामक निकाय या परिषद मुक्त दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में इसके अधिकार-क्षेत्र के अधीन प्रतिषिद्ध कार्यक्रमों, जैसा ऊपर उल्लिखित है, में से किसी की भी अनुमति प्रदान करता है , तो आयोग द्वारा इस पर विचार किया जाए, और इस प्रकार लिए गए निर्णय को एक आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(य क) "विवरण पुस्तिका" में उच्चतर शैक्षणिक संस्थान और उसके कार्यक्रमों से संबंधित निष्पक्ष और पारदर्शी सूचना आम जनता (ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के इच्छुक लोगों के लिए) को प्रदान करने के लिए किसी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन या किसी भी प्राधिकारी या ऐसा करने के लिए ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया कोई भी प्रकाशन, चाहे प्रिंट या ई-फॉर्म में हो, शामिल है।

(य ख) "क्षेत्रीय केंद्र" का अभिप्राय अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार क्षेत्र में शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों के कार्य का समन्वय या निगरानी करने के प्रयोजन से उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा स्थापित या रखरखाव किए गए केंद्र और ऐसे अन्य कार्य के निष्पादन से है जैसा कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के कानूनी प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त किया गया हो;

(य ग) ऑनलाइन पद्धति के लिए "स्वतः-ज्ञान अर्जन ई-मॉड्यूल" का अभिप्राय ई-ज्ञान अर्जन प्रारूप में पाठ्यक्रम सामग्री की मॉड्यूलर इकाई से है जो अन्य बातों के होते हुए भी स्वतः स्पष्ट, स्वतः पूर्ण, शिक्षार्थी से स्व-निर्देशित, और आत्म-मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी, और अध्ययन पाठ्यक्रम में ज्ञान अर्जन के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को सक्षम बनाती है और इसमें विषय सामग्री निम्नलिखित ई-ज्ञान अर्जन विषय सामग्री के मिश्रण रूप में सम्मिलित है, अर्थात:-

(क) ई-पाठ सामग्री,

(ख) वीडियो व्याख्यान

(ग) श्रव्य-दृश्य पारस्परिक संवाद सामग्री,

(घ) आभासी (वर्चुअल) कक्षा सत्र,

(ड.) ऑडियो पॉड कास्ट,

(च) आभासी (वर्चुअल) सिमुलेशन, और

(छ) स्वतः-मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी या परीक्षण।

(य घ) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के लिए "स्वतः-ज्ञान अर्जन सामग्री" के अभिप्राय में पाठ्यक्रम सामग्री के रूप में विषय सामग्री शामिल है, चाहे प्रिंट या ई- रूप में हो, जो अन्य बातों के होते हुए भी स्वतः स्पष्ट, स्वतः पूर्ण, शिक्षार्थी से स्व-निर्देशित, और आत्म-मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी, और अध्ययन पाठ्यक्रम में ज्ञान अर्जन के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को सक्षम बनाती है, लेकिन इसमें पाठ्य-पुस्तकें या गाइड-पुस्तकें शामिल नहीं हैं;

(य ड.) 'स्वयं' (SWAYAM) (युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय ज्ञान अर्जन की अध्ययन वेब) का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढाँचा) विनियम, 2016 में विनिर्दिष्ट ज्ञान अर्जन प्रबंधन प्रणाली से है।

भाग-II

मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन (ओडीएल) पद्धति और ऑनलाइन पद्धति के अधीन कार्यक्रमों की पेशकश के लिए मान्यता की प्रक्रिया

3. संस्थागत स्तर के पात्रता मानदंड:

(क) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति- कोई भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश के लिए आवेदन कर सकता है, जो निम्नलिखित शर्त को पूरा करता है, नामत: -

(i) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा 4-बिंदु पैमाने पर 3.01 के न्यूनतम स्कोर प्रत्यायित (accredit) किया गया होना जाहिए।

या

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की विश्वविद्यालय श्रेणी में दो पूर्ववर्ती चक्रों में कम से कम एक बार (आवेदन के समय) शीर्ष-100 में रैंक प्राप्त हो।

परंतु राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग आवश्यकताएं केवल शैक्षणिक सत्र 2020-21 (जुलाई, 2020 और जनवरी, 2021 से आरंभ होने वाले सत्र) के लिए मान्य होंगी और शैक्षणिक सत्र 2021-22 (जुलाई 2021 से आरंभ होने वाले सत्र) और इसके आगे के लिए आयोग द्वारा बाद में समीक्षा की जाएगी।

परंतु इसके आगे कि कोविड -19 महामारी के कारण पैदा हुई अभूतपूर्व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति में कार्यक्रमों की पेशकश के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-20 तक के लिए मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को गुणवत्ता राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंचमार्क की निर्धारित अर्हता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु इस आशय का एक वचनबंध प्रस्तुत किया था कि वे शैक्षणिक सत्र जुलाई 2019-जून 2020 के समापन से पूर्व राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) के 4 अंक के पैमाने पर 3.26 का स्कोर प्राप्त करेंगे, और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) को 29 फरवरी 2020 तक एक आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाएगा, पहले से ही शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति में कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान एक वर्ष की अवधि, अकादमिक सत्र 2020-21, जुलाई 2020 से आरंभ हो रहे, के लिए कार्यक्रम की पेशकश करना जारी रखेंगे। इसके पश्चात इन उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को उपर्युक्त उपखंड (i) के अनुसार पात्रता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

परंतु इसके आगे कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) की उपर्युक्त शर्त शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों की पेशकश के लिए आयोग द्वारा पहले से मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होगी। इन मुक्त विश्वविद्यालयों को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वे वर्तमान मान्यता अवधि के पूरा होने से पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) की मान्यता प्राप्त करेंगे, जैसा कि आयोग द्वारा पहले ही जारी आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसमें विफल रहने पर आयोग मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के अधीन ऐसे मुक्त विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों को आगे मान्यता प्रदान नहीं करेगा;

परंतु यह भी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 के अधीन आयोग द्वारा मान्यता नहीं दिए गए मुक्त विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद (NAAC) द्वारा प्रत्यायन के लिए पात्र होने के एक वर्ष के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद (NAAC) की मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जिसमें विफल होने पर आयोग मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के अधीन ऐसे मुक्त विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों को आगे मान्यता नहीं देगा;

परंतु यह और भी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन कोई सम विश्वविद्यालय संस्थान, 'वर्तमान सम विश्वविद्यालय विनियमों' और इन विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के कार्यक्रमों की पेशकश करेगा।

(ख) ऑनलाइन पद्धति-

(क) राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद (NAAC) स्कोर 3.26 और उससे अधिक स्कोर वाले या राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की विश्वविद्यालय श्रेणी में तीन पूर्ववर्ती चक्रों में कम से कम दो बार (आवेदन के समय) शीर्ष-100 में रैंक वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना संपूर्ण-ऑनलाइन कार्यक्रमों को आरंभ करने की अनुमति दी जाएगी, परंतु यह इन विनियमों में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करता हो।

परंतु ये उच्चतर शैक्षणिक संस्थान इसके कानूनी प्राधिकारियों के अनुमोदन और इन विनियमों के उपबंधों का सख्ती से पालन करते हुए अधिकतम तीन (03) स्नातक और दस (10) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को आरंभ कर सकते हैं।

परंतु राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग आवश्यकताएं केवल शैक्षणिक सत्र 2020-21 (जुलाई, 2020 और जनवरी, 2021 से आरंभ होने वाले सत्र) के लिए मान्य होंगी और शैक्षणिक सत्र 2021-22 (जुलाई 2021 से आरंभ होने वाले सत्र) और इसके आगे के लिए आयोग द्वारा बाद में समीक्षा की जाएगी:

परंतु यह भी कि इन उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को आवेदन और अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करना और ऑनलाइन विनियमों के सभी उपबंधों का पालन करना आवश्यक होगा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

परंतु यह और भी कि, यदि, उच्चतर शैक्षिक संस्थान कार्यक्रमों की निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में कार्यक्रम आरंभ करना चाहता है, तो उन्हें आयोग से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

(ख) कोई भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश के लिए आवेदन कर सकता है, अर्थात्: -

(i) कम से कम तीन वर्षों से अस्तित्व में हो; और

(ii) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा 4-बिंदु पैमाने पर 3.01 के न्यूनतम स्कोर के साथ प्रत्यायित (accredit) हो;

या

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की विश्वविद्यालय श्रेणी में दो पूर्ववर्ती चक्रों में कम से कम एक बार (आवेदन के समय) शीर्ष-100 में रैंक प्राप्त हो।

परंतु राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की रैंकिंग आवश्यकताएं शैक्षणिक सत्र 2020-21 (जुलाई, 2020 और जनवरी, 2021 से आरंभ होने वाले सत्र) के लिए मान्य होंगी और शैक्षणिक सत्र 2021-22 (जुलाई 2021 से आरंभ होने वाले सत्र) और इसके आगे के लिए आयोग द्वारा बाद में समीक्षा की जाएगी:

परंतु इसके आगे कि उपर्युक्त (ख) (ii) की शर्त शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों या ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश के लिए आयोग द्वारा पहले से मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होगी। इन मुक्त विश्वविद्यालयों को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वे वर्तमान मान्यता अवधि के समाप्त होने से पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की मान्यता प्राप्त करेंगे, जैसा कि आयोग द्वारा पहले ही जारी आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसमें विफल रहने पर आयोग ऑनलाइन पद्धति के अधीन ऐसे मुक्त विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों को आगे मान्यता प्रदान नहीं करेगा;

परंतु यह भी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) के मान्य स्कोर 3.26 के बराबर और उससे अधिक स्कोर वाले या राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की विश्वविद्यालय श्रेणी में तीन पूर्ववर्ती चक्रों में कम से कम दो बार शीर्ष-100 में रैंक प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थियों को भी नामांकित करने की अनुमति दी जाएगी।

परंतु यह और भी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन कोई सम विश्वविद्यालय संस्थान, 'वर्तमान सम विश्वविद्यालय विनियमों' और इन विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करते हुए मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के कार्यक्रम की पेशकश करेगा।

4. प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की आवश्यकताएः

(क) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति के लिए सामान्य प्रावधान-

विनियम (3) के अनुसार पात्र और शैक्षणिक सत्र से मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से कार्यक्रम की पेशकश करने का इच्छुक प्रत्येक उच्चतर शैक्षणिक संस्थान निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर मान्यता प्रदान करने के लिए आयोग को विनियम 5 के उप विनियम (1) में निर्धारित प्रारूप पर दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ आवेदन करेगा अर्थात्: -

(i) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ने इन विनियमों के विनियम 3 के अनुसार संस्थागत पात्रता मानदंड का पालन किया है।

(ii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति या ऑनलाइन पद्धति के कार्यक्रम की पेशकश के लिए इसके अधिनियम के अधीन कानूनी निकायों का अनुमोदन प्राप्त हो, जैसा भी मामला हो,

(iii) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति या ऑनलाइन पद्धति में पेशकश किए जाने वाले कार्यक्रमों की प्रस्तावित सूची, जैसा लागू हो, शिक्षार्थियों का अपेक्षित नामांकन, प्रत्येक कार्यक्रम के ज्ञान अर्जन के परिणाम और अन्य आवश्यकताएं जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो;

(iv) किसी कानूनी या विनियामक प्राधिकरण या नियामक परिषद क्षेत्र के अधीन आने वाले कार्यक्रमों के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति या ऑनलाइन पद्धति के कार्यक्रमों की पेशकश के लिए संबंधित कानूनी या नियामक प्राधिकरण या नियामक परिषद का अनुमोदन या सिफारिशें प्राप्त हैं, जैसा लागू हो;

स्पष्टीकरण: खंड (iv) में उल्लिखित कार्यक्रमों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब इन्हें संबंधित कानूनी या नियामक प्राधिकरण या नियामक परिषद द्वारा मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति या ऑनलाइन पद्धति में प्रस्तुत करने की सिफारिश की गई हो। इसके अतिरिक्त, कानूनी या नियामक प्राधिकरण या नियामक परिषद या तो मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानकों को बनाए रखेगा जैसा कि इन विनियमों में निर्धारित किया गया है या आयोग को सिफारिशें करते समय उच्चतर मानक निर्धारित करेगा।

(v) दोहरी पद्धति विश्वविद्यालय के परंपरागत कार्यक्रम और प्रस्तावित मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति या ऑनलाइन कार्यक्रम, जैसा लागू हो, में प्रवेश स्तर की अर्हता,पाठ्यक्रम, शिक्षण-ज्ञान अर्जन योजना, अंतिम

सेमेस्टर परीक्षा या टर्म समाप्ति परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों के पैटर्न, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण मानदंड समान हैं, और मुक्त विश्वविद्यालय के मामले में, ये मानदंड मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और प्रस्तावित ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए समान हैं।

(vi) प्रस्तावित मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति कार्यक्रमों या ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए निरंतर मूल्यांकन और अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं या टर्म समाप्ति परीक्षाओं का भारांक, जैसा लागू हो, विनियम 15 के अनुरूप है।

(vii) आयोग द्वारा अधिसूचित शुल्क जमा करना;

(viii) ऐसे आवेदन की प्रति स्व-प्रकटीकरण के माध्यम से उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है।

(ix) आयोग द्वारा अधिसूचित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना;

(x) तैयारी की स्थिति जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर मान्यता प्रक्रिया के विभिन्न चरणों हेतु निम्नलिखित के लिए नियत की गई, नामत:

(क) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र की स्थापना करना जैसा कि **अनुलग्नक- I** में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ख) शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों (मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति कार्यक्रमों) की स्थापना करना जैसा कि **अनुलग्नक- VIII** में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(ग) शिक्षार्थी सहायता सेवाओं की प्रणालियां प्रदान करना जैसा कि **भाग-IV** में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(घ) निदेशक, शैक्षणिक एवं अन्य कर्मचारियों, अर्हता-प्राप्त काउन्सलर्स/समन्वयकों/मेंटर्स (मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन और ऑनलाइन पद्धति के लिए) की उपलब्धता जो **अनुलग्नक- IV** में विनिर्दिष्ट क्षमता के ऐसे मानकों को पूरा करते हों;

(ड.) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन या ऑनलाइन पद्धति कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए प्रशासनिक प्रबंध, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता जैसा कि **अनुलग्नक-IV** में विनिर्दिष्ट किया गया है।

स्पष्टीकरण: राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित कोई निजी विश्वविद्यालय केवल अपने मुख्यालय, विधिवत मान्यता प्राप्त ऑफ-कैंपस केंद्रों के माध्यम से मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के अधीन कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए पात्र होगा। निजी विश्वविद्यालय किसी भी शिक्षार्थी सहायता केंद्र के माध्यम से मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के अधीन कार्यक्रम की पेशकश नहीं करेगा।

(ख) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के लिए प्रावधान-

(i) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान **अनुलग्नक-III** में विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की नीति का पालन करेगा;

(ii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान केवल स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों में केवल उन्हीं डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने का पात्र होगा, जिन्हें यह पहले से ही कक्षा शिक्षण की पारंपरिक पद्धति में पेश कर रहा है और जिसमें से कम से कम एक बैच पास आउट हो चुका है।

परंतु यह उपखण्ड मुक्त विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होगी।

परंतु आगे यह कि विज्ञान आधारित कार्यक्रम, जिनके लिए व्यावहारिक व क्रियाशील अनुभव, प्रायोगिक ढांचे की आवश्यकता होती है, केवल 3.26 और इससे अधिक एनएएसी स्कोर प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों या राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष-100 में रैंक रखने वाले, तीन पूर्ववर्ती चक्रों में कम से कम दो बार, मुक्त विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पेशकश किए जाएंगे:

परंतु यह और भी कि विज्ञान आधारित कार्यक्रम मुख्यालय और/या केवल ऐसे शिक्षार्थी केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे जो कम से कम सात वर्ष से पारंपरिक पद्धति के अधीन ऐसे कार्यक्रम की पेशकश कर रहे हैं।

(iii) आवेदन के साथ शैक्षणिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए शक्ति प्राप्त कानूनी निकायों द्वारा विधिवत अनुमोदित, अध्ययन के प्रस्तावित कार्यक्रमों हेतु आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अपेक्षित स्वतः ज्ञान अर्जन सामग्री तैयार करने का साक्ष्य लगा हो।

(iv) आवेदन के साथ मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन संसाधनों की उपलब्धता/तैयारियों का साक्ष्य लगा हो, जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर नियत किया गया है, जो शिक्षार्थियों के अपेक्षित नामांकन पर विचार करते हुए सभी प्रस्तावित कार्यक्रम/कार्यक्रमों के प्रभावी प्रतिपादन के लिए पर्याप्त है।

(ग) ऑनलाइन पद्धति के लिए प्रावधान-

(i) इन विनियमों के अधीन मान्यता प्राप्त ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र लागू नहीं होगा;

(ii) कोई उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों में केवल उन डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए पात्र होगा, जो पहले से ही कक्षा शिक्षण की पारंपरिक पद्धति या मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति में पेशकश कर रहा है और जिसमें कम से कम एक बैच पास आउट हो गया है;

परंतु कोई भी कार्यक्रम जिसमें पाठ्यक्रम आवश्यकता के रूप में व्यावहारिक या प्रायोगिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता हो, ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से प्रतिषिद्ध किया जाएगा, उन मामलों को छोडकर जहां प्रायोगिक घटक सॉफ्टवेयर साधनों सहित प्रोग्रामिंग और कोडिंग तक सीमित है।

(iii) आवेदन के साथ शैक्षणिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए सशक्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के कानूनी निकायों द्वारा विधिवत अनुमोदित अध्ययन के प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों के विकास और निर्माण हेतु उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की क्षमता प्रदर्शित है ।

(iv) आवेदन के साथ स्वयं (SWAYAM) प्लेटफार्म तक पहुँच रखने वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थान या अध्ययन के प्रस्तावित कार्यक्रमों के अन्य ज्ञान अर्जन प्लेटफार्म के साक्ष्य लगे हैं जो शैक्षणिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए सशक्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान कानूनी निकायों द्वारा निम्नलिखित के लिए विधिवत अनुमोदित है -

(क) शिक्षार्थी प्रमाणीकरण- भारतीय शिक्षार्थियों के लिए आधार या अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान के साथ एकीकृत और विदेशी शिक्षार्थियों के लिए पासपोर्ट;

(ख) शिक्षार्थी पंजीकरण- सहायक दस्तावेजों के साथ एक वेब एप्लिकेशन के माध्यम से ;

(ग) भुगतान गेटवे-डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग करके;

(घ) शिक्षार्थी प्रबंधन प्रणाली- जो विश्लेषणात्मक साधनों द्वारा समर्थित कार्यक्रम का प्रतिपादन, शिक्षार्थी के काम, मूल्यांकन, परिणाम और रिपोर्टिंग का पता लगाता है जो प्रासंगिक रिपोर्ट का सार निकालने और उनका उपयोग करने में शिक्षकों की सहायता कर सकता है।

(v) आवेदन के साथ पारदर्शिता और परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने सहित प्रमाणित परीक्षाओं के संचालन की क्षमता का साक्ष्य लगा है।

(vi) आवेदन के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य लगा है कि ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के पास निजी सेवा प्रदाता सहित कोई फ्रेंचाइज़ व्यवस्था और ऑनलाइन शिक्षा के सभी आवश्यक घटकों सहित ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने का स्वामित्व नहीं है और विनियमों के सभी प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व केवल उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों का होगा।

(vii) आवेदन के साथ शिक्षार्थियों के प्रत्याशित नामांकन पर विचार करते हुए सभी प्रस्तावित अध्ययन कार्यक्रम/कार्यक्रमों के प्रभावी प्रतिपादन हेतु सहायक सेवाओं के लिए पर्याप्त प्रशासनिक प्रबंधों की उपलब्धता/तैयारी का साक्ष्य लगा है

5. कार्यक्रमों की मान्यता प्रक्रिया: (1) इन विनियमों की अधिसूचना के तत्काल पश्चात औरआगामी वर्षों हेतु शैक्षणिक सत्र के लिए मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से कार्यक्रम की पेशकश करने का इच्छुक उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ऑनलाइन आवेदन करेगा, जैसा कि आयोग द्वारा अधिसूचित प्रारूप में आमंत्रित किया गया है और इसे उसमें विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति के साथ ऐसे

उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा पेशकश किए जाने वाले कार्यक्रम का शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से कम से कम तीन महीने पूर्व ही विनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा:

परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) विनियम, 2018 के अधीन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के कार्यक्रम आयोग के आदेशों में उल्लिखित अवधि के लिए वैध कार्यक्रम रहेंगे। ये उच्चतर शैक्षणिक संस्थान आयोग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे इन विनियमों की अधिसूचना से अगले शैक्षणिक सत्र के आरंभ से पहले इन विनियमों के उपबंधों का पालन करेंगे। हालाँकि, पहले से अधिसूचित आयोग के आदेशों में विनिर्दिष्ट मान्यता अवधि की समाप्ति के पश्चात, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को उक्त कार्यक्रमों के लिए विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अनुसार नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता होगी।

(2) आयोग विनियम 5 के उप-विनियम(1) के अधीन प्राप्त आवेदनों को निम्नलिखित तरीके से संसाधित करेगा, अर्थात्:

(i) आयोग द्वारा आवेदन में किसी भी कमी या त्रुटि की सूचना उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को दी जाएगी और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को आवश्यक दस्तावेजों या सूचनाओं के साथ 15 दिनों के भीतर ऐसी कमियों या त्रुटियों को हटाने या सुधारने की आवश्यकता होगी, यदि कोई हो;

(ii) जहां उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ने मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइनपद्धति में कार्यक्रम/कार्यक्रमों की पेशकश के लिए आवेदन किया है, आयोग उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के ऐसे कार्यक्रम/कार्यक्रमों के संबंध में स्वविवेक से एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से निरीक्षण कर सकता है;

(iii) आयोग, आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सहायता से आवेदन की जांच करेगा और समिति की सिफ़ारिशें विचार के लिए आयोग के सामने रखी जाएंगी।

(3) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से कार्यक्रम (कार्यक्रमों) की पेशकश के लिए विनियम-5 के उप-विनियम (2) के अधीन निर्धारित तरीके से आवेदन को संसाधित करने के पश्चात, आयोग निम्नलिखित कार्रवाई करेगा-

(i) यदि यह संतुष्ट है कि ऐसा उच्चतर शैक्षणिक संस्थान इन विनियमों के अधीन निर्धारित शर्तों और विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करता है, तो ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति या ऑनलाइन पद्धति या दोनों पद्धतियों में ऐसे कार्यक्रमों के संबंध में पांच साल की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करने का आदेश पारित करेगा, जैसा कि यह आदेश में और ऐसी शर्तों के अधीन विनिर्दिष्ट कर सकता है।

परंतु आदेश पारित करते समय, जहां आयोग एक या अधिक कार्यक्रमों के संबंध में मान्यता प्रदान नहीं करता है, आयोग आदेश में इस तरह की अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करेगा।

(ii) यदिआयोग की राय है कि मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति या ऑनलाइन पद्धति या दोनों पद्धतियों में उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा पेशकश किए जाने के इच्छुक किसी कार्यक्रम के संबंध में ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान खंड (I) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, तो यह ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को मान्यता देने से अस्वीकृत करते हुए आदेश पारित करेगा और इसके कारणों को लिखित में अभिलेखित करेगा।

(4) विनियम 5 के उप-विनियम (3) के अधीन मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रम (कार्यक्रमों) के लिए किसी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को मान्यता देने या अस्वीकृत करने वाले प्रत्येक आदेश की सूचना उपयुक्त कार्रवाई के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान और संबंधित राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार को लिखित में दी जाएगी।

(5) प्रत्येक उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, जिसके संबंध में आयोग द्वारा कार्यक्रम (कार्यक्रमों) के लिए मान्यता प्रदान नहीं की गई है, मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रम (कार्यक्रमों) को तत्काल प्रभाव से बंद कर देगा;

परंतु वर्तमान में मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों में पहले से ही नामांकित शिक्षार्थियों को निर्धारित तरीके से कार्यक्रमों को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

(6) इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हर उच्चतर शैक्षणिक संस्थान आयोग के आदेश में उल्लिखित शैक्षणिक सत्र से मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रम (कार्यक्रमों) की पेशकश करेगा।

(7) कोई भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान किसी भी मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति कार्यक्रम और/या ऑनलाइन पद्धति कार्यक्रम की पेशकश नहीं करेगा और शिक्षार्थियों को तब तक प्रवेश नहीं देगा जब तक कि उसे आयोग द्वारा मान्यता नहीं दी गई हो और मान्यता के पूर्वानुमान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

6. **अपील:** (1) विनियम 5 के उप-विनियम (3) के अधीन किए गए आदेश से असंतुष्ट कोई भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान इस सूचना के प्रकाशित होने से तीस दिन की अवधि के अंदर आयोग को अपील कर सकता है।

(2) निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

(3) इन विनियमों के अन्तर्गत की गई प्रत्येक अपील के साथ प्रति कार्यक्रम रू.10,000/-(रूपये दस हजार) मात्र शुल्क के साथ अपील के आदेश की प्रति संलग्न करनी होगी।

(4) अपील को निपटाने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी:-

i. आयोग, आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित स्थायी अपीलीय समिति की सहायता से अपील की जांच करेगा।

ii. समिति कार्यक्रम की अस्वीकृति के लिए आयोग के फैसले के विरुद्ध प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की अपील की जांच करेगी और सिफारिश करेगी कि क्या कार्यक्रमों की अस्वीकृति पर आयोग के फैसले की पुष्टि करे या उसे उलट करे।

(5) आयोग अपील किए गए आदेश की पुष्टि कर सकता है या उलट सकता है।

(6) आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान इसे मानने के लिए बाध्य होंगे।

7. **मान्यता वापस लेना:** (1) जहाँ आयोग स्वयं या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन, या किसी प्राधिकारी या किसी कानूनी निकाय से प्राप्त किसी भी सूचना, या इसके द्वारा की गई किसी जाँच या निरीक्षण के आधार पर, संतुष्ट है कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ने इन विनियमों के उपबंधों या दिशानिर्देशों और इसके अधीन जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन किया है, या कोई भी सूचना और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है या तैयार किया है, जो किसी भी स्तर पर मिथ्या पाया जाता है, कोई शर्त जिसके अधीन विनियम 5 के उप-विनियम (3) के खंड (i) के अधीन अनुमति दी गई है, यह ऐसे कार्यक्रम (कार्यक्रमों) के संबंध में इस तरह के उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की मान्यता वापस ले सकता है जैसा कि यह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों का उल्लेख कर सकता है;

परंतु उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के विरुद्ध तब तक ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को प्रत्यावेदन देने का उपयुक्त अवसर नहीं दिया गया हो;

परंतु आगे यह कि आयोग द्वारा मान्यता को वापस लेने या इंकार करने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(2) यदि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान उप-विनियम (1) के अधीन मान्यता वापस लेने के आदेश के प्रवृत्त होने के बाद मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति या ऑनलाइन पद्धति के किसी कार्यक्रम की पेशकश करता है या विनियमों की अधिसूचना और इसके वर्तमान अकादमिक सत्र एवं आगामी अकादमिक सत्रों के लिए मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति या ऑनलाइन पद्धति के कार्यक्रमों की पेशकश के लिए इन विनियमों के अधीन मान्यता प्राप्त करने में विफल रहता है, तो ऐसे कार्यक्रम के अनुरूप या ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के किसी कार्यक्रम को आरंभ करने के पश्चात प्राप्त डिग्री को वैध योग्यता नहीं माना जायेगा।

परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) विनियम, 2018 के अधीन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के कार्यक्रम इन विनियमों की अधिसूचना के पश्चात, आयोग के आदेश में उल्लिखित अवधि के लिए मान्य रहेंगे।

(3) यदि किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को आयोग की मान्यता के बिना या इन विनियमों के किसी भी उपबंध और दिशानिर्देशों या इनके अधीन बनाए गए आदेशों का उल्लंघन करते हुए मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के कार्यक्रमों की पेशकश करता पाया गया, तो आयोग-

(i) कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है।

(ii) किसी शैक्षणिक सत्र के लिए किसी कार्यक्रम या कुछ कार्यक्रमों या सभी कार्यक्रमों की मान्यता वापस ले सकता है या अधिकतम अगले पांच शैक्षणिक सत्रों तक न केवल मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों और/या ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए बल्कि संस्थानों द्वारा नियमित और पारंपरिक पद्धति में पेशकश किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों की भी मान्यता वापस ले सकता है;

(iii) यदि उपरोक्त के बावजूद, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को निरंतर उल्लंघन करते हुए पाए जाता है, तो नियमविरुद्ध काम करने वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के पदाधिकारियों या प्रबंधन के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई जा सकती है;

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान प्राप्त करने से रोक सकता है या वंचित कर सकता है;

(v) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के दर्जे को वापस लेने के लिए मामले को केंद्र या राज्य सरकार को भेज सकता है।

(vi) अधिनियम या नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुसार उच्चतर शैक्षणिक संस्थान पर कार्रवाई कर सकता है;

(vii) ऐसे चूककर्ता उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की सूची को सार्वजनिक वेब में रख सकता है।

(viii) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे गैर-मान्यताप्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के मामले में शिक्षार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा खंड (i), (iii), (v) और (vii) में उल्लेख की गई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

भाग-III

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अवसंरचनात्मक, अकादमिक और अन्य गुणवत्ता मानकों का अनुरक्षण

8. **प्रणाली प्रबंधन, अवसंरचना और प्रक्रियाएः** (1) मुक्त विश्वविद्यालय में मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के कार्यक्रमों की परिकल्पना और विकास के लिए नामित अध्ययन- विद्यालय होंगे और, जिसकी अध्यक्षता एक नियमित पदाधिकारी द्वारा पूर्णकालिक आधार पर की जाएगी जो सह-आचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) के पद से निम्न का नहीं हो और **अनुलग्नक-IV** में निर्दिष्ट किए अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक कर्मचारी और अवसंरचनात्मक संसाधन हों। मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश, शिक्षार्थी सहायता और परीक्षाओं के लिए उपयुक्त विभाग जैसे परिचालन विभाग भी होंगे।

(2) मुक्त विश्वविद्यालय में ऑनलाइन ज्ञान अर्जन पद्धति के लिए अध्ययन-विद्यालयों द्वारा परिकल्पित और विकसित कार्यक्रमों के संचालन के लिए निर्दिष्ट ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीओई) होगा, जिसकी अध्यक्षता निदेशक द्वारा की जाएगी, जो पूर्णकालिक आधार पर नियमित पदाधिकारी हो और सह-आचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) के पद से निम्न का नहीं हो और **अनुलग्नक-IV** में निर्दिष्ट किए अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक कर्मचारी और अवसंरचनात्मक संसाधन हों।

(3) मुक्त विश्वविद्यालय के अतिरिक्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रमों के संचालन हेतु निर्दिष्ट दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र होगा, जिसकी अध्यक्षता निदेशक द्वारा की जाएगी, जो पूर्णकालिक आधार पर नियमित पदाधिकारी हो और सह-आचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) के पद से निम्न का नहीं हो और **अनुलग्नक-IV** में निर्दिष्ट किए अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक कर्मचारी और अवसंरचनात्मक संसाधन हों।

(4) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के कार्यक्रमों के संचालन और गुणवत्ता आश्वासन की योजना बनाएगा, कार्यान्वित करेगा, और समन्वय एवं निगरानी करेगा और आयोग एवं अन्य नियामक प्राधिकरणों के विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा जैसा कि अधिसूचित किया गया है।

9. **प्रकटीकरण, घोषणाओं और रिपोर्टों के माध्यम से स्व-विनियमः** मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के कार्यक्रमों की पेशकश करने वाला उच्चतर शिक्षा संस्थान अपनी वेबसाइट पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र के कुल-सचिव और निदेशक द्वारा अधिप्रमाणित करते हुए यह

संयुक्त घोषणा प्रदर्शित करेगा कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट पर निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड किया गया है, अर्थात:-

(क) स्थापित अधिनियम और उनके अधीन क़ानून या संघ का ज्ञापन, जैसा भी मामला हो, या दोनों उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के कार्यक्रम पेश करने के लिए इसे सशक्त बनाते हैं;

(ख) आयोग और अन्य संबंधित कानूनी या नियामक प्राधिकरणों से मान्यता के पत्रों की प्रतियां;

(ग) सूचना जैसे कार्यक्रम का नाम, अवधि, नामांकन के लिए पात्रता, कार्यक्रम शुल्क, कार्यक्रम अवसंरचना के साथ-साथ विवरणिका या कार्यक्रम गाइड सहित कार्यक्रम का विवरण;

(घ) पाठ्यक्रम, सुझाए गए पाठ, काउंसलिंग/परामर्श देने के लिए संपर्क समय, क्रेडिट पॉइंट के साथ कार्यक्रम अवसंरचना संबंधी कार्यक्रम-वार सूचना, कार्यक्रम-वार शिक्षकों का विवरण, सहायक कर्मचारियों की सूची, पते एवं संपर्क विवरण (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के लिए) सहित शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों की सूची, उनका कार्य समय और काउंसलिंग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति/परामर्श देने (ऑनलाइन पद्धति के लिए) का कार्यक्रम;

(ड.) प्रवेश, पंजीकरण, पुनः पंजीकरण, काउंसलिंग परामर्श देने, असाइनमेंट और उनकी फीडबैक, परीक्षा, परिणाम घोषणा आदि के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम या डेट-शीट;

(च) ऑनलाइन के माध्यम से पेश की गई ज्ञान अर्जन सामग्री और ऑनलाइन ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों की शिक्षार्थी आकलन प्रणाली तथा गुणवत्ता आश्वासन संव्यवहार सहित ऑनलाइन कार्यक्रम प्रतिपादन से संबंधित विस्तृत कार्यनीति योजना, यदि कोई हो;

(छ) परिकल्पना (डिजाइन), विकास, प्रतिपादन और शिक्षार्थी-प्रदर्शन के निरंतर मूल्यांकन पर फीडबैक प्रणाली जो मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग बनेगा और कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखने और अंतराल को पाटने के लिए इनपुट होगा, यदि कोई हो;

(ज) आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी कार्यक्रमों के संबंध में सूचना;

(झ) प्रदान की गई डिग्री और/या स्नातकोत्तर डिप्लोमा के संबंध में वर्ष-वार और कार्यक्रम -वार शिक्षार्थी नामांकन विवरण का डेटा;

(ञ) 'स्वतः ज्ञान अर्जन सामग्री' के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें इसको तैयार करने वाले शिक्षक का नाम, इसे कब तैयार किया गया और मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों के लिए अंतिम बार कब अद्यतन किया गया, भी शामिल हो; इसी प्रकार ऑनलाइन कार्यक्रमों के मामले में 4 चतुर्थांश में 'ई-ज्ञान अर्जन सामग्री' के बारे में जानकारी।

(ट) मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों और ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए हाइपरलिंक सहायता प्रदान करके शिक्षार्थियों के साथ ऑनलाइन पारस्परिक संवाद की सुविधा के साथ 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' शीर्षक के अधीन प्रश्नों और उत्तरों का संकलन;

(ठ) मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों के लिए परीक्षा केंद्र में बैठने वाले शिक्षार्थियों की संख्या के साथ 'शिक्षार्थी सहायता केंद्र' की सूची और निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से परीक्षा के संचालन के लिए उपलब्ध सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुविधाओं का विवरण;

(ड) मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक केंद्र में शिक्षार्थियों की संख्या के साथ 'परीक्षा केन्द्रों' की सूची;

(ढ) सभी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों के मामले में प्रमाणित परीक्षा के विवरण;

(ण) मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों के लिए अंतिम सेमेस्टर परीक्षा या टर्म समाप्ति परीक्षा के मामले में प्रमाणित परीक्षा का विवरण;

(त) शैक्षणिक सत्र, सतत एवं अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं या टर्म समाप्ति परीक्षाओं आदि की दिनांक के साथ प्रवेश प्रक्रिया की अवधि आदि का उल्लेख करते हुए शैक्षणिक कैलेंडर,

(थ) हर पांच वर्ष में तीसरे पक्ष की शैक्षणिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र द्वारा हर वर्ष आंतरिक शैक्षणिक लेखापरीक्षा की जानी है।

10. गुणवत्ता आश्वासनः (1) मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के कार्यक्रमों की पेशकश करने वाला उच्चतर शैक्षणिक संस्थान निम्नलिखित कदम उठाएगा, अर्थात:-

(i) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र की स्थापना करेगा, जो **अनुलग्नक-I** के अनुसार मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के कार्यक्रमों के समान हो;

(ii) बहुल मीडिया, पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में ज्ञान अर्जन सामग्री से संबन्धित गुणवत्ता आश्वासन दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जैसा कि आयोग द्वारा **अनुलग्नक-VI** में निर्दिष्ट किया गया है और वेबसाइट पर अपनी गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली का ब्यौरा देगा;

(iii) अपने शिक्षण और प्रशासनिक कर्मचारियों और काउन्सलरों/संयोजकों /परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए नियमित अंतराल पर पर्याप्त उपाय करेगा;

(iv) सुनिश्चित करेगा कि मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के कार्यक्रमों के माध्यम से पेशकश किए गए अध्ययन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अधीन नियत किए गए उपबंधों और डिग्री के विनिदेश, 2014 संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना के मानदंडों के अनुरूप बनाए रखा गया हो।

(v) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट के साथ-साथ संबंधित उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के ब्रोशर या बुलेटिन में प्रत्येक कार्यक्रम के नाम के सामने अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए संबंधित कानूनी या नियामक प्राधिकरण या परिषद से विधिवत प्राप्त या प्राप्त अनुमोदन पत्रों की प्रतियां प्रदर्शित करें और इसकी सूचना समय- समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दें;

परंतु इन विनियमों के उल्लंघन के मामले में, विनियम 7 के उप-विनियम (3) के अधीन निर्दिष्ट उपबंध लागू होंगे;

(vi) यह सुनिश्चित करेगा कि मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के लिए अपने शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में शैक्षणिक और अनुदेशात्मक सुविधाएं, और कार्यक्रमों को ऑनलाइन प्रदान करने के लिए सूचना संसाधन आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं, और कार्यक्रमों की संख्या और नामांकन के अनुरूप हैं।

(2) मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए मान्यता प्राप्त प्रत्येक उच्चतर शैक्षणिक संस्थान विनियम 9 के अधीन निर्धारित सूचना के अनिवार्य प्रकटीकरण से संबन्धित सभी उपबंधों का पालन करेगा।

11. उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकगण एवं अकादमिक स्टाफः (1) अध्ययन विद्यालयों या दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा के केंद्र या ऑनलाइन ज्ञान अर्जन के केंद्र और शिक्षार्थी सहायता केंद्र (केवल मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन के लिए) में शिक्षक और समकक्ष अकादमिक स्टाफ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 में निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुसार नियुक्त किया जाएगा; और अध्ययन विद्यालयों या मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन शिक्षा केंद्र या दोहरी पद्धति के विश्वविद्यालयों के लिए दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र में शैक्षणिक कार्यों के निष्पादन के लिए सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य के स्थायी और/या पूर्णकालिक आधार पर पद होंगे।

(2) प्रत्येक शिक्षक अपने शैक्षणिक उत्तरदायित्वों के साथ-साथ शिक्षण, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सामग्री के विकास, परीक्षा या परीक्षण या मूल्यांकन या निरीक्षण कार्य शिक्षार्थियों की शैक्षणिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए उनको सामान्य सहायता प्रदान करने में भाग लेगा, और आवश्यकतानुसार पाठ्येतर और संस्थागत सहायता कार्यकलापों में भाग लेगा ।

(3) शिक्षक के कार्यभार में शिक्षण, शोध और विस्तार कार्यकलापों, पाठों की तैयार असाइनमेंट का मूल्यांकन, टर्म परीक्षा आदि का ध्यान रखा जाएगा और आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा;

परंतु विस्तार कार्य पर लगाया जाने वाला समय शिक्षण भार के लिए गिना जाएगा जहां यह निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग हो।

(4) पूर्णतः मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के लिए पूर्णकालिक समर्पित शिक्षकों और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी कर्मचारियों की संख्या को इन विनियमों के **अनुलग्नक-IV** के अधीन निर्धारित किए अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

(5) अध्ययन विद्यालयों या ऑनलाइन शिक्षा केंद्र या और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के दूरस्थ एवं शिक्षा केंद्र ऑनलाइन के केंद्र और शिक्षार्थी सहायता केंद्र (केवल मुक्त एवं दूरस्थ पद्धति के लिए) में शिक्षकों के विवरण को उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा और इसे आधार विवरण या अन्य सरकारी पहचान से जोड़ा जाएगा।

12. मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के लिए ई-संसाधनों का उपयोगः (1) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति में कार्यक्रमों की पेशकश करने वाला उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ऐसे उपाय करेगा, जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को एक साथ मिलाने के लिए आवश्यक हैं, जिनमें मुक्त शैक्षणिक संसाधनों (ओईआर), व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, प्रमाणीकरण और शिक्षार्थी सहायता के अन्य पहलुओं के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षण-ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया, और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाने तथा प्रवेश, पंजीकरण की स्थिति की सूचना को हर समय अद्यतन बनाए रखने, शिक्षार्थी फीडबैक के साथ परस्पर ज्ञान अर्जन के लिए ऑनलाइन सहायता के माध्यम से शिक्षण-ज्ञान अर्जन के कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन द्वारा विकसित उपाय भी शामिल हैं।

(2) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ऑनलाइन ज्ञान अर्जन पाठ्यक्रमों/व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से, एक सेमेस्टर में एक विशेष कार्यक्रम में पेश किए जा रहे कुल पाठ्यक्रमों के चालीस प्रतिशत तक अनुमति प्रदान कर सकता है।

13. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के लिए कार्यक्रम आरंभ करने की प्रक्रियाः

(क) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति के लिए सामान्य प्रावधान-

(1) प्रस्तावित कार्यक्रम की परिकल्पना पारंपरिक शिक्षार्थियों तथा मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से ज्ञानार्जन करने तथा सम्बद्ध शैक्षणिक प्रत्यय-पत्र (credentials) के आकांक्षी कार्यरत पेशेवरों और अन्य व्यक्तियों के लिए की जाएगी।

(2) कार्यक्रम की न्यूनतम और अधिकतम अवधि:

(i) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर डिग्री के पूरा होने और प्रदान करने की न्यूनतम अवधि, डिग्री के विनिर्देश, 2014 की यूजीसी अधिसूचना के अनुसार होगी;

(ii) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पूरा करने और प्रदान करने की न्यूनतम अवधि दो वर्ष होगी;

(iii) स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री या मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए डिग्री के पूरा होने और प्रदान करने की अधिकतम अवधि उपर्युक्त 'i' और 'ii' के अनुसार संबंधित कार्यक्रमों की न्यूनतम अवधि से दोगुनी होगी।

(3) किसी भी कार्यक्रम की पेशकश करने से पहले, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान प्रत्येक कार्यक्रम के लिए **अनुलग्नक-V** के अनुसार एक कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, नामत:

(i) संस्थान के मिशन और लक्ष्यों, कार्यक्रम के उद्देश्यों, शिक्षार्थियों के संभावित लक्ष्य समूह की प्रकृति, और विशिष्ट दक्षता या कौशल अर्जन के लिए मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति की उपयुक्तता के लिए कार्यक्रम की प्रासंगिकता की जानकारी;

(ii) निर्देशात्मक परिकल्पना जिसमें कार्यक्रम (कार्यक्रमों) की अवधि, शिक्षकों और सहायक स्टाफ की आवश्यकताएं, अनुदेशात्मक प्रतिपादन तंत्र, मीडिया-प्रिंट, ऑडियो या वीडियो, ऑनलाइन, कंप्यूटर एडेड, और शिक्षार्थी सहायता सेवा प्रणालियों की पहचान शामिल होगी;

(iii) प्रवेश, पाठ्यक्रम संव्यवहार और मूल्यांकन की प्रक्रिया;

(iv) कार्यक्रम/कार्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रयोगशाला सहायता का विवरण, यदि कोई हो;

(v) पुस्तकालय संसाधन;

(vi) कार्यक्रम विकास, प्रतिपादन और रखरखाव के लिए नियत राशि को बताते हुए कार्यक्रम की लागत का प्राक्कलन और उसका प्रावधान;

(vii) गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया और अपेक्षित कार्यक्रम परिणाम;

(viii) कार्यक्रम/कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम और विस्तृत पाठ्यक्रम; और

(ix) कार्यक्रम/कार्यक्रमों की परिकल्पना, विकास और ऐसे अन्य मामलों को आरंभ करने के दिशानिर्देश जैसा कि आयोग और अन्य विनियामक निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो जिसका पालन उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया जाएगा।

(4) मुक्त विश्वविद्यालय के अलावा उच्चतर शैक्षणिक संस्थान मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्राप्ति पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कुल क्रेडिट के साथ कार्यक्रमों की पेशकश करेगा और इन कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम अवधि पारंपरिक पद्धति के अनुरूप कार्यक्रमों के समान रखी जाएगी।

(5) मुक्त विश्वविद्यालय कुल क्रेडिट के साथ मुक्त और दूरस्थ पद्धति में कार्यक्रमों की पेशकश करेगा और कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम अवधि केंद्रीय और/या राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा परंपरागत पद्धति के अनुरूप कार्यक्रमों के समान रखी जाएगी और ऑनलाइन पद्धति के कार्यक्रम पेश करने हेतु कुल क्रेडिट और कार्यक्रम के लिए न्यूनतम अवधि मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के अनुरूप कार्यक्रम के समान होगी।

(6) कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट को उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जो इसके उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रक्रिया स्थापित करेगा।

(ख) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के लिए प्रावधान- मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के कार्यक्रम पेश करने वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन और बहु-विकल्प की गति को सुगम बनाने के लिए **अनुलग्नक-VI और VII के** अनुसार स्वतः ज्ञान अर्जन की सामग्री तैयार करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, नामत:

(i) स्वतः ज्ञान अर्जन की सामग्री में उद्देश्यों, निर्धारित ज्ञान अर्जन के परिणाम, शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन मार्गदर्शन एवं परामर्श को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ज्ञान अर्जन के अनुभव को बढ़ाने के लिए सामग्री और सुझाई गई संबन्धित संदर्भ सामग्री का इष्टतम उपयोग कैसे करें, और अन्य मीडिया (डिजिटल एसएलएम के लिए) के साथ पाठ के लिंक को आसान संदर्भ और प्रगति के लिए बनाए रखा गया है;

(ii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के आंतरिक संकाय द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत स्वतः ज्ञान अर्जन की सामग्री तैयार की जाएगी और सामग्री का शेष प्रतिशत उपलब्ध अन्य संसाधनों जैसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों, मुक्त शैक्षणिक संसाधनों, और स्वयं (SWAYAM) से प्राप्त किया जा सकता है, जो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के कानूनी प्राधिकारियों द्वारा विधिवत अनुमोदित हो ।

(iii) इसके द्वारा तैयार और पेश की गई स्वतः ज्ञान अर्जन की सामग्री स्वतः स्पष्ट, स्वतः पूर्ण, उदाहरणात्मक, आसानी से समझने योग्य और इकाइयों और ब्लॉकों जैसे प्रबंधनीय मॉड्यूलों में है;

(iv) स्वतः ज्ञान अर्जन की सामग्री शिक्षार्थियों को पर्याप्त तंत्र प्रदान करता है जिससे वे विषय की उनकी समझ पर फीडबैक प्रदान कर सकें;

(v) स्वतः ज्ञान अर्जन की सामग्री को गुणवत्ता में सुधार लाने और शिक्षार्थी की सहायता के दृष्टिकोण से समय-समय पर संशोधित किया जाता है;

परंतु उच्चतर शैक्षणिक संस्थान कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन के पश्चात ही शिक्षण सामग्री तैयार करेगा ;

परंतु और यह कि मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति का कोई भी कार्यक्रम उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा तब तक आरंभ नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए स्वतः ज्ञान अर्जन की सामग्री को तैयार नहीं किया हो।

(ग) **ऑनलाइन पद्धति के लिए प्रावधान- (1)** ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रम की पेशकश करने वाला उच्चतर शैक्षणिक संस्थान **अनुलग्नक-VI और VII** के अनुसार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए ई-ज्ञान अर्जन की सामग्री तैयार करेगा, नामत:

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम हेतु क्रेडिट ढाँचा) विनियम, 2016 के अनुसार ऑनलाइन ज्ञान अर्जन में चार चतुर्थांश दृष्टिकोण होंगे;

(ii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के आंतरिक संकाय द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत स्वतः ज्ञान अर्जन की सामग्री तैयार की जाएगी और सामग्री का शेष प्रतिशत उपलब्ध अन्य संसाधनों जैसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों, मुक्त शैक्षणिक संसाधनों, और स्वयं (SWAYAM) से से प्राप्त किया जा सकता है जो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के कानूनी प्राधिकारियों द्वारा विधिवत अनुमोदित हो;

(iii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान किसी कार्यक्रम के पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन कार्यक्रमों में बदलने के लिए आंतरिक या विधिवत आउटसोर्स निर्माण सुविधाओं सहित निर्माण की प्रौद्योगिकी के साथ ऑनलाइन कार्यक्रमों को तैयार करने और निर्माण करने की क्षमता का प्रदर्शन कर चुका होगा, जिसे नीचे परिभाषित किया गया है:-

(क) ग्राफिक्स या एनीमेशन निर्माण के लिए रिकॉर्डिंग या डबिंग या संपादन सुविधाओं के साथ वीडियो ज्ञान अर्जन;

(ख) शिक्षार्थियों के पढ़ने और समझ में सुधार के लिए ई-सामग्री;

(ग) परीक्षण और असाइनमेंट जो समझ का परीक्षण करते हैं;

(घ) चर्चा मंच जो शिक्षार्थियों के शक को स्पष्ट करता है;

(iv) ऑनलाइन कार्यक्रम प्रतिपादन का स्वयं (SWAYAM) पोर्टल या तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित किसी अन्य ज्ञान अर्जन के मंच के माध्यम से व्यापक रूप से **अनुलग्नक-IX** में उल्लिखित विशेषताओं का अनुपालन करते हुए होगी।

(v) ऑनलाइन पद्धति के अधीन पेशकश किया गया कार्यक्रम इस शर्त के अनुरूप होगा कि कार्यक्रम प्रतिपादन के अलावा, अन्य घटकों जैसे परामर्श प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन प्रसंस्करण और शुल्क भुगतान को भी ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

(2) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री और/या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकता को अपनाते हुए पाठ्यक्रम के पहलुओं, मूल्यांकन मानदंड आदि को विकसित कर सकता है, नामत: -

(i) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम की सामग्री स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाएगी, प्रत्येक में मॉड्यूलर ई-सामग्री, संरचित प्रारूप में ऑनलाइन प्रतिपादन, स्पष्ट रूप से ज्ञान अर्जन के परिणाम होंगें जिनके मॉड्यूल के अंत में शिक्षार्थियों को प्राप्त होने की आशा है;

(ii) कार्यक्रम (एक कार्यक्रम में पाठ्यक्रम सहित) संरचना ऑनलाइन शिक्षक या अनुदेशक को ज्ञान अर्जन के अवसरों को बढ़ाने के लिए बहु-मीडिया समृद्ध और परस्पर-संवाद सामग्री, कार्यकलापों और आकलन को जोड़ने की अनुमति प्रदान करेगी और इसका संचालन करना सरल होगा;

(iii) मूल्यांकन प्रक्रिया की उपलब्धता - ऑनलाइन कार्यक्रम के प्रत्येक पाठ्यक्रम में सतत रचनात्मक (formative) और योगात्मक (summative) आकलन दोनों के लिए प्रत्येक स्तर पर पहचान किए गए ज्ञान अर्जन के परिणामों के लिए एक सटीक मूल्यांकन प्रणाली होगी;

(iv) तकनीकी इंटरफ़ेस और अंतर परिवर्तनीयता - ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम होगा, इसमें उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस होगा और विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए अंतर परिवर्तनीयता हेतु सुलभता मानकों को पूरा करेगा।

(3) ऑनलाइन प्रौद्योगिकीय कार्यक्रमों के लिए नामांकन हेतु शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं-ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए नामांकित होने वाले छात्रों को आवश्यक जानकारी या साक्षरता कौशल से अवगत कराया जाएगा जिसके लिए सेमेस्टर/ अध्ययन पाठ्यक्रम के दौरान तकनीकी सहायता के लिए एक हेल्प-लाइन होगी।

(4) शिक्षार्थियों के प्रमाणीकरण की आवश्यकताएं-

(i) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान उपयुक्त शिक्षार्थी प्रमाणीकरण संव्यवहार का प्रयोग करेंगे ताकि शैक्षणिक शुचिता सुनिश्चित की जा सके और सभी भारतीय शिक्षार्थियों को नामांकन के समय, तुल्यकालिक/ अतुल्यकालिक (synchronous/asynchronous) भागीदारी और परीक्षाओं के सभी मूल्यांकन के लिए उन्हें आधार नंबर या अन्य शासकीय मान्यताप्राप्त पहचान, जैसा लागू हो, उपलब्ध करना और प्रमाणीकरण के लिए अपनी जानकारी को सत्यापित करना आवश्यक होगा, जिसके लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उन्हें आवश्यक अवसंरचना या सहायता प्रदान की जाएगी।

(ii) सभी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थी केवल पासपोर्ट के माध्यम से अपने प्रत्यय पत्र (Credentials) प्रमाणित करेंगे। ये शिक्षार्थी अपने देश के निवास स्थान से ऑनलाइन कार्यक्रमों का अनुसरण करेंगे ।

(5) ऑनलाइन या आभासी (वर्चुअल) कक्षा में शिक्षार्थियों की सक्रिय व्यस्तता की निगरानी अतुल्यकालिक या तुल्यकालिक चर्चा में भागीदारी, असाइनमेंट क्रियाकलाप और कार्यक्रम में भागीदारी के माध्यम से निगरानी की जाएगी और ज्ञान अर्जन प्रबंधन प्रणाली के विश्लेषण का उपयोग हर पखवाड़े कम से कम दो घंटे ज्ञान अर्जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

(6) तकनीकी अनुभव या कौशल आवश्यकताएं- उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ऑनलाइन कार्यक्रम समन्वयक, पाठ्यक्रम सह-समन्वयक, पाठ्यक्रम परामर्शदाता और अन्य कर्मचारीगण के तकनीकी अनुभव और कौशल आवश्यकताओं के लिए मानदंड या दिशा-निर्देश परिभाषित करेंगे और पता लगाएंगे कि सभी संसाधन शिक्षार्थी ज्ञान अर्जन के दृष्टिकोण से ऑनलाइन शिक्षा को प्रभावी ढंग से प्रदान करने में सक्षम हैं और अंततः ऑनलाइन कार्यक्रमों के विकास और प्रतिपादन को बढ़ाने के लिए नई प्रणालियों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी साधनों को अपनाकर कौशल का निरंतर उन्नयन करना अनिवार्य होगा ।

(7) शिक्षार्थियों की सहायता सेवाएं और ई-ज्ञान अर्जन सामग्री-उच्चतर शैक्षणिक संस्थान सलाह, परामर्श और मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करेंगे ताकि शिक्षार्थियों के लिए सर्वोत्तम संभव ज्ञान अर्जन का अनुभव सुनिश्चित किया जा सके और शैक्षणिक शुचिता और पाठ कार्यकलापों, समूह चर्चा, चैट और साहित्यिक चोरी के बारे में इन्टरनेट प्रयोग के सभ्य आचरण (इंटरनेट शिष्टाचार) की अपेक्षाओं पर स्पष्ट दिशा-निर्देश होंगे।

(8) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान शैक्षणिक सत्र आरंभ होने के तुरंत पश्चात नामांकित सभी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थियों का विवरण विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रदान करेगा।

भाग-IV

प्रवेश, परीक्षाएं और शिक्षार्थी सहायता

14. प्रवेश एवं शुल्कः (1) विनियम 5 के उप-विनियम (3) के खंड (i) के अधीन मान्यता दिए जाने पर, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान आयोग के आदेश में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक सत्र से ही इसके मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों के लिए शिक्षार्थियों को प्रवेश देगा;

परंतु दोहरी पद्धति वाले विश्वविद्यालय द्वारा पेशकश किए जाने वाले विज्ञान विषय के अधीन कार्यक्रम के लिए मुक्त और दूरस्थ शैक्षणिक प्राप्ति पद्धति के अधीन प्रवेश क्षमता पारंपरिक पद्धति में प्रवेश के लिए अनुमोदित की तीन गुना होगी और मुक्त विश्वविद्यालय के मामले में यह प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियों को प्रयोगशाला सुविधाएं प्रदान करने के लिए शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों (केवल मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन के लिए) की क्षमता के अनुरूप होगा;

परंतु आगे और मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रम की पेशकश के लिए मान्यता की स्वीकृति की प्रत्याशा में, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में शिक्षार्थियों का नामांकन, किसी भी कारण से, नामांकन को अमान्य बना देगा;

परंतु यह भी कि यदि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान इन विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो आयोग द्वारा विनियम 7 के उप-विनियम (3) के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(2) जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को उच्चतर शिक्षा के अवसर प्रदान करने और सामान्य रूप से समुदाय की शैक्षणिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए, उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शुल्क अवसंरचना को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि यह समाज के वंचित वर्गों के विद्यार्थियों सहित सभी हितधारकों के लिए सस्ती हो और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान निम्नलिखित का पालन करेंगे: -

(i) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में किसी भी कार्यक्रम के संबंध में प्रवेश के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान प्रवेश शुल्क और अन्य शुल्क एवं प्रभारों के लिए भुगतान स्वीकार करेगा-

(क) जैसा कि इसके द्वारा नियत किया जाए और इनके द्वारा प्रवेश के लिए विवरण-पुस्तिका और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की वेबसाइट पर घोषित किया जाए;

(ख) ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए संबंधित शिक्षार्थी को इस तरह के भुगतान के लिए जारी लिखित में एक उपयुक्त रसीद के साथ;

(ग) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के पक्ष में सीधे केवल ऑनलाइन अंतरण, बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश के माध्यम से;

(ii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह शिक्षार्थियों द्वारा भुगतान किए गए सभी प्रकार के भुगतान या शुल्क का विवरण उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करे।

(iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग श्रेणी वाले शिक्षार्थियों और समाज के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शुल्क माफी और/या छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार होंगी;

परंतु कोई भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान किसी भी तरीके, जो भी हो, से शिक्षा के व्यावसायीकरण में लिप्त नहीं होगा, और सभी योग्य शिक्षार्थियों के लिए निष्पक्षता बनाए रखेगा और प्रवेश देगा।

(iv) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के कार्यक्रम के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में शिक्षार्थियों का प्रवेश पारदर्शी तरीके से और सीधे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के मुख्यालय द्वारा किया जाएगा जो शिक्षार्थियों के प्रवेश या पंजीकरण से संबन्धित अंतिम अनुमोदन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होंगे;

परंतु शिक्षार्थी सहायता केंद्र मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन के किसी भी कार्यक्रम हेतु उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के लिए या उसकी ओर से किसी शिक्षार्थी को प्रवेश नहीं देगा।

(v) प्रत्येक उच्चतर शैक्षणिक संस्थान –

(क) भारतीय शिक्षार्थी के लिए आधार या अन्य सरकारी पहचान और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थी के लिए पासपोर्ट के विवरण को अभिलेखित करेंगे;

(ख) अभ्यर्थियों के चयन की पूरी प्रक्रिया के अभिलेखों को बनाए रखेगा और पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए ऐसे को अभिलेखों को संरक्षित करेगा;

(ग) अपनी वेबसाइट पर ऐसे अभिलेखों को प्रदर्शित करेगा जैसा अनुमत्य हो; और

(घ) ऐसे अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा, जब भी किसी कानून के अधीन सरकार के किसी भी कानूनी प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने को कहा जाए।

(vi) प्रत्येक उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में इनके किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश आरंभ होने की तारीख से पूर्व, एक विवरण-पुस्तिका (मुद्रित और ई-फॉर्म में) प्रकाशित करेगा, जो ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश चाहने वालों व्यक्तियों और आम जनता को सूचित करने के प्रयोजन से निम्नलिखित को सम्मिलित करेगा, अर्थात्:-

(क) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रम को जारी रखने के लिय प्रवेश ले चुके शिक्षार्थियों द्वारा देय शुल्क, जमा और अन्य प्रभारों के प्रत्येक घटक और ऐसे भुगतान की अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाए शिक्षार्थी के लिए वापसी योग्य ट्यूशन शुल्क और अन्य शुल्कों का प्रतिशत, यदि ऐसा शिक्षार्थी अध्ययन के कार्यक्रम के पूरा होने से पहले या समाप्त होने पर ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान से वापस लेते हैं, और तरीके, जिनमें शिक्षार्थी को ऐसा धन वापस किया जाएगा;

(ग) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अनुमोदित सीटों की संख्या, जो संसाधनों के अनुरूप होगी;

(घ) अध्ययन के किसी विशिष्ट कार्यक्रम में शिक्षार्थी की न्यूनतम आयु सहित पात्रता की शर्तें, जहां उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा ऐसा निर्दिष्ट किया गया है;

(ड.) आयोग या प्रासंगिक कानूनी प्राधिकरण या परिषदों या उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम (कार्यक्रमों) में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, जहां किसी भी कानूनी प्राधिकरण द्वारा इस तरह के अर्हता मानकों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है;

(च) ऐसे प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थियों के अध्ययन के प्रत्येक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऐसे अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए परीक्षण या परीक्षा के विवरण के संबंध में सभी प्रासंगिक सूचना सहित प्रवेश और चयन की प्रक्रिया, और प्रवेश परीक्षा के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क की राशि;

(छ) शिक्षण संकाय का विवरण, जिसमें इनके शिक्षण संकाय के प्रत्येक सदस्य की शैक्षणिक अर्हता और शिक्षण अनुभव शामिल है और उसमें यह भी दर्शाया जाएगा कि क्या ऐसा सदस्य नियमित या संविदात्मक या किसी अन्य आधार पर नियुक्त किया गया है;

(ज) शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए देय वेतन और अन्य परिलब्धियां;

(झ) प्रत्येक शिक्षार्थी सहायता केंद्र (ओडीएल कार्यक्रमों के लिए) और विशेष रूप से उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने पर शिक्षार्थियों को सुलभ सुविधाओं सहित, भौतिक और शैक्षणिक अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के संबंध में सूचना;

(ञ) अध्ययन के प्रत्येक कार्यक्रम के लिए उपयुक्त कानूनी निकाय या उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम की व्यापक रूपरेखा, जैसा भी मामला हो; और

(ट) शैक्षणिक सत्रों के दौरान उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा किए जाने वाले सभी शैक्षणिक कार्यकलापों सहित कार्यकलाप योजनाकार;

परंतु उच्चतर शैक्षणिक संस्थान अपनी वेबसाइट पर खंड (क) से (ट) में निर्दिष्ट सूचना को अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करेगा, और संभावित शिक्षार्थियों और आम जनता का ध्यान ऐसे प्रकाशन की ओर आकर्षित किया जाएगा और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश हेतु विवरण-पुस्तिका और प्रवेश प्रक्रिया को आयोग के आदेश में उल्लिखित समय अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाएगा.

(vii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान इनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों में किसी भी सीट या सीटों के लिए प्रवेश हेतु विचार के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कैपिटेशन फ़ीस या किसी दान या मूल्य की मांग नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा।

(viii) कोई भी व्यक्ति उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा पेशकश किए गए मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के कार्यक्रम में किसी भी सीट या सीटों के लिए प्रवेश पाने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कैपिटेशन फ़ीस या किसी दान या नकद, वस्तु या अन्यथा के रूप में प्रस्ताव या भुगतान नहीं करेगा।

(ix) कोई भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, जिसके पास ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने के प्रयोजन से किसी व्यक्ति द्वारा जमा की गई कोई डिग्री, डिप्लोमा या किसी अन्य अवार्ड के प्रमाणपत्र या कोई अन्य दस्तावेज हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम के संबंध में किसी भी शुल्क या फीस का भुगतान करने हेतु प्रेरित करने या बाध्य करने के लिए इस तरह की डिग्री, प्रमाणपत्र अवार्ड या अन्य दस्तावेज को वापस करने से

इंकार नहीं करेगा, जिसका ऐसे व्यक्ति का ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में किसी भी सुविधा को जारी रखने या सुविधा का लाभ उठाने का इरादा नहीं है।

(x) यदि कोई शिक्षार्थी, मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में किसी भी कार्यक्रम को जारी रखने के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के पश्चात, ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को छोड़ देता है, तो उस मामले में कोई भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ऐसे शिक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क का इतना प्रतिशत और इतने समय में वापस करने से इंकार नहीं कर सकता है जैसा कि आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया हो और ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की विवरण-पुस्तिका में उल्लेखित किया गया हो।

(xi) कोई उच्चतर शैक्षणिक संस्थान जारी या प्रकाशित नहीं करेगा-

(क) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए उपयुक्त कानूनी प्राधिकरण या आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होने का दावा करने का कोई भी विज्ञापन, जहां यह मान्यता प्राप्त नहीं है;

(ख) किसी भी सूचना, विज्ञापन के माध्यम से या अन्यथा इसकी अवसंरचना या उसकी शैक्षणिक सुविधाओं या इनके संकाय या शिक्षा के मानक या शिक्षा या शोध प्रदर्शन के संबंध में, जो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान या उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की ओर से इस तरह के विज्ञापन जारी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति जानता है कि यह गलत है या तथ्यों पर आधारित नहीं है या भ्रामक है।

15. मूल्यांकनः

(क) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति के लिए सामान्य प्रावधान-

(1) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान प्रमाणितपरीक्षाओं के संचालन के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों को अपनाएगा।

(2) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और/या ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति और उनके प्रमाणन के माध्यम से नामांकित शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली होगी।

(3) मूल्यांकन में दो प्रकार के मूल्यांकन शामिल होंगे; (i) सतत या रचनात्मक (formative) मूल्यांकन; और (ii) अंतिम सेमेस्टर परीक्षा या टर्म समाप्ति परीक्षा के रूप में योगात्मक (summative) मूल्यांकन;

परंतु अंतिम सेमेस्टर परीक्षा या टर्म समाप्ति परीक्षा किसी विषय में तब तक आयोजित नहीं की जाएगी, जब तक:

(i) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान इस बात से संतुष्ट हैं कि सेमेस्टर या वर्ष के लिए निर्धारित अध्ययन के कार्यक्रम का कम से कम 75% वास्तव में संचालित हुआ है;

(ii) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के लिए: शिक्षार्थी के विशिष्ट व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (काउन्सलिंग को छोड़कर) और प्रत्येक कार्यक्रम के प्रयोगशाला घटक में न्यूनतम 75% उपस्थिति है; और शिक्षार्थी सहायता केंद्र /क्षेत्रीय केंद्र/उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा विस्तृत उपस्थिति रिकॉर्ड का रखरखाव किया गया है।

(iii) ऑनलाइन पद्धति के लिए: अंतिम सेमेस्टर परीक्षा या टर्म समाप्ति परीक्षा से पहले ऑनलाइन कार्यक्रम के सभी कार्यकलापों में शिक्षार्थी की न्यूनतम भागीदारी 75%है ।

परंतु आगे यह कि मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर और/या स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों में डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी पहलूओं, मूल्यांकन मानदंड और क्रेडिट रूपरेखा को वही मानक अपनाकर तैयार किया जाएगा जैसा कि दोहरी पद्धति वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में पारंपरिक पद्धति का पालन करके और मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति में पालन किए जा रहे हैं।

परंतु आगे यह कि मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति मूल्यांकन के विभिन्न घटकों का भारित महत्व निम्नानुसार होगा:

(i) सतत या रचनात्मक मूल्यांकन (सेमेस्टर में): अधिकतम 30%

(ii) योगात्मक मूल्यांकन (अंतिम सेमेस्टर परीक्षा या टर्म समाप्ति परीक्षा): न्यूनतम 70%

उच्चतर शैक्षणिक संस्थान रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रयोग होने वाले सभी मूल्यांकन साधनों को अधिसूचित करेगा।

(4) सतत मूल्यांकन और अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं या टर्म समाप्ति परीक्षाओं में प्राप्त अंकों या ग्रेड को ग्रेड कार्ड में अलग से दर्शाया जाएगा।

(5) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रम की पेशकश करने वाला उच्चतर शैक्षणिक संस्थान प्रश्न पत्र, प्रश्न बैंक, असाइनमेंट तैयार करने तथा उनके मोडरेशन, परीक्षा के संचालन, योग्य शिक्षकों द्वारा उत्तर आलेखों के मूल्यांकन और परिणाम की घोषणा में कठोर प्रक्रिया अपनाएगा और इसलिए प्रश्नपत्रों को इस तरह बनाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाठ्यक्रम के किसी भी भाग को शिक्षार्थी द्वारा अध्ययन से छोड़ा नहीं गया है।

(6) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रम की परीक्षा का प्रबंध उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की परीक्षा या मूल्यांकन इकाई द्वारा किया जाएगा और इन विनियमों में दिये अनुसार परीक्षा केंद्र में आयोजन किया जाएगा।

(7) 'परीक्षा केंद्र' की स्थापना उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के कानूनीप्राधिकरण के यथोचित अनुमोदन से **अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II के** अनुसार की जाएगी, जो निम्नलिखित के अधीन होगी : -

(i) परीक्षा केंद्र में पूरी परीक्षा प्रक्रिया और बायोमेट्रिक प्रणाली की रिकॉर्डिंग के लिए क्लोज्ड-सर्किट टेलीविज़न (सीसीटीवी) की उचित निगरानी प्रणाली होगी और क्लोज्ड-सर्किट टेलीविज़न की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने पर, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि उचित वीडियोग्राफी कराई जाए और परीक्षा केंद्र के विशिष्ट प्रभारी द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग संबन्धित उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को प्रस्तुत की जाए।

(ii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ऐसे सभी क्लोज्ड-सर्किट टेलीविज़न रिकॉर्डिंग को न्यूनतम पांच वर्षों के लिए अभिलेखागार में रखेगा।

(iii) प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा नियुक्त एक पर्यवेक्षक होगा और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को रखना अनिवार्य होगा ।

(ख) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के लिए प्रावधान- (1) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के माध्यम से पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए सभी अंतिम सेमेस्टर परीक्षाएं या टर्म समाप्ति परीक्षाएं क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर प्रमाणितपरीक्षा (पेन-पेपर या ऑनलाइन या कंप्यूटर आधारित परीक्षण) के माध्यम से परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएंगी जैसा कि इन विनियमों में उल्लेख किया गया है। परीक्षाएं मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति संस्थान के प्रत्यक्ष नियंत्रण और उत्तरदायित्व के अधीन होगी।

(2) केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राज्य सरकार के स्कूल आदि जैसे सभी सरकारी संस्थानों को भी देश में विश्वविद्यालय प्रणाली के अधीन अनुमोदित संबद्ध महाविद्यालयों सहित मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के अधीन शिक्षा की पेशकश कर रहे उच्चतर शिक्षा संस्थान की प्रत्यक्ष देखरेख में परीक्षा केन्द्र/केन्द्रों के रूप में भी चिन्हित किए जा सकते हैं और निजी संगठनों या अनुमोदित उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को परीक्षा केन्द्रों का आवंटन नहीं किया जाएगा।

(3) शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों, जैसा कि विनियमों में और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में परिभाषित किया गया है, का उपयोग परीक्षा केंद्रों के रूप में भी किया जा सकता है, परंतु वे इन विनियमों में परिभाषित परीक्षा केंद्र के मानदंडों को पूरा करते हों।

(4) भारतीय शिक्षार्थियों के आधार विवरण या अन्य सरकारी पहचान के अनुसार परीक्षार्थियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से प्रमाणित की जाएगी।

(ग) ऑनलाइन ज्ञान अर्जन पद्धति के लिए प्रावधान- (1) ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से कार्यक्रम की पेशकश कर रहे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए सभी सुरक्षा व्यवस्था

के साथ प्रौद्यौगिकी-सक्षम ऑनलाइन परीक्षण का उपयोग करके या प्रमाणितपरीक्षा के माध्यम से इस तरह की परीक्षाएं आयोजित करेगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुरूप हो;

(2) चूंकि क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र के प्रतिबंध ऑनलाइन शिक्षा के लिए लागू नहीं है, ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षार्थियों के नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त हैं, ऐसे शिक्षार्थियों के लिए प्रमाणितपरीक्षाओं का आयोजन करने का प्रयास करेंगे।

(3) परीक्षार्थियों की उपस्थिति को आधार विवरण या भारतीय शिक्षार्थियों के अन्य सरकारी पहचान और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थियों के पासपोर्ट के अनुसार बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

16. **प्रमाणनः** (1) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन और ऑनलाइन पद्धति दोनों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर और स्नातकोत्तर डिप्लोमा में डिग्री अवार्ड को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी और कार्यक्रम के नाम के साथ शिक्षार्थी के अन्य प्रासंगिक विवरणों सहित फोटो और आधार नंबर या अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान या पासपोर्ट नंबर होगा, जैसा लागू हो। प्रत्येक अवार्ड को आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) में भी अपलोड किया जाएगा।

(2) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा शिक्षार्थियों को जारी की गई सभी डिग्रियों/प्रमाणपत्रों और अंकतालिकाओं के पीछे निम्नलिखित का उल्लेख करें (प्रत्येक सेमेस्टर प्रमाणपत्र के लिए और कार्यक्रम के समापन पर):

(क) प्रतिपादन पद्धति (mode of delivery)

(ख) प्रवेश की तिथि

(ग) समापन की तिथि

(घ) सभी शिक्षार्थी सहायता केंद्रों के नाम एवं पते (केवल मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन के लिए)

(ड.) सभी परीक्षा केंद्रों के नाम एवं पते

17. **मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन के लिए शिक्षार्थी सहायता केंद्रः** (1) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति में कार्यक्रम की पेशकश करने वाला उच्चतर शैक्षणिक संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षार्थी सहायता केंद्र केवल किसी महाविद्यालय, या किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान में **अनुलग्नक-VIII** के अनुसार स्थापित है या कार्यक्रम की पेशकश करने वाले आवश्यक अवसंरचना और मानव संसाधन वाले समान व्यापक क्षेत्रों में कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले सरकारी मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में स्थापित किया गया है ;

परंतु इन विनियमों के अधीन परिभाषित कोई शिक्षार्थी सहायता केंद्र मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति में कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए एक समय में दो से अधिक उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों का शिक्षार्थी सहायता केंद्र नहीं होगा या जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो।

परंतु आगे यह कि किसी राज्य विश्वविद्यालय का शिक्षार्थी सहायता केंद्र उसी राज्य में हो, जिसमें राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

परंतु आगे यह कि कोई उच्चतर शिक्षा संस्थान विकलांग लोगों के साथ (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और जेल के कैदियों सहित कठिन परिस्थितियों वाले अन्य व्यक्तियों को अनुदेश देने के लिए विशेष शिक्षार्थी सहायता केंद्र स्थापित कर सकता है ;

परंतु आगे यह कि किसी भी मामले में फ्रैंचाइजी समझौते के अधीन शिक्षार्थी सहायता केंद्र स्थापित नहीं किया जाएगा ।

(2) शिक्षार्थी सहायता केंद्र अपने शिक्षार्थियों को शैक्षणिक के साथ-साथ प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रबंधित संपर्क स्थल या केंद्र होगा और **अनुलग्नक-VIII** में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा।

(3) शिक्षार्थी सहायता केंद्र की अध्यक्षता एक समन्वयक द्वारा की जाएगी जो एक नियमित शिक्षक होंगे और संबन्धित महाविद्यालय या उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के अर्हता प्राप्त सहायक आचार्य से निम्न रैंक के नहीं हो और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सलाहकारों द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी।

(4) शिक्षार्थी सहायता केंद्र के सुचारू संचालन के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में एक मानक संचालन प्रक्रिया होगी, जिसमें शिक्षार्थी सहायता केंद्र के कार्य और इसके विभिन्न पदाधिकारी, केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की निगरानी प्रणाली में शामिल होंगे, और शिक्षार्थी सहायता केंद्र के लिए काउंसलिंग सत्रों के संचालन, असाइनमेंट के मूल्यांकन और शिकायत निवारण से संबंधित शिक्षार्थी डेटा को बनाए रखना अनिवार्य होगा।

18. शिक्षार्थी सहायता सेवाएः (1) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में शिक्षार्थी सहायता सेवाओं के लिए दिशानिर्देश होंगे जो सभी समन्वयकों/कॉउन्सलर्स/मेंटर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है और शिक्षार्थियों के लिए सुलभ है।

(2) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षार्थी सहायता सेवाओं में बड़े पैमाने पर निम्नलिखित सेवाएं शामिल होंगी, अर्थात्: -

(i) किसी विशिष्ट कार्यक्रम में शामिल होने पर विचारपूर्ण निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए भावी शिक्षार्थियों के लिए प्रवेश-पूर्व परामर्श ;

(ii) प्रवेश से संबंधित मामलों में सहयोग;

(iii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट पर अध्ययन सामग्री और सूचना का विवरण भी उपलब्ध होगा ;

(iv) **अनुलग्नक- VI और अनुलग्नक- VII** में परिभाषित किए अनुसार मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों के लिए प्रवेश तिथि से एक पखवाड़े के भीतर शिक्षार्थियों को स्वतः-ज्ञान अर्जन की सामग्री का प्रतिपादन सुनिश्चित करने की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ऑन-लाइन पद्धति, कॉम्पैक्ट डिस्क आदि के माध्यम से अतिरिक्त ज्ञान अर्जन के संसाधन प्रदान कर सकता है।

(v) शिक्षार्थी से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए एकल खिड़की सेवाएं प्रदान करने के लिए शिक्षार्थी सूचना डेटा बेस के अनुभवी पूर्णकालिक समर्पित सहायता डेस्क।

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपनाया और संचालित किया जाएगा, और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान अनुलग्नक-x में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायत निवारण की एक प्रणाली आरंभ करेगा।

(4) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान शिक्षार्थियों को ऑनलाइन मार्गदर्शन और परामर्श सुविधाएं प्रदान करेगा ।

(5) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान शिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन चर्चा मंच (Disscussion Forum) बनाएगा।

भाग-V

आकलन, प्रत्यायन, लेखापरीक्षा, निरीक्षण एवं निगरानी

19. आकलन, प्रत्यायन और लेखापरीक्षाः (1) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रमों की पेशकश करने वाला उच्चतर शैक्षणिक संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों का अनिवार्य मूल्यांकन और प्रत्यायन) विनियम, 2012 का अनुपालन करेगा और किसी भी मामले में मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में पेशकश किए गए कार्यक्रमों के आकलन एवं प्रत्यायन हेतु उन विनियमों के अधीन आकलन और प्रत्यायन के लिए अनुपालन करेगा;

परंतु मुक्त विश्वविद्यालयों को इन विनियमों के भाग-II के विनियम 3 के अधीन निर्धारित किए अनुसार मान्यता प्राप्त होगी।

(2) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रम प्रदान करने के लिए इन विनियमों के अधीन मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में वर्ष में एक बार अपने सभी कार्यक्रमों को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र के माध्यम से आकलन कराएगा और गुणवत्ता आश्वासन संबंधी रिपोर्ट, शैक्षणिक वर्ष के अंत से पहले, इसकी वेबसाइट पर प्रमुखता से रखी जाएगी और आयोग को एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

(3) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रम प्रदान करने के लिए इनविनियमों के अधीन मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में तीसरे पक्ष की शैक्षणिक लेखापरीक्षा और प्रत्येक वर्ष आंतरिक शैक्षणिक लेखापरीक्षा कराएगा जैसा कि **अनुलग्नक- I** में परिभाषित किया गया है।

20. निरीक्षण और निगरानी की शक्तियाँ: (1) आयोग समय-समय पर उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा और इस प्रयोजन के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को ऐसी सूचना प्रदान करने का निर्देश दे सकता है, जिसकी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा विनियमों के पालन को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से आवश्यकता हो सकती है, और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ऐसी समयावधि में इस तरह की जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य होगा जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए।

(2) जहां आयोग, या तो स्वप्रेरणा या इसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए यह आवश्यक समझता है, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए निरीक्षण के माध्यम या अन्यथा विशेषज्ञों के ऐसे निकाय जैसा यह उचित समझे, से जांच करा सकता है कि इन विनियमों के अधीन मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रम की पेशकश करने वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है और अनुपालन नहीं करने वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के विरूद्ध उचित कार्रवाई अमल में लायी जाये ताकि अनुपालन हो सके।

भाग-VI

विविध

21. प्राधिकरण: (1) आयोग इन विनियमों को लागू करने हेतु विभिन्न कार्यों को करने के लिए आयोग के अधिकारियों को अधिकृत कर सकता है।

(2) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, आयोग अपनी शक्ति आयोग के अध्यक्ष को सौंप सकता है, जैसा कि यह लिखित में विनिर्दिष्ट करें।

(3) विनियम 7 के प्रयोजन के लिए, आयोग, आयोग के अधिकारियों सहित ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई करने और अपील का निर्णय करने के लिए अपनी शक्ति को सौंप सकता है, जैसा कि यह लिखित में विनिर्दिष्ट करें।

22. पारंपरिक या मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन और ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से अर्जित अर्हता की समतुल्यता: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की डिग्री के विनिर्देश, 2014 संबंधी अधिसूचना और समय-समय पर इसके संशोधनों के अनुरूप स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री और इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से प्रदान किए गए स्नातकोत्तर डिप्लोमा को पारंपरिक पद्धति के माध्यम से प्रदान किए गए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री के संगत अवार्ड के समतुल्य माना जाएगा।

23. शिक्षार्थी केंद्रित प्रावधान: (1) **शिक्षार्थियों की परिवर्तनीयता**- इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के अधीन नामांकित शिक्षार्थी इसके अधिनियम के अधीन नियत प्रावधानों के अनुसार उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के कानूनी प्राधिकारियों के अनुमोदन से उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के भीतर ज्ञान अर्जन की एक पद्धति से ज्ञान अर्जन की दूसरी पद्धति के लिए परिवर्तनीयता के लिए पात्र है;

परंतु यदि कोई कार्यक्रम विनियामक प्राधिकरण/कानूनी परिषद के कार्यक्षेत्र के अधीन है, तो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ऐसे कार्यक्रमों के अधीन शिक्षार्थियों की परिवर्तनीयता के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण/कानूनी परिषद से अनुमति लेगा।

(2) **मान्यता अवधि के दौरान लिया गया प्रवेश-**

मान्यता अवधि के दौरान मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के अधीन मान्यता प्राप्त कार्यक्रम में लिया प्रवेश कार्यक्रम के समापन तक मान्य रहेगा, भले ही उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को अगले वर्षों के लिए मान्यता नहीं है, परंतु कार्यक्रम की पेशकश क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानदंडों और मौजूदा दिशानिर्देशों और/या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों और संबंधित नियामक निकायों के विनियमों के अनुरूप की गई हो।

(3) **शिक्षार्थी का नामांकन (मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के लिए)-**

देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई शिक्षार्थी मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के अधीन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा पेशकश किए जा रहे किसी भी कार्यक्रम में नामांकन करा सकता है, परंतु उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र के भीतर शिक्षार्थी के लिए सभी कार्यकलापों जैसे प्रवेश, संपर्क कार्यक्रमों, परीक्षाओं आदि का सख्ती से संचालन करेगा, जैसा कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(4) **शिक्षार्थी का नामांकन (ऑनलाइन पद्धति के लिए)-**

भारत के भीतर या बाहर रहने वाल कोई शिक्षार्थी ऑनलाइन पद्धति के अधीन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित किसी भी कार्यक्रम में नामांकन ले सकता है।

24. **प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रमों की पेशकशः** मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर स्तर के डिप्लोमा में पेशकश कर रहे कार्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान प्रतिषिद्ध कार्यक्रमों के अतिरिक्त कार्यक्षेत्र में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रमों की इन विनियमों के भाग-I में विनियम 2 के खंड (xxv) के अनुसार पेशकश कर सकते हैं, इसकी शर्त हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों की वास्तविक शुरुआत से पहले, सभी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा कार्यक्रमों को उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों और विनियामक प्राधिकरण/परिषद, जैसा लागू हो, के कानूनी अधिकारियों द्वारा विधिवत अनुमोदित किए गए हैं और प्रतिपादन प्रणाली मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन न होने से उत्पन्न कानूनी मुद्दों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे।

परंतु आगे यह कि यदि संबंधित नियामक प्राधिकरण/परिषद ऊपर उल्लेख किए अनुसार मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में इसके अधिकार-क्षेत्र के अधीन किसी भी प्रतिषिद्ध कार्यक्रम की अनुमति देता है, तो इसके कानूनी प्राधिकारी और विनियामक प्राधिकरण या परिषद, जैसा लागू हो ,के अनुमोदन के पश्चात और शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन और ऑनलाइन पद्धति के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होने के पश्चात उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इसकी पेशकश की जा सकती है।

25. **मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से एकीकृत कार्यक्रमः** मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से एकीकृत कार्यक्रम की पेशकश के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त किसी भी प्रस्ताव पर आयोग द्वारा तभी विचार किया जाएगा, जब इसमें डिग्रियों के विनिर्देश, 2014 संबंधी यूजीसी अधिसूचना का अनुपालन किया गया है।

26. **उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा केवल संबद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से प्रस्तावित कार्यक्रमों पर विचार न करनाः** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान केवल मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के अधीन ऐसे कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे जो दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा के उनके घटक महाविद्यालयों/विभागों/केंद्र द्वारा पेश किए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों की मान्यता पर विचार नहीं किया जाएगा, जिनको केवल सम्बद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से पेशकश किया जा रहा है ।

27. **व्याख्याः** यदि इन विनियमों की व्याख्या से संबन्धित कोई प्रश्न उठता है, तो आयोग का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

अनुलग्नक- I

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (CIQA)

I. **आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र की स्थापना:**

मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रम की पेशकश करने वाले सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र स्थापित किया जाएगा । इसकी अध्यक्षता पूर्णकालिक निदेशक, एक वरिष्ठ शिक्षाविद करेंगे जो सह आचार्य से निम्न पद के नहीं हो, जो अधिमानतः मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के क्षेत्र से हों, जिनके सहयोग के लिए पर्याप्त संख्या में अकादमिक और अन्य कर्मचारी होंगे।

II. उद्देश्य:

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (CIQA) का उद्देश्य एक व्यापक और गतिशील आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली को विकसित करना और स्थापित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति में उच्चतर शिक्षा के कार्यक्रम स्वीकार्य गुणवत्ता के हैं और सतत आधार पर और सुधार हुआ है।

III. कार्यः

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र के कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ, में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) शिक्षार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गुणवत्ता बनाए रखना।

(ii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की सभी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सतत गुणवत्ता सुधार के लिए स्व-मूल्यांकन और चिंतनशील संव्यवहार करना ।

(iii) उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान में योगदान करना जिनमें उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को गुणवत्ता बनाए रखनी होगी।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली को तैयार करना कि मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों और ऑनलाइन कार्यक्रमों की गुणवत्ता पारंपरिक पद्धति के प्रासंगिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता के साथ मेल खाती हैं ।

(v) गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी हितधारकों अर्थात शिक्षार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, अभिभावकों, समाज, नियोक्ताओं और सरकार से फीडबैक प्राप्त करने के साथ पारस्परिक संवाद करने के लिए प्रणाली तैयार करना।

(vi) गुणात्मक सुधार के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के प्राधिकारियों को उपाय सुझाना।

(vii) आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना।

(viii) गुणवत्ता संबंधी विषयों पर कार्यशालाएं/सेमिनार/संगोष्ठियां आयोजित करना, ताकि सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के सभी हितधारकों के बीच इस तरह के कार्यकलापों की रिपोर्ट का प्रसार करना।

(ix) सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम संव्यवहारों को विकसित करना और संकलन करना ताकि शिक्षार्थियों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके और इसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के सभी संबंधितों को प्रसारित करना।

(x) कार्यक्रम (कार्यक्रमों) की गुणवत्ता के बारे में सटीक, पूर्ण और विश्वसनीय आँकड़े एकत्र करना, संकलित करना और उनका प्रसार करना ।

(xi) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों और दिशा-निर्देशों के अनुसार है और जहां कहीं भी उपयुक्त नियामक प्राधिकारी द्वारा कार्यक्रम पर नियंत्रण आवश्यक हो।

(xii) कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना।

(xiii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की वार्षिक योजनाएं और वार्षिक रिपोर्ट के रिकॉर्ड को बनाए रखने रखना, समय-समय पर उनकी समीक्षा करना और कार्रवाई योग्य रिपोर्ट तैयार करना।

(xiv) कार्यक्रम का पुनर्गठन करने के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को इनपुट प्रदान करना ताकि उन्हें रोजगार के बाजार हेतु प्रासंगिक बनाया जा सके।

(xv) शिक्षार्थी केंद्रित वातावरण बनाने और पूरी प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाने के तरीकों संबंधी शोध आधारित प्रणाली को सुविधाजनक बनाना।

(xvi) एनएएसी आदि जैसे प्रत्यायन के निर्दिष्ट निकाय से आकलन और प्रत्यायन कराने के लिए नोडल समन्वय इकाई के रूप में कार्य करना।

(xvii) आवधिक प्रत्यायन और लेखापरीक्षा के माध्यम से गुणवत्ता बढ़ाने के संव्यवहारों के समावेशन और संस्थानीकरण को सुनिश्चित करने के उपायों को अपनाना।

(xviii) विभिन्न गुणवत्ता संबंधी पहलों या दिशानिर्देशों के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान और आयोग के बीच समन्वय स्थापित करना ।

(xix) विभिन्न गुणवत्ता न्यूनतम मानदंडों या मापदंडों और सर्वोत्तम संव्यवहारों के बारे में अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थान से जानकारी प्राप्त करना।

(xx) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र की वार्षिक रिपोर्ट के रूप में गुणवत्ता आश्वासन पर किए गए कार्यकलापों को रिकॉर्ड करना।

(xxi) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र के लिए अनिवार्य होगा कि वह प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के अंत में अपने कार्यकलापों के बारे में उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के कानूनी प्राधिकरणों या निकायों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। आयोग द्वार विनिर्दिष्ट प्रारूप में रिपोर्ट की एक प्रति आयोग को प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाएगी' जो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के कानूनी अधिकारियों द्वारा विधिवत अनुमोदित हो,

IV. आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र की समिति:

(1) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र की समिति की संरचना निम्नलिखित होगी:

(क) विश्वविद्यालय के कुलपति-अध्यक्ष

(ख) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के तीन वरिष्ठ शिक्षक

(ग) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले विभाग/स्कूल के विभाग या अध्ययन विद्यालय के प्रमुख (3 सदस्य)

(घ) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन और/या ऑनलाइन शिक्षा के दो बाह्य विशेषज्ञ

(ङ) प्रशासन और वित्त विभागों के अधिकारी

(च) निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र - सदस्य सचिव

(2) (ख) से (च) के सदस्यों को उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।

(3) ऐसे नामित सदस्यों की सदस्यता दो वर्ष की अवधि के लिए होगी। आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र की समिति एक सेमेस्टर में कम से कम एक बार बैठक करेगी। बैठक के लिए कोरम एक बाहय विशेषज्ञ की अनिवार्य उपस्थिति के साथ सदस्यों की कुल संख्या का दो-तिहाई होगा। कार्य सूची, कार्यवृत्त और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को आधिकारिक हस्ताक्षरों के साथ प्रलेखित किया जाना है और पुनः प्रापणीय प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाना है।

(4) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र निम्नलिखित कार्य करेगा; हालांकि निम्नलिखित के लिए सीमित नहीं है:

(i) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र के कामकाज का पर्यवेक्षण करना और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता पर आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को अनुमोदन देना।

(ii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के कानूनीनिकायों द्वारा इसके विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए नियत किए गए मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन और/या ऑनलाइन ज्ञान अर्जन के दर्शन के अनुसार अनुदेशात्मक डिजाइन आवश्यकताओं के अभिग्रहण को सुविधाजनक बनाना।

(iii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की शिक्षार्थी सहायता सेवाओं के स्वचालन को प्रोत्साहन देना ।

(iv) बाह्य विषय विशेषज्ञों या एजेंसियों या संगठनों के साथ समन्वय करना, इन-हाउस प्रक्रियाओं के विधिमान्यकरण और वार्षिक समीक्षा से संबंधित कार्यकलाप।

(v) कार्यक्रम (कार्यक्रमों) की गुणवत्ता लेखापरीक्षा के लिए तीसरे पक्ष के लेखापरीक्षा निकायों के साथ समन्वय करना ।

(vi) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की ओर से आकलन और प्रत्यायन एजेंसियों को प्रस्तुत की जाने वाली स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट की तैयारी का पर्यवेक्षण करना ।

(vii) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन और शिक्षा एवं इसमें निहित शोध की ऑनलाइन पद्धतियों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सहयोग और संपर्क को प्रोत्साहन देना ।

(viii) शिक्षार्थियों को उनकी प्रतिभा को प्रकट करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योग-संस्थान लिंकेज की सुविधा प्रदान करना।

V. गुणवत्ता निगरानी तंत्रः

(1) संस्थागत गुणवत्ता की लेखापरीक्षा करने, गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने और गुणवत्ता आश्वासन की श्रेणी के सर्वोत्तम संव्यवहारों का प्रसार करने के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र द्वारा गुणवत्ता निगरानी प्रणाली संबंधी दिशानिर्देशों को अपनाया जाएगा ।

(2) निम्न व्यापक क्षेत्रों के अधीन गुणवत्ता निगरानी का समाधान किया जाएगा, नामत:

(i) **शासन, नेतृत्व और प्रबंधन-** इसका संबंध योजना, मानव संसाधन, भर्ती, प्रशिक्षण, निष्पादन मूल्यांकन, वित्तीय प्रबंधन और नेतृत्व की समग्र भूमिका के मामले में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की नीतियों और संव्यवहारों से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है:

(क) **संगठन संरचना और शासन-** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान आयोग द्वारा निर्धारित सभी स्वीकृत / आवश्यक पदों को भरेगा और एक विश्वसनीय शासन प्रणाली की स्थापना करेगा ।

(ख) **प्रबंधन-** संस्थान का नेतृत्व और प्रबंधन अपने विजन, मिशन और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठनात्मक संस्कृति का आकलन और समीक्षा करने का प्रयास करेगा ।

(ग) **कार्यनीति योजना-** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान अपने कार्यकलापों की कार्यनीति योजना बनाएगा और समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक पहलुओं के साथ संयोजन करके इसे लागू करेगा।

(घ) **संचालन की योजना, लक्ष्य और नीतियां-** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य होंगे जो यथार्थवादी और औसत दर्जे के हैं, स्पष्ट रूप से परिभाषित नीतियां जो इसकी कार्यनीति योजना के समकालीन है और यथार्थवादी तथा प्राप्त करने योग्य है, इसकी नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट रूप से व्यक्त दिशा निर्देश, और इसकी नीतियों और योजना के लिए पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली जो इसके हितधारकों को अच्छी तरह से बताई गई है।

(ii) **उच्चतर शैक्षिक संस्थान के उद्देश्यों का विवरण-** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन और ऑनलाइन पद्धति के कार्यक्रमों को पेशकश करने के लिए लक्ष्यों के अनुरूप एक स्पष्ट विजन, मिशन, लोकाचार और व्यापक रणनीति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करेगा।

(iii) **कार्यक्रम विकास और अनुमोदन प्रक्रियाएं-** यह क्षेत्र कार्यक्रम के विकास और आरंभ किए जाने वाले कार्यक्रम/कार्यक्रमों की अनुमोदन प्रणाली से संबन्धित है जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं:

(क) **पाठ्यक्रम योजना, परिकल्पना और विकास-** शैक्षणिक कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम नियोजन, परिकल्पना और विकास उच्चतर शैक्षणिक संस्थान का प्रमुख शैक्षणिक कार्यकलाप है। इसलिए, इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इसमें प्रक्रियाएं, प्रणालियां और संरचनाएं होंगी।

(ख) **पाठ्यक्रम कार्यान्वयन-** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में कार्यान्वयन चरण के विशिष्ट घटकों पर लगने वाले समय की पहचान करने के लिए विशिष्ट कार्यान्वयन योजनाएं होंगी। यह कार्यक्रम/कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और समग्र रूप से उनकी उपयोगिता का आधार है ।

(ग) **अकादमिक लचीलापन-** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान अकादमिक लचीलेपन को लागू करने के लिए उचित कार्यनीति अपनाएंगे, जो पाठ्यक्रम की समय- सीमा, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता और शिक्षार्थियों के लिए पाठयक्रम कार्यवाही द्वारा सुगम बनाए गए विषय से परे विकल्पों के उपयोग में स्वतंत्रता का उल्लेख करता है।

(घ) **ज्ञान अर्जन संसाधन-** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान इन विनियमों में परिभाषित किए अनुसार शिक्षा के ऑनलाइन पद्धति के लिए मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ई-शिक्षा सामग्री के लिए स्वः ज्ञान अर्जन सामग्री (एसएलएम) के रूप में गुणवत्तापूर्ण ज्ञान अर्जन संसाधन सुनिश्चित करेगा। अनुदेशात्मक पैकेजों पर निर्णय लेते समय, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान विभिन्न कारकों– उपयोग की गई मीडिया और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम सामग्री से मेल खाती है ताकि शिक्षा प्राप्ति को बढ़ावा और विस्तार दिया जा सके और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं से मेल खा सके; कि ये सुलभ, व्यावहारिक और न्यायसंगत हैं, और शिक्षार्थियों के लिए लागत प्रभावी हैं।

(ङ) **फीडबैक प्रणाली-** पाठ्यक्रम के संशोधन और पुनः परिकल्पना की प्रक्रिया समाज, अर्थव्यवस्था और वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी प्रासंगिकता और उपयुक्तता के संदर्भ में सभी हितधारकों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित होगी ।

(iv) **कार्यक्रम की निगरानी और समीक्षा-** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान समय-समय पर आंतरिक समीक्षा करने और अकादमिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कार्यक्रम की निगरानी और समीक्षा प्रणाली की योजना बनाएगा और इसका क्रियान्वयन करेगा । ऐसी समीक्षाओं के लिए, संस्थान ज्ञान अर्जन के परिणामों की प्राप्ति पर भी विचार करेगा जिनका आकलन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आकलन के विभिन्न साधनों के माध्यम से किया जाता है।

(v) **अवसंरचना संसाधन-** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान अकादमिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बनाए रखने और प्रत्येक हितधारक को गुणात्मक सहायता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं- भौतिक सुविधाओं, पुस्तकालय (अथवा ई-पुस्तकालय), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की अवसंरचना, इत्यादि के पर्याप्त और इष्टतम उपयोग के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली होगी।

(vi) **ज्ञान अर्जन वातावरण और शिक्षार्थी सहायता-** अकादमिक परामर्श और पुस्तकालय सेवाओं सहित शिक्षार्थी सहायता सेवाएं अपने मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति शिक्षार्थियों के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान का एक प्रमुख पूर्व- व्यवसाय होगा। इसके अतिरिक्त, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ज्ञान अर्जन के घटक के रूप में सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी (आईसीटी) सुविधाओं को स्थापित करेगा जो मिश्रित ज्ञान अर्जन को सहायता प्रदान करने के लिए आधुनिक शैक्षणिक संव्यवहारों के शिक्षा-विज्ञान संबंधी उपयोग के आसपास केंद्रित है। शिक्षार्थी सहायता सेवाओं को पूरे कैम्पस में पोर्टल और ई-ज्ञान अर्जन मंच के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ई-ज्ञान अर्जन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के उपयोग के लिए अधिक परिष्कृत दृष्टिकोण रखेगा। यह दृष्टिकोण एक सहज शिक्षार्थी केंद्रित वातावरण प्रदान करेगा ।

(vii) **आकलन और मूल्यांकन-** किसी कार्यक्रम के सभी कथित ज्ञान अर्जन के परिणाम अनिवार्य रूप से इसके मूल्यांकन प्रोटोकॉल का भाग होना चाहिए। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान पाठ्यक्रम तत्वों के प्रत्याशित विभिन्न ज्ञान अर्जन के परिणामों के उपयुक्त होने के लिए बहु-विकल्पीय प्रश्नों, परियोजनाओं, रिपोर्टस, केस स्टडीज, प्रस्तुतियों और टर्म-समाप्ति परीक्षाओं सहित विभिन्न आकलन साधनों के माध्यम से मूल्यांकन को निष्पादित करेगा । उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन के परिणामों का आकलन करने के लिए उचित मूल्यांकन और मॉडरेशन प्रणाली होगी।

(viii) **शिक्षण गुणवत्ता और कर्मचारी विकास-** उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता परामर्श, क्षमता निर्माण कार्यशालाओं, कार्यक्रमों, पारस्परिक संवाद शिक्षण-ज्ञान अर्जन को बढ़ावा देने और सतत आधार पर शिक्षण और ज्ञान अर्जन में सुधार के लिए अकादमिक स्टाफ को प्रोत्साहित करने हेतु कर्मचारी विकास कार्यक्रम और कार्यकलाप प्रदान करने के लिए एक सुस्थापित अवसंरचना होगी

(3) गुणवत्तापरक लेखापरीक्षा की प्रक्रियाः

(i) **अकादमिक नियोजन-** उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में सुदृढ़ और उपयुक्त अकादमिक योजना प्रक्रियाएँ होंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके द्वारा पेशकश किए जाने वाले कार्यक्रम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक हों, संस्थान की कार्यनीति की दिशा को दर्शाते हों और उच्चतर गुणवत्ता वाले 'मूल्यवर्धित' शिक्षार्थी अनुभव प्रदान करते हों। संस्थान के पास पर्याप्त और उपयुक्त शिक्षण और अन्य सहायक कर्मचारियों के साथ-साथ आधारभूत अवसंरचना और प्रौद्योगिकी का सहयोग होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाठ्यक्रम अद्यतन बना हुआ है और संस्थागत लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं।

(ii) **वैधता-** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में मान्यता के लिए एक प्रणाली होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके कार्यक्रम अकादमिक रूप से व्यवहार्य हैं, कि अकादमिक मानकों को उचित रूप से परिभाषित किया गया है और ये शिक्षार्थियों को ज्ञान अर्जन का सबसे अच्छा अवसर प्रदान करते हैं।

(iii) **निगरानी, मूल्यांकन और संवर्धन योजनाएं-** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों और ऑनलाइन कार्यक्रमों को गुणवत्तापूर्ण प्रदान करना और परिणामों की प्राप्ति और सतत गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित किया जाएगा, जो मुख्यतः निम्नानुसार होंगे नामत:

क. **शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों (मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों के लिए) से रिपोर्ट-** शैक्षणिक कार्यकलापों और अन्य संबंधित कार्यकलापों की रिपोर्ट जिसमें अकादमिक योजना, परामर्श, शिक्षार्थी सहायता आदि से संबंधित सभी कार्यकलाप निहित हैं, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान से समय- समय पर एकत्र की जाएगी। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान इन रिपोर्टों की आसानी से प्राप्ति के लिए तकनीकी समाधानों को अपनाएगा।

ख. **परीक्षा केन्द्रों से रिपोर्ट-** मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति दोनों में सभी परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षकों/ प्रॉक्टरों की रिपोर्ट के साथ-साथ परीक्षाओं के संचालन की रिपोर्ट परीक्षा केन्द्रों से समय- समय पर एकत्र की जाएगी। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान इन रिपोर्टों को आसानी से प्राप्त करने के लिए तकनीकी समाधानों को अपनाएगा।

ग. **बाह्य लेखा परीक्षक या अन्य बाह्य एजेंसियों की रिपोर्ट-** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान बाहय लेखा परीक्षकों, विशेषज्ञों और गुणवत्ता लेखापरीक्षा के तीसरे पक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करेगा और यथोपयुक्त कार्यान्वित करेगा,

घ. **कार्यक्रम, संकाय और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के स्तरों पर प्रदर्शित डेटा पर व्यवस्थित सोच विचार-** प्रभावी मूल्यांकन और लेखापरीक्षा के लिए, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान प्रदर्शन निगरानी सूचना जैसे पाठ्यक्रम उत्तीर्ण दर, शिक्षार्थी प्रवेश प्रोफ़ाइल और प्रगति एवं उपलब्धि रिपोर्ट के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करेगा, जो वेब-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध हो और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा रिपोर्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाए।

ड. **उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा रिपोर्ट और विश्लेषण-** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ऐसे वेब आधारित अनुप्रयोगों से आवश्यक रिपोर्ट तैयार करेगा और बेहतर निष्पादन के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले सुधार तय करने के लिए शिक्षार्थीपरक एवं अकादमिक विश्लेषण करेगा।

च. **आवधिक समीक्षा-** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को अपने कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से हितधारकों से फीडबैक एकत्र करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की आवश्यकता होती है। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को नियमित रूप से आत्म मूल्यांकन करने और प्रणालियों, प्रक्रियाओं आदि और अंततः कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए परिणाम का उपयोग करने की आवश्यकता होती है ।

अनुलग्नक-II

परीक्षा का संचालन और परीक्षा केन्द्रों के लिए न्यूनतम मानक

I. अंतिम सेमेस्टर या टर्म समाप्ति परीक्षा का संचालनः

1. परीक्षा के विभिन्न घटकों में शिक्षार्थियों के आकलन की सभी प्रक्रियाओं का प्रबंध सीधे संबन्धित संस्थान द्वारा किया जाएगा और आकलन का कोई भी भाग आउटसोर्स नहीं किया जाएगा।

2. पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन और/या ऑनलाइन पद्धति के पूर्ण कालिक संकाय या केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के अर्हता प्राप्त संकाय सदस्यों को ही निरीक्षकों, परीक्षा-अधीक्षकों, पर्यवेक्षकों आदि जैसे कार्यों में लगाया जाना चाहिए।

क. मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों के लिएः

1. मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति कार्यक्रमों के लिए सभी परीक्षाएं संस्थान के भीतर आयोजित की जाएंगी जहां अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति संस्थान के प्रत्यक्ष नियंत्रण और जिम्मेदारी के अधीन हो। इसके अतिरिक्त, सभी सरकारी संस्थान जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राज्य सरकार के स्कूल इत्यादि को भी विश्वविद्यालय प्रणाली के अधीन अनुमोदित संबद्ध महाविद्यालयों सहित मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के अधीन शिक्षा की पेशकश कर रहे उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रत्यक्ष समग्र पर्यवेक्षण के अधीन परीक्षा केंद्र के रूप में निर्धारित किया जा सकता है और किसी भी निजी संगठन या गैर-मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को कोई परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे।

2. यदि उपर्युक्त (i) में उल्लिखित संस्थानों के प्रकार किसी शहर/कस्बे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सरकारी संगठन/विभाग, मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला आदि में वैधानिक निकायों की पूर्व स्वीकृति के साथ परीक्षा केन्द्र/केन्द्रों को स्थापित कर सकता है।

ख. ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिएः

1. ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से कार्यक्रम की पेशकश कर रहा उच्चतर शैक्षणिक संस्थान परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए सभी सुरक्षा व्यवस्था के साथ निर्दिष्ट परीक्षा केंद्र में प्रमाणित वातावरण में परीक्षाओं या तो कंप्यूटर आधारित परीक्षण या पेन और कागज परीक्षण का उपयोग कर परीक्षाओं का संचालन करेगा। यह समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली ऐसी परीक्षा के लिए किसी भी अन्य मानदंडों के अनुरूप प्रौद्योगिकी मध्यस्थता वाले प्रॉक्टरिंग के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा भी आयोजित कर सकता है।

2. परीक्षार्थियों की उपस्थिति को भारतीय शिक्षार्थियों के लिए आधार विवरण या अन्य सरकारी पहचान पत्रों और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थियों के लिए पासपोर्ट के अनुसार बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से अनुप्रमाणित किया जाएगा।

II. परीक्षा केंद्रों पर बनाए जाने वाले न्यूनतम मानकः

क. मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति कार्यक्रमों के लिएः

1. परीक्षा केंद्र शहर के मध्य में स्थित होना चाहिए और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से भली भांति जुड़ा होना चाहिए।

2. किसी शहर या राज्य में परीक्षा केंद्रों की संख्या क्षेत्र से विद्यार्थी नामांकन के अनुपात में होनी चाहिए।

3. परीक्षा केंद्र का भवन और मैदान साफ-सुथरा और अच्छी हालत में होना चाहिए ।

4. परीक्षा केंद्र में बैठने की पर्याप्त क्षमता और बुनियादी सुविधाओं के साथ एक परीक्षा हॉल होना चाहिए ।

5. अग्निशामक यंत्र चालू हालत में होने चाहिए, उन्हें रखे जाने का स्थान अच्छी तरह से चिह्नित और आसानी से ज्ञात होना चाहिए। आपातकालीन निकास स्पष्ट रूप से पहचाने जाने चाहिए और अवरोधों से मुक्त होने चाहिए।

6. परीक्षा केंद्र में पर्याप्त और आरामदायक बैठने की क्षमता और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन और स्वच्छ पेय जल की सुविधाओं सहित जन सुविधाएं होंगी।

7. परीक्षा केंद्र की सलामती और सुरक्षा उपाय अचूक हों।

8. आरामगृह को परीक्षा केंद्र के रूप में चुने गए भवन में ही स्थित होना चाहिए, और आरामगृह को साफ, आवश्यक वस्तुओं सहित और चालू हालत में होना चाहिए।

9. शिक्षार्थियों के लिए पेय जल का प्रावधान किया जाना चाहिए।

10. परीक्षा केंद्र में पूरी परीक्षा प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग के लिए क्लोज्ड- सर्किट टेलीविज़न (सीसीटीवी) और बायोमेट्रिक प्रणाली का उपयुक्त निगरानी तंत्र होगा और क्लोज्ड-सर्किट टेलीविज़न सुविधाएं नहीं होने पर, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि उपयुक्त की वीडियोग्राफी की जाए और परीक्षा केंद्र के प्रभारी द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग संबंधित उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को प्रस्तुत की जाए।

11. परीक्षा केंद्र के निकट पर्याप्त पार्किंग उपलब्ध होनी चाहिए।

12. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

ख. ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए:

13. उपरोक्त क पैरग्राफ-II में वर्णित सुविधाओं के अलावा, ऑनलाइन परीक्षा में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, नामतः

(i) परीक्षण केंद्रों पर आवश्यकताएँ-

क. परीक्षार्थियों के लिए दी गई संख्या में पर्याप्त परीक्षा कक्ष/स्थान उपलब्ध कराएं।

ख. परीक्षार्थियों को पृथककरण दूरी पर बैठाया जाना चाहिए ताकि दूसरों के काम को नहीं देख सके।

ग. परीक्षा केंद्रों में बिजली या एप्लिकेशन के विफल होने पर बैकअप योजनाएं होनी चाहिए ।

घ. परीक्षा के प्रारंभ होने से पहले ऑनलाइन परीक्षा एप्लिकेशन का परीक्षण किया जाए।

च. चेक-इन क्षेत्र को परीक्षण कक्ष के प्रवेश द्वार के पास स्थित होना चाहिए जो अन्य कार्यकलापों से पृथक क्षेत्र में हो।

छ. भवन, परीक्षण कक्ष और आरामगृह व्हील चेयर पहुँचने सहित दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ होना चाहिए।

ज. प्रत्येक परीक्षण कक्ष में मानव प्रॉक्टरों के माध्यम से या प्रौद्योगिकी प्रॉक्टरिंग के माध्यम से प्रॉक्टरिंग सुविधा होगी।

(ii) प्रॉक्टर की आवश्यकता:

प्रत्येक परीक्षण केंद्र के प्रत्येक कक्ष में एक या अधिक प्रॉक्टर की आवश्यकता होती है, जिनकी निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं:

क. सुरक्षा बनाए रखने के लिए परीक्षण कक्ष की निगरानी करें

ख. परीक्षण शुरू करने या रोकने के लिए परीक्षण कार्यस्थानों के साथ पारस्परिक संवाद करें

ग. किसी भी अनियमितता की रिपोर्ट करें

घ. परीक्षा की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अन्य कार्यकलाप।

(iii) परीक्षण केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था:

क. केवल अधिकृत कर्मचारी और यदि कोई बाहय परीक्षक हों, को ही परीक्षा के समय से पहले प्रवेश दिया जायेगा।

ख. केवल अधिकृत कर्मचारी और परीक्षार्थी ही परीक्षाओं के दौरान प्रवेश कर पाएंगे।

ग. अधिकृत कर्मचारियों और बाहय परीक्षकों के पास प्रवेश का वांछनीय स्तर होना चाहिए जैसा कि अपेक्षित और अनिवार्य हो।

घ. ओ एस, ब्राउज़र और सॉफ़्टवेयर को अद्यतन रखा जाना चाहिए और सामयिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए।

ङ. परीक्षण एप्लिकेशन सभी प्रवेश प्रयासों का पता लगाने और रिपोर्ट करने में सक्षम होगा ।

च. प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी की सुविधा होगी।

छ. सभी परीक्षा केंद्रों की केंद्रीकृत दृश्य/श्रव्य निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

ज. प्रत्येक परीक्षा केंद्र में अनिवार्य रूप से एक पृथक परीक्षा आवेदन सर्वर या मशीन सुनिश्चित की जाए जो परीक्षा से पहले निर्धारित समय पर एन्क्रिप्टेड रूप में प्रश्न पत्रों की सुरक्षित प्रतिपादन के लिए वीपीएन कनेक्टिविटी के माध्यम से एक केंद्रीय सर्वर से जुड़ा होगा ।

झ. परीक्षा एप्लिकेशन सर्वर को उसी सबनेट में एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एल.ए.एन.) पर रहना चाहिए ताकि किसी भी पोर्ट को अवरुद्ध किए बिना परीक्षण प्रतिपादन अनुप्रयोगों के बीच संचार की अनुमति दी जा सके।

ञ. लेखा परीक्षा लॉगिंग- ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को एक विस्तृत लेखा परीक्षा लॉगिंग प्रदान करनी चाहिए जैसे लॉगिन,लॉग आउट, परीक्षा का उपयोग, प्रश्न नेविगेशन, उत्तर प्रतिक्रियाए इत्यादि। भू-टेगिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करना जो ऑनलॉइन परीक्षा गतिविधियों के दौरान उपयोगकर्ता के सटीक स्थान को ट्रैक करना संभव बना देगा।

ट. आई पी आधारित प्रमापीकरण और प्राधिकरण- परीक्षा कार्यक्रम की पहुंच और संचालन को निश्चित रूप से आई पी पतों की एक निश्चित निर्दिष्ट संख्या तक प्रतिबद्ध या सीमित रखना चाहिए, विशेष रूप से परीक्षा में व्यवस्थापक लॉगिन के मामले में पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करें।

ठ. परीक्षा केंद्र को 4 एमबीपीएस की न्यूनतम डाउनलोड गति और ऑनलाइन प्रश्न पत्र वितरण और स्कैन की गई उत्तर लिपियों को अपलोड करने के लिए 1 एमबीपीएस की अपलोड गति वाले अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ा जाना है ।

ड. एक एकीकृत उपकरण का उपयोग करने के बजाय एलएएन (स्विच) और इंटरनेट कनेक्टिविटी (रॉउटर) के लिए एक पृथक उपकरण होना चाहिए।

ढ. कर्मचारियों को सरकार द्वारा जारी किए गए विद्यार्थी के मूल आईडी प्रमाण को प्रमाणीकरण के लिए आईडी प्रमाण के साथ सत्यापित करना होगा।

ण. परीक्षा केंद्रों में बाहय उपकरणों (अर्थात मोबाइल, पेन ड्राइव, टैब, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच आदि) या पठन सामग्री की अनुमति नहीं होनी चाहिए ।

त. ऑनलाइन परीक्षा प्लेटफार्म उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से सुलभ होगा जो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रत्येक सत्र और परीक्षा के लिए पृथक-पृथक है।

थ. परीक्षा के पश्चात डेटा को एन्क्रिप्टेड स्वरूप में एन्क्रिप्टेड वीपीएन कनेक्शन के माध्यम से परीक्षा एप्लिकेशन सर्वर से केंद्रीय सर्वर में स्थानांतरित किया जाएगा।

(iv) सुदूरवर्ती पर्यवेक्षणः

रिमोट प्रॉक्टरिंग के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चत किया जाये:

क. सुरक्षित ब्राउज़र: मशीन पर परीक्षा के लिए कस्टम अनुप्रयोग पहले से स्थापित होना चाहिए ताकि किसी अन्य विंडो या एप्लिकेशन के खुलने को रोका जा सके। इस एप्लिकेशन को स्क्रीन कैप्चरिंग, रिकॉर्डिंग और रिमोट लॉगिन या वीडियो ग्राफिक एरे (वीजीए), यूनीवर्सल सीरियल बस (यूएसबी) या

हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इण्टरफेस (एचडीएमआई), पोर्ट सुविधाओं के माध्यम से रिमोट स्क्रीन पर आउटपुट लेने से रोकना होगा।

ख. सुदूरवर्ती पर्यवेक्षण: सुदूरवर्ती पर्यवेक्षण में अंतराल पर इमेज कैप्चरिंग या वेबकैम के माध्यम से अभ्यर्थी की वीडियो स्ट्रीमिंग या वर्तमान पहुंच स्क्रीन की स्क्रीन कैप्चरिंग शामिल होगी।

ग. डेटा एन्क्रिप्शन: ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए डेटा को कोड भाषा में परिवर्तित (एन्क्रिप्ट) करने की आवश्यकता होती है। प्रश्न बैंक और परीक्षा डेटा को अनिवार्य रूप से अत्यधिक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड तरीके से संग्रहित किया जाना चाहिए। परीक्षा के दौरान सर्वर और क्लाइंट/विद्यार्थी मशीन के बीच सम्पूर्ण संचार को सुरक्षित पद्धति से एन्क्रिप्ट किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक- III

विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के लिए क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र और विनियमन करने वाले प्रावधान

I. केंद्र सरकार और राज्य सरकार विश्वविद्यालय:

1. केन्द्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित या उसके द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति में कार्यक्रम की पेशकश करेगा और इसके अधिनियम के अधीन उसे आवंटित क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र के अनुसार सभी संबंधित कार्यकलापों को संचालित करेगा।

2. किसी राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या उसके द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति में कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा और इसके अधिनियम के अधीन इसे आवंटित क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र के भीतर अन्य सभी संबंधित कार्यकलापों को संचालित करेगा।

3. कोई केंद्रीय या राज्य सरकार विश्वविद्यालय अपने संबंधित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता के पश्चात मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के अधीन मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों की पेशकश कर सकता है ।

4. कोई केंद्रीय या राज्य सरकार विश्वविद्यालय मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के अधीन अपने स्वयं के विद्यालयों/विभागों/केन्द्रों और उसके घटक महाविद्यालयों के माध्यम से मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों की पेशकश कर सकता है ।

5. कोई भी विश्वविद्यालय मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करने के प्रयोजन से अपने कार्यक्रमों या अन्य संबंधित कार्यकलापों की फ्रेंचाईजी व्यवस्था के माध्यम से पेशकश नहीं कर सकता है।

6. इन विनियमों के अधीन ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की इन श्रेणियों के लिए क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र लागू नहीं होगा ।

II. निजी विश्वविद्यालय:

1. किसी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित या उसके अधीन निजी विश्वविद्यालय मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति में कार्यक्रमों की पेशकश कर सकते हैं और इसके अधिनियम के अधीन यह आवंटित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी अन्य सम्बन्धित कार्यकलाप संचालित कर सकता है और किसी भी मामले में अपने राज्य के क्षेत्र के बाहर संचालित नहीं कर कर सकता है।

2. निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और अनुरक्षण) विनियम, 2003 और समय-समय पर इसके संशोधन द्वारा शासित होंगे।

3. निजी विश्वविद्यालय केवल अपने मुख्यालय और विधिवत मान्यता प्राप्त ऑफ-कैंपस केंद्रों के माध्यम से मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के अधीन कार्यक्रमों की पेशकश करने के पात्र होंगे ।

4. निजी विश्वविद्यालय किसी भी शिक्षार्थी सहायता केंद्र के माध्यम से मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के अधीन कार्यक्रम की पेशकश नहीं करेंगे।

5. राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित निजी विश्वविद्यालय एकात्मक विश्वविद्यालय होंगे।

6. निजी विश्वविद्यालय किसी भी महाविद्यालय या संस्थान को अपने डिप्लोमा, डिग्री या अन्य अर्हता अवार्ड के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबद्ध नहीं कर सकते हैं।

7. कोई भी विश्वविद्यालय मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करने के प्रयोजन से अपने कार्यक्रमों या अन्य संबंधित कार्यकलापों की फ्रेंचाईजी व्यवस्था के माध्यम से पेशकश नहीं कर सकता है।

8. क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की इस श्रेणी के लिए लागू नहीं होगा जो इन विनियमों के अधीन ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

III. सम विश्वविद्यालय संस्थान:

1. सम विश्वविद्यालय संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 और समय-समय पर इसके संशोधनों द्वारा शासित होंगे।

2. सम विश्वविद्यालय संस्थान केवल अपने मुख्यालय के भीतर या उन ऑफ-कैम्पस से संचालित होंगे जिन्हें भारत सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से अनुमोदित किया गया है।

3. सम विश्वविद्यालय संस्थान प्रकृति में एकात्मक होंगे और किसी भी महाविद्यालय या संस्थान को अपने डिप्लोमा, डिग्री या अन्य अर्हता के अवार्ड के लिए कार्यक्रम संचालित करने के लिए संबद्ध नहीं कर सकते हैं।

4. कोई भी विश्वविद्यालय मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करने के प्रयोजन से अपने कार्यक्रमों या अन्य संबंधित कार्यकलापों की पेशकश नहीं कर सकता है।

5. क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की इस श्रेणी के लिए लागू नहीं होगा जो इन विनियमों के अधीन ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

अनुलग्नक –IV

मानव संसाधन और अवसरंचनात्मक आवश्यकताएं

I. मुक्त विश्वविद्यालय

क. मुख्यालय में स्टाफ के मानदंड:

1. निम्नलिखित पद पूर्णकालिक और समर्पित आधार पर हैं, अपने संबंधित अधिनियम/अधिनियमों के अनुसार मुक्त विश्वविद्यालयों में निर्दिष्ट पदों को छोड़कर.

(i) प्रत्येक स्कूल का प्रमुख आचार्य (प्रोफेसर) स्तर पर।

(ii) एक स्कूल में अकादमिक स्टाफ की संख्या प्रति कार्यक्रम के अनुसार होगी। सह आचार्य/ सहायक आचार्य स्तर पर न्यूनतम तीन संकाय सदस्यों की आवश्यकता होगी।

परंतु उसी विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए 6 संकाय सदस्यों के स्थान पर 5 संकाय सदस्यों की आवश्यकता होगी।

(iii) मुख्यालय या मुख्य परिसर में प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या(10,000 प्रति विद्यार्थियों तक)

(क) उप कुल सचिव -1
(ख) सहायक कुल सचिव-1
(ग) अनुभाग अधिकारी -1
(घ) सहायक -3
(ङ) कंप्यूटर ऑपरेटर -2
(च) मल्टी टास्किंग स्टाफ-2

2. मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन (ओडीएल) कार्यक्रमों में 10,000 से अधिक नामांकन होने की स्थिति में मुक्त विश्वविद्यालय पदों की संख्या में उपयुक्त रूप से वृद्धि कर सकता है ।

ख. ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीओई)

1. मुक्त विश्वविद्यालय जो ऑनलाइन पद्धति के अधीन मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों की पेशकश करने का इच्छुक हो, उसे विभाग या अध्ययन विद्यालयों के मध्य प्रभावी समन्वय के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम, जिसमें प्रवेश या पंजीकरण इकाई, परीक्षा इकाई और प्रौद्योगिकी सहायता इकाई शामिल है। ज्ञान अर्जन के लिए ऑनलाइन केन्द्र, सभी मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों के केंद्रीकृत डेटा आधार का प्रबंधन और रखरखाव करेगा।

(i) ऑनलाइन शिक्षा के केन्द्र में निम्नलिखित होंगे-

(क) निदेशक- स्थायी, पूर्णकालिक आचार्य (अधिमानतः मुक्त और दूरस्थ शिक्षा और/ या ऑनलाइन ज्ञान अर्जन में व्यावसायिक अनुभव)

(ख) उप निदेशक (ई-लर्निंग और तकनीकी)- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के अन्तर्गत, सह आचार्य के लिए निर्दिष्ट अर्हता और अनुभव रखने वाला कोई कर्मचारी, मॉडयूल विकास और ज्ञान अर्जन प्रबंधन प्रणाली के लिए तकनीकी समन्वय में अनुभव के साथ एक ई-लर्निंग विशेषज्ञ होगा। उप निदेशक को पूर्णकालिक या अनुबंध आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।

(ग) सहायक निदेशक- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018, सह आचार्य के लिए निर्दिष्ट अर्हता और अनुभव रखने वाला जो प्रारम्भ में ऑनलाइन कार्यक्रमों की शुरूआत के लिए अध्ययन के विभागों या विद्यालयों के साथ समन्वय रखेगा। सहायक निदेशक को पूर्णकालिक या अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।

(ii) विभाग या अध्ययन पद्धति विलय मान्यता प्राप्त ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश के लिए अकादमिक स्थान होंगे।

(iii) ऑनलाइन कार्यक्रम/कार्यक्रमों में अध्ययन के विद्यालयों/विभागों के स्थायी और/या पूर्णकालिक समर्पित संकाय निम्नलिखित सामर्थ्य में होंगे, अपने संबधित अधिनियम/अधिनियमों के अनुसार मुक्त विश्वविद्यालयों में निर्दिष्ट पदों को छोड़कर:

(क) कार्यक्रम समन्वयक (प्रति कार्यक्रम एक): संबंधित कार्यक्रम के विषय क्षेत्र में आचार्य या सह आचार्य या सहायक आचार्य स्तर पर एक पूर्णकालिक संकाय ऑनलाइन कार्यक्रम का कार्यक्रम समन्वयक होगा। कार्यक्रम समन्वयक ऑनलाइन कार्यक्रम में विकास के समग्र समन्वय, शिक्षार्थियों के प्रतिपादन व आकलन के लिए जिम्मेदार होगा।

(ख) पाठ्यक्रम मेण्टर (प्रति पाठ्यक्रम एक): एक ऑनलाइन कार्यक्रम में एक से अधिक पाठ्यक्रम हो सकते हैं। ऐसे मामले में, संबन्धित कार्यक्रम के विषय क्षेत्र में आचार्य या सह आचार्य या सहायक आचार्य के स्तर का पूर्णकालिक समर्पित संकाय, ऑनलाइन कार्यक्रम के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम समन्वयक होगा। पाठ्यक्रम समन्वयक पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों के विकास, प्रतिपादन और आकलन का समन्वय करेगा।

(ग) पाठ्यक्रम परामर्शदाता (मेंटर) (250 शिक्षार्थियों के प्रति बैच में एक): वह शिक्षार्थियों को अकादमिक सहयोग प्रदान करने और में कार्यक्रम/पाठ्यक्रम समन्वयक की सहायता करेगा और इसके साथ ही आभासी(वर्चुअल) शिक्षक-शिक्षार्थी पारस्परिक बातचीत समूहों के प्रबंधन में भी सहायता करेगा। उसके पास सहायक आचार्य के लिए प्रासंगिक अर्हताएं और अनुभव होना चाहिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 में निर्दिष्ट है।

(घ) परीक्षक- उच्चतर शैक्षणिक संस्थान संस्था से या अन्य संस्थानों से योग्य संकाय के बीच से पाठ्यक्रम में ऑनलाइन शिक्षार्थियों के आकलन के लिए परीक्षकों की नियुक्ति करेगा और उनको उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के मानदंड़ो के अनुसार उचित मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

(iv) ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता:

(क) स्वतः ज्ञान अर्जन वाले ई-मॉडयूल के रूप में ई-सामग्री के विकास के लिए तकनीकी टीमः-

1. तकनीकी प्रबंधक (निर्माण)- न्यूनतम एक
2. तकनीकी सहयोगी (ऑडियो- वीडियो रिकॉडिग एवं संपादन) – न्यूनतम एक
3. तकनीकी सहायक – (ऑडियो- वीडियों रिकॉडिग – न्यूनतम एक)
4. तकनीकी सहायक – (ऑडियो– वीडियो संपादन – न्यूनतम एक)
5. ई-कंटेंट के विकास के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता को अपेक्षित सुविधाओं वाले देश भर के केन्द्रों के माध्यम से आउटसोर्स किया जा सकता है।
6. ये संख्याएं ई-कंटेंट, सेल्फ लर्निग, ई- मॉड्यूल के विकास और प्रदिपादन (डिलीवरी) के शुरुआती चरण के लिए है।

(ख) ऑनलाइन कार्यक्रमों के प्रतिपादन के लिए

1. तकनीकी प्रबंधक (एल एम एस और डाटा प्रबंधन)- न्यूनतम एक (प्रति केन्द्र)
2. तकनीकी सहायक (एल एम एस और डाटा प्रबंधन)- न्यूनतम दो

(ग) ऑनलाइन पद्धति हेतु प्रवेश और परीक्षा के लिए:-

1. तकनीकी प्रबंधक (प्रवेश, परीक्षा और परिणाम)- न्यूनतम एक (प्रति केन्द्र)
2. तकनीकी सहायक (प्रवेश परीक्षा और परिणाम)- न्यूनतम दो
3. इन कार्यकलापों को ऑनलाइन कार्यक्रमों हेतु ऑनलाइन शिक्षा के लिए केंद्र के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन उनके ओ डी एल कार्यक्रमों के लिए आवश्यक संसाधन वाले मुक्त विश्वविद्यालयों के प्रवेश / पंजीकरण और परीक्षा इकाइयों द्वारा किया जा सकता है।

II. उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में दोहरी पद्धति

1. मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रमों की पेशकश करने के इच्छुक दोहरी पद्धति वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में अपने विभागों या अध्ययन विद्यालयों के बीच प्रभावी समन्वय के लिए दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र होगा।
2. केंद्र, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की प्रौद्योगिकी सहायता इकाई के सहयोग से सभी मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन और/या ऑनलाइन कार्यक्रमों के केंद्रीकृत डेटा बेस का रखरखाव और प्रबंधन करेगा।
3. उपर्युक्त खंड (ख) (2) में विस्तार से बताए गए प्रावधान ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए दोहरी पद्धति वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होंगे।

III. मुख्यालय में स्टाफ के लिए मानदंड़

1. ऑनलाइन कार्यक्रमों के मामले में जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (ख) के खंड (I) में दिया गया है।
2. **शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्याः-** प्रति मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में आचार्य/ सह आचार्य/ सहायक आचार्य स्तर के कम से कम दो संकाय सदस्य (पूर्णकालिक, समर्पित)

   परंतु एक ही विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के मामलो में, 4 संकाय सदस्यों के स्थान पर 3 संकाय सदस्यों की आवश्यकता होगी।

3. मुख्यालय या मुख्य परिसर में प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या **(5,000 विद्यार्थियों तक)**

   (क) उप कुलसचिव-1

   (ख) सहायक कुलसचिव-1

   (ग) अनुभाग अधिकारी-1

(घ) सहायक-2

(ङ) कम्प्यूटर आपरेटर्स-2

(च) मल्टी टास्किंग स्टाप-2

4. 5,000 से अधिक नामांकन के मामलें में, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा दूरस्थ और ऑनलाइन ज्ञान अर्जन केंद्र में पदों की संख्या उचित रूप से बढाई जा सकती है।

IV. भौतिक अवसंरचना -

1. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा गतिविधि के लिए कुल निर्मित क्षेत्रः न्यूनतम 15,000 वर्ग फुट (कारपेट क्षेत्र)

क्रम सं.	**निर्मित क्षेत्र का प्रकार**	**प्रतिशत (%)**	**निर्मित क्षेत्र (कार्पेट क्षेत्र, वर्ग फुट में)**
1.	अकादमिक	50%	7500
2.	प्रशासनिक	10%	1500
3.	पुस्तकालय, वाचनालय, कंप्यूटर केंद्र, सूचना और संचार प्रोद्योगिकी प्रयोगशाला, वीडियो और ऑडियो लैब आदि जैसी शैक्षणिक सहायता	30%	4500
4.	सुख सुविधाओं या अन्य सहायक सुविधाओं के लिए	10%	1500
		कुल	**15000**

टिप्पणी:- शौचालयों के लिए निर्मित क्षेत्र पृथकतया होगा।

2. भौतिक अवसंरचना की न्यूनतम आवश्यकता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों की उपयुक्तता) नियम, 1988 और समय समय पर यथासंशोधित, के अनुरूप होनी चाहिए, इन विनियमों के उद्देश्य के लिए वर्तमान मुक्त विश्वविद्यालयों को छोड़कर।

V. शिक्षार्थी सहायता केंद्र में अकादमिक परामर्शदाता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर होना चाहिए।
2. दूरस्थ शिक्षार्थियों की विशेषताओं, उनकी आवश्यकताओं और पारंपरिक आमने –सामने की शिक्षा के अंतर के बारे में मूल शोध से सुपरिचित हो।
3. अनुदेशात्मक डिजाइन के मूल सिद्धातों का अनुप्रयोग ।
4. उसे विषय से संबंधित गहन ज्ञान और पाठयक्रम/पाठ्यक्रमों से संबंधित गलतफहमियों को जानकारी हो।
5. ऑनलाइन और मिश्रित ज्ञान अर्जन पद्धति में शिक्षार्थी– केन्द्रित पर्यावरण की आवश्यकता की गहरी समझ हो।
6. रचनात्मक ज्ञान अर्जन के वातावरण को डिजाइन करने की क्षमता होनी चाहिए।
7. ज्ञान अर्जन के सिद्धान्त, स्वतः निर्देशित अनुदेश और कंप्यूटर संचार और ज्ञान अर्जन का प्रयोगात्मक अनुप्रयोग।
8. शिक्षार्थियों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देने की क्षमता होनी चाहिए।
9. प्रतिपादन मीडिया की क्षमताओं और सीमाओं के साथ अनुकूलन क्षमता और लचीलापन हो।
10. मूल समस्या का निवारण करने के लिए प्रतिपादित माध्यम से परिचित हो।
11. मल्टी टास्क की क्षमता होना चाहिए।
12. समय प्रबंधन (उदाहरण के लिए, समय पर शिक्षार्थियों को उत्तर देना , व्यापक और अग्रिम तैयारी और योजना)
13. व्यावसायिक विशेषताएं (जैसे, पढ़ाने के लिए प्रेरित, आत्माविश्वासी, मुखर, अच्छा लेखक)

अनुलग्नक-V

कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) पर दिशानिर्देश

I. समीक्षा

i. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) एक नया कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार दस्तावेज़ है जिसमें (क) कार्यक्रम के उद्देश्य और परिणाम; (ख) शिक्षार्थियों के लक्ष्य समूह की प्रकृति; (ग) विशिष्ट कौशल प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन के साथ कार्यक्रम की उपयुक्तता; (घ) कार्यक्रम कंटेंट डिजाइनिंग और विकास (ड.) कार्यक्रम के विकास के लिए लागत अनुमान और (च) प्रवेश, प्रतिपादन और शिक्षा मानदंड का विवरण शामिल है।

ii. कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) संस्थान द्वारा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रम शूरू करने के बारे में एक स्वतः -प्रकटीकरण है। संस्थान को प्रत्येक अकादमिक कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्यों और अन्य उद्देश्यों को परिभाषित करना है जो एक कार्यक्रम शुरू करने की दिशा देगा और परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करने की अनुमति देगा। अंत में, ये लक्ष्य और उद्देश्य प्रदर्शित करने में मदद करेंगे कि क्या प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम को स्पष्ट प्रतिपादन और प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान अनुभव की योजना के अनुरूप बनाया जाएगा।

II. कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) सामग्री

किसी भी नए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उच्चतम अकादमिक प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित एक कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है। कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट की मुख्य विषय सामग्री इस प्रकार हैः-

(i) **कार्यक्रम का मिशन और उद्देश्यः** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान शुरू किये जाने वाले कार्यक्रम के लिए मिशन स्टेटमेन्ट और उद्देश्यों को परिभाषित करेगा, जो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की कार्यनीति दिशा और शैक्षणिक लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करेगा जिन्हें औद्योगिक या शिक्षार्थियों की मांग के साथ जोड़ा जाएगा। और इस तरह से परिभाषित किया जाएगा कि वे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है।

(ii) **उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के मिशन और लक्ष्यों के साथ कार्यक्रमों की प्रासंगिकताः** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पेश किए जाने वाले इस तरह के कार्यक्रम के लिए योजना बनाएगा, जो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के मिशन और लक्ष्यों के लिए प्रासंगिक है। इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पेश किए जाने वाले कार्यक्रम को उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के मिशन और लक्ष्य के साथ बदल दिया जाए और यह इसकी उपलब्धि में योगदान करने वाला प्रमाणित होगा।

(iii) **शिक्षार्थियों के भावी लक्ष्य समूह की प्रकृतिः** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान शिक्षार्थियों के लक्ष्य समूह की पहचान करेगा। यह उनकी ज्ञान अर्जन की जरूरतों को समझने के लिए आवश्यक है और इसके आधार पर पाठ्यक्रम का लक्ष्य होना चाहिए। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को प्रयोज्य आय, ग्रामीण निवासी, महिलाएं, अकुशल पुरूष, अल्पसंख्यक आदि के निम्न स्तर वालों की श्रेणी सहित विभिन्न श्रेणी के शिक्षार्थियों पर भी विचार करना चाहिए।

(iv) **विशिष्ट कौशल और दक्षता प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की उपयुक्तता मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन और/या ऑनलाइन पद्धति में संचालित की जाएः** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान कार्यक्रम के ज्ञान अर्जन के परिणामों की स्पष्ट रूप से पहचान करेगा जिसमें शिक्षार्थी द्वारा अर्जित की जाने वाली विशिष्ट कौशल और क्षमता को शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम को ज्ञान अर्जन के परिणामों के लिए उचित रूप से लक्षित किया जाएगा। अध्ययन के परिणामों में अध्ययन क्षेत्र के लिए उपयुक्त ज्ञान और समझ का विकास शामिल होगा और उन्हें उस क्षेत्र के अकादमिक, पेशेवर और व्यावसायिक मानकों को भी प्रतिबिंबित करना चाहिए। ज्ञान अर्जन के परिणामों में सामान्य हस्तांतरणीय कौशल और दक्षताएं शामिल होनी चाहिए।

(v) **निर्देशात्मक डिज़ाइनः** निर्देशात्मक डिजाइन में पाठ्यक्रम डिज़ाइन, विस्तृत पाठ्यक्रम, कार्यक्रम की अवधि, संकाय और सहायक स्टाफ की आवश्यकता, निर्देशात्मक प्रतिपादित तन्त्र, मीडिया प्रिंट, श्रव्य या दृश्य की पहचान, ऑनलाइन, कंप्यूटर एडेड, और शिक्षार्थी सहायता सेवा प्रणाली शामिल

हैं। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन मोड के माध्यम से पेश किए जाने वाले प्रत्येक अकादमिक कार्यक्रमों के लिए निर्देशात्मक डिजाइन को परिभाषित करेगा और कार्यक्रम के प्रत्येक पाठ्यक्रम या मॉड्यूल के लिए क्रेडिट घंटे का नक्शा देगा।

(vi) **प्रवेश, पाठ्यक्रम कार्य संपादन और मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया:** उच्चतर शैक्षणिक संस्थान न्यूनतम पात्रता और शुल्क संरचना के साथ कार्यक्रम के लिए प्रवेश नीति को परिभाषित करेगा। वित्तीय सहायता से संबंधित जानकारी, यदि कोई हो, तो नीति में शामिल किया जाना चाहिए। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान अपनाए जाने वाले तरीकों और वेब-आधारित उपकरणों के विवरण के साथ कार्यक्रम वितरण की नीति को अधिसूचित करेगा। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान अकादमिक सत्र के दौरान उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा किए जाने वाली सभी अकादमिक गतिविधियों सहित गतिविधि योजनाकार को सूचित करेगा। इसके अलावा, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान विधियों और उपकरणों के साथ-साथ शिक्षार्थी प्रगति के मूल्यांकन के लिए नीति को अधिसूचित करेगा।

(vii) **प्रयोगशाला सहायता और पुस्तकालय संसाधनों की आवश्यकता:** पाठ्यक्रम में व्यावहारिक घटक होने के कार्यक्रम हो सकते हैं। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान कार्यक्रम में निर्धारित व्यावहारिक प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रयोगशाला सहायता के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश देगा। शिक्षार्थियों के लिए एक व्यावहारिक पुस्तक का प्रावधान होगा।

(viii) **कार्यक्रम और प्रावधानों का लागत अनुमान:** लागत अनुमान कार्यक्रम के विकास, वितरण और रखरखाव के लिए निर्दिष्ट राशि का संकेत देगा।

(ix) **गुणवत्ता आश्वासन तंत्र और अपेक्षित कार्यक्रम परिणाम:** उच्चतर शैक्षिक संस्थान कार्यक्रम के लिए समीक्षा तंत्र को परिभाषित करेगा और अध्ययन के क्षेत्र की व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रम, निर्देशात्मक डिजाइन के मानकों को लगातार बढ़ाएगा। बेंचमार्क स्टेटमेंट होना चाहिए। मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन (ओडीएल) और/या ऑनलाइन माध्यम में पेश किए जा रहे कार्यक्रम की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान भी तंत्र तैयार करेगा।

अनुलग्नक-VI

विभिन्न मीडिया और पाठयक्रम एवं शिक्षण शास्त्र में ज्ञान अर्जन सामग्री के गुणवत्ता आश्वासन संबंधी दिशानिर्देश

क- मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के लिए

I. ज्ञान अर्जन सामग्री (प्रिंट मीडिया): गुणवत्ता मानक

1. प्रिंट मीडिया के माध्यम से ज्ञान अर्जन सामग्री को स्वतः ज्ञान अर्जन सामग्री (एस एल एम) कहा गया है जिसे स्वतः स्पष्ट, स्वतः पूर्ण, स्वतः निर्देशित, स्वतः प्रेरणा देने वाला और स्वतः- मूल्यांकन के दृष्टिकोण के साथ विकसित किया जा रहा है।
2. स्वतः ज्ञान अर्जन सामग्री स्वतः पूर्ण होगा जो उद्देश्यों, कार्यकलापों, असाइनमेंट और अतिरिक्त संसाधनों के साथ इकाईयों के सिंहावलोकनपूर्ण पाठ्यक्रम विवरण प्रदान करता है।
3. पाठ्यक्रम में प्रत्येक मॉडयूल या इकाई के क्रेडिट मूल्य का विवरण होगा।
4. पाठ्यक्रम सामग्री शिक्षार्थी की गति और उसके अपने समय में अभ्यास के लिए एक वातावरण प्रदान करेगी।
5. कार्यकलापों, चर्चाओं और साहित्यिक चोरी के बारे में अकादमिक शुचिता और नेटिकेट (इंटरनेट शिष्टाचार) की अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट दिशा–निर्देश होंगे ।
6. पाठ्यक्रम को अवधारणाओं और कौशल को पढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाएगा जिसे शिक्षार्थी पूरे अध्ययन में बनाए रखेंगे।
7. शिक्षार्थी को सक्रिय ज्ञान अर्जन में लगाने के लिए ज्ञान अर्जन के विभिन्न पथ होंगे।
8. सामग्री शिक्षार्थिओं को उच्च-स्तरीय सोच,विवेचनात्मक–तर्कशक्ति और बढ़ते हुए दुरूह रास्तों में सोचने के अवसर प्रदान करेगी।
9. निम्नलिखित सामग्री ज्ञान अर्जन के लिए गुणवत्ता मानकों की एक सांकेतिक सूची है:-

i. एस एल एम को ज्ञान अर्जन परिणाम की पाठ्यक्रम रूपरेखा (एल ओ सी एफ) पर आधारित कर संरचित किया जाएगा।

ii. एस एल एम को शिक्षार्थी और सामग्री के बीच द्विमार्गीय संचार के दृष्टिकोण के साथ डिजाइन किया जाएगा। एस एल एम की सामग्री को संवाद और लेखन पद्धति की व्यक्तिगत प्रणाली के साथ पारस्परिक संवाद, संवादात्मक प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा जो स्वतः ज्ञान अर्जन सामग्री में अन्तर-क्रियाशीलता की प्रकृति का निर्माण करेगा।

iii. एस एल एम विभिन्न अनुभव आधारित कार्यकलापों और असाइनमेंट के माध्यम से शिक्षार्थी को सक्रिय रूप में शामिल करेगा।

iv. शिक्षार्थी को कार्यक्रम और पाठयक्रम की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए।

v. शिक्षार्थी के लिए एस एल एम में विस्तृत अवधारणा/ ज्ञान अर्जन का नक्शा होगा ताकि वह स्पष्ट रूप से बताए गए ज्ञान अर्जन परिणामों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए स्वतः निर्देशित हो।

vi. एस एल एम शिक्षार्थी को नए ज्ञान और कौशल को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

vii. पाठयक्रम की सामग्री को प्रमुख संबंधित विषयों के बारे में कुछ ब्लॉक में विभाजित किया जाना चाहिए, प्रत्येक ब्लॉक में प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए एक प्रमुख विषय के बारे में कुछ इकाइयां होती हैं।

viii. एस एल एम में इकाइयों को परिभाषित प्रारूपों में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ विकसित किया जाएगा, नामत:-

(क) अनुरूप लेआउट (Layout) और प्रारूप।

(ख) सामग्री का सिंहावलोकन सम्मिलित करना।

(ग) इकाई और सारांश की शुरुआत में पूर्व ज्ञान अर्जन की इकाई संरचना, परिचय और अपेक्षित ज्ञान अर्जन के परिणाम, जैसा कि यह भेजता है।

(घ) ज्ञान अर्जन के उद्देश्यों और परिणाम के साथ वर्गो और उप- वर्गों में उपयुक्त अनुक्रम में सामग्री की प्रस्तुति को समकालीन (सिंक्रनाइज्ड) बनाता है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय मामले सहित कई उदाहरण हैं, जहां भी प्रासंगिक हो।

(ङ) सामग्री में प्रयुक्त प्रतिरूप (आइकॉन), प्रतीक सूत्र, आदि की व्याख्या।

(च) शब्दावली/ की वर्ड अनुभाग में तकनीकी, नए, कठिन शब्द या शब्दों के बारे में स्पष्टीकरण

(छ) पर्याप्त सुझाए गए पाठ को शामिल करना (प्रिंट और ऑनलाइन दोनों)

II. श्रव्य दृश्य सामग्री-गुणवत्ता मानक

I. श्रव्य- दृश्य सामग्री के लिए के लिए गुणवत्ता मानकों की एक सांकेतिक सूची निम्नलिखित है:

(i) श्रव्य-दृश्य सामग्री एस एल एम की पूरक व अनुपूरक होगी और पाठयक्रम सरंचना पर आधारित होगी।

(ii) शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के बारे में पर्याप्त विचार होगा।

(iii) प्रस्तुतीकरण और भाषा का स्तर और शैली स्वतः ज्ञान अर्जन में सहायता के लिए सरल और उपयुक्त होगी।

(iv) शिक्षार्थी द्वारा उपयोग करने के लिए सहायता सामग्री और अध्ययन कार्यकलापों के प्रकार के बारे में स्पष्ट जानकारी होगी।

(v) यह स्पष्ट और असंदिग्ध होगा और अध्यापन विषयक शब्द जाल से भी अधिमानत: मुक्त होगा।

(vi) श्रव्य-दृश्य सामग्री के लिए लक्ष्य, उद्देश्य और लक्षित दर्शकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा।

(vii) यह ज्ञान अर्जन के परिणामों के अनुरूप होगा।

(viii) पाठ्यक्रम के श्रव्य या दृश्य सामग्री के उपयोग के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश होंगे।

(ix) अन्य पाठ्यक्रम की सामग्री की तुलना में श्रव्य/दृश्य सामग्री को उन रूपों और प्रारुपों में विकसित किया

जाएगा जो शिक्षार्थी को आसानी से सुलभ होंगे और वेब आधारित प्रतिपादन के साथ संगत होंगे।

(x) श्रव्य /दृश्य सामग्री श्रव्य /दृश्य आधारित अध्ययन सत्रों के अंदर और उनके बीच में निरंतरता और सुसंगतता प्रदान करेगी।

(xi) शिक्षार्थियों को काम में लगाने के लिए सामग्री को ग्रॉफिक्स, एनिमेशन, सिमुलेशन आदि के उचित उपयोग के साथ परस्पर संवादात्मक होना आवश्यक है।

III. ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित सामग्री: गुणवत्ता मानक

I. ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित सामग्री के लिए गुणवत्ता मानकों की सांकेतिक सूची निम्नलिखित है:

(i) डिजिटल सामग्री (एस एल एम) केवल एस एल एम की स्कैन की गई फाइलें नहीं होनी चाहिए। यदि सामग्री स्कैन की जाती है तो उसे सुलभ प्रारूप जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, पी डी एफ या ई-मेल प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ii) फाइल का आकार बहुत भारी नहीं होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी को आसानी से सामग्री सुलभ हो सके और डाउनलोड कर सके।

(iii) डिजिटल प्रारूप में पाठ्यक्रम सामग्री मेटाडेटा के माध्यम से संचालन और खोज करने में आसान होगी ।

(iv) डिजिटल सामग्री को यूनिकोड़ के अनुरूप होने की आवश्यकता है ताकि शिक्षार्थियों को विशेषतः भारतीय भाषाओं के मामले में फॉन्ट समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े।

(v) डिजिटल सामग्री सभी को सुलभ हो, दिव्यांग शिक्षार्थियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(vi) डिजिटल सामग्री सभी प्लेटफॉर्मो और उपकरणों पर उपलब्ध होगी।

(vii) चूँकि शिक्षार्थियों के पास असीमित इंटरनेट डेटा योजना नहीं हो सकती है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि श्रव्य-दृश्य सामग्री को सर्वर पर अपलोड की गई फाइल के स्थान पर स्ट्रीमिंग सर्वर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।

(viii) डिजिटल फाइलों के संकुचन को अनुकूलित करने की आवश्यकता है ताकि गुणवत्ता से समझौता न हो और सामग्री आसानी से सुलभ हो।

(ix) डिजिटल सामग्री के लिए उपयुक्त अपेक्षित को आसानी से उपलब्ध हो या उपलब्ध कराई जाए।

IV पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र: गुणवत्ता मानक

I. पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र के लिए गुणवत्ता मानकों की एक सांकेतिक सूची निम्नलिखित है:-

(i) पाठ्यक्रम के उद्देश्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के मिशन के अनुरूप होंगे।

(ii) पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी होगी।

(iii) पाठ्यक्रम को डिजाइन करते समय, उच्चतर शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मॉडल पाठ्यक्रम और ज्ञान अर्जन के परिणाम आधारित पाठ्यक्रम रूपरेखा (एल ओ सी एफ) को ध्यान में रखेंगे और स्थानीय या क्षेत्रीय आवश्यकताओं को शामिल करेंगे।

(iv) ज्ञान अर्जन के चरण में पाठ्यक्रम की उपयुक्तता औचित्यपूर्ण होगी।

(v) ज्ञान अर्जन के पिछले और बाद के चरणों के पाठ्यक्रम के कड़ीवत् (Linked) होंगे।

(vi) ऐसे ज्ञान अर्जन के अनुभव होंगे जो विविध तरीको (जैसे अभ्यास से ज्ञान अर्जन करना, वितरित और केन्द्रित संव्यवहार, विभाग के अन्दर और बाहर औपचारिक परिस्थितियों में ज्ञान अर्जन करना, व्यक्तिगत अध्ययन, विशिष्ट शिक्षक इनपुट आदि) की अनुमति प्रदान करते हैं।

(vii) पाठ्यक्रम की संरचना को परिभाषित किया जाएगा।

(viii) शैक्षणिक और ज्ञान अर्जन के तरीकों पर पूरी कार्यनीति होगी।

(ix) निर्देशात्मक पद्धति/ शिक्षणशास्त्र और मीड़िया मिक्स को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

(x) आकलन और मूल्याकंन के लिए एक व्यापक कार्यप्रणाली स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए।

(xi) सामग्री विश्वसनीय होगी और ज्ञान अर्जन के परिणामों का औचित्य सिद्ध करेगी।

(xii) ज्ञान अर्जन के अभीष्ट परिणामों की स्पष्ट परिभाषा होगी, ज्ञान अर्जन के पहचान योग्य चरणों के लिए बेंचमार्क होगा।

(xiii) कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यक्रम के विकास और अनुमोदन की प्रक्रियाओं में उच्चतर शैक्षणिक संस्थान से बाहर के संदर्भ बिन्दुओं और विशेषज्ञता का उपयोग होगा, यदि आवश्यक हो।

(xiv) राष्ट्रीय समार्थ्य की आवश्यकता के लिए पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता होगी।

(xv) पाठ्यक्रम में प्रत्येक मॉड़यूल या इकाई के क्रेड़िट मूल्य का विवरण होगा।

(ख) ऑनलाइन पद्धति के लिए

ई-ज्ञान अर्जन सामग्री गुणवत्ता मानक:

1. ऑनलाइन पाठ्यक्रम निम्नलिखित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करना चाहिए, नामतः

(i) पाठ्यक्रम को स्वयं (SWAYAM) के अनुसार निम्नलिखित चार चतुर्थांश दृष्टिकोण का अनुपालन करना चाहिए, जैसा कि समय-समय पर अद्यतन और अधिसूचित किया गया है।

(क) चतुर्थांश- I ई-ट्यूटोरियल है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा: वीड़ियो के लिप्यंकन (Transcription) के साथ दृश्य और श्रव्य सामग्री एक संगठित रूप में एनीमेशन, सिमुलेशन, वीड़ियो प्रदर्शन, आभासी (वर्चुअल) लैब आदि।

(ख) चतुर्थांश– II ई-सामग्री है जिसमें स्वतः अनुदेशात्मक सामग्री (डिजिटल एस एल एम), ई- पुस्तकें, चित्र, अध्ययन मामला, प्रस्तुतीकरण आदि शामिल है और इसमें वेब संसाधन जैसे आगे के संदर्भ, संबंधित लिंक, इंटरनेट पर मुक्त स्रोत सामग्री, वीडियो, अध्ययन मामला, ई-पुस्तकें, शोध पेपर और जर्नल्स, वास्तविक जानकारी, विषय का ऐतिहासिक विकास, लेख आदि पुस्तकें शामिल हैं।

(ग) चतुर्थांश -III पाठ्यक्रम समन्वयक या उसकी टीम द्वारा वास्तविक समय के आधार पर पैदा हुए भ्रमों और उनकों स्पष्ट करने के लिए एक विचार-विमर्श मंच है।

(घ) चतुर्थांश -IV आकलन है जिसमें शामिल होंगे: समस्याएं और समाधान, जो बहु-विकल्पीय प्रश्नों, रिक्त स्थान भरना, प्रश्न मिलान करना, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नोतरी, असाइनमेंट और समाधान, विचार-विमर्श मंच विषयों और सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न, सामान्य गलतफहमी के बारे में स्पष्टीकरण के रूप में हो सकते हैं ।

(ii) पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए नवीन प्रस्तुति तकनीकों से समृद्ध होगा कि शिक्षार्थी का ध्यान बनाए रखा जाएं।

(iii) यह सुनिश्चित करना पाठ्यक्रम समन्वयक की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी ग्रॉफिक्स, एनीमेशन, चित्र, ध्वनि क्लिप, दृश्य क्लिप की साहित्यिक चोरी नहीं की गई हो या स्वामियों से औपचारिक अनुमति के बिना उद्धृत किया गया है।

(iv) चार- क्रेड़िट पाठ्यक्रम में आमतौर पर 20 घंटे की दृश्य सामग्री और 20 घंटे की पाठ सामग्री होगी।

(v) किसी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत प्रत्येक 250 शिक्षार्थियों हेतु चतुर्थांश-III के लिए पाठ्यक्रम समन्वयक की सुविधा के लिए प्रति पाठ्यक्रम एक परामर्शदाता (मेंटर) की नियुक्त किया जा सकता है। परामर्शदाता (मेंटर) प्रौद्योगिकी को संभालने में विषय विशेषज्ञ होगा। पाठ्यक्रम के समन्वयक और परामर्शदाता (मेंटर) को विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता होगी। विचार-विमर्श मंच के अलावा कॉन्फ्रेंसिंग जैसे अन्य पारस्परिक संवाद के प्लेटफार्मो पर भी विचार किया जा सकता है।

तालिका संख्या-1 क्रेड़िट सिस्टम के आधार पर मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मानदंड़

क्रम सं.	कार्यक्रम का स्तर	कार्यक्रम की अवधि	क्रेड़िट
1.	स्नातक की डिग्री, स्नातक की डिग्री (आनर्स)	डिग्री के विनिर्देश पर यूजीसी अधिसूचना, 2014 के अनुसार	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशो के अनुसार
2.	स्नातकोत्तर डिग्री	डिग्री के विनिर्देश पर यूजीसी अधिसूचना, 2014 के अनुसार	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशो के अनुसार
3.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	2 वर्षीय	80

तालिका संख्या-2 मुक्त और दूरस्थ पद्धति से पाठ्यक्रमों के प्रतिपादन के लिए मानदंड़ः

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का क्रेडिट मूल्य	एस एल एम रेंज का आकार (इंकाईयों के संदर्भ में, ब्लॉकों में विभाजित किया जाए)	असाइनमेंटस् की संख्या	प्रायोगिक सत्र	परामर्श सत्र की संख्या सिद्धांत (कुल अध्ययन के समय का 10%)	शिक्षार्थी के लिए अध्ययन घंटे
1-	2 क्रेडिट	6-10 इकाई	1	60 घंटे	6 घंटे	60 घंटे
2-	4 क्रेडिट	14-20 इकाई	2	120 घंटे	12 घंटे	120 घंटे
3-	6 क्रेडिट	20-28 इकाई	3	180 घंटे	18 घंटे	180 घंटे
4-	8 क्रेडिट	30-34 इकाई	4	240 घंटे	24 घंटे	240 घंटे

तालिका संख्या-3 ऑनलाइन पद्धति से पाठ्यक्रमों के प्रतिपादन के लिए मानदंड़ः

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का क्रेडिट मूल्य	सप्ताहों की संख्या	संवादात्मक संत्रों की संख्या		अध्ययन सामग्री के घंटे		आकलन आदि सहितस्वतः अध्ययनके घंटे	अध्ययन के कुल घंटे (प्रति क्रेडिट 30 घंटे पर आधारित)
			समकालिक ऑनलाइन काउसंलिंग/ वेबिनार/ पारस्परिक संवाद व्याख्यान का सीधा लेक्चर (प्रति सप्ताह 1 घंटा)	विचार-विमर्श अतुल्यकालिक सलाह मंच (प्रति सप्ताह 2 घंटे)	ई- टयूटोरियल (घंटों में)	ई-सामग्री (घंटों में)		
1	2 क्रेडिट	6 सप्ताह	6 घंटे	12 घंटे	10	10	22	60
2	4 क्रेडिट	12 सप्ताह	12 घंटे	24 घंटे	20	20	44	120
3	6 क्रेडिट	14 सप्ताह	14 घंटे	28 घंटे	30	30	66	180
4	8 क्रेडिट	16 सप्ताह	16 घंटे	32 घंटे	40	40	88	240

अनुलग्नक:VII

स्वतः ज्ञान अर्जन सामग्री और ई-ज्ञान अर्जन सामग्री पर दिशा-निर्देश

1. ज्ञान-अर्जन सामग्री की तैयारी

क. मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के लिए

1. स्वतः शैक्षणिक सामग्री (एस.एल.एम.) स्वतः स्पष्ट, स्वतः पूर्ण, स्वतः निर्देशित, स्वतः प्रेरित करने वाली और स्वतः मूल्यांकन करने वाली होनी चाहिए। यह आकर्षक होनी चाहिए और शिक्षार्थियों को सक्रिय रूप से शामिल करने वाली होनी चाहिए। एस.एल.एम. की योजना बनाने के दौरान, निम्नलिखित बातों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए।

   (i) शिक्षार्थी और ज्ञान अर्जन की जरूरतों की पृष्ठभूमि

   (ii) ज्ञान अर्जन के अनुभव और

   (iii) लचीले ज्ञान अर्जन को अनुकूल बनाने में सहायता देना और तैयारी करना।

2. मुद्रित ज्ञान अर्जन सामग्री या ई-ज्ञान अर्जन सामग्री को तैयार करते समय शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित प्रमुख बिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहिए;

   (i) ज्ञान अर्जन के उद्देश्य

   (ii) पूर्व ज्ञान का आकलन

   (iii) शैक्षणिक गतिविधियां

   (iv) ज्ञान अर्जन कार्यकलापों की फीडबैक

   (v) उदाहरण और चित्र

   (vi) स्वतः -मूल्यांकन प्रश्न/ पाठ्य पुस्तक प्रश्न

   (vii) सारांश/ प्रमुख बिन्दु

   (viii) अध्ययन गाइड

3. ज्ञान अर्जन की सामग्री में वास्तविक दुनिया के कार्यों, शिक्षार्थियों की पसंद के कार्य या परिस्थितियां, केस-स्टडी, सहयोगी ज्ञान अर्जन कार्यों, दूसरों के पर्यवेक्षण के अवसर, स्वतः मूल्यांकन पर बल देना चाहिए।

4. **ज्ञान अर्जन सामग्री के विकास के लिए योजना बनानाः** मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति में शिक्षकों के साथ पारस्परिक बातचीत नहीं होने के कारण, शिक्षार्थी को किसी भी समय ज्ञान अर्जन के मार्ग पर निर्णय लेना होता है। इससे शिक्षार्थी की अनुभूति और ज्ञान अर्जन सामग्री के उद्देश्यों के बीच असहमति पैदा हो सकती है। इसलिए ज्ञान अर्जन सामग्री के विकास के लिए योजना के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है:-

   (i) **शिक्षार्थी का प्रोफाइल**:- साक्षरता के स्तर (भाषा दक्षता के स्तर सहित), आयु वर्ग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, अध्ययन का उद्देश्य, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और घर की स्थिति, पूर्व ज्ञान, पूर्व कौशल, ज्ञान अर्जन की स्थिति आदि पर विचार करने की आवश्यकता होती है।

   (ii) **पृष्ठभूमि**:- मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन प्रणाली में शिक्षार्थी अपनी गति से आमने-सामने पद्धति के विपरीत अध्ययन करता है। शिक्षार्थियों की एक बड़ी संख्या कार्यरत नौकरीपेशा है और उन्हें अपने घरों में अध्ययन करने का समय मिलता है। यदि हम कुछ संदर्भ जोड़ते हैं जो उनको घर पर सुलभ न हो तो यह उनके ज्ञान अर्जन में एक बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए, ज्ञान अर्जन के स्थान पर पाठ्यक्रम संसाधनों और संदर्भों की पहुंच पर विचार करना आवश्यक है।

   (iii) **ज्ञान अर्जन के उद्देश्य और परिणाम**:- ज्ञान अर्जन की सामग्री को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ज्ञान अर्जन के उद्देश्यों और परिणामों को परिभाषित करना आवश्यक है। ज्ञान अर्जन के उद्देश्य टर्मिनल, माध्यमिक या सक्षम प्रकृति के हो सकते हैं। इन ज्ञान अर्जन के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम, इकाई या मॉड्यूल स्तर पर निर्धारित किया जा सकता है।

5. ज्ञान अर्जन-सामग्री का समूहः शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के सिद्वांतों पर विचार करके, कार्यक्रम के साथ ज्ञान अर्जन सामग्री या संसाधन होंगे जिनमें स्वतः ज्ञान अर्जन सामग्री, ई-पुस्तकें, प्रयोगात्मक पुस्तिका, छात्र पुस्तिका, प्रश्न बैंक, असाइनमेंट बुक, श्रव्य दृश्य सामग्री, कार्यक्रम गाइड, प्रोजेक्ट मैनुअल आदि होंगे।

(ख) ऑनलाइन पद्धति के लिए

1. ई-ज्ञान अर्जन सामग्री में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढाँचा) विनियम, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार या जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है, के अनुसार चार चतुर्थांश होंगे, नामत:-

(i) चतुर्थांश-I ई- ट्यूटोरियल है जिसमें निम्नलिखित चतुर्थांश दृष्टिकोण सम्मिलित होगा: वीड़ियो के लिप्यांकन (Transcription) के साथ दृश्य और श्रव्य सामग्री एक संगठित रूप में एनीमेशन, सिमुलेशन, वीड़ियो प्रदर्शन, आभासी (वर्चुअल) लैब आदि।

(ii) चतुर्थांश–II ई- सामग्री है जिसमें स्वतः अनुदेशात्मक सामग्री, ई- पुस्तकें, चित्र, केस अध्ययन, प्रस्तुतिकरण आदि शामिल है और इसमें वेब संसाधन जैसे आगे के संदर्भ, संबंधित लिंक, इंटरनेट पर मुक्त स्रोत सामग्री, वीडियो, अध्ययन मामला, ई-पुस्तकें, शोध पेपर और जर्नल्स, वास्तविक जानकारी, विषय का ऐतिहासिक विकास, लेख आदि पुस्तकें शामिल हैं। ।

(iii) चतुर्थांश-III पाठ्यक्रम समन्वयक या उसकी टीम द्वारा वास्तविक समय के आधार पर पैदा हुए भ्रमों से उन्हें स्पष्ट करने के लिए एक विचार-विमर्श मंच है।

(iv) चतुर्थांश-IV आकलन है जिसमें शामिल होंगे: समस्याएं और समाधान, जो बहु-विकल्पीय प्रश्नों, रिक्त स्थान भरना, प्रश्न मिलान करना, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नोतरी, असाइनमेंट और समाधान, विचार-विमर्श मंच विषयों और सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों का निर्माण, सामान्य गलत अवधारणाओं के बारे में स्पष्टीकरण के रूप में हो सकते हैं।

II. ज्ञान अर्जन सामग्री की तैयारी

(क) मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के लिएः प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के समय स्वतः ज्ञान अर्जन की सामग्री की तैयारियों का स्तर निम्नानुसार होगा:-

(i) स्नातक कार्यक्रमों के अधीन (3 वर्ष की अवधि):- एस.एल.एम. को पहले दो वर्षों के लिए और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के वैधानिक अधिकारियों द्वारा अनुमोदन या समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित किए अनुसार संपूर्ण रूप में तैयार होने चाहिए।

(ii) स्नातकोत्तर कार्यक्रम (2 वर्ष की अवधि) एस.एल.एम. को प्रथम वर्ष के लिए और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के वैधानिक अधिकारियों द्वारा अनुमोदन या समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित किए अनुसार संपूर्ण रूप में तैयार होने चाहिए।

(iii) स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए (2 वर्ष की अवधि) एस.एल.एम. को प्रथम वर्ष के लिए और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के वैधानिक अधिकारियों द्वारा अनुमोदन या समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित किए अनुसार संपूर्ण रूप में तैयार होने चाहिए ।

(ख) ऑनलाइन पद्धति के लिएः प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय ई-शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता निम्नानुसार होगी:-

(i) स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों के लिए:- अध्ययन के पहले वर्ष में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए चार चतुर्थांश में प्रथम वर्ष की ई-ज्ञान अर्जन सामग्री और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के वैधानिक अधिकारियों द्वारा अनुमोदन या जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया।

(ii) स्नातक स्तर के कार्यक्रमों के लिए:- प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए चार चतुर्थांश में पहले तीन सेमेस्टरों की ई-ज्ञान अर्जन सामग्री और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के वैधानिक अधिकारियों द्वारा अनुमोदन या जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया ।

(iii) स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए:- अध्ययन के पहले वर्ष में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए चार चतुर्थांश में प्रथम वर्ष की ई-ज्ञान अर्जन सामग्री और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के वैधानिक अधिकारियों द्वारा अनुमोदन या जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया।

परंतु वर्ष की शेष अवधि/सेमेस्टर के लिए, कार्यक्रमों की ज्ञान अर्जन सामग्री अगले वर्ष/सेमेस्टर की शुरूआत से पहले तैयार हो जाएगी और इसके बारे में आयोग को सूचित किया जाएगा।

अनुलग्नक-VIII

शिक्षार्थी सहायता केन्द्र

I. सामान्य

शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन (ओडीएल) पद्धति में तीन स्तर के कामकाज होते हैं जो उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों, क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों (एससी) के मुख्य कार्यालय (एच क्यू) में स्थित होते हैं या निम्नलिखित भाग में परिभाषित किए अनुसार उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र में स्थापित शिक्षार्थी सहायता केन्द्र हैं। प्रवेश, मूल्यांकन और परिणामों की घोषणा आदि की प्रक्रियाओं का प्रबंधन उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के मुख्यालयों की मुख्य जिम्मेदारी होगी और मुख्य परिसर से ही निर्वहन की जायेगी। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के प्रत्यक्ष प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र जो कार्यप्रणाली के दूसरे स्तर पर हैं, मुख्यालय और शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों के मध्य एक गतिशील परिचालन लिंक का निष्पादन करते हैं, जो कि मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन प्रणाली का तीसरा स्तर है और शिक्षार्थियों द्वारा वहां तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण मुख्य संपर्क बिन्दु, उत्तरदायी और सुविधाजनक सूचना केंद्र, असाइनमेंट के प्रसंस्करण आदि जैसे संपर्क सूत्रों और अन्य क्रियाकलाप हैं। शिक्षार्थी सहायता केंद्र (एलएससी) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा सीधे स्थापित और प्रबंधित किए जाएंगे और किसी भी फ्रेंचाईजी या आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से नहीं चलेगें।

परंतु राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित निजी विश्वविद्यालय केवल अपने मुख्यालय और विधिवत मान्यता प्राप्त ऑफ-कैंपस केन्द्रों के माध्यम से मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के अधीन कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए पात्र होगा निजी विश्वविद्यालय किसी भी शिक्षार्थी सहायता केंद्र के माध्यम से मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के अधीन कार्यक्रम प्रदान नहीं करेगा।

II. शिक्षार्थी सहायता केन्द्र या अध्ययन केन्द्र की परिभाषा और स्थापना

1- 'शिक्षार्थी सहायता केन्द्र(एलएससी)' का अभिप्राय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा सलाह, परामर्श, शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के बीच इंटरफेस प्रदान करने, अकादमिक और अन्य कोई संबंधित सेवाएँ और सहायता प्रदान करने, मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन के शिक्षार्थियों द्वारा आवश्यक अंतर की आवश्यकता का ध्यान रखने से है:

परंतु मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति में कार्यक्रम की पेशकश करने वाला उच्चतर शैक्षणिक संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त) से संबद्ध महाविद्यालय या संस्थान में ही हो या सरकारी मान्यताप्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान जो संगत संकाय जैसे विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मानविकी या वाणिज्य या प्रबंधन के अधीन समान व्यापक क्षेत्रों में समान स्तर के पारंपरिक पद्धति कार्यक्रमों की पेशकश कर रहा हो और सभी आवश्यक अवसंरचना और सिद्धांत संपर्क सत्रों में लगाने और प्रयोगशाला या क्षेत्र में व्यावहारिक सत्रों का पर्यवेक्षण करने के लिए समान कार्यक्रम की पेशकश करने वाले मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों या संस्थानों के पर्याप्त संख्या में अर्हता प्राप्त संकाय जो अर्हता प्राप्त सहायक आचार्यों के रैंक से निम्न नहीं हो:

परंतु आगे यह कि कोई उच्चतर शिक्षा संस्थान मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के माध्यम से अध्ययन के इच्छुक रक्षा या सुरक्षा बलों के कर्मचारी और जेल के कैदियों सहित विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, आत्मकेंद्रित व्यक्तियों के कल्याण के लिए ऑटिज्म सेरीब्रल पाल्सी, मानसिक मंदबुद्धि तथा बहु-विकलांगता के शिकार व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 राष्ट्रीय न्यास बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अनुदेश देने के लिए विशेष शिक्षार्थी सहायता केंद्र स्थापित कर सकता है :

परंतु यह भी कि किसी विशेष कार्यक्रम या किसी कार्यक्रम के विशेष घटक के लिए उपर्युक्त के अनुसार किसी संस्थान/महाविद्यालय की अत्यावश्यकता, अनुपलब्धता या इच्छुक नहीं होने के मामले में, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान सरकारी सहायता प्राप्त /संबद्ध/मान्यताप्राप्त अनुसंधान और विस्तार संस्थानों जैसे कृषि विज्ञान केन्द्रों/राज्य प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सरकारी संगठनों/विभागों, मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त उद्योग और अनुमोदित व्यावसायिक संस्थानों में कार्य-

केंद्र/कार्यक्रम केंद्र को क्रियाशील बना देगा, जिनके पास एक कार्यक्रम या एक कार्यक्रम के कई पाठ्यक्रमों के लिए वैधानिक निकाय निर्दिष्ट अवसंरचना, सुविधाएं और मानव संसाधन हों।

2. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के उपयुक्त वैधानिक निकायों के माध्यम से प्रसंस्करण के बाद उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा किसी अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र को स्थापित किया जाएगा। इस तरह के अनुमोदन को संसाधित करते समय शिक्षार्थी सहायता सेवाओं, अकादमिक, अन्य स्टाफ और अर्हता प्राप्त अकादमिक परामर्शदाताओं को प्रदान करते हुए अध्ययन केन्द्रों/शिक्षार्थी सहायकता केंद्रों की स्थापना की तैयारी के साक्ष्य देना अनिवार्य है।

3. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया होगी जिसमें अध्ययन केन्द्र या शिक्षार्थी सहायता केन्द्र के कार्यों के सभी पहलुओं, केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की निगरानी प्रणाली को शामिल किया जाएगा, और अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र के लिए यह अनिवार्य होगा कि काउंसलिंग सत्रों के संचालन, असाइनमेंट के मूल्यांकन और प्रभावी तथा ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली से संबंधित शिक्षार्थी डेटा का रखरवाव करेंगे, जिसकी निगरानी क्षेत्रीय केंद्र और मुख्यालय के स्तर पर की जानी चाहिए।

4. अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्रो की सूची विवरण सहित,जैसे संस्थान का नाम और पता जहां संस्थान स्थित है, समन्वयक का नाम, संपर्क विवरण सहित कार्य घंटे और काउंसलिंग सत्रों के कार्यक्रम, अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र में उपलब्ध अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं को मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन संस्थान के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा और उसी सूचना को शिक्षार्थियों और अन्य की सूचना के लिए मुद्रित विवरण-पुस्तिका में उपलब्ध कराया जाएगा।

5. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान समिति को इस आशय का एक वचन पत्र देगा कि उसके अध्ययन केन्द्रों या शिक्षार्थी सहायता केंद्रो में शैक्षिक और निर्देशात्मक सुविधाएं समय-समय पर जारी किए गए इन विनियमों और दिशा-निर्देशों की सभी शर्तों को पूरा करती हैं और शैक्षणिक कार्यक्रमों और वहाँ शिक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप है, परंतु उच्चतर शैक्षणिक संस्थान मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति से संबंधित अपनी किसी भी गतिविधि का आयोजन अध्ययन केन्द्रों या शिक्षार्थी सहायता केंद्रो के अतिरिक्त अन्य स्थानों जैसे कि सूचना केंद्र, सुविधा केंद्र, नोडल केंद्र, ज्ञान सहभागीदार, सहयोगी संस्थान, बहु मीडिया केन्द्रों और इसी तरह के नाम वाले स्थानों पर नहीं करेगा :

परंतु आगे यह कि किसी भी अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र को उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर, या किसी फ्रेंचाईजी या आउटसोर्स समझौते के अधीन स्थापित नहीं किया जाएगा, जैसा कि इन विनियमों में बताया गया है :

परंतु आगे यह कि अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र किसी भी शिक्षार्थी को किसी अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के लिए या उसकी ओर से प्रवेश नहीं देगा।

III. शैक्षणिक परामर्शदाताओं और परामर्श सत्रों के पैनल बनाने के लिए मानदंड

1. **शैक्षणिक सलाहकारों की नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें-** अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र में अकादमिक स्टाफ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 एवं समय-समय पर यथासंशोधित, में निर्धारित न्यूनतम अर्हता को पूरा करेगा। इसके अलावा, ऐसे अकादमिक स्टाफ को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ज्ञान अर्जन पद्धति के शिक्षार्थियों की विशेषताओं और उनकी आवश्यकताओं, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ज्ञान अर्जन पद्धति और पारंपरिक आमने-सामने की शिक्षा के बीच अंतर, अनुदेशात्मक डिजाइन के बारे में जागरूकता, ज्ञान अर्जन की मिश्रित पद्धति में शिक्षार्थी केन्द्रित दृष्टिकोण से परिचित होना, ऑनलाइन और कंप्यूटर मध्यस्थ संचार और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम ज्ञान अर्जन सहित विभिन्न प्रतिपादित मीडिया का उपयोग करने की दक्षता होनी चाहिए।

2. **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों के लिए मानदंड**- क्रेडिट आधारित प्रणाली का पिछले दो दशकों से अधिक समय के दौरान मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ज्ञान अर्जन एकल पद्धति उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है और इसे विशेष रूप से मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यक्रम प्रतिपादन के लिए मानकीकृत कराया गया है। इस तरह के क्रेडिट कुल घंटों पर निर्भर करते हैं जो एक शिक्षार्थी के लिए कार्यक्रम को पूरा करने में व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों में

भागीदारी, असाइनमेंट पर काम करने, पुस्तकालय परामर्श, आदि जैसे सभी कार्यकलापों की आवश्यकता होती है। इस दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश पारंपरिक पद्धति के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए अनिवार्य हैं। तद्नुसार मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए, प्रति सेमेस्टर में 16 क्रेडिट कुल चार सेमेस्टर के लिए प्रदत्त किए गए है, अवधारणा को समझाने के लिए सांकेतिक आधार पर, हालांकि आयोग द्वारा समय-समय पर परिभाषित किए अनुसार क्रेडिट संख्या से नियंत्रित किया जाएगा। मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति कार्यक्रम प्रतिपादन में, शिक्षकों के साथ संपर्क का घटक तुलनात्मक रूप से पारंपरिक या आमने-सामने की पद्धति की तुलना में बहुत कम है जो शिक्षार्थी की ओर से स्वतः ज्ञान अर्जन द्वारा पूरित है।

निम्नलिखित तालिका मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति कार्यक्रम प्रतिपादन के सिद्धांत और प्रायोगिक पाठ्यक्रमों में परामर्श सत्र के मानदंडों के लिए प्रदान की जाती है।

तालिका: मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम- सिद्धान्त और प्रायोगिक पाठ्यक्रमों के लिए संपर्क सत्र; सांकेतिक आधार पर

चार पाठ्यक्रम, प्रत्येक 04 क्रेडिट का, प्रति सेमेस्टर कुल 16 क्रेडिट			
असाइनमेंट की संख्या	सिद्धान्त के लिए 10-12 क्रेडिट और प्रायोगिक पाठ्यक्रमों के लिए 6-4 क्रेडिट		केवल सिद्धान्त पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श: चार पाठ्यक्रम, प्रत्येक के लिए 4 क्रेडिट
	संपर्क सत्र - प्रायोगिक	संपर्क सत्र- सिद्धान्त	
चार प्रति सेमेस्टर	2 क्रेडिट प्रति आंतरिक पर्यवेक्षक की सहायता से 60 घंटे का निर्देशित प्रयोग	30-36 घंटे	12 घंटे प्रति पाठ्यक्रम

टिप्टणी:- (1) संपर्क सत्र 20 प्रतिशत की सीमा तक, या जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया गया है, व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके व्यवस्थित किया जा सकता है और अन्य ऑनलाइन प्रतिपादन प्रणालियों द्वारा भी प्रबंध किया जा सकता है।

टिप्टणी:- (2) प्रायोगिक सत्र 20 प्रतिशत की सीमा तक या जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया गया है, वर्चुअल लैब पद्धति के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है।

IV. अध्ययन या शिक्षार्थी समर्थन केन्द्रों पर कार्यबल और अन्य सहायता की तैनाती

1- अध्ययन केन्द्र या शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में समन्वयक की अध्यक्षता में संचालन किया जाएगा, जोकि सहायक प्राध्यापक के पद से नीचे न हो, शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर संवर्धित होगा। मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम में शिक्षार्थियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यह ज्ञान अर्जन सहायता कार्यक्रम केन्द्र या अध्ययन केन्द्र और मुख्य कैंपस में ही होगा। प्रत्येक कार्यक्रम में क्षमता संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध योग्य संकाय के साथ, अच्छी सुसज्जित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, ऑनलाइन कनेक्टिविटी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुविधायें और उचित बुनियादी ढांचे के साथ निम्नलिखित हों:-

(i) प्रत्येक सिद्धांत पाठ्यक्रम के छात्रों की संख्या के लिए योग्य परामर्शदाता की संख्या 1: 100 होगी।

(ii) व्यावहारिक पाठ्यक्रम में 2 क्रेडिट के अनुसार योग्य पर्यवेक्षकों की संख्या 1 या अधिक होगी।

(iii) प्रयोगशाला की उपलब्धता: प्रयोगशाला मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में होनी चाहिए जो पारंपरिक पद्धति के अनुसार 3 वर्ष से कम न हो, का कार्यक्रम की पेशकश करते है,

V. शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों या अध्ययन केन्द्रों के कामकाज की निगरानी

उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में संचार प्रौद्योगिकी आधारित परस्पर संवादात्मक संचार प्रणाली मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों के बीच होनी चाहिए।

(i) प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए दो तरह की संचार सुविधा लॉग इन ई-मेल आई डी के लिए लागू की जाएगी

ताकि संस्थान के विभिन्न सूत्रों के साथ वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर सके जिससे मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम में सुधार हो सके।

(ii) मुख्यालय, क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र सभी प्रासंगिक और अद्यतन जानकारी देने के लिए मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए एक वेब पोर्टल को बनाए रखेगें। इनकी सामग्री को कम से कम साप्ताहिक आधार पर अध्यतन किया जाएगा।

(iii) क्षेत्रीय केंद्र जैसा कि लागू हो, विशेष रूप से प्रवेश परीक्षा और परामर्श सत्र के दौरान अध्ययन केन्द्रों या शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों के कार्यक्रम वितरण और कामकाज की गुणवत्ता के सभी पहलुओं के बारे में एक समग्र प्रतिवेदन समय-समय पर एकत्र करेगा और समेकित रिपोर्ट को मुख्यालय के साथ साप्ताहिक आधार पर साझा करेगा।

(iv) यह प्रतिवेदन शिक्षार्थियों द्वारा प्रतिक्रियाओं के साथ समय-समय पर देना होगा।

(v) एक कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिए लेखा परीक्षा और इसके अलावा अध्ययन केन्द्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र के प्रदर्शन की गुणवत्ता के वितरण के लिए विश्लेषण किया जाएगा।

(vi) मुख्यालय, क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र द्वारा तुरन्त कोई भी उपचारात्मक कार्रवाई संयुक्त रूप से सुनिश्चित की जाएगी।

(vii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के शैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों के अधिकारियों के साथ या शिक्षार्थी सहायता केंद्र, शिक्षार्थी और परामर्शदाताओं के साथ मौके की निगरानी और बातचीत करेंगे तथा

(viii) अध्ययन केन्द्रों या शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों पर विद्यार्थियों के लिए स्वयं (SWAYAM) और व्यापक रूप से खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के रिपॉजिटरी की पहुंच सुनिश्चित करना।

VI. गैर निष्पादित अध्ययन केंद्र और शिक्षार्थी केंद्र को बन्द करना

कोई यदि अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र निर्धारित मानदंड या दिशा-निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए केंद्रों को बन्द करने की कार्रवाई शुरू कर सकता है ताकि वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा शिक्षार्थियों के हितों का ध्यान रखा जा सके।

अनुलग्नक-IX

गैर-स्वयं (Non-SWAYAM) ज्ञान अर्जन प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रम के संचालन के लिए मूल्यांकन मापदंड

I. प्रावधान:-

स्वयं (SWAYAM) के अलावा ऑनलाइन कार्यक्रमों के प्रतिपादन के लिए उपयोग किये जाने वाले ज्ञान अर्जन मंच का आयोग द्वारा गठित एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा विधिवत मूल्यांकन किया जायेगा एवं ज्ञान अर्जन मंच के निम्नलिखित विस्तृत प्रावधान होंगे:-

1. उपयोगकर्ता और पाठ्यक्रम प्रबंधन

(i) **उपयोगकर्ता प्रबंधनः** भूमिका आधारित प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता पंजीकरण, उपयोगकर्ता व्यक्तिगत डैशबोर्ड के साथ प्रोफाइलिंग, उपयोगकर्ता की गतिविधियों का विश्लेषण, उपयोगकर्ता की गतिविधियों का विश्लेषण, ज्ञान अर्जन प्रबंधन प्रणाली में बाहर के साथ एकीकृत करने के लिए एल्पलीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की सुविधा होनी चाहिए।

(ii) **पाठ्यक्रम सामग्री प्रबंधन:-** ज्ञान अर्जन प्रबंधन प्रणाली (एल एम एम) को सभी प्रकार की फाइलों का समर्थन करना चाहिए (पीडीएफ, डॉक्स, एम पी 3, एम पी 4 आदि) और ई-लर्निंग प्रारूप और डेटा संग्रह क्षमतायें।

(iii) **व्यक्तिगत ज्ञान अर्जन अनुभव के लिए क्षमताः-** इससे पहले कि वे अगली सामग्री पर जाएं, प्लेटफार्म को आवश्यक मानदंड सहित व्यक्तिगत ज्ञान अर्जन पथ सृजन करने की अनुमति देनी चाहिए।

2. **सहयोग और संचारः-** ऑनलाइन बातचीत, चर्चा मंच उपयोगकर्ता समूह, अंतर्निहित मैसेंजर आदि द्वारा सहकर्मियों के बीच बातचीत से मंच को बढ़ावा देने में सक्षम हो जाएगा।

3. **अभिहस्तांकन और प्रश्नोत्तरी प्रबंधनः-** स्व-मूल्यांकन निर्माण (अभिहस्तांकन, प्रश्नोत्तरी) घोषणा/यह सभी प्रकार के प्रश्न (बहुविकल्पीय प्रश्न, सत्य और असत्य, मिलान, व्यक्तिपरक छोटे और लंबे प्रश्न आदि)।

4. **उपकरणों और मोबाइल ज्ञान अर्जन तक पहुंचः-** ज्ञान अर्जन प्रबंधन प्रणाली (एल एम एस) शिक्षार्थी को विभिन्न उपकरणों जैसे पीसी, लैपटॉप, टैब या स्मार्ट फोन पर पाठ्यक्रमों का अध्ययन व उपयोग करने की अनुमति देगा।

5. **सुरक्षा और गोपनीयता:-** जैसा कि ज्ञान अर्जन प्रबंधन प्रणाली शिक्षार्थियों का व्यक्तिगत अभिलेख रखती है यह सुनिश्चत करना महत्वपूर्ण है कि गुप्त नियंत्रण, संरक्षित लॉगिग उपयोग कर्ताओं के डेटा के सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित सर्वर स्थानों का उपयोग करता है ।

II. **ऑनलाइन प्लेटफार्म के आकलन के लिए पैरामीटरः**

तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा एक गैर–स्वयं (SWAYAM) मंच का मूल्यांकन विस्तृत तौर पर निम्नलिखित मानदंडों के साथ ही समय– समय पर आयोग द्वारा आधिसूचित कोई अन्य मानदंड पर आधारित होगा:-

1. **उपयोगकर्ता के अनुकूल:-**

संदर्भ की सांकेतिक शर्तें:-

(i) उपयोग में आसानी / उचित पथ प्रदर्शन/आकर्षक प्रस्तुतियाँ ।

(ii) इण्टरफेस की उपलब्धता/ वितरण तंत्र की उपलब्धता- वेब, मोबाइल डेस्कटॉप, त्वरित संदेश, वीडियों क्रॉन्फ्रेंसिंग, आडियों ग्राफिक सिस्टम आदि।

(iii) वेब आधारित मामलों में उचित इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता।

(iv) सामग्री का प्रतिनिधित्व –पाठ /चित्रात्मक, अभ्यास, टयूटोरियल, उदाहरण, केस स्टडी आदि

2. सामग्री भंडारण और प्रबंधन प्रावधान :-

संदर्भ की साकेतिक शर्तें:-

(i) सामग्री का उत्पादन

(ii) दृश्य-श्रव्य संग्रहण तंत्र (क्लाउड सेवा प्रदाता का नाम, स्ट्रीमिंग सेवाओं का इस्तेमाल आदि)

(iii) सामग्री तक पहुंच में आसानी

(iv) हर समय सामग्री की विश्वसनीयता और उपलब्धता

3. तुल्यकालिक सहभागिता प्रावधान (दृश्य /श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट आदि)।

4. अतुल्यकालिक सहभागिता प्रावधान (चर्चा मंच, ब्लॉग, विकी आदि)।

5. शिक्षार्थी व्ययस्तता के प्रावधान (परस्पर संवादात्मक सामग्री, गतिविधि प्रबंधन, समूह परियोजनाएं)।

6. सहकर्मी समूह बातचीत के प्रावधान (सामाजिक मीडिया एकीकरण, समूह गतिविधियां, ब्रेकआउट रूम आदि)

7. शिक्षण समुदाय/ अनुसंधान मंच

संदर्भ की सांकेतिक शर्तें:-

(i) आंतरिक /बाहरी समुदायों का सहयोग

(ii) सहयोग पद्धति

8. अनुकूली शिक्षण प्रावधान (कौशल अंतर विश्लेषण,व्यक्तिगत सामग्री)

9. शिक्षार्थियों को विभिन्न उपदेशकों के साथ समूह बनाने का प्रावधान

(i) नियमों के अनुसार 250 शिक्षार्थियों के समूह के साथ एक परामर्शदाता

10. सभी हितधारकों के लिए नियंत्रण–पट्ट विकल्प

11. प्रमाणित परीक्षा पद्धति:-

परीक्षा का समर्थन –संदर्भ की सतत या रचनात्मक (formative), योगात्मक (summative) सूचक शर्तें:-

(i) ऑनलाइन प्रश्न बैंक प्रबधन, पेपर सेंटिग, मूल्यांकन

(ii) ऑनलाइन छात्र पंजीकरण और परीक्षा निर्धारण

(iii) सतत् मूल्याकंन के आधार पर ग्रेड़ की ऑनलाइन पीढ़ी (Generation)

(iv) शिक्षार्थी प्रमाणीकरण

12. परीक्षा का समर्थन –बहुविकल्प और दीर्घ/ लघु उत्तर

13. ऑन लाइन असाइनमेंट निर्माण, प्रस्तुति और श्रेणी निर्धारण के लिए प्रावधान

14. छात्रों की गतिविधियों, प्रदर्शन के बारे में सूचित करने के लिए उपकरण की उपलब्धता आदि

15. साहित्यिक चोरी के प्रावधानों की जांच

16. ऑनलाइन भुगतान के लिए पद्धति

17. लचीलापन:-

संदर्भ की सांकेतिक शर्तें:-

(i) ब्राउजर समर्थित

(ii) मुख्य साइट जिसमें उत्तरदायी डिजाइन है।

18. मानक चार दृष्टिकोणों के लिए समर्थित, जोकि स्वयं द्वारा अनुसरण किया जाता है।

19. प्रमाण पत्र/ डिग्री के ऑनलाइन प्रदान का प्रावधान।

20. संकाय को प्रभावी ढंग से डिजाइन और वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOCS) विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए प्रस्तावित कार्य प्रणाली।

21. पारदर्शिता और विश्वसनीयता के दृष्टि कोण से सुरक्षा सुविधाएं के संदर्भ में सांकेतिक शब्द (i) सभी स्तरों सहित शिक्षार्थी की आई पी ट्रैकिंग।

22. मापनीयता

संदर्भ की सांकेतिक शर्तें:-

(i) अधिकतम उपयोग कर्ता

(ii) उपयोगकर्ताओं की संख्या एक साथ लॉग इन करने में सक्षम।

23. यह सुनिश्चित करने लिए प्रस्तावित पद्धति कि संकाय छात्र के साथ संलग्न हो, उन्हें प्रेरित करें और उनका आंकलन करें।

24. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान (एच ई आई) में प्लेटफार्म के रखरखाव एवं संचालन हेतु एक उपयुक्त संगठनात्मक सेट अप का प्रावधान हो जो छात्रों को प्रेरित और आंकालित करें।

25. पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कार्य प्रणाली।

अनुलग्नक-X

शिकायत निवारण तंत्र

I. शिक्षार्थी के लिए शिकायत निवारण प्रणाली का क्षेत्र

उच्चतर शैक्षणिक संस्थान मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति के द्वारा एक शिकायत निवारण प्रणाली का और/या ऑनलाइन पद्धति से पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा अद्यतन करने का उत्तरदायित्व होगा। उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में से प्रत्येक एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान करेगा ताकि उस पर शिकायतों को जमा किया जा सके और उनकी स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा हो। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान निगरानी, आंकलन के लिए भी जिम्मेदार होगा। और इनकी शिकायत निवारण प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की समीक्षा भी करेगा।

II. शिकायत निवारण के लिए दिशानिर्देश और मानक

उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में शिकायत प्रणाली पर निम्नलिखित दिशा निर्देशों और मानकों के आधार पर एक नीति होगी, अर्थात

(i) नीति निष्पक्ष और समझने योग्य होगी

(ii) प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए समय रेखा होगी,

(iii) नीति को उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा ताकि शिक्षार्थी पढ़ सके और उनका संदर्भ ले सकें ।

(iv) नीति को उपयुक्त प्रारूप और प्रावधान के अनुसार नीति दस्तावेज बनाया जाएगा जो दिव्यांग शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) शिकायत निवारण प्रक्रिया में शामिल प्राधिकारी या अधिकारी निष्पक्ष रूप से तथ्यों की जांच करेंगे।

(vi) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में शिकायतों का समाधान समयबद्ध तरीके से करेगें ताकि सीखने की प्रक्रिया में रूकावट कम हो।

(vii) उच्चतरशैक्षणिक संस्थान में उचित संचार और वृद्धि तंत्र व्यवस्था ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित और बनाए रखा जाएगा।

(viii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान जहां तक संभव हो शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनाए रखेगा।

(ix) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान यह सुनिश्चत करेगा कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र और शिक्षार्थी सहायता केंद्र (मुक्त और ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों) के लिए ऐसे अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेगा जो पोर्टल में शिकायतें प्रस्तुत करने पर मार्गदर्शन प्रदान में करने सक्षम हों,

(x) किसी भी समय प्रक्रिया के दौरान बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायत वापिस लेने का प्रावधान होगाः तथा

(xi) प्राथमिकता पर प्रश्न या शिकायत पर शिक्षार्थी को उसके या उसके संबंध में स्थिति से अवगत रखा जाएगा।

III. शिक्षार्थी के अधिकार और दायित्व

एक शिक्षार्थी के अधिकार और दायित्व निम्न होंगे:-

(i) कार्यक्रम की गुणवत्ता, सीखने के संसाधनों सहित, उसका सीखने का मार्ग, शिक्षार्थी, समर्थन और मार्ग दर्शन, शिक्षण, शिक्षण और मूल्यांकन, सीखने वाले को अपने या उससे संबंधित किसी भी पहलू के बारे में शिकायत करने का अधिकार है।

(ii) शिक्षार्थी अपनी शिकायत प्रस्तुत करने के लिए संबंधित सीखने वाले केन्द्र (ओडीएल कार्यक्रमों के लिए) से संपर्क कर सकता है। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में भी ऑन लाइन पद्धति द्वारा शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है, शिकायत व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से की जा सकती है।

(iii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवा या सेवा में कमी के साथ असंतोष या एक सेवा की गुणवत्ता की कमी के लिए शिक्षार्थी द्वारा निर्धारित तरीके से एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है जो शिक्षार्थी प्राप्त करने के हकदार थे।

IV. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की जिम्मेदारियां

उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के उत्तरदायित्व निम्न होंगेः-

(i) एक उच्चतर शैक्षणिक संस्थान खुलापन और सहयोग के सिद्धान्त के साथ काम करेगा।

(ii) एक उच्चतर शैक्षणिक संस्थान लगातार सेवाएं प्रदान करने में सुधार करेगा और जब भी कोई शिकायत मिलती है तो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान इसकी जांच करेगा और अपनी सेवाओं में सुधार करेगा।

(iii) एक उच्चतर शैक्षणिक संस्थान अपने सीखने वाले केन्द्र (ओडीएल कार्यक्रम के लिए) को उत्पत्ति के बिंदु के करीब शिकायतों को हल करने और साथ ही औपचारिकता की न्यूनतम स्थिति को लागू करते हुए प्रोत्साहित करेगा।

(iv) एक उच्चतर शैक्षणिक संस्थान अपने शिक्षार्थी सहयोग केन्द्रों (ओडीएल कार्यक्रम के लिए) पर शिकायत निवारण प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

(v) एक उच्चतर शैक्षणिक संस्थान गोपनीयता के लिए जिम्मेदार है और गोपनीयता जब तक कि मामले में आगे बढ़ने के लिए प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

(vi) शिकायत असंतोष के कारणों के साथ होगी और उसके अपेक्षित उपाय भी होंगे। शिक्षार्थी ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण संख्या और संदर्भ भी देगा जो उसने सीखने वाले केन्द्र में दर्ज कराई होगी।

(vii) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान का प्रमुख संबंधित विद्यालय/विभाग केन्द्र की शिकायत की जांच करेगा या अधिक उपयुक्त व्यक्ति, निकाय, समिति या विभाग उपयुक्त रूप से जांच करने के लिए संदर्भित करेगा।

(viii) यह स्कूल/विभाग/केन्द्र के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की प्रगति की निगरानी करेगा और समय पर मामले को हल करें।

(ix) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान से संबंधित स्कूल/विभाग/केन्द्र की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी निर्णय के संबंध में लिखित रूप से उत्तर देने (पत्र या ई-मेल आदि) के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से करेंगे।

V. शिकायत संचालन तंत्र

ऑनलाइन शिकायत को संभालने वाली तंत्र सुविधाएं शिक्षार्थियों को परस्पर संवादात्मक वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें प्रस्तुत करने और उनके संकल्प की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान इस पर निम्न प्रकार से कार्रवाई करेंगे :-

i. सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यताप्राप्त है, जो समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित शिकायत निगरानी तंत्र से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

ii. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान अपनी वेबसाइट पर शिकायत संचालन तंत्र के विषय में आयोग द्वारा की गई सभी जानकारी अपलोड करेंगे।

iii. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान शिकायत संचालन तंत्र के बारे में मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन शिक्षा कार्यक्रमों और/या ऑनलाइन कार्यक्रमों में नामांकित शिक्षार्थियों को सूचित करेगा।

iv. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट के होमपेज पर शिकायत संचालन तंत्र के साथ एक लिंक प्रदान करेगा।

v. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान समय-समय पर आयोग द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करेगें जो शिक्षार्थियों द्वारा उठाये गए सभी शिकायतों के समयबद्ध और विवेकपूर्ण समाधान के संबंध में है।

रजनीश जैन, सचिव (वि.अ.आ.)

[विज्ञापन-III/4/असा./212/2020-21]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2020

No. F. 1-1/2020(DEB-I).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and in supersession of the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 and University Grants Commission (Online Courses or Programmes) Regulations, 2018 except as respect of things done or omitted to be done before such supersession, the University Grants Commission with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:-

PART I

PRELIMINARY

1. Short title, application and commencement.— (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020.

(2) These regulations lay down the minimum standards of instruction for the grant of degrees at the undergraduate and post graduate levels and grant of post graduate diploma, through Open and Distance Learning mode and Online mode and shall be in addition to and not in derogation of any other regulations, Notifications, Guidelines or Instructions issued by the Commission.

(3) These regulations shall apply to a University referred to under clause (f) of section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), an Institution Deemed to be University under section 3 of the said Act:

Provided that the University Grants Commission may, by order, exempt a Higher Educational Institution or Higher Educational Institutions from the application of these regulations.

(4) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Academic Council or Senate" means the body empowered to take decisions regarding all academic matters in a Higher Educational Institution including the decision permitting to offer Open and Distance Learning Programmes and/or Online Programmes in compliance to these regulations;

(b) "Academic session" means duration of twelve months beginning either in January to February or in the month of July to August, as the case may be, of every calendar year;

(c) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

(d) "Centre for Internal Quality Assurance" (CIQA) means a Centre established by a Higher Educational Institution for ensuring the quality of programmes being offered in Open and Distance Learning mode and Online mode, as specified in **Annexure-I**;

(e) "Commission" means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

(f) "Conventional mode" means a mode of providing learning opportunities through face to face interaction between the teacher and learner in regular class room environment but does not exclude supplementary instructions if any for the learner through use of online;

(g) "Credit" means the Unit award gained by a learner with study efforts of minimum number of hours required to acquire the prescribed level of learning in respect of that Unit;

Explanation.- For the purpose of this clause, A study effort for one credit shall mean time required by a learner to understand the contents equivalent to 15 hours of classroom teaching or 30 hours including self-learning time required to acquire the prescribed level of learning in respect of that Unit;

(h) "degree" means a degree specified under sub-section (3) of section 22 of the Act;

(i) "Dual Mode University" means a Higher Educational Institution offering programmes under conventional mode and also under Open and Distance Learning mode and/or Online mode;

(j) "e-Learning Material" means and includes contents in the form of structured course material, as a part of one or more courses in the Online Programme, in digital format delivered through Learning Management System, which is *inter alia* self-explanatory, self-contained, self-directed at the learner, and amenable to self-evaluation, and enables the learner to acquire the prescribed level of learning in a course of study, but does not include text-books or guide-books; as defined in these regulations;

(k) "Examination Centre" means a place where examinations are conducted, *inter alia,* for assessment of the learners pursuing programmes under Open and Distance Learning mode and Online mode and is having the requisite infrastructure relevant to respective mode of education including adequate manpower for smooth conduct of examinations and adhering to such minimum standards as specified in these regulations;

(l) "Franchising" for the purpose of these regulations, means and includes the practice of allowing, formally or informally, any person or institution or organisation, other than the Higher Educational Institution recognised under these regulations for offering programmes under Open and Distance Learning mode and Online mode, to offer such programmes of study or any related activity on behalf of or in the name of the recognised Higher Educational Institution, and the terms 'franchise' and 'franchisee' shall be construed accordingly;

(m) "Higher Education" means such education imparted by conventional mode or through open and distance learning mode or through online mode conducting regular classes or through Open and Distance Learning mode or through Online mode, beyond twelve years of schooling leading to the award of a Degree at undergraduate or postgraduate level or Certificate or Diploma or Postgraduate Diploma;

(n) "Higher Educational Institution" means a university under clause (f) of section 2 and an Institution Deemed to be a University under section 3, of the University Grants Commission Act, 1956, which is offering programmes through conventional mode and/or through Open and Distance Learning mode and/or through Online mode, in the field of higher education or research therein;

(o) "Information and Communication Technology" means the diverse set of tools and resources used to communicate, create, disseminate, store, manage information and be deployed for realising the goals of interactive teaching-learning, enhancing access, ensuring knowledge cum information sharing, building capacities and management of the educational system and resources;

(p) "Integrated Programme" shall have the same meaning as defined in UGC Notification on Specification of Degree, 2014;

(q) "Learning Management System" means a system to keep track of delivery of e-Learning Programmes, learner's engagement, assessment, results, reporting and other related details in one centralised location;

(r) "Learner Support Centre" means a centre established or recognised by the Higher Educational Institution for advising, counselling, providing interface between the teachers and the learners, rendering any academic and any other related service and assistance required, *inter alia,* by the learners of Open and Distance Learning mode;

(s) "Learner Support Services" means and includes such services as are provided by a Higher Educational Institution in order to facilitate the acquisition of teaching-learning experiences by the learner to the level prescribed by or on behalf of the Commission in respect of a programme of study under Open and Distance Learning mode and/or Online mode;

(t) "MOOCs" shall have the same meaning as assigned to it under sub-regulation 3.6 of regulation 3 of UGC (Credit Framework for Online learning courses through SWAYAM) Regulations, 2016;

(u) "Online Mode" means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using internet, e-Learning Materials and full-fledged programme delivery through the internet using technology assisted mechanism and resources;

(v) "Open and Distance Learning Mode" means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, online and occasional interactive face-to-face meetings with the learners or Learner Support Services to deliver teaching-learning experiences, including practical or work experiences;

(w) "Open University" means a Higher Educational Institution which imparts education only through Open and Distance learning mode and/or Online mode using variety of media including print, electronic, online, information and communication technology educational aids including Open Educational Resources (OERs) or Massive Open Online Courses (MOOCs) etc. and is not having any provision for offering higher education in conventional mode in its Act or Memorandum of Association or other statutory documents governing the Higher Educational Institution;

(x) "Post Graduate Diploma" means a programme with minimum duration of two years, minimum entry level qualification as graduation, minimum 80 credits and nomenclature as recognised by the Commission and regulatory authority or statutory council, as applicable;

(y) "Proctored Examination" means the examination conducted under the supervision of approved person or technology enabled proctoring which ensures the identity of the test taker and the integrity of the test taking environment, either in pen-paper mode or in computer based testing mode or in full-fledged Online mode; as permissible in Open and Distance Learning mode and Online mode under these regulations;

(z) "Prohibited programmes" means such programmes which shall not be permitted to be offered in Open and Distance Learning Mode and Online Mode in Higher Education, as detailed under:

(a) The programmes in the disciplines (including their allied domains) of Engineering, Medical, Physiotherapy, Occupational Therapy and other Para-Medical disciplines, Pharmacy, Nursing, Dental, Architecture, Law, Agriculture, Horticulture, Hotel Management, Catering Technology, Culinary Sciences, Aircraft Maintenance, Visual Arts and Sports;

(b) The research based programmes such as M.Phil and Ph.D;

(c) Such other Programmes not permitted to be offered through Open and Distance Learning mode and/or Online mode by any concerned statutory or regulatory body or council:

Provided that, if the concerned statutory or regulatory body or council permits any of the prohibited programmes, as mentioned above, under its domain, in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, the same may be considered by the Commission, and the decision so taken shall be notified by an Order.

(za) "Prospectus" includes any publication, whether in print or e-form, issued for providing fair and transparent information, relating to a Higher Educational Institution and its programmes, to the general public (including to those seeking admission in such Higher Educational Institution) by the management of such Higher Educational Institution or any authority or person authorised by such Higher Educational Institution to do so;

(zb) "Regional Centre" means a Centre established or maintained by the Higher Educational Institution for the purpose of coordinating and supervising the work of the Learner Support Centres in the region as per its territorial jurisdiction and for performing such other functions as may be conferred on such Centre by the statutory authorities of the Higher Educational Institution;

(zc) "Self-Learning e-Module" for Online mode means a modular unit of course material in e-learning form which is *inter alia* self-explanatory, self- contained, self-directed at the learner, and amenable to self-evaluation, and enables the learner to acquire the prescribed level of learning in a course of study and includes contents in the form of a combination of the following e-Learning content, namely:-

(a) e-Text Materials;

(b) Video Lectures;

(c) Audio-Visual interactive material;

(d) Virtual Classroom sessions;

(e) Audio Pod casts;

(f) Virtual Simulation; and

(g) Self-Assessment Quizzes or Tests;

(zd) "Self-Learning Material" for Open and Distance Learning mode means and includes contents in the form of course material, whether print or in e- form, which is inter-alia self-explanatory, self-contained, self-directed at the learner, and amenable to self-evaluation, and enables the learner to acquire the prescribed level of learning in a course of study, but does not include text-books or guide-books;

(ze) "SWAYAM" (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) means the learning management system as specified in the UGC (Credit Framework for online learning courses through SWAYAM) Regulations, 2016.

PART II

RECOGNITION PROCESS FOR OFFERING PROGRAMMES UNDER OPEN AND DISTANCE LEARNING (ODL) MODE AND ONLINE MODE

3. Institutional Level Eligibility Criteria.—

(A) Open and Distance Learning Mode: Any Higher Educational Institution, may apply for offering programmes through the Open and Distance Learning mode, which fulfils the following conditions, namely:-

(i) shall be accredited by the National Assessment and Accreditation Council with minimum score of 3.01 on a 4-point scale;

or

having rank in top-100 in University category of National Institutional Ranking Framework, at least once in two preceding cycles (at the time of application):

Provided that the NAAC and NIRF Ranking requirements shall be valid for academic session 2020-2021 (session beginning July, 2020 and January, 2021) only and shall be reviewed subsequently by the Commission for the academic session 2021-2022 (session beginning July 2021) and onwards:

Provided further that in view of unprecedented circumstances due to COVID-19 pandemic, the Higher Educational Institutions recognised by the University Grants Commission to offer programmes in Open and Distance Learning mode till the academic session 2019-2020 to enable them to reach the prescribed quality National Assessment and Accreditation Council benchmark and had submitted an undertaking to the effect that they will attain a National Assessment and Accreditation Council score of 3.26 on a 4-point scale before the end of academic session July 2019 - June 2020, and have also submitted an application to the National Assessment and Accreditation Council till 29 February 2020, shall continue to offer programmes, already recognised for the academic session 2019-2020, in Open and Distance Learning mode for a period of one year, academic session 2020-2021, starting from July 2020. Thereafter these Higher Educational Institutions shall be required to attain the eligibility mentioned at sub-clause (i) above:

Provided also that the NAAC condition mentioned above shall not be applicable to the Open Universities already recognised by the Commission for offering Open and Distance Learning Programmes for the academic year 2019-2020. These Open Universities shall be required to submit an affidavit that they shall obtain NAAC accreditation prior to the completion of the current recognition period, as specified in the Commission order already issued, failing which the Commission shall not accord further recognition to the programmes of such Open Universities under Open and Distance Learning mode:

Provided also that Open Universities not recognised by the Commission under UGC (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 shall be required to obtain National Assessment and Accreditation Council (NAAC) accreditation within one year of their becoming eligible for accreditation by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC), failing which the Commission shall not accord further recognition to the programmes of such Open Universities under Open and Distance Learning mode:

Provided also that an Institution Deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 shall offer programmes in Open and Distance Learning mode in accordance with the extant Deemed to be University Regulations and also in compliance to the provisions of these regulations;

(B) Online Mode

(a) Higher Educational Institutions having NAAC score 3.26 and above or having rank in Top-100 in University category of National Institutional Ranking Framework, at least twice in three preceding cycles (at the time of application), shall be permitted to start full-fledged Online programmes without prior approval of the UGC, provided it satisfies all the conditions mentioned in these regulations:

Provided that the Higher Educational Institutions can start maximum of three (03) Under Graduate (UG) programmes and ten (10) Post Graduate (PG) programmes with the approval of its statutory authorities and in strict compliance with the provisions of these regulations:

Provided further that the NAAC and NIRF Ranking requirements shall be valid for academic session 2020-2021 (session beginning July, 2020 and January, 2021) only and shall be reviewed subsequently by the Commission for the academic session 2021-2022 (session beginning July 2021) and onwards:

Provided also that Higher Educational Institutions shall be required to submit application and desired information, and comply to all the provisions of the regulations and shall be required to submit an affidavit to the UGC:

Provided also, that in case, the Higher Educational Institutions want to start more than the defined number of programmes, then they shall seek prior permission from the Commission.

(b) Any Higher Educational Institution, may apply for offering programmes through the Online mode, which fulfils the following conditions, namely:-

(i) shall be in existence for at least three years; and

(ii) shall be accredited by the National Assessment and Accreditation Council with minimum score of 3.01 on a 4-point scale;

or

shall be in the top-100 in University category in the National Institutional Ranking Framework for at least once in last two preceding cycles (at the time of application):

Provided that the NAAC and NIRF Ranking requirements shall be valid for academic session 2020-2021 (session beginning July, 2020 and January, 2021) only and shall be reviewed subsequently by the Commission for the academic session 2021-2022 (session beginning July 2021) and onwards:

Provided further that the condition mentioned at item (ii) of sub-clause (b) shall not be applicable to the Open Universities already recognised by the Commission for offering Open and Distance Learning programmes or Online programmes for the academic year 2019-2020. These Open Universities shall be required to submit an affidavit that they shall obtain National Assessment and Accreditation Council (NAAC) accreditation prior to the completion of the current recognition period, as specified in the Commission order already issued, failing which the Commission shall not accord further recognition to the programmes of such Open Universities under Online mode:

Provided also that a Higher Educational Institution having National Assessment and Accreditation Council (NAAC) valid score equal or more than 3.26 or having rank in Top-100 in University category of National Institutional Ranking Framework at least twice in three preceding cycles shall be permitted to enroll International Learners also:

Provided also that an Institution Deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 shall offer programmes in Online mode in accordance with the extant Deemed to be University Regulations and also in compliance to the provisions of these regulations.

4. Requirements for Submission of Proposals.—

(A) Common Provisions for Open and Distance Learning Mode and Online Mode: Every Higher Educational Institution eligible as per regulation 3 and intending to offer a programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode from the academic session shall make an application to the Commission in the format mentioned in sub-regulation (1) of regulation 5 with documentary evidence for grant of recognition on fulfillment of the following conditions, namely:

(i) the Higher Educational Institution has complied with the Institutional eligibility criteria as per regulation 3 of these regulations;

(ii) the Higher Educational Institution has the approval of the statutory bodies under its Act for offering the programme in Open and Distance Learning mode or Online mode, as the case may be;

(iii) the list of proposed programmes to be offered in Open and Distance Learning mode or Online mode, as applicable, the expected enrolment of learners, the learning outcome of each programmes and other requirements as notified by the Commission from time to time;

(iv) for the programmes falling under the ambit of a statutory or regulatory authority or regulatory council, the Higher Educational Institution has the approval or recommendations of the respective statutory or regulatory authority or regulatory council for offering the programmes in Open and Distance Learning mode or Online mode, as applicable;

Explanation: Programmes as mentioned at clause (iv) shall be considered only when these are recommended by the respective statutory or regulatory authority or regulatory council to offer in Open and Distance Learning mode or Online mode, as applicable. Also, statutory or regulatory authority or regulatory council shall either maintain the minimum standards for the programmes in Open and Distance Learning mode or Online mode as stipulated in these regulations or set higher standards while making recommendations to the Commission.

(v) the entry level qualifications, curriculum, teaching-learning scheme, pattern of question papers for end semester examination or term end examination, pass or fail criteria in Dual Mode University are the same for conventional programme and the proposed Open and Distance Learning programme or Online programme, as applicable, and in case of Open University, these parameters are same for Open and Distance Learning programme and proposed Online programme;

(vi) weightages to continuous assessment and end semester examinations or term end examinations for the proposed Open and Distance Learning programmes or Online programmes, as applicable, is in conformity with regulation15;

(vii) submission of the fee as notified by Commission;

(viii) a copy of such application is displayed on the website of the Higher Educational Institution by way of self-disclosure;

(ix) submission of affidavit in the format notified by Commission;

(x) preparedness status, as decided by the Commission from time to time for various stages of recognition process for the following, namely:-

(a) establishing Centre for Internal Quality Assurance as specified in **Annexure-I**;

(b) for establishing Learner Support Centres (Open and Distance Learning programmes) as specified in **Annexure-VIII**;

(c) providing systems for Learner Support Services as specified in **Part IV**;

(d) availability of Director, academic and other staff, qualified Counsellors/ Co-ordinators/ Mentors, (for ODL and Online modes, as applicable) meeting such standards of competence as specified in **Annexure-IV**;

(e) administrative arrangements, infrastructure and technology support for effective delivery of programmes in Open and Distance Learning and Online mode as specified in **Annexure- IV**.

Explanation: A Private University established under a State Act shall be eligible to offer programmes under Open and Distance Learning mode through its Head Quarters only and duly recognised off-campus centres. A Private University shall not offer programmes under Open and Distance Learning mode through any Learner Support Centre.

(B) Provisions for Open and Distance Learning Mode:

(i) The Higher Educational Institution shall adhere to the policy of territorial jurisdiction as specified in **Annexure-III**;

(ii) A Higher Educational Institution shall be eligible to offer only those degree programmes at undergraduate and postgraduate levels and post graduate diploma programmes, which it has already been offering in conventional mode of classroom teaching and from which at least one batch has passed out:

Provided that this sub-clause shall not be applicable to Open Universities:

Provided further that Science based programmes, which require hands-on experience, experimental setup, shall be offered only by the Higher Educational Institutions having NAAC score of 3.26 and above or by the Open universities or by the Higher Educational Institutions having rank in top-100 in University

category of National Institutional Ranking Framework (NIRF), at least twice in three preceding cycles:

Provided also that the Science based programmes shall be offered from the Head Quarters and/or only from such Learner Support Centres which are offering same programme under conventional mode atleast for seven years.

(iii) The application is accompanied with evidence of having prepared the self-learning materials required as decided by the Commission, for the proposed programmes of study, duly approved by the statutory bodies of the Higher Educational Institutions empowered to decide on academic matters.

(iv) The application is accompanied with evidence of availability/ preparedness, as decided by the Commission from time to time, of Open and Distance Learning resources, adequate for effective delivery of all the proposed programme(s) of study considering the expected enrolment of learners.

(C) Provisions for Online Mode:

(i) Territorial Jurisdiction shall not be applicable to the Higher Educational Institutions for offering recognised Online programmes under these regulations.

(ii) A Higher Educational Institution, shall be eligible to offer only those degree programmes at undergraduate and postgraduate levels and post graduate diploma programmes, which it has already been offering in conventional mode of classroom teaching or in Open and Distance Learning mode and from which at least one batch has passed out:

Provided that any programme requiring practical or laboratory course as a curricular requirement, shall be prohibited through Online mode, except in cases where practical component is limited to programming and coding including software tools.

(iii) The application is accompanied with demonstrated capability of Higher Educational Institution for development and production of Online Programmes for the proposed programmes of study, duly approved by the statutory bodies of the Higher Educational Institution empowered to decide on academic matters.

(iv) The application is accompanied with evidence of Higher Educational Institution having access to SWAYAM or other learning platform for the proposed programmes of study, duly approved by the statutory bodies of the Higher Educational Institution empowered to decide on academic matters, for-

(a) learner authentication - integrated with Aadhaar or other government recognised identity for Indian learners and Passport for foreign learners;

(b) learner registration - through a web application with supporting documents;

(c) payment gateway – using Digital Payment system;

(d) learning management System - which tracks the delivery of Programme, learner's engagement, assessment, results, and reporting supported by analytical tools that can help the teachers to extract and use the relevant reports.

(v) The application is accompanied with the evidence of ability to conduct proctored examinations with all the security arrangements ensuring transparency and credibility of the examinations.

(vi) The application is accompanied with evidence to ensure that the Higher Educational Institutions offering Online Programmes is not having any franchise arrangement with a private service provider and the ownership of offering Online programmes including all the required components of Online education and compliance to all the provisions of the regulations shall be that of Higher Educational Institutions only.

(vii) The application is accompanied with evidence of availability/ preparedness, the administrative arrangements for supportive services for effective delivery of all the proposed programme(s) of study considering the expected enrolment of learners.

5. Programmes Recognition Process.— (1) A Higher Educational Institution intending to offer a programme through Open and Distance Learning mode and/or Online mode for academic session and for subsequent years, shall make an online application, as invited by the Commission in the format notified by Commission and upload the same on the specified portal along with scanned copy of all the documents specified therein, at least three months prior to commencement of the academic session of the programme intended to be offered by such Higher Educational Institution:

Provided that the programmes of the Higher Educational Institutions recognised by the Commission under UGC (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 and UGC (Online Courses or Programmes) Regulations, 2018 shall remain valid programmes for the period as mentioned in the Commission Orders. These Higher Educational Institutions shall submit an affidavit to the Commission that they shall comply to provisions of these regulations prior to the beginning of next academic session from the notification of these regulations. However, after the expiry of the recognition period as specified in the already notified Commission Orders, the Higher Educational Institution for the said programmes shall be required to apply afresh as per the sub-regulation (1) of regulation 4.

(2) The Commission shall process the application received under sub-regulation (1) of regulations 5 in the following manner, namely:-

(i) any deficiency or defect in the application shall be communicated by the Commission to the Higher Educational Institution and the Higher Educational Institution shall be required to remove or rectify such deficiencies or defects with the necessary documents or information, if any, within fifteen days;

(ii) where the Higher Educational Institution has made an application for offering programme(s) in Open and Distance Learning mode and/ or Online mode, the Commission may cause an inspection, in respect of such programme(s), of the Higher Educational Institution at its discretion through an Expert Committee;

(iii) the Commission shall examine the application with the help of an Expert Committee constituted by Chairman of the Commission and the recommendations of the Committee shall be placed before the Commission for its consideration.

(3) After processing the application in the manner laid down under sub-regulation (2) of regulation 5 for offering programme(s) through Open and Distance Learning mode and/or Online mode, the Commission shall-

(i) if it is satisfied that such Higher Educational Institution fulfils the conditions laid down and the quality parameters specified under these regulations, pass an order granting recognition to such Higher Educational Institution for a period of five years in respect of such programmes either in Open and Distance Learning mode or in Online mode or in both modes, as it may specify in the order, and subject to such conditions as it may specify:

Provided that while passing an order, where the Commission does not grant recognition in respect of one or more programmes, the Commission shall specify the grounds of such refusal in the order.

(ii) If the Commission is of the opinion that such Higher Educational Institutions does not fulfill the requirements laid down in clause (i) in respect of any of the programme intended to be offered by the Higher Educational Institution either in Open and Distance Learning mode or in Online mode or in both modes, it shall pass an order refusing recognition to such Higher Educational Institution for reasons to be recorded in writing.

(4) Every order granting or refusing recognition to a Higher Educational Institution for programme(s) in Open and Distance Learning mode and/or Online mode under sub-regulation (3) of regulation 5 shall be communicated in writing for appropriate action to such Higher Educational Institution and to the concerned State Government and the Central Government.

(5) Every Higher Educational Institution, in respect of which recognition for programme(s) has not been granted by the Commission, shall discontinue the programme(s) in Open and Distance Learning mode and/or Online mode with immediate effect:

Provided that the learners already enrolled in the currently recognised programmes shall be allowed to complete the Programmes in the laid down manner.

(6) Every Higher Educational Institution which is accorded recognition by the Commission under these regulations shall offer programme(s) in Open and Distance Learning mode and/or Online mode from the academic session as mentioned in the Commission Order.

(7) No Higher Educational Institution shall offer any Open and Distance Learning Programme and/or Online Programme and admit learners thereto unless it has been granted recognition by the Commission and admission shall not be made in anticipation of the recognition.

6. Appeal.— (1) Any Higher Educational Institution aggrieved by an order made under sub-regulation (3) of regulation 5 and withdrawal of recognition under sub-regulation (1) of regulation 7 may prefer an appeal to the Commission within a period of thirty days from the date of issue of communication;

(2) No appeal shall be accepted after the expiry of the prescribed period under sub-regulation (1).

(3) Every appeal made under these regulations shall be accompanied by a copy of the order appealed against along with a fee of Rs. 10,000/- per programme.

(4) The procedure for disposing off an appeal shall be as under:

(i) The Commission shall examine the appeal with the help of a Standing Appellate Committee constituted by Chairman of the Commission.

(ii) The Committee will examine the appeals of the Higher Educational Institutions received against the Commission decision for rejection of programme and make recommendation whether to confirm or reverse the Commission decision on rejection of programmes.

(5) The Commission may confirm or reverse the order appealed against.

(6) The decision of the Commission shall be final and binding on the Higher Educational Institutions.

7. Withdrawal of recognition.— (1) Where the Commission is, on its own or on any representation received from any person, or any information received from any authority or a statutory body, or on the basis of any enquiry or inspection conducted by it, satisfied that a Higher Educational Institution has contravened any of the provisions of these regulations or guidelines and orders made or issued there under, or has submitted or produced any information and documentary evidence which is found to be false at any stage or any condition subject to which recognition under clause (i) of sub-regulation (3) of regulation 5 has been granted, it may withdraw recognition of such Higher Educational Institution in respect of such programme(s) as it may specify, for reasons to be recorded in writing:

Provided that no such order against the Higher Educational Institution shall be passed unless a reasonable opportunity of making representation against the proposed order has been given to such Higher Educational Institution:

Provided further that the order withdrawing or refusing recognition passed by the Commission shall come into force with immediate effect.

(2) If a Higher Educational Institution offers any programme in Open and Distance Learning mode or Online mode after the coming into force of the order withdrawing recognition under sub-regulation (1) or fails to obtain recognition under these regulations for offering programmes in Open and Distance Learning mode or Online mode for academic session and subsequent academic sessions, the degree obtained pursuant to such programme or after undertaking a programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode in such Higher Educational Institutions, shall not be treated as a valid qualification:

Provided that the programmes of the Higher Educational Institutions recognised by the Commission under UGC (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 and UGC (Online Courses or Programmes) Regulations, 2018 shall remain valid programmes for the period as mentioned in the Commission Orders.

(3) In the event of any Higher Educational Institution found offering programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode without recognition of the Commission or in violation to any of the provisions of these regulations and guidelines or orders made there under, the Commission may-

(i) issue Show-Cause Notice;

(ii) withdraw the recognition of a programme or some programmes or all the programmes for an academic session or withdraw the recognition, maximum up to next five academic sessions not only for such Open and Distance Learning programmes and/or Online programmes but also for other programmes offered by the institutions in regular and conventional mode;

(iii) if, in spite of above, the Higher Educational Institution is found continuing the violations, a First Information Report may be lodged against the officials or management of the errant Higher Educational Institution to take action as per law;

(iv) withhold or debar from receiving University Grants Commission grants;

(v) refer the matter to the Central or State Government, as applicable for withdrawal of Higher Educational Institution status;

(vi) take action as per the provisions of the Act or Rules or Regulations as applicable to the Higher Educational Institution;

(vii) put in the public domain a list of such defaulters Higher Educational Institutions;

(viii) in case of a non-recognized Higher Educational Institution offering programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, punitive action mentioned at clauses (i), (iii), (v) and (vii) shall be exercised by the Commission keeping in view future of the learners.

PART III

MAINTENANCE OF INFRASTRUCTURAL, ACADEMIC AND OTHER QUALITY STANDARDS BY HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

8. Systems Management, Structure and Processes.— (1) An Open University shall have designated Schools of Studies for design and development of programmes in Open and Distance Learning mode and, which shall be headed by a regular functionary on full time dedicated basis not below the rank of an Associate Professor and shall have appropriate and adequate academic, technical, administrative staff and infrastructural resources as specified in **Annexure-IV**. The Open University shall also have appropriate departments such as operational department for admissions, learner support and examinations.

(2) An Open University shall have a designated Centre for Online Education (COE) for operationalising the programmes designed and developed by the Schools of Studies for Online Learning mode and, which shall be headed by Director, a regular functionary on full time dedicated basis not below the rank of an Associate Professor and shall have appropriate and adequate academic, technical, administrative staff and infrastructural resources as specified in **Annexure-IV**.

(3) A Higher Educational Institution other than an Open University shall have a designated Centre for Distance and Online Education (CDOE) for operationalising the programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, which shall be headed by Director, a regular functionary on fulltime dedicated basis not below the rank of an Associate Professor and shall have appropriate and adequate academic, technical, administrative staff and infrastructural resources as specified in **Annexure-IV**.

(4) A Higher Educational Institution shall plan, implement, coordinate and monitor operationalisation and quality assurance of the programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode and shall ensure adherence to the regulations and guidelines of the Commission and other regulatory authorities.

9. Self-regulation through disclosures, declarations and reports.— A Higher Educational Institution offering programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall display on its website a joint declaration by authorised signatories, Registrar and Director of Centre for Internal Quality Assurance, authenticating that the following documents have been uploaded on the Higher Educational Institution's website, namely:-

(a) the establishing Act and Statutes there under or the Memorandum of Association, as the case may be or both of the Higher Educational Institution, empowering it to offer programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode;

(b) copies of the letters of recognition from Commission and other relevant statutory or regulatory authorities;

(c) programme details including brochures or programme guides inter alia information such as name of the programme, duration, eligibility for enrolment, programme fee, programme structure;

(d) programme-wise information on syllabus, suggested readings, contact points for counselling/mentoring, programme structure with credit points, programme-wise faculty details, list of supporting staff, list of Learner Support Centres with addresses and contact details (for Open and Distance Leaning mode), their working hours and counselling (for Open and Distance Learning mode)/mentoring (for Online mode) Schedule;

(e) important schedules or date-sheets for admissions, registration, re-registration, counselling/mentoring, assignments and feedback thereon, examinations, result declarations etc.;

(f) detailed strategy plan related to Online programme delivery, if any including learning materials offered through Online and learner assessment system and quality assurance practices of Online learning programmes;

(g) the feedback mechanism on design, development, delivery and continuous evaluation of learner-performance which shall form an integral part of the transactional design of the Open and Distance Learning mode programmes and/or Online programmes and shall be an input for maintaining the quality of the programmes and bridging the gaps, if any;

(h) information regarding all the programmes recognised by the Commission;

(i) data of year-wise and programme-wise learner enrolment details in respect of degrees and/or post graduate diplomas awarded;

(j) complete information about 'Self Learning Material' including name of the faculty who prepared it, when was it prepared and last updated for Open and Distance Learning Programmes; Similarly information about 'E-Learning Materials' in 4 quadrants in case of Online programmes;

(k) a compilation of questions and answers under the head 'Frequently Asked Questions" with the facility of online interaction with learners providing hyperlink support for Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes;

(l) list of the 'Learner Support Centres' along with the number of learners who shall appear at any examination centre and details of the Information and Communication Technology facilities available for conduct of examination in a fair and transparent manner, for Open and Distance Learning programmes;

(m) list of the 'Examination Centres' alongwith the number of learners in each centre, for Open and Distance Learning programmes;

(n) details of proctored examination incase of Online programmes for all the exams;

(o) details of proctored examination in case of end semester examination or term end examination of Open and Distance Learning programmes;

(p) academic Calendar mentioning period of the admission process along with the academic session, dates of continuous and end semester examinations or term end examinations, etc;

(q) reports of the third party academic audit to be undertaken every five years and internal academic audit every year by Centre for Internal Quality Assurance.

10. Quality Assurance.— (1) A Higher Educational Institution recognised for offering programme(s) in Open and Distance learning mode and/or Online mode shall, take the following steps, namely:-

(i) establish a Centre for Internal Quality Assurance, common for programmes in the Open and Distance Learning mode and/or Online mode as per **Annexure I**;

(ii) follow the Quality Assurance Guidelines on learning materials in multiple media, curriculum and pedagogy, as specified by the Commission in **Annexure VI** and shall post its quality assurance mechanism on the website;

(iii) take adequate measures for training and capacity building of its teaching and administrative staff and counsellors/co-ordinators/mentors at regular intervals;

(iv) ensure that the quality of programmes of study offered through Open and Distance Learning mode and/or Online mode are maintained at par with standards as defined for the conventional mode of teaching, in conformity with the provisions as stipulated under section 22 of UGC Act, 1956 and UGC notification on specification of degrees, 2014 as notified by the Commission;

(v) exhibit the copies of the approval letters duly obtained or received from the concerned statutory or regulatory authority or council to offer programmes under its domain on the Higher Educational Institution's website as well as against the name of the each programmes in the brochure or bulletin of the respective Higher Educational Institution and inform the same to the University Grants Commission from time to time in the matter:

Provided that in case of violation of these regulations, the provisions specified under sub-regulation (3) of regulation 7 shall apply;

(vi) ensure that the academic and instructional facilities at its Learner Support Centres for Open and Distance Learning mode, and information resources for online delivery of programmes meet the guidelines laid by the Commission from time to time, and are commensurate with the number of programmes and enrolments thereto.

(2) Every Higher Educational Institution recognised to offer programme in Open and Distance Learning Mode and/or Online mode shall adhere to all the provisions regarding mandatory disclosure of information as stipulated under regulation 9.

11. Teachers and Academic Staff working in Higher Educational Institutions.— (1) Teacher and equivalent academic staff in the Schools of Studies or Centre of Distance and Online Education or Centre for Online Learning and Learner Support Centres (for Open and Distance Learning only) shall be appointed as per the minimum qualifications laid down in the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in the Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018 and there shall be positions for Assistant Professor, Associate Professor and Professor in the Schools of Studies or Centre for Online Education for an Open University or in the Centre of Distance and Online Education for a dual mode University on permanent and/or full time dedicated basis, for performing academic functions.

(2) Every teacher, beside his or her academic responsibilities shall participate in teaching,

curriculum and course material development, undertake examination or test or evaluation or invigilation work, general assistance to learners in removing their academic difficulties, and participate in extracurricular and institutional support activities as required.

(3) The workload of a teacher shall take into account teaching, research and extension activities, preparation of lessons, evaluation of assignments, term papers etc. shall be in accordance with the guidelines issued by the Commission:

Provided that the time spent on extension work where it forms an integral part of the course specified shall count towards the teaching load.

(4) The number of full-time dedicated teachers exclusively for Open and Distance Learning Mode and/or Online mode and other administrative and technical staff shall be appointed as stipulated under Annexure-IV of these regulations.

(5) The details of the faculty in the Schools of Studies or Centre for Online Education or Centre of Distance and Online Education of the Higher Educational Institution and in the Learner Support Centres (for Open and Distance Learning Mode only) shall be declared on the website of the Higher Educational Institution and be linked to Aadhaar details or other Government identifiers.

12. Use of e-resources for Open and Distance Learning mode.— (1) A Higher Educational Institution offering programme(s) in Open and Distance Learning mode shall take such measures as are necessary to blend Information Communication Technologies (ICT) including those developed by National Mission on Education through Information and Communication Technology, for enhancing effectiveness of teaching – learning process, and administrative functioning and for maintenance of updated information at all times in respect of status of admissions, registration, for managing teaching-learning activities through online support for interactive learning with learner feedback, to facilitate the use of Open Educational Resources (OER), Massive Open Online Courses and for continuous as well as comprehensive evaluation, certification, and other aspects of learner support.

(2) A Higher Educational Institution may allow up to forty per cent. of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the Online Learning courses/ Massive Open Online Courses.

13. Programme Launching Process for Higher Educational Institution.—

(A) Common Provisions for Open and Distance Learning Mode and Online Mode:

(1) The proposed programmes shall be designed for conventional learners, as well as for working professionals and other individuals aspiring to acquire knowledge and associated academic credentials through Open and Distance Learning Mode and/or Online mode.

(2) Minimum and Maximum Duration of Programme:

(i) The minimum duration for completion and award of degrees at the undergraduate and postgraduate levels in Open and Distance Learning mode and Online mode shall be in accordance with the UGC notification of specification of degrees, 2014;

(ii) The minimum duration for completion and award of post graduate diploma shall be two years;

(iii) The maximum duration for completion and award of degree at the undergraduate and postgraduate levels or post graduate diploma in Open and Distance Learning mode and Online mode shall be double the minimum duration of the respective programmes as per items (i) and (ii).

(3) Before offering any programme, the Higher Educational Institution shall prepare a Programme Project Report as per **Annexure-V** for each programme which shall include the following, namely:-

(i) information on relevance of programme to the Institution's mission and goals, objectives of the programme, nature of prospective target group of learners, and

appropriateness of Open and Distance Learning mode and/or Online mode for acquiring specific competencies or skills;

(ii) instructional design which shall include duration of programme(s), faculty and support staff requirements, instructional delivery mechanisms, identification of media – print, audio or video, online, computer aided, and learner support service systems;

(iii) procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation;

(iv) details of laboratory support required for the programme(s), if any;

(v) library Resources;

(vi) cost estimate of the programme and the provisions there for, indicating the amount assigned for programme development, delivery and maintenance;

(vii) quality assurance mechanism and expected programme outcomes;

(viii) curriculum and detailed syllabi of the programme(s); and

(ix) guidelines on launching programme(s) design, development and any such matters as specified by the Commission and other regulatory bodies which shall be followed by the Higher Educational Institutions.

(4) A Higher Educational Institution other than an Open Universities shall offer programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode with total credits and minimum duration for the programmes kept same as that of corresponding programmes in conventional mode.

(5) An Open University shall offer programmes in Open and Distance mode with total credits and minimum duration for programmes kept same as that of corresponding programmes in conventional mode by the Central and/or State Universities and for offering programmes in Online mode, total credits and minimum duration for programme shall be the same as that of corresponding programme in Open and Distance Learning mode.

(6) The Programme Project Report shall be approved by the appropriate authorities of the Higher Educational Institution, which shall put in place a monitoring mechanism to ensure its proper implementation.

(B) Provisions for Open and Distance Learning mode: A Higher Educational Institution offering programme in Open and Distance Learning mode shall, in order to facilitate the pace of learning and multiple choice for learners, prepare Self Learning Material as per **Annexure-VI** and **Annexure-VII** taking into consideration the following, namely:-

(i) Self Learning Material has clearly stated objectives, intended learning outcomes, study guidance and advice for the learners as to how to optimally use the material and suggestive related reference material to enhance the learning experience, and linkage within the text with other media (for digital SLM) is maintained for easy referencing and progress;

(ii) At least 60 per cent. of Self Learning Materials shall be developed by the in-house faculty of the Higher Educational Institution and the remaining per cent. of the materials can be sourced from available resources such as other Higher Educational Institutions, Open Educational Resources (OER), and SWAYAM, duly approved by the statutory authorities of the Higher Educational Institution;

(iii) Self Learning Materials developed and offered by it is self-explanatory, self-contained, illustrative, easily comprehensible, and in manageable modules such as units and blocks;

(iv) Self Learning Materials provides adequate mechanism for the learners to provide feedback on their understanding of the subject;

(v) Self Learning material is revised periodically from the perspective of improving quality and learner support:

Provided that a Higher Educational Institution shall prepare the Self Learning Material only after approval of the Programme Project Report:

Provided further that no programme in Open and Distance Learning mode shall be launched by a Higher Educational Institution unless it has prepared the Self Learning Material taking into consideration the above factors.

(C) Provisions for Online mode.— (1) A Higher Educational Institution offering programme in Online mode shall prepare the E-Learning Materials as per **Annexure-VI** and **Annexure-VII**, taking into the consideration the following, namely:-

(i) The Online Learning shall have the four quadrant approach; as per UGC (Credit Framework for online learning courses through SWAYAM) Regulations, 2016;

(ii) At least 60 per cent. of e-Learning Material shall be developed by the in-house faculty of the Higher Educational Institution and remaining per cent. of the material can be sourced from available e-resources such as Open Educational Resources (OER), SWAYAM or other source, duly approved by the statutory authorities of the Higher Educational Institution;

(iii) A Higher Educational Institution shall have demonstrated capability, for developing and production of Online programmes with the technology for production including in-house or duly out-sourced production facilities for converting the courses of a Programme into Online Programmes, defined as under–

(a) learning videos with recording or dubbing or editing facilities for graphics or animation creation;

(b) e-content for reading and improving comprehension of learners;

(c) tests and assignments that test the understanding;

(d) discussion forum that clarifies the doubts of the learners.

(iv) The Online programmes' delivery shall be through the SWAYAM portal or any other learning platform duly approved by the Commission on the recommendation of the Technical Expert Committee broadly complying to the features mentioning at **Annexure-IX**.

(v) The Programme offered under Online mode shall conform to the condition that apart from the Programme delivery, other components such as Counselling Process, Online Application Processing and fee payment shall also be provided through Online mode.

(2) The Higher Educational Institution may evolve the curricular aspects, assessment criteria etc. for the award of Degree at the undergraduate and postgraduate levels and/or Post Graduate Diploma adopting the following requirements, namely:-

(i) the course content for each course shall be clearly defined, each having modular e-content, delivery online in a structured format, with clearly spelt out learning outcomes which learners are expected to attain at the end of the module;

(ii) programmes (including courses in a programme) architecture shall permit the online teacher or instructor to add multi-media enriched and interactive content, activities and assessments to extend learning opportunities and shall be easy to navigate;

(iii) availability of assessment mechanism - each course in the Online Programme shall have a precise assessment mechanism for the identified learning outcomes at each level for both continuous formative and summative assessments;

(iv) identified technological interface and interoperability - the Online Programme shall be able to utilise a variety of technology tools, shall have a user friendly interface

and meet accessibility standards for interoperability and access for learners with special needs.

(3) Learners' Requirements for Enrolment to Online Programmes - Learners to be enrolled for the Online Programmes shall be acquainted with the requisite information or literacy skills for which there shall be a helpline for technical assistance throughout the semester/course of study.

(4) Learner's Authentication Requirements –

(i) the Higher Educational Institutions shall exercise proper learner's authentication practice to ensure the academic integrity and all the Indian learners, at the time of enrolment, synchronous /asynchronous participations and all assessments for examinations, shall be required to provide the Aadhaar number or other government recognised identifier, as applicable and verify their information for authentication for which necessary infrastructure or support shall be provided to them by the Higher Educational Institutions;

(ii) all the International learners shall authenticate their credentials through Passports only. These learners shall pursue Online programmes from their country of residence.

(5) Active Engagement of the Learners - Active engagement in Online or virtual class shall be monitored via participation in asynchronous or synchronous discussions, assignment activity and Programme involvement and the analytics of Learning Management System shall be used for ensuring the learner's participation at least for two hours every fortnight.

(6) Technical Know-how or Skills Requirements - The Higher Educational Institutions shall have defined criteria or guidelines for the technical know- how and skill requirements of the Online Programme Coordinators, Course Coordinators, Course Mentors and other staff and ascertain that all the resources are competent to deliver online education effectively from the learner learning perspective and continuous upgradation of skills shall be essential for embracing newer methodologies and Information and communication technology tools for enhancing the development and delivery of the Online Programmes in the long run.

(7) Learners' Support Services and E-Learning Materials – Higher Educational Institutions shall provide adequate support for advising, counselling, mentoring and guidance so as to ensure the best possible learning experience for the learners and there shall be clear guidelines on academic integrity and netiquette (internet etiquette) expectations regarding lesson activities, group discussions, chats and plagiarism.

(8) A Higher Educational Institution shall provide the details of all International learners enrolled immediately after the beginning of the academic session to the Ministry of External Affairs, Ministry of Education and University Grants Commission.

PART IV

ADMISSIONS, EXAMINATIONS AND LEARNER SUPPORT

14. Admission and fees.— (1) On being granted recognition under clause (i) of sub-regulation (3) of regulation 5, a Higher Educational Institution shall admit learners to its recognised programmes only from the academic session specified in the Commission order:

Provided that the intake capacity under Open and Distance Learning mode for a programme under science discipline to be offered by a Dual Mode University shall be three times of the approved in take in conventional mode and incase of Open University, it shall be commensurate with the capacity of the Learner Support Centres (for Open and Distance Learning only) to provide lab facilities to the admitted learners:

Provided further that enrolment of learners to the Higher Educational Institution, for any reason whatsoever, in anticipation of grant of recognition for offering a programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, shall render the enrolment invalid:

Provided also that if the Higher Educational Institution is found violating any of the provisions of these regulations, punitive action shall be taken by the Commission in accordance with the sub-regulation (3) of regulation 7.

(2) In order to provide opportunities for Higher Education to a larger segment of the population and to promote the educational wellbeing of the community in general, the fee structure shall be devised by the Higher Educational Institutions in such a manner that it is affordable to all the stake holders including students from the deprived sections of society and the Higher Educational Institutions shall comply with the following:-

(i) A Higher Educational Institution shall, for admission in respect of any programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, accept payment towards admission fee and other fees and charges-

(a) as may be fixed by it and declared by it in the prospectus for admission, and on the website of the Higher Educational Institutions;

(b) with a proper receipt in writing issued for such payment to the concerned learner admitted in such Higher Educational Institutions;

(c) only by way of online transfer, bank draft or pay order directly in favour of the Higher Educational Institution.

(ii) It shall be mandatory for the Higher Educational Institution to upload the details of all kind of payment or fee paid by the learners on the website of the Higher Educational Institution.

(iii) The fee waiver and/or scholarship schemes for Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Persons with Disabilities category of learners and students from deprived section of society shall be in accordance with the instructions or orders issued by Central Government or State Government:

Provided that a Higher Educational Institution shall not engage in commercialisation of education in any manner whatsoever, ands hall provide for equity and access to all deserving learners.

(iv) Admission of learners to a Higher Educational Institution for a programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall be offered in a transparent manner and made directly by the Head Quarters of the Higher Educational Institution which shall be solely responsible for final approval relating to admissions or registration of learners:

Provided that a Learner Support Centre shall not admit a learner to any programme in Open and Distance Learning for or on behalf of the Higher Educational Institution.

(v) Every Higher Educational Institution shall–

(a) record Aadhaar details or other Government identifier(s) of Indian learner and Passport for an International Learner;

(b) maintain the records of the entire process of selection of candidates, and preserve such records for a minimum period of five years;

(c) exhibit such records as permissible under law on its website; and

(d) be liable to produce such record, whenever called upon to do so by any statutory authority of the Government under any law for the time being in force.

(vi) Every Higher Educational Institution shall publish, prior to the date of commencement of admission to any of its programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, a prospectus (print and in e-form) containing the following for the purposes of informing those persons intending to seek admission to such Higher Educational Institutions and the general public, namely:-

(a) each component of the fee, deposits and other charges payable by the learners admitted to such Higher Educational Institutions for pursuing a programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, and the other terms and conditions of such payment;

(b) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a learner admitted in such Higher Educational Institutions in case such learner withdraws from such Higher Educational Institutions before or after completion of programme of study and the time within, and the manner in, which such refund shall be made to the learner;

(c) the number of seats approved in respect of each programme of Open and Distance Learning mode and/or Online mode, which shall be in consonance with the resources;

(d) the conditions of eligibility including the minimum age of a learner in a particular programme of study, where so specified by the Higher Educational Institution;

(e) the minimum educational qualifications required for admission in programme(s) specified by the Commission or relevant statutory authority or councils, or by the Higher Educational Institution, where no such qualifying standards have been specified by any statutory authority;

(f) the process of admission and selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each programme of study and the amount of fee to be paid for the admission test;

(g) details of the teaching faculty, including therein the educational qualifications and teaching experience of every member of its teaching faculty and also indicating therein whether such member is employed on regular or contractual basis or any other;

(h) pay and other emoluments payable for each category of teachers and other employees;

(i) information in regard to physical and academic infrastructure and other facilities, including that of each of the learner support centres (for ODL programmes) and in particular the facilities accessible by learners on being admitted to the Higher Educational Institution;

(j) broad outline of the syllabus specified by the appropriate statutory body or by higher educational institution, as the case may be, for every programme of study;

(k) activity planner including all the academic activities to be carried out by the higher educational institution during the academic sessions:

Provided that the Higher Educational Institution shall publish information referred to in sub-clauses (a) to (k) on its website, and the attention of the prospective learners and the general public shall be drawn to such publication on its website and Higher Educational Institution admission prospectus and the admission process shall necessarily be over within the time period mentioned in the Commission Order.

(vii) No Higher Educational Institution shall, directly or indirectly, demand or charge or accept, capitation fee or demand any donation, by way of consideration for admission to any seat or seats in a programme of study conducted by it;

(viii) No person shall, directly or indirectly, offer or pay capitation fee or give any donation, by way of consideration either in cash or kind or otherwise, for obtaining admission to any seat or seats in a programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode offered by a Higher Education Institution;

(ix) No Higher Educational Institution, who has in its possession or custody, any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited with it by a person for the purpose of seeking admission in such Higher Educational Institution, shall refuse to return such degree, certificate award or other document with a view to induce or compel such person to pay any fee or fees in respect of any programme of study which such person does not intend to pursue or avail any facility in such Higher Educational Institution;

(x) In case a learner, after having admitted to a Higher Educational Institution, for pursuing any programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode subsequently withdraws from such Higher Educational Institution, no Higher Educational Institution in that case shall refuse to refund such percentage of fee deposited by such learner and within such time as notified by the Commission and mentioned in the prospectus of such Higher Educational Institution;

(xi) No Higher Educational Institution shall, issue or publish-

(a) any advertisement for inducing learners for taking admission in the Higher Educational Institution, claiming to be recognised by the appropriate statutory authority or by the Commission where it is not so recognised;

(b) any information, through advertisement or otherwise in respect of its infrastructure or its academic facilities or of its faculty or standard of instruction or academic or research performance, which the Higher Educational Institution, or person authorised to issue such advertisement on behalf of the Higher Educational Institution knows to be false or not based on facts or to be misleading.

15. Evaluation.—

(A) Common Provisions for Open and Distance Learning Mode and Online Mode:

(1) The Higher Educational Institution shall adopt the guidelines issued by the Commission for the conduct of proctored examinations.

(2) A Higher Educational Institution offering Open and Distance Learning Programmes and/or Online programmes shall have a mechanism well in place for evaluation of learners enrolled through Open and Distance Learning mode and/or Online mode and their certification.

(3) The evaluation shall include two types of assessments; (i) continuous or formative assessment; and (ii) summative assessment in the form of end semester examination or term end examination:

Provided that no end semester examination or term end examination shall be held in a subject unless:

(i) the Higher Educational Institution is satisfied that at least 75 per cent. of the programme of study stipulated for the semester or year has been actually conducted;

(ii) For Open and Distance Learning mode: the learner has minimum attendance of 75 per cent. in the programme specific Personal Contact Programme (excluding counselling) and lab component of each of the programmes; and detailed attendance records have been maintained by Learner Support Centre/Regional Centre/ Higher Educational Institution;

(iii) For Online mode: the learner has minimum participation of 75 per cent. in all the activities of Online programme prior to end semester examination or term end examination:

Provided further that the curricular aspects, assessment criteria and credit framework for the award of Degree programmes at undergraduate and postgraduate level and/or Post Graduate Diploma programmes through Open and Distance Learning mode and through Online mode shall be evolved by adopting same standards as being followed in conventional mode by the dual mode Higher Educational Institutions and in Open Distance Learning mode by the Open Universities:

Provided also that the weightage for different components of assessments for both Open and Distance Learning mode and Online mode shall be as under:

(i) continuous or formative assessment (in semester): Maximum 30 per cent.

(ii) summative assessment (end semester examination or term end examination): Minimum 70 per cent.

The Higher Educational Institution shall notify all assessment tools to be used for formative and summative assessments.

(4) Marks or grades obtained in continuous assessment and end semester examinations or term end examinations shall be shown separately in the grade card.

(5) A Higher Educational Institution offering a Programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall adopt a rigorous process in development of question papers, question banks, assignments and their moderation, conduct of examination, evaluation of answer scripts by qualified teachers, and result declaration, and shall so frame the question papers as to ensure that no part of the syllabus is left out of study by a learner.

(6) The examination of the programmes in Open and Distance learning mode and/or Online mode shall be managed by the examination or evaluation Unit of the Higher Educational Institution and shall be conducted in the examination centre as given under these regulations.

(7) The 'Examination Centre' shall be established as per **Annexure-I** and **Annexure-II** with due approval of the statutory authority of the Higher Educational Institution, subject to the following:-

(i) The Examination Centre shall have proper monitoring mechanisms for Closed-Circuit Television (CCTV) recording of the entire examination procedure and biometric system and in case of non- availability of the Closed-Circuit Television facilities, the Higher Educational Institution shall ensure that proper videography be conducted and video recordings are submitted by particular in charge of examination centre to the concerned Higher Educational Institution.

(ii) The Higher Educational Institution shall retain all such Closed- Circuit Television recordings in archives for a minimum period of five years.

(iii) There shall be an observer for each of the Examination Centre appointed by the Higher Educational Institution and it shall be mandatory to have observer report submitted to the Higher Educational Institution.

(B) Provisions for Open and Distance Learning Mode: (1) All end semester examinations or term end examinations for programmes offered through Open and Distance Learning mode shall be conducted through proctored examination (pen-paper or online or computer based testing) within Territorial Jurisdiction, in the examination centre as mentioned in these regulations. The Exams shall be under the direct control and responsibility of the Open and Distance Learning mode Institution.

(2) All Government Institutions like Kendriya Vidyalaya(s), Navodaya Vidyalaya(s), Sainik School(s), State Government Schools, etc. can also be identified as examination centre(s) under direct overall supervision of a Higher Educational Institution offering education under the Open and Distance Learning mode including approved affiliated colleges under the University system in the Country and no Examination Centres shall be allotted to private organisations or unapproved Higher Educational Institutions.

(3) The Learner Support Centres, as defined in the regulations and within the territorial jurisdiction, can also be used as examination centres provided they fulfill the criteria of an examination centre as defined in these regulations.

(4) The attendance of examinees shall be authenticated through biometric system as per Aadhaar details or other Government identifiers of Indian learners.

(C) **Provisions for Online Learning mode:** (1) An Higher Educational Institution offering programme through Online mode shall conduct examinations either using technology enabled online test with all the security arrangements ensuring transparency and credibility of the examinations, or through the Proctored Examination and in conformity with any other norms for such examination as may be laid down by the Commission;

(2) As restriction of territorial jurisdiction is not applicable for Online learning, such Higher Educational Institutions which are recognised to enroll international learners shall endeavour to conduct proctored examinations for such learners;

(3) The attendance of examinees shall be authenticated through biometric system as per Aadhaar details or other Government identifiers of Indian learners and Passports for International learners.

16. **Certification.—** (1) Each award of Degree at undergraduate and postgraduate level and post graduate diploma for both Open and Distance Learning and Online mode shall be assigned a unique identification number and shall have photograph and Aadhaar number or other government recognised identifier or Passport number, as applicable, along with other relevant details of the learner along with the Programme name. Each award shall also be uploaded on the National Academic Depository.

(2) It shall be mandatory for Higher Educational Institution to mention the following on the backside of each of the degrees/certificates and mark sheets issued by the Higher Educational Institution to the learners (for each semester certificate and at the end of the programme):

(i) Mode of delivery;

(ii) Date of admission;

(iii) Date of completion;

(iv) Name and address of all Learner Support Centres (only for Open and Distance Learning);

(v) Name and address of all Examination Centres.

17. **Learner Support Centre for Open and Distance Learning.—** (1) A Higher Educational Institution offering programme in Open and Distance Learning mode shall, ensure that a Learner Support Centre is established as per **Annexure-VIII** only in a college or institution affiliated to a University or in a Government recognised Higher Educational Institution offering programmes in the same broad areas having the necessary infrastructure and human resources for offering the programme:

Provided that a Learner Support Centre defined under these regulations shall not be the Learner Support Centre for more than two Higher Educational Institutions at a time to offer programmes in Open and Distance Learning mode:

Provided further that a Learner Support Centre of a State University should be in the same state in which the State University has been established:

Provided also that a Higher Educational Institution may establish a special Learner Support Centre for imparting instruction to persons referred to in the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability Act, 1999 and other persons in difficult circumstances, including jail inmates:

Provided also that a Learner Support Centre shall not be set up under a franchisee agreement in any case.

(2) A Learner Support Centre shall be the contact point or centre managed by the Higher Educational Institution for providing academic as well as administrative support to its learners and shall perform such other functions as specified in **Annexure-VIII.**

(3) The Learner Support Centre shall be headed by a Coordinator who shall be a regular teacher

not below the rank of a qualified Assistant Professor of the concerned College or Higher Educational Institution and assisted by the counsellors as decided by the Higher Educational Institution.

(4) The Higher Educational Institution shall have a Standard Operating Procedure for the smooth functioning of the Learner Support Centre which shall include functions of the Learner Support Centres and its different functionaries, monitoring mechanism of different services provided by the Centre, and it shall be mandatory for the Learner Support Centre to maintain the learner data related to conduct of counselling sessions, evaluation of assignments and grievance redressal.

18. Learner Support Services.— (1) A Higher Educational Institution offering programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall have guidelines for learner support services which is made available to all the Co- ordinators/ Counsellors/ Mentors and is accessible to the learners.

(2) The learner support services to be provided by the Higher Educational Institution shall include broadly the following, namely:-

(i) pre-admission counselling for prospective learners to provide information to facilitate them in taking an informed decision on joining a specific programme;

(ii) support for admission related matters;

(iii) details of study material and information shall also be available on the website of the Higher Educational Institution;

(iv) arrangement to ensure the delivery of self learning material to learners for ODL programmes as defined in **Annexure-VI** and **Annexure-VII** within a fortnight from the date of admission and in addition, the Higher Educational Institution may provide additional learning resources through on-line mode, Compact Disks etc.;

(v) a full-time dedicated help desk well versed with the learner information data base providing single window services for all learner related queries.

(3) The University Grants Commission (Grievance Redressal) Regulations, 2012, shall be adopted and operationalised by the Higher Educational Institution, and the Higher Educational Institution shall institute a system of Grievance Redressal, in accordance with the guidelines specified in **Annexure-X**.

(4) The Higher Educational Institution shall provide facilities for online guidance and counselling facilities to the learners.

(5) The Higher Educational Institution shall create online discussion forum for learners.

Part V

ASSESSMENT, ACCREDITATION, AUDIT, INSPECTION AND MONITORING

19. Assessment, Accreditation and Audit.— (1) A Higher Educational Institution offering programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall comply with University Grants Commission (Mandatory Assessment and Accreditation of Higher Educational Institutions) Regulations, 2012 and in any case shall apply for assessment and accreditation under those regulations for assessment and accreditation of the programmes offered by it in Open and Distance Learning mode and/or Online mode:

Provided that Open Universities shall obtain accreditation as stipulated under regulation 3.

(2) A Higher Educational Institution recognised under these regulations for imparting programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall get all its programmes assessed through the Centre for Internal Quality Assurance once in a year in the format prescribed by the Commission and the report on quality assurance shall, before the end of the academic year, be prominently placed on its website and a copy furnished to the Commission.

(3) A Higher Educational Institution recognised under these regulations for imparting programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall undergo third party academic audit every five years and internal academic audit by Centre for Internal Quality Assurance every year as specified in **Annexure-I**.

20. Powers to inspect and monitoring.— (1) The Commission shall periodically review the performance of the Higher Educational Institution and for the purpose may direct the Higher Educational Institution to provide such information as it may require from the viewpoint of ensuring adherence of the regulations by the Higher Educational Institution, and the Higher Educational Institution shall be under obligation to provide such information in such time period as may be specified.

(2) Where the Commission, either *suo motu* or on the basis of information received by it, considers it necessary, for reasons to be recorded in writing, may cause an inquiry through inspection or otherwise by such body of experts or as it may deem fit, to satisfy itself that all the mandatory requirements under these regulations are being complied with by the Higher Educational Institution imparting programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode and take appropriate action to get compliance enforced against the erring Higher Educational Institution.

PART VI

MISCELLANEOUS

21. Authority.— (1) The Commission may authorise the officials of the Commission to perform various functions for implementing these regulations.

(2) For the purpose of these regulations, the Commission may delegate its power to the Chairman of the Commission, as it may specify in writing.

(3) For the purposes of regulation 7, the Commission may delegate its power to hear and decide appeal to such person or persons, including officials of the Commission, as it may specify in writing.

22. Equivalence of qualification acquired through Conventional or Open and Distance Learning and Online modes.— Degrees at undergraduate and postgraduate level in conformity with UGC notification on Specification of Degrees, 2014 and post graduate diplomas awarded through Open and Distance Learning mode and/or Online mode by Higher Educational Institutions, recognised by the Commission under these regulations, shall be treated as equivalent to the corresponding awards of the Degrees at undergraduate and postgraduate level and post graduate diplomas offered through conventional mode.

23. Learner centric provisions.— (1) **Learner's mobility:** A learner enrolled for a programme under Open and Distance Learning mode and/or Online mode in a Higher Educational Institution recognised by the Commission under these regulations shall be eligible for mobility from one mode of learning to another mode of learning within the Higher Educational Institution as per the provisions stipulated under its Act and with the approval of statutory authorities of the Higher Educational Institution;

Provided that in case a programme is under the domain of regulatory authority/statutory council, Higher Educational Institution shall take permission from the concerned regulatory authority/statutory council for mobility of learners under such programmes.

(2) **Admission taken during recognition period:** Admission taken in a recognized programme under Open and Distance Learning mode and/or Online mode during the recognition period stands recognised till the completion of programme, even if the Higher Educational Institution does not have recognition for further years, provided the programme is offered as per the UGC norms of territorial jurisdiction and in conformity with the extant guidelines and/or UGC regulations and regulations of respective regulatory bodies.

(3) **Learner's enrolment (for Open and Distance Learning mode):** A Learner residing in any part of the Country may enroll in any programme being offered by a Higher

Educational Institution recognised by the Commission for offering programme under Open and Distance Learning mode provided that the Higher Educational Institution shall conduct all activities such as admissions, contact programmes, examinations etc. for learner strictly within the territorial jurisdiction of the Higher Educational Institution as specified in these regulations.

(4) **Learner's enrolment (for Online mode):** A Learner residing within or outside India may enroll in any programme being offered by a Higher Educational Institution recognized by the Commission for offering programme under Online mode.

24. Offering of Certificate and Diploma level Programmes.— A Higher Educational Institution recognised for offering programmes at Under Graduate Degree or Post Graduate Degree or Post Graduate diploma levels in Open and Distance Learning mode and/or Online mode may offer Certificate or Diploma programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode in the domains other than prohibited programmes as per clause (z) of regulation 2 subject to the condition that before the actual start of such programmes, all the Certificate or Diploma programmes are duly approved by the statutory authorities of the Higher Educational Institutions and the regulatory authority/council, as applicable, and the delivery mechanism conforms to the quality standards of the Open and Distance Learning education and/or Online education. The Higher Educational Institution shall be solely responsible for any legal issues arising out of non-compliance of such requirements:

Provided that, if the concerned regulatory authority/council permits any of the prohibited programmes, as mentioned above, under its domain, in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, the same may be offered by the Higher Educational Institutions after the approval of its statutory authorities and Regulatory Authorities or Councils, as applicable and after conforming to the quality standards of Open and Distance Learning and Online mode of education.

25. Integrated programme through Open and Distance Learning mode and/or online mode.— Any proposal received from a Higher Educational Institutions for offering an integrated programme through Open and Distance Learning mode and/or online mode shall be considered by the Commission only if it is in compliance to the UGC notification on Specification of Degrees, 2014.

26. Non-consideration of programmes proposed by the Higher Educational Institutions through affiliated colleges only.— The Higher Educational Institutions shall be eligible to apply for only such programmes under Open and Distance Learning mode and/or Online mode which are being offered by its constituent Colleges or Departments or Centre for distance and online education. The Programmes which are being offered only through affiliated Colleges shall not be considered for recognition.

27. Interpretation.— If any question arises relating to interpretation of these regulations, the decision of the Commission shall be final and binding.

Annexure I

CENTRE FOR INTERNAL QUALITY ASSURANCE (CIQA)

I. Establishment of Centre for Internal Quality Assurance:

The Centre for Internal Quality Assurance shall be established in all Higher Educational Institutions offering programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode. It shall be headed by a full-time Director, being a senior academician not below the rank of an Associate Professor, preferably from the field of Open and Distance Learning and/or online education, who shall be supported by adequate number of academic and other staff.

II. Objective:

The objective of Centre for Internal Quality Assurance is to develop and put in place a comprehensive and dynamic internal quality assurance system to ensure that programmes of higher

education in the Open and Distance Learning mode and Online mode being implemented by the Higher Educational Institution are of acceptable quality and further improved on continuous basis.

III. Functions:

The functions of Centre for Internal Quality Assurance would, *inter alia*, include the following, namely:-

(i) To maintain quality in the services provided to the learners.

(ii) To undertake self-evaluative and reflective exercises for continual quality improvement in all the systems and processes of the Higher Educational Institution.

(iii) To contribute in the identification of the key areas in which Higher Educational Institution should maintain quality.

(iv) To devise mechanism to ensure that the quality of Open and Distance Learning programmes and Online programmes matches with the quality of relevant programmes in conventional mode.

(v) To devise mechanisms for interaction with and obtaining feedback from all stakeholders namely, learners, teachers, staff, parents, society, employers, and Government for quality improvement.

(vi) To suggest measures to the authorities of Higher Educational Institution for qualitative improvement.

(vii) To facilitate the implementation of its recommendations through periodic reviews.

(viii) To organise workshops/ seminars/ symposium on quality related themes, ensure participation of all stakeholders, and disseminate the reports of such activities among all the stakeholders in Higher Educational Institution.

(ix) To develop and collate best practices in all areas leading to quality enhancement in services to the learners and disseminate the same all concerned in Higher Educational Institution.

(x) To collect, collate and disseminate accurate, complete and reliable statistics about the quality of the programme(s).

(xi) To ensure that Programme Project Report for each programme is according to the norms and guidelines prescribed by the Commission and wherever necessary by the appropriate regulatory authority having control over the programme;

(xii) To put in place a mechanism to ensure the proper implementation of Programme Project Reports.

(xiii) To maintain are cord of Annual Plans and Annual Reports of Higher Educational Institution, review them periodically and generate actionable reports.

(xiv) To provide inputs to the Higher Educational Institution for restructuring of programmes in order to make them relevant to the job market.

(xv) To facilitate system based research on ways of creating learner centric environment and to bring about qualitative change in the entire system.

(xvi) To act as a nodal coordinating unit for seeking assessment and accreditation from a designated body for accreditation such as NAAC etc.

(xvii) To adopt measures to ensure internalisation and institutionalisation of quality enhancement practices through periodic accreditation and audit.

(xviii) To coordinate between Higher Educational Institution and the Commission for various quality related initiatives or guidelines.

(xix) To obtain information from other Higher Educational Institutions on various quality benchmarks or parameters and best practices.

(xx) To record activities undertaken on quality assurance in the form of an annual report of Centre for Internal Quality Assurance.

(xxi) It will be mandatory for Centre for Internal Quality Assurance to submit Annual Reports to the Statutory Authorities or Bodies of the Higher Educational Institution about its activities at the end of each academic session. A copy of report in the format as specified by the Commission, duly approved by the statutory authorities of the Higher Educational Institution shall be submitted annually to the Commission.

IV. Centre for Internal Quality Assurance Committee:

(1) Centre for Internal Quality Assurance Committee shall have the following composition, namely:-

(a) Vice Chancellor of the University – Chairperson;

(b) Three senior teachers of Higher Educational Institution - Members;

(c) Head of three Departments or School of Studies offering recognized programmes in Open and Distance Learning and Online mode - Members;

(d) Two external experts of Open and Distance Learning and/or Online education - Members;

(e) Officials from the Administration and Finance departments of the Higher Educational Institution – Members;

(f) Director, Centre for Internal Quality Assurance – Member Secretary.

(2) The members at clauses (b) to (e) shall be nominated by the Vice- Chancellor of the Higher Educational Institution.

(3) The membership of such nominated members shall be for a period of two years. The Committee of Centre for Internal Quality Assurance shall meet at least once in a semester. The quorum for the meeting shall be two-third of the total number of members with mandatory presence of one external expert. The agenda, minutes and Action Taken Reports are to be documented with official signatures and maintained electronically in a retrievable format.

(4) Centre for Internal Quality Assurance Committee shall perform the following functions, namely:-

(i) To oversee the functioning of Centre for Internal Quality Assurance and approve the reports generated by Centre for Internal Quality Assurance on the effectiveness of quality assurance systems and processes.

(ii) To facilitate adoption of instructional design requirements as per the philosophy of the Open and Distance Learning and/or Online learning decided by the statutory bodies of the HEI for its different academic programmes.

(iii) To promote automation of learner support services of the Higher Educational Institution.

(iv) To coordinate with external subject experts or agencies or organisations, the activities pertaining to validation and annual review of its in-house processes.

(v) To coordinate with third party auditing bodies for quality audit of programme(s).

(vi) To oversee the preparation of Self-Appraisal Report to be submitted to the Assessment and Accreditation agencies on behalf of Higher Educational Institution.

(vii) To promote collaboration and association for quality enhancement of Open and Distance Learning and Online modes of education and research therein.

(viii) To facilitate industry-institution linkage for providing exposure to the learners and enhancing their employability.

V. Quality Monitoring Mechanism

(1) The guidelines on quality monitoring mechanism shall be adopted by the Centre for Internal Quality Assurance for conducting institutional quality audits, to promote quality assurance and enhance as well as spread best-in- class practices of quality assurance.

(2) Quality monitoring shall be addressed under the following broad areas, namely:-

(i) **Governance, Leadership and Management:** This relates to the policies and practices of Higher Educational Institution in the matter of planning, human resources, recruitment, training, performance appraisal, financial management and the overall role of leadership, with a focus on the following key aspects:

(a) **Organisation Structure and Governance:** The Higher Educational Institution shall fill all sanctioned/required positions as prescribed by the Commission and establish a credible governance system.

(b) **Management:** The leadership and management of the Institution shall strive to assess and review the organisational culture to achieve its vision, mission and goals.

(c) **Strategic Planning:** The Higher Educational Institution shall undertake strategic planning of its activities and implement the same by aligning those with academic and administrative aspects to improve the overall quality.

(d) **Operational Plan, Goals and Policies:** The Higher Educational Institution shall have well defined goals which are realistic and measurable, well defined policies that are in sync with its strategic plan and are realistic and achievable, clearly stated guidelines for the implementation of its policies and plans, and transparent and accountable system for its policies and planning that are well communicated to its stakeholders.

(ii) **Articulation of Higher Educational Institution Objectives:** The Higher Educational Institution shall articulate a clear vision, mission, ethos and broad strategy consistent with the goals for offering programmes in Open and Distance Learning and Online mode.

(iii) **Programme Development and Approval Processes:** This area of concern relates to programme development and approval mechanism for the programme(s) to be launched, covering the following key aspects, namely:-

(a) **Curriculum Planning, Design and Development:** The curriculum planning, design and development of academic programmes is a major academic activity of the Higher Educational Institution. Therefore, it shall have processes, systems and structures in place to carry out these responsibilities.

(b) **Curriculum Implementation:** The Higher Educational Institution shall have specific implementation plans for identifying the time to be spent on specific components of the implementation phase. It is the basis for the effectiveness of the programme(s) and their usefulness as a whole.

(c) **Academic Flexibility:** The Higher Educational Institution shall adopt proper strategies for imparting academic flexibility, which refers to freedom in the use of the time-frame of courses, vertical mobility, and inter-disciplinary options facilitated by curricular transactions for learners.

(d) **Learning Resource:** The Higher Educational Institution shall ensure quality learning resources in the form of Self Learning Materials (SLMs) for Open and Distance Learning mode and e-learning material for Online mode of education as defined in these regulations. While deciding on the instructional packages, the Higher Educational Institution shall take into consideration various factors – the media and technology utilised matches the course content in order to enhance and expand learning, and to match to the learners' needs; that these are accessible, practical and equitable, and cost effective to the learners.

(e) **Feedback System:** The process of revision and re-design of curricula shall be based on feedback from all stakeholders in terms of its relevance and appropriateness in catering to the needs of the society, economy and environment.

(iv) **Programme Monitoring and Review:** The Higher Educational Institution shall plan and execute programme monitoring and review system to conduct periodic internal reviews and maintain the quality of academic programmes. For such reviews, the Institution shall also consider the attainments of learning outcomes that are assessed through the various tools for direct and indirect assessment.

(v) **Infrastructure Resources:** The Higher Educational Institution shall have a system to elicit data on the adequacy and optimal use of the facilities - physical facilities, library (or e-library), Information and Communication Technology infrastructure, etc. - available in a Higher Educational Institution to maintain the quality of academic programmes and ensure qualitative support to each of the stakeholders.

(vi) **Learning Environment and Learner Support:** The learner support services including academic counselling and library services shall be a major pre-occupation of Higher Educational Institution for its Open and Distance Learning mode and Online mode learners. Additionally, Higher Educational Institution shall establish Information and Communication Technology facilities as component of the learning environment which is focused around the pedagogical use of modern educational practices to support blended learning. Learner Support Services shall be provided through the campus-wide portal and e-Learning platform. The Higher Educational Institution shall take a more sophisticated approach to the use of Information and Communication Technology and expertise in e-learning. The approach shall provide a seamless learner-centred environment.

(vii) **Assessment and Evaluation:** All the stated Learning Outcomes of a Programme must be part of its evaluation protocol. The Higher Educational Institution shall execute the evaluation through varied assessment tools including multiple choice questions, projects, reports, case-studies, presentations, and term-end examinations, to suit the different learning outcomes expected of the course elements. The Higher Educational Institution shall have proper assessment and moderation system for assessing the learning outcomes of learners.

(viii) **Teaching Quality and Staff Development:** The Higher Educational Institutions shall have a well established structure for promoting quality counselling, capacity building workshops, programmes, interactive teaching-learning and provide staff development programmes and activities to encourage academic staff to improve teaching and learning on continuous basis.

(3) **Process of Quality Audit**

(i) **Academic Planning:** The Higher Educational Institutions shall have robust and appropriate academic planning procedures to ensure that the programmes offered by it are relevant to national economy, reflects the Institution's strategic direction and offers a high quality 'value-added' learner experience. The Institution shall have adequate and appropriate teaching and other support staff along with infrastructure and technology support to ensure that the curriculum remains up to date and the institutional goals are achieved.

(ii) **Validation:** The Higher Educational Institution shall have a mechanism in place for validation to ensure that its programmes are academically viable, that academic standards have been appropriately defined and that these offer learners the best opportunity to learn.

(iii) **Monitoring, Evaluation and Enhancement Plans:** Quality deliverance of the Open and Distance Learning programmes and Online programmes and the outcomes attainment and continual quality improvements shall be ensured by the Higher Educational Institution, shall be broadly as follows, namely:-

(a) **Reports from Learner Support Centres (for Open and Distance Learning programmes):** Report of academic activities and other related activities containing details of all the activities related to academic planning, counselling, learner support, etc. shall be collected periodically from Learner Support Centres. The Higher Educational Institution shall adopt the technological solutions for easy receipt of these reports.

(b) **Reports from Examination Centres:** Report of conduct of examinations in both Open and Distance Learning Mode and Online mode, alongwith report of observers/proctors for all examinations shall be collected periodically from Examination Centres. The Higher Educational Institution shall adopt the technological solutions for easy receipt of these reports.

(c) **External Auditor or other External Agencies report:** The Higher Educational Institution shall consider the comments made by External auditors, experts and third party of quality audit and implement as appropriate.

(d) **Systematic Consideration of Performance Data at Programme, Faculty and Higher Educational Institution levels:** For effective evaluation and audit, the Higher Educational Institution shall ensure easy access to performance monitoring information such as course pass rates, learner entry profiles and progression and achievement reports, which should be available through web-based application and be used for report making by the Higher Educational institution.

(e) **Reporting and Analytics by the Higher Educational Institution:** The Higher Educational Institution shall generate the required reports out of such web-based applications and analyze learner and academic analytics for deciding the improvements to be executed for better performance.

(f) **Periodic Review:** The Higher Educational Institution needs to have an effective system for collecting feedback from the stakeholders regularly to improve its programmes. The Higher Educational Institution needs to conduct self-assessments regularly and use the results to improve its systems, processes etc. and finally quality of programmes.

Annexure II

CONDUCT OF EXAMINATION AND MINIMUM STANDARDS FOR EXAMINATION CENTRES

I. Conduct of End Semester or Term End Examination:

1. All processes of assessment of learners in different components of Examination shall be directly handled by the concerned Institution and no part of the assessment shall be outsourced.

2. For ensuring transparency and credibility, the full time faculty of the Open and Distance Learning and/or Online mode Higher Educational Institutions or qualified faculty from University Grants Commission recognised Higher Educational Institutions only should be associated to function as invigilators, examination superintendents, as observers etc.

A. For Open and Distance Learning programmes:

1. All Examinations for Open and Distance Learning mode programmes shall be conducted within the Institution where the Study Centres or Learner Support Centres is located under the direct control and responsibility of the Open and Distance Learning mode Institution. Also, all Government Institutions like Kendriya Vidyalaya(s), Navodaya Vidyalaya(s), Sainik School(s), State Government Schools, etc. can also be identified as examination centre(s) under direct overall supervision of a Higher Educational Institution offering education under the Open and Distance Learning mode including approved affiliated colleges under the University system in the country and no Examination Centres shall be

allotted to any private organisations or unapproved Higher Educational Institutions.

2. In case the types of Institutions mentioned at (i) above are not sufficient to meet the requirement in a city/town, the HEI may locate the Examination Centre(s) at Krishi Vigyan Kendras, State Training Institutes/Industrial Training Institutes, Government Organisations/ Departments, Accredited Laboratory with the prior approval of its statutory bodies.

B. For Online Programmes

1. A Higher Educational Institution offering programme through Online mode shall conduct examinations either using Computer based test or pen and paper test in a proctored environment in designated test centre with all the security arrangements ensuring transparency and credibility of the examinations. It can also conduct online examination through technology mediated proctoring.

2. The attendance of examinees shall be authenticated through biometric system as per Aadhaar details or other Government identifiers for Indian learners and Passports for International learners.

II. Minimum Standards to be Maintained at Examination Centres

A. For Open and Distance Learning Programmes

1. The examination centre must be centrally located in the city, with good connectivity from railway station or bus stand, for the convenience of the students.

2. The number of examination centres in a city or State must be proportionate to the student enrolment from the region.

3. Building and grounds of the examination centre must be clean and in good condition.

4. The examination centre must have an examination hall with adequate seating capacity and basic amenities.

5. Fire extinguishers must be in working order, locations well marked and easily accessible. Emergency exits must be clearly identified and clear of obstructions.

6. The Examination Centre shall have adequate and comfortable seating capacity and amenities including adequate lighting, ventilation and clean drinking water facilities.

7. Safety and security of the examination centre must been sured.

8. Restrooms must be located in the same building as the examination centre, and restrooms must be clean, supplied with necessary items, and in working order.

9. Provision of drinking water must be made for learners.

10. The Examination Centre shall have proper monitoring mechanisms for Closed-Circuit Television (CCTV) recording of the entire examination procedure and biometric system and in case of non-availability of the Closed-Circuit Television facilities, the Higher Educational Institution shall ensure that proper videography be conducted and video recordings are submitted by in- charge of examination centre to the concerned Higher Educational Institution.

11. Adequate parking must be available near the examination centre.

12. Facilities for Persons with Disabilities should be available.

B. For Online Programmes:

13. In addition to facilities mentioned in clause A of paragraph II, Online Examination shall have the following facilities, namely:-

(i) **Requirements at Test Centres:**

(a) Provide adequate test room(s)/space for given number of examinees;

(b) Examinees must be seated with separation distance that restricts view of others work;

(c) Examination Centres must have backup plans in case of power or application failure;

(d) The online examination application must be tested before commencement of the examination;

(e) The check-in area should be located near the entrance to the testing room, in an area separate from other activities;

(f) The building, testing rooms and rest rooms must be accessible to people with disabilities, including wheel chair access;

(g) Each test room shall have proctoring facility either through human proctors or through technology mediated proctoring.

(ii) **Requirement of proctors:**

Each test centre requires one or more proctors in each room, whose responsibilities include the following, namely:-

(a) Monitor the testing room to maintain security;

(b) Interact with the testing workstations to start or pause tests;

(c) Report any irregularities;

(d) Other activities to ensure credibility and transparency of the examination.

(iii) **Security arrangements in the testing centre:**

(a) Only authorised staff and if any external examiner(s) shall have access before exam time;

(b) Only authorised staff and examinee shall have access during exams;

(c) Authorised staff and external examiners to have only the level of access as required and mandated;

(d) OS, Browser and the Software must be kept up-to-date and patched in a timely fashion;

(e) The testing application shall be able to track and report all access attempts;

(f) Each examination room shall have CCTV facility;

(g) Centralised audio/video monitoring of all exam centers shall be ensured;

(h) A separate examination application server or machine in each exam centre must be ensured which will be connected to a central server through virtual private network connectivity for secure delivery of question papers in encrypted form at a designated time prior to the exam;

(i) Examination applications server must reside on a local area network in the same subnet to allow communication between test delivery applications without blocking any ports;

(j) Audit Logging: the online examination system must provide a detailed audit logging facility recording activities like Login, Logout, Exam Access, Question Navigation, Answer Responses, etc. Using techniques like geo-tagging which will make it possible to track the exact location of the user during online exam activity.

(k) IP based Authentication and Authorization: the access and operation of the examination program must be restricted or limited to a certain specified number of IP addresses specially in the case of admin login to ensure complete safety for the examination.

(l) Examination Centre has to be connected to the internet via a good internet connection with a minimum download speed of 4 Megabits per second (Mbps) and upload speed of 1 Megabits per second (Mbps) for online question paper delivery and uploading of scanned answer scripts.

(m) There should be a separate device for Local Area Network (switch) and internet connectivity (router) instead of using an integrated device.

(n) Staffs have to verify the student's original ID proof issued by Govt. of India with the ID proof for authentication.

(o) External devices (i.e. mobile, pen drive, tab, laptop, smart watch etc.) or reading materials should not be permitted in exam centres.

(p) The online exam Platform will be accessible *via* user id and password which is unique for each student for each session and exam.

(q) After examination data shall be transferred in encrypted format through an encrypted virtual private network connection from examination application server to central server.

(iv) **Remote Proctoring:**

Following security measures to be ensured for conducting online examination through remote proctoring:

(a) Secure browser: there must be custom application pre-installed on the machine for the examination preventing opening of any other windows or application. This application must prevent Screen Capturing, Recording and Remote Login or taking output to a remote screen through Video Graphic Array (VGA), Universal Serial Bus (USB) or High Definition Multimedia Interface (HDMI) ports features.

(b) Remote Proctoring: remote proctoring shall involve image capturing in intervals or video streaming of the candidate through webcam or screen capturing of the current access screen of the candidate.

(c) Data Encryption: Online examination system's data needs to be encrypted to prevent any kind of misuse. Question Bank and exam data must be stored in a highly secure and encrypted manner. The entire communication between server and client/student machine during the examination needs to be encrypted with a secure mode of communication.

Annexure III

TERRITORIAL JURISDICTION AND REGULATING PROVISIONS FOR DIFFERENT TYPES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

I. Central Government and State Government University:

1. A University established or incorporated by or under a Central Act shall offer programmes in Open and Distance Learning mode and operate all other related activities as per the territorial jurisdiction allotted to it under its Act.

2. A University established or incorporated by or under a State Act shall offer programmes in Open and Distance Learning mode and operate all other related activities only within the territorial jurisdiction allotted to it under its Act and in no case beyond the territory of the state of its location.

3. A Central Government or State Government University can offer recognised programmes under Open and Distance Learning mode and/or Online mode in accordance with the provisions of its respective Act and after the recognition of the University Grants Commission.

4. A Central Government or State Government University can offer recognised programmes under Open and Distance Learning mode through its own Schools/Departments/Centre and its constituent colleges.

5. No university can offer its programmes or other related activities through franchising arrangement for the purpose of conducting courses through Open and Distance Learning mode and Online mode.

6. Territorial Jurisdiction shall not be applicable to these category of Higher Educational Institutions recognised for offering programmes through Online mode under these regulations.

II. Private Universities:

1. Private Universities established or incorporated by or under a State Act shall offer programmes in Open and Distance Learning mode and operate all other related activities only within the territorial jurisdiction allotted to it under its Act and in no case beyond the territory of the state of its location.
2. Private Universities shall be governed by UGC (Establishment and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003.
3. Private Universities shall be eligible to offer programmes under Open and Distance Learning mode through its Head Quarters only and duly recognised off-campus centres.
4. Private Universities shall not offer programmes under Open and Distance Learning mode through any Learner Support Centre.
5. A Private University established under the State Act shall be a unitary University.
6. Private Universities cannot affiliate any college or institution for conducting programmes leading to award of its diplomas, degrees or other qualifications.
7. No university can offer its programmes or other related activities through franchising arrangement for the purpose of conducting courses through Open and Distance Learning mode and Online mode.
8. Territorial Jurisdiction shall not be applicable to this category of Higher Educational Institutions recognised for offering programmes through the Online mode under these regulations.

III. Institutions Deemed to be Universities:

1. Institutions Deemed to be University shall be governed by UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.
2. Institutions Deemed to be University shall operate only within its Head Quarters or from those off campuses which are approved by the Government of India through notification published in the Official Gazette.
3. Institutions Deemed to be Universities shall be a unitary in nature and cannot affiliate any college or institution for conducting programmes leading to award of its diplomas, degrees or other qualifications.
4. No university can offer its programmes or other related activities through franchising arrangement for the purpose of conducting courses through Open and Distance Learning mode and Online mode.
5. Territorial Jurisdiction shall not be applicable to this category of Higher Educational Institutions recognised for offering programmes through Online mode under these regulations.

Annexure IV

HUMAN RESOURCE AND INFRASTRUCTURAL REQUIREMENTS

I. Open Universities

A. Staffing Norms at Head Quarters:

1. The following positions are on full time and dedicated basis, excluding the designated positions in the Open Universities as per their respective Act(s):-
   (i) Head for each school at the Professor level.

(ii) Academic staff strength per programme under a school. Minimum three faculty members are required at Associate Professor/Assistant Professor level:

Provided that in case of Under Graduate and Post Graduate programmes in same discipline, instead of 6 faculty members, 5 faculty members shall be required.

(iii) Administrative staff strength at Head Quarters or Main Campus (up to 10,000 students):

(a) Deputy Registrar - 1;

(b) Assistant Registrar - 1;

(c) Section Officer - 1;

(d) Assistants - 3;

(e) Computer Operator - 2;

(f) Multi Tasking Staff – 2.

2. In case of the enrolment higher than 10,000 in Open and Distance Learning Programmes, Open University may increase the number of positions appropriately.

B. Centre for Online Education (COE):

1. The Open University intending to offer the recognised programmes under Online mode shall have a Centre for Online Education for effective coordination among its Departments or Schools of Studies for offering the Online Programme, comprising Admission or Registration Unit, Examination Unit and Technology Support Unit. The Centre for Online Learning shall maintain and administer the Centralised Data Base of all the recognised programmes.

(i) The Centre for Online Education shall have:

(a) Director: Permanent, full-time Professor (preferably having professional experience in Open and Distance Learning and/or Online Learning);

(b) Deputy Director (e-Learning and Technical): An employee having the Qualifications and Experience as specified for Associate Professor under the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in the Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018 shall be an e-learning expert with experience in technical coordination for modules development and Learning Management System (LMS). The Deputy Director can be appointed on full-time or contractual basis;

(c) Assistant Director: Having qualifications and experience as specified for Assistant Professor under University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in the Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, initially one, who shall coordinate with Departments or Schools of Studies offering Online Programmes. The Assistant Director can be appointed on full-time or contractual basis.

(ii) The Departments or Schools of Studies shall be the academic home of the recognised Online programmes on offer.

(iii) The involvement of permanent and/or full time dedicated faculty of Schools of Studies/Departments in the Online programme(s) shall be in the following capacities, excluding the designated positions in the Open Universities as per their respective Act(s):

(a) Programme Coordinator (One per Programme): A full-time Faculty at the level of Professor or Associate Professor or Assistant Professor in the subject area of the concerned Programme shall be the Programme Coordinator for an Online

Programme. The Programme Coordinator shall be responsible for overall coordination of the development, delivery and assessments of the learners in an Online Programme;

(b) Course Coordinator (One per Course): An Online Programme may have more than one Course. In such a case, one full-time dedicated Faculty at the level of Professor or Associate Professor or Assistant Professor in the subject area of the concerned Course shall be Course Coordinator for each of the Courses of an Online Programme. The Course Coordinator shall coordinate the development, delivery and assessments of the learners in the Course;

(c) Course Mentor (One per batch of 250 learners): Course Mentor shall assist the Programme/Course Coordinator in providing academic support to learners and also in managing virtual teacher-learner interaction groups. Course Mentor shall have the relevant qualifications and experience as specified for Assistant Professor under the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in the Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018;

(d) Examiners: The Higher Educational Institution shall appoint examiners for the assessment of the online learners in a Course from among the qualified faculty from within the Institution or from other Institutions and they shall be paid appropriate honorarium as per norms of the Higher Educational Institution.

(iv) Requirement of Technical Support for Online Programmes:

(a) Technical Team for Development of e-Content as Self-Learning e- Modules:

(A) Technical Manager (Production)–minimum one

(B) Technical Associate (Audio-Video recording and editing)– minimum one

(C) Technical Assistant (Audio-Video recording)– minimum one

(D) Technical Assistant (Audio-Video editing)–minimum one

(E) The technical support required for development of e-content may be outsourced to the centres across the nation having requisite facilities.

(F) These numbers are for the initial stage of e-content, for self learning e-modules development and delivery.

(b) For Delivery of Online Programmes:

(A) Technical Manager (LMS and Data Management)-minimum one (per Centre)

(B) Technical Assistant (LMS and Data Management) – minimum two

(c) For Admission and Examination for Online mode:

(A) Technical Manager (Admission, Examination and Result) -minimum one (per Centre)

(B) Technical Assistant (Admission, Examination and Result) - minimum two

(C) These activities may be carried out by the Admission/Registration and Examination Units of the Open Universities having requisite resources for their ODL Programmes under the overall supervision of Centre for Online Education for Online Programmes.

II. Dual Mode Higher Educational Institutions

1. The dual mode Higher Education Institution intending to offer Programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall have a Centre for Distance and Online Education (CDOE) for effective coordination among its Departments or Schools of Studies.

2. The Centre shall maintain and administer, in collaboration with the technology support Unit

of Higher Educational Institution, the Centralised Data Base of all the Open and Distance Learning and/or Online Programmes.

3. The provisions as detailed in clause (1) of sub-paragraph (B) of paragraph I above shall be applicable to Dual mode HEIs for Online Programmes.

III. Staffing Norms at Head Quarters:

1. As mentioned in Clause (1) of sub-paragraph (B) of paragraph I above, in case of Online Programmes.

2. Academic staff strength - At least two faculty members (full-time dedicated) per Open and Distance Learning Programme at Professor/Associate Professor/Assistant Professor level:

Provided that in case of Under Graduate and Post Graduate programmes in same discipline, instead of 4 faculty members, 3 faculty members shall be required.

3. Administrative staff strength at Head Quarters or Main Campus **(up to 5,000 students)**:

(a) Deputy Registrar - 1;

(b) Assistant Registrar - 1;

(c) Section Officer - 1;

(d) Assistants - 2;

(e) Computer operators - 2;

(f) Multi Tasking Staff – 2.

4. In case of the enrolment higher than 5,000 the number of positions in the Centre for Distance and Online Learning may be increased by the HEI appropriately.

IV. Physical Infrastructure:

1. Total Built-up area for Open and Distance Learning activity - Minimum 15000 sq. ft. (carpet area):

Table

S. No.	Built-up Area Type	Percentage (%)	Built-up Area (Carpet Area, in sq ft)
1.	Academic	50 per cent.	7500
2.	Administrative	10 per cent.	1500
3.	Academic support such as Library, Reading room, Computer Centre, Informational and Communication technology Labs, Video and Audio Labs etc.	30 per cent.	4500
4.	Amenities or other support facilities	10 per cent.	1500
		Total	15000

Note: Built up area for toilets shall be separate.

2. Minimum requirement of Physical Infrastructure will be as per University Grants Commission (Fitness of Open Universities for Grants) Rules, 1988 and as amended from time to time, except for the existing Open Universities for the purpose of these regulations.

V. Academic Counselor in a Learner Support Centre:

1. Should be a post graduate from a recognised University.
2. Familiarity with basic research on the characteristics of Distance learners, their needs and difference from conventional face-to-face education.
3. Application of basic principles of instructional design.
4. Thorough knowledge of subject matter and common misconceptions related to the course(s).
5. Deep understanding of the necessity of learner-centered environment in online and blended learning mode.
6. Ability to design constructivist learning environment.
7. Practical applications of learning theories, self-paced instruction, and computer-mediated communication and learning.
8. Ability to foster a sense of community among learners.
9. Adaptability and flexibility with the capabilities and limitations of the delivery media.
10. Familiarity with the delivery medium to provide basic troubleshooting.
11. Ability to multitask.
12. Time management (e.g. respond to learners in timely manner, extensive and advance preparation and planning).
13. Professional characteristics (e.g. motivated to teach, self-confident, articulate, good writer).

Annexure V

GUIDELINES ON PROGRAMME PROJECT REPORT (PPR)

I. Overview

1. A Programme Project Report (PPR) of a Higher Educational Institution is a document prepared to introduce a new programme, which includes details of - (a) programme objectives and outcomes; (b) nature of target group of learners; (c) appropriateness of the programme with quality assurance for acquiring specific skills; (d) programme content designing and developing; (e) cost estimates for development of the programme; and (f) admission, delivery and evaluation norms.
2. The Programme Project Report is a self-disclosure by the Institution about launching the programme in the Open and Distance Learning mode and/or Online mode. The Institution has to define specific aims and objectives for each of the academic programmes which will give the direction to launch a programme and will allow to focus on results. At the end, these aims and objectives will help to demonstrate what has been achieved. The programme shall be planned with clear deliverables and knowledge experiences to be gained.

II. Contents of Programme Project Report (PPR): Programme Project Report is required to be prepared before introducing any new programme duly approved by its highest academic authority. The Programme Project Report shall contain the following contents, namely:-

(i) **Programme's mission and objectives:** The Higher Educational Institution shall define the mission statement and objectives for the programme to be launched, which shall reflect the strategic direction and the academic goals of the Higher Educational Institution. Those shall be aligned with industrial or learners' demand, and shall be defined in such a manner that they are appropriate to be achieved.

(ii) **Relevance of the program with HEI's Mission and Goals:** The Higher Educational Institution shall plan for such a programme to be offered through the Open and

Distance Learning Mode and/or Online Mode that is relevant to the Higher Educational Institution's mission and goals. Therefore, it is very much important that the programme to be offered through Open and Distance Learning Mode and/or Online Mode should be aligned with Higher Educational Institution's mission and goal and will prove as major contributing factor in its achievement.

(iii) **Nature of prospective target group of learners**: The Higher Educational Institution shall identify the target group of learners. It is required to understand their learning needs and on its basis the curriculum should be aimed. The Higher Educational Institution should also consider diverse class of learners including a class having of low level of disposable income, rural dwellers, women, unskilled men, minorities etc.

(iv) **Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning and/or Online mode to acquire specific skills and competence:** The Higher Educational Institution shall clearly identify the learning out comes for the programme which shall cover the specific skills and competence to be acquired by the learner. The programme should be aimed appropriately to those learning outcomes. The learning outcomes shall include the development of knowledge and understanding appropriate to the area of study and these should also reflect academic, professional and occupational standards of that field. The learning outcomes should incorporate generic transferable skills and competencies.

(v) **Instructional Design:** Instructional Design includes Curriculum design, detailed syllabi, duration of the programme, faculty and support staff requirement, instructional delivery mechanisms, identification of media– print, audio or video, online, computer aided, and student support service systems. The Higher Educational Institution shall define the instructional design for each of the academic programmes to be offered through the Open and Distance Learning Mode and/or Online Mode and shall map the credit hours for each course or module of the programme.

(vi) **Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation:** The Higher Educational Institution shall define the admission policy for the programme with minimum eligibility and fee structure. The information related to financial assistance, if any, should be included in the policy. The Higher Educational Institution shall notify the policy of programme delivery along with the details of methods and web-based tools to be adopted. The Higher Educational Institution shall notify the activity planner including all the academic activities to be carried out by the Higher Educational Institution during the academic session. Further, the Higher Educational Institution shall also notify policy for evaluation of learner progress along with methods and tools.

(vii) **Requirement of the laboratory support and Library Resources:** There may be programmes having practical component in syllabus. The Higher Educational Institution shall give clear guidelines about the laboratory support to the learners to perform the practical prescribed in the programme. There shall be provision of a practical book for the learners.

(viii) **Cost estimate of the programme and the provisions:** The cost estimate shall indicate the amount assigned for programme development, delivery and maintenance.

(ix) **Quality assurance mechanism and expected programme outcomes:** The Higher Educational Institution shall define the review mechanism for programme and continuously enhance the standards of curriculum, instructional design relevant to professional requirements of the area of study. There should be course benchmark statements. The Higher Educational Institution shall also devise the mechanism for monitoring effectiveness of the programme being offered in Open and Distance Learning mode and/or Online mode.

Annexure VI

QUALITY ASSURANCE GUIDELINES OF LEARNING MATERIAL IN MULTIPLE MEDIA AND CURRICULUM AND PEDAGOGY

A. For Open and Distance Learning mode

I. Learning Materials (Print Media): Quality Standard

1. Learning Materials through print-media is termed as Self Learning Materials (SLM), being developed with the approach of self-explanatory, self-contained, self-directed, self-motivating and self-evaluating.
2. The Self Learning Material shall be self-contained providing complete course description comprising overview of units alongwith objectives, activities, assignments and additional resources.
3. There shall be description of credit value of each module or unit in the course.
4. The course material shall provide an environment for practice, at the learner's own pace and in his/her own time.
5. There shall be clear guidelines on academic integrity and netiquette (internet etiquette) expectations regarding activities, discussions and plagiarism.
6. The course shall be designed to teach concepts and skills that the learner will retain throughout the study.
7. There shall be multiple learning paths for engaging the learner in active learning.
8. The content shall provide opportunities for learners to engage in higher- order thinking, critical-reasoning activities and thinking in increasingly complex ways.
9. The following is an indicative list of quality standards for printed learning materials:

(i) The Self Learning Material shall be structured on the Learning Outcome based Curriculum Framework (LOCF).

(ii) The Self Learning Material shall be designed with the approach of two-way communication between the learner and content. The content of Self Learning Material shall be presented in an interactive, conversational format with dialogue and personal system of writing method which will create the nature of interactivity in Self Learning Materials

(iii) The Self Learning Material shall involve the learner actively through various experience-based activities and assignments.

(iv) The learner should get clear information about the structure of the programme and course.

(v) There shall be detailed concept/learning map in Self Learning Material for the learner so that he or she will be self-directed for completion of his or her studies with clearly stated learning out comes.

(vi) The Self Learning Material shall encourage learner to apply new knowledge and skills.

(vii) The content of a course should be divided into a few Blocks on major related themes, each block containing a few Units on a major theme for effective learning.

(viii) Units in the Self Learning Material shall be developed in defined formats with the following features, namely:-

(a) Consistent layout and format;

(b) Inclusion of overview of content;

(c) A unit structure, Introduction, and expected learning outcomes and reference to prior learning at the beginning of the unit and Summary at it send;

(d) Presentation of content in appropriate sequence in sections and sub-sections synchronized with learning objectives and outcome, containing plenty of examples including national or international case studies, wherever relevant;

(e) Explanation of icons, symbols, formula etc. used in content;

(f) Explanation on technical, new, difficult terms or word in a glossary/ keyword section;

(g) Inclusion of adequate suggested reading (both print and online).

II. Audio–Video Material: Quality Standards

1. The following is an indicative list of quality standards for audio-video materials:

(i) The audio-video material shall supplement and complement the Self Learning Material and based on the curriculum structure.

(ii) There shall be adequate consideration of learners' prior knowledge, skills and attitudes.

(iii) Level and style of presentation and language shall be simple and appropriate to aid in self-learning.

(iv) There shall be clear information on types of support material and study activities to be used by the learner.

(v) It shall be clear and unambiguous, also preferably free from pedagogic jargon.

(vi) The aim, objective and target audience for the audio or video material shall be clearly defined.

(vii) It shall conform to the learning outcomes.

(viii) There shall be clear guidelines with regard to the use of the audio or video material vis-a-vis other content of the course.

(ix) Audio or video material shall be developed in forms and formats that will be easily accessible by the learners and compatible with web- based delivery.

(x) Audi or video material shall provide continuity and coherence within and between audio or video based study sessions.

(xi) The content need to be interactive with appropriate use of graphics, animations simulation etc. to keep the learners engaged.

III. Online and Computer based Material: Quality Standards

1. The following is an indicative list of quality standards for Online and Computer based materials:

(i) The digital content should not be merely scanned files of the Self Learning Material. If content is scanned it should be made available in accessible format such as Word Processing, Portable Document Format or E-Pub format.

(ii) The file size should not be very heavy so that the learners are easily able to access and download the content.

(iii) The course content in digital format shall be easy to navigate and searchable through metadata.

(iv) The digital content needs to be Unicode compliant so that font issues are not faced by the learners specially in the case of Indian languages.

(v) Digital content should be accessible to all with special attention to the needs of the learners with disabilities.

(vi) The digital content shall be available across platforms and devices.

(vii) Since the learners may not have access to unlimited Internet data plan, it is advisable that the audio-video material is made available through streaming server instead of file uploaded as such on the server.

(viii) The compression of the digital files needs to be optimised so that the quality is not compromised and content is easily accessible.

(ix) For digital content the appropriate required players need to be easily available or made available.

IV. Curriculum and Pedagogy: Quality Standards

1. The following is an indicative list of quality standards for curriculum and pedagogy:

(i) The curriculum objectives shall be consistent with the mission of the Higher Educational Institution.

(ii) There shall be involvement of all the stakeholders in the process of framing the curriculum objective.

(iii) While designing the curriculum, the Higher Education Institution shall take into consideration the University Grants Commission Model Curriculum and the Learning Outcome- based Curriculum Framework (LOCF) and incorporate local or regional needs.

(iv) There shall be rationale for the appropriateness of the curriculum to the stage of learning.

(v) There shall be linkages of the curriculum to previous and subsequent stages of learning.

(vi) There shall be such learning experiences which allow a diversity of methods (like learning from practice, opportunities for distributed and concentrated practice, learning with peers, learning in formal situations inside and outside the department, personal study, specific teacher inputs etc).

(vii) The structure of curriculum shall be defined.

(viii) There shall be a complete strategy on teaching and learning methods.

(ix) The instructional methods or pedagogy and the media mix should be clearly spelt out.

(x) A comprehensive methodology for assessment and evaluation should be clearly stated.

(xi) The content shall be reliable and justify the learning outcome(s).

(xii) There shall be clear definition of intended outcomes of learning, benchmarked to identifiable stages of learning.

(xiii) There shall be the use of reference points and expertise from outside the Higher Educational Institution, if required, in programme design and in the processes of programme development and approval.

(xiv) There shall be relevance of curriculum to national competency requirement.

(xv) There shall be description of credit value of each module or unit in the course.

B. For Online mode

E-Learning Materials Quality Standard:

1. The online courses should comply with the following Quality standards, namely:-

(i) The courses should follow the following four quadrant approach, as per the SWAYAM Guidelines:-

(a) Quadrant-I is e-Tutorial; which shall contain: Video and Audio Content in an organized form, Animation, Simulations, video demonstrations, Virtual Labs, etc, along with the transcription of the video.

(b) Quadrant-II is e-Content; which shall contain; self-instructional material (digital Self Learning Material), e-Books, illustrations, case studies, presentations etc, and also contain Web Resources such as further references, Related Links, Open source Content on Internet, Video, Case Studies, books including e-books, research papers and journals, Anecdotal information, Historical development of the subject, Articles, etc.

(c) Quadrant-III is the Discussion forum for raising of doubts and clarifying the same on real time basis by the Course Coordinator or his team.

(d) Quadrant-IV is Assessment, which shall contain; Problems and Solutions, which could be in the form of Multiple Choice Questions, Fill in the blanks, Matching Questions, Short Answer Questions, Long Answer Questions, Quizzes, Assignments and solutions, Discussion forum topics and setting up the FAQs, Clarifications on general misconceptions.

(ii) The courses shall be rich in innovative presentation techniques to ensure that learner attention is retained.

(iii) It shall be the responsibility of the Course Coordinator to ensure that none of the graphics, animations, images, sound clips, video clips used are plagiarized or cited without formal permissions from owners.

(iv) A four-credit course shall typically have 20 hours of video content and 20 hours of reading material.

(v) For Quadrant III for every 250 learners registered for a programme one Mentor can be appointed per course to facilitate the Course Coordinator. The Mentor shall be the subject matter expert adept in handling technology. The Course Coordinators and Mentors shall need to participate actively in the Discussion Forum. Apart from discussion forum other interactive platforms like web conferencing may also be considered.

Table 1: Norms for offering Degree programmes through Open and Distance Learning mode and/or Online mode, based on credit system

S. No.	Level of the Programme	Duration of the programme	Credits
1.	Bachelor's Degree, Bachelor's Degree (Honours)	As per UGC Notification on Specification of Degree, 2014	As per UGC guidelines
2.	Master's Degree	As per UGC Notification on Specification of Degree, 2014	As per UGC guidelines
3.	Post Graduate Diploma	2 years	80

Table 2: Norms for delivery of courses through open and distance mode

S. No.	Credit Value of the course	Size of SLMs Range (in terms of units, to be divided into blocks)	No. of Assignments	Practical Sessions	No. of Counselling Sessions Theory (10 percent of total study Hours)	Study hours of Learner
1.	2 Credits	6-10 units	1	60 hours	6 hours	60 hours
2.	4 credits	14-20 units	2	120 hours	12 hours	120 hours
3.	6 credits	20-28 units	3	180 hours	18 hours	180 hours
4.	8 credits	30-34 units	4	240 hours	24 hours	240 hours

Table 3: Norms for Delivery of Courses in Online Mode

S. No.	Credit value of the course	No. of Weeks	No. of Interactive Sessions		Hours of Study Material		Self-Study hours including Assessment etc.	Total Hours of Study (based on 30 hours per credit)
			Synchronous Online Counselling/ Webinars/ Interactive Live Lectures (1 hour per week)	Discussion Forum/ asynchronous Mentoring (2 hours per week)	e-Tutorial in hours	e-Content hours		
1.	2 credits	6 weeks	6 hours	12 hours	10	10	22	60
2.	4 credits	12 weeks	12 hours	24 hours	20	20	44	120
3.	6 credits	14 weeks	14 hours	28 hours	30	30	66	180
4.	8 Credits	16 weeks	16 hours	32 hours	40	40	88	240

Annexure VII

GUIDELINES ON SELF-LEARNING MATERIAL AND E-LEARNING MATERIAL

I. Preparation of Learning Material

A. For Open and Distance Learning mode

1. Self-Learning Materials (SLMs) should be self-explanatory, self-contained, self-directed, self-motivating and self-evaluating. It should be engaging and actively involve the learners. During the planning of the Self Learning Material, the following points should be considered very carefully:
   (i) backgrounds of learner and learning needs;
   (ii) learning experiences; and
   (iii) support and preparation in adapting to flexible learning.
2. The following major points should be considered by teachers while developing the printed learning materials or e-learning materials:
   (i) learning objectives
   (ii) assessment of prior knowledge
   (iii) learning activities
   (iv) feedback of learning activities
   (v) examples and illustrations
   (vi) self-assessment questions/In-text questions
   (vii) summary/key points
   (viii) study guide
3. The learning material should lay emphasis on real-world tasks, learner's choice of tasks or situations, case studies, collaborative learning tasks, opportunities for observing others, self-evaluation.
4. **Planning for development of learning material:** Due to the absence of interaction with the teachers in the Open and Distance Learning mode, the learner has to take the decision(s) at any point during the learning path. This may create disagreement between learner's perception and the objective of the learning materials. Therefore, it is required to consider the following key points during planning for the development of learning material:
   (i) **Learner Profile:** It is required to consider literacy level (including level of language proficiency), age group, information communication technology skills, aim of study, personal background and home situation, prior knowledge, prior skills, learning situations, etc.

(ii) **Background:** In Open and Distance Learning system, learner studies at her/his own pace unlike in the face-to-face mode. A substantial number of the learners are working professionals and they get time to study at their homes. If we add certain references which they cannot access at home, then it will create an obstacle in their learning. Therefore, it is necessary to consider the accessibility of course resources and references at the place of learning.

(iii) **Learning Objectives and Outcome:** It is required to define the learning objectives and outcomes prior to initiating the process developing the learning materials. The learning objectives can be of terminal, intermediate or enabling nature. These learning objectives can be set at course, unit, or module level.

5. **Group of Learning Material:** Considering the principles of Open and Distance Learning mode of education, the programmes shall be accompanied with learning material or resources which shall comprise of self-learning material or e-learning material, e-books, practical book, student's handbook, question bank, assignment book, Audio Video material, programme guide, project manual, etc.

B. For Online mode

1. The E-Learning Material shall have the four quadrant approach; as per UGC (Credit Framework for online learning courses through SWAYAM) Regulations, 2016 taking into consideration the following, namely:-

(i) Quadrant-I is e-Tutorial; which shall contain: Video and Audio Content in an organised form, Animation, Simulations, Video Demonstrations, Virtual Labs, etc, along with the transcription of the video.

(ii) Quadrant-II is e-Content; which shall contain; self instructional material, e-Books, illustrations, case studies, presentations etc, and also contain Web Resources such as further references, Related Links, Open source Content on Internet, Video, Case Studies, books including e-books, research papers and journals, Anecdotal information, Historical development of the subject, Articles, etc.

(iii) Quadrant-III is the Discussion forum for raising of doubts and clarifying them on a near real time basis by the Course Coordinator or his team.

(iv) Quadrant-IV is Assessment, which shall contain; Problems and Solutions, which could be in the form of Multiple Choice Questions, Fill in the blanks, Matching Questions, Short Answer Questions, Long Answer Questions, Quizzes, Assignments and solutions, Discussion forum topics and setting up the FAQs, Clarifications on general misconceptions.

II. Preparedness of Learning Material

A. For Open and Distance Learning mode: The preparedness level of Self Learning Material (SLM) at the time of submission of the proposal shall have the following, namely:-

(i) Under Graduate Programmes (3 years duration): Self Learning Material should be ready in all respect for first two years and its approval by the statutory authorities of the Higher Educational Institution.

(ii) Post Graduate Programmes (2 years duration): Self Learning Material should be ready in all respect for first year and its approval by the statutory authorities of the Higher Educational Institution.

(iii) For Post Graduate Diploma Programmes (2 years duration): Self Learning Material should be ready in all respect for first year and its approval by the statutory authorities of the Higher Educational Institution.

B. For Online mode: The availability of E-Learning Material at the time of submission of the proposal shall be as per the following:

(i) For Post Graduate Level Programmes- First year e-learning material in four quadrants

for each course in the first year of study and its approval by the statutory authorities of the Higher Educational Institution;

(ii) For Under Graduate Level Programmes- First three semesters e-learning material in four quadrants for each course and its approval by the statutory authorities of the Higher Educational Institution;

(iii) For Post Graduate Diploma Programmes- First year e-learning material in four quadrants for each course in the first year of study and its approval by the statutory authorities of the Higher Educational Institution:

Provided that for remaining year/semester, the learning material for programmes shall be ready prior to beginning of next year/semester and same shall be intimated to the Commission.

Annexure VIII

LEARNER SUPPORT CENTRES

I. General:

Open and Distance Learning (ODL) mode of Education consists of three levels of functioning which are located at the Head Quarters (HQ) of the Higher Educational Institutions, Regional Centres and Study Centres (SCs) or Learner Support Centres (LSCs) established within the territorial jurisdiction of the Higher Educational Institution as defined in the following Part. The management of the processes of Admissions, Evaluation, and Declaration of Results etc. are the main responsibilities of the Head-Quarters of the Higher Educational Institution and are discharged from the main campus. Under the direct management and control of the Higher Educational Institution, Regional Centres which are the second level of functioning, perform a dynamic operational link between the Head-Quarter and the Learner Support Centres (LSCs) which are the third level of Open and Distance Learning system and are important main contact points for access by the learners, responsive and facilitating information centres, arranging contact sessions and other operations like processing of assignments etc. The Learner Support Centres (LSCs) will also be established and managed directly by the Higher Educational Institution and not through any franchise or outsourced arrangement:

Provided that a Private University established under the State Act shall be eligible to offer programmes under Open and Distance Learning mode through its Head Quarters only and duly recognized off-campus centres. A Private University shall not offer programmes under Open and Distance Learning mode through any Learner Support Centre.

II. Definition and Establishment of Learner Support Centre or Study Centre

1. 'Learner Support Centre (LSC) means a Centre established and recognised by the Higher Education Institution for advising, counselling, providing interface between the teachers and the learners, rendering academic and any other related services and assistance, required *inter alia* by the learners of Open and Distance Learning Mode:

Provided that a Higher Educational Institution offering programmes in Open and Distance Learning mode shall ensure that all Study Centres or Learner Support Centres are established only in a College or Institute affiliated to a recognised university (other than a Private University) or a Government recognized Higher Educational Institution offering conventional mode programmes of equivalent level in the same broad areas under the relevant faculty such as faculty of sciences or social science or humanities or commerce or management etc. and having all the necessary infrastructure and availability of appropriate number of qualified faculty not below the rank of qualified Assistant Professors of recognised Colleges or Institutes offering a similar programme for engaging theory contact sessions and supervising practical sessions in laboratory or field:

Provided further that a Higher Educational Institution shall establish a Special Learner Support Centre for imparting instruction to persons referred to in the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995,

the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability Act,1999 including the employees of Defence or Security Forces and jail inmates interested to study through the Open and Distance Learning mode:

Provided also that, in case of exigency or non-availability or non-willingness of an Institution/College as specified above for a specialized programme or a special component of a programme, the HEI shall activate Work Centre/Programme Centre at the Government aided/affiliated/recognized Research and Extension Institutions such as Krishi Vigyan Kendras, State Training Institutes/Industrial Training Institutes; Government Organizations/ Departments; Accredited Laboratory; Government Licensed Industry; and approved Vocational Institutes having infrastructure, facilities and human resource as specified by the Statutory bodies for a programme or a few courses of a programme.

2. Any Study Centre or Learner Support Centre shall be established by the Higher Educational Institution after processing through the appropriate statutory bodies of the Higher Educational Institution. While processing such approvals it is mandatory to provide evidence of the preparedness for establishing Study Centres/Learner Support Centres, providing learner support services, availability of the academic, other staff and qualified academic counsellors.

3. The Higher Educational Institution shall have a Standard Operating Procedure for the smooth functioning of the Study Centre or Learner Support Centre which shall include all aspects of functions of the Study Centre or Learner Support Centre, monitoring mechanism of different services provided by the Centre, and it shall be mandatory for the Study Centre or Learner Support Centre to maintain the learner data related to conduct of counselling sessions, evaluation of assignments and effective and online grievance redressal system, which should be monitored at the level of regional centre and Head Quarters.

4. The list of Study Centres or Learner Support Centres with details such as: Name with address of the institution where the centre is located, name of the coordinator with contact details, working hours and schedules for counselling sessions, infrastructure and other facilities available in the Study Centre or Learner Support Centre shall be displayed on the web portal of the Open and Distance Learning institution and the same information shall be made available in the printed prospectus for the information of the learners and other stakeholders.

5. A Higher Educational Institution shall submit an undertaking to the Commission to the effect that the academic and instructional facilities at its Study Centres or Learner Support Centres meet all the conditions of these regulations and guidelines issued from time to time, and are commensurate with the number of academic programmes and learners' strength thereto- Provided that the Higher Educational Institution shall not carry out any of its activities related to the Open and Distance Learning mode at places other than Study Centres or Learner Support Centres under a different name such as Information Centre, Facilitation Centre, Nodal Centre, Knowledge Partner, Partner Institution, Multimedia Centres and similar such names:

Provided that, no Study Centre or Learner Support Centre shall be established beyond the territorial jurisdiction of the Higher Educational Institution or under any franchisee or outsourcing agreement, as described in these regulations:

Provided further that a Study Centre or Learner Support Centre shall not admit a learner to any programme in Open and Distance Learning mode for or on behalf of any other Higher Educational Institution.

III. Norms for Empanelment of Academic Counsellors and Counselling Sessions

1. **Eligibility conditions for appointment of academic counsellors**: The academic staff in the Study Centre or Learner Support Centre shall fulfil the minimum qualifications as laid down in the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in the Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018. In addition,

such academic staff should have familiarity with the Characteristics of Open and Distance Learning mode learners and their needs, difference between Open and Distance Learning and conventional face–to-face education, awareness about instructional design, familiarity with the learner centered approach in blended mode of learning, ability to use different delivery media including online and computer mediated communication and Information and Communication Technology enabled learning.

2. **Norms for Personal Contact Programmes**: Credit Based System has been followed by Open and Distance Learning single mode Higher Educational Institutions during the last more than two decades and it has got standardized for programme delivery especially by the Open Universities. Such credits depend on the total number of hours that a learner is required to cover for all activities like participation in Personal Contact Programmes, Working on Assignments, Library Consultation etc., in completing a course. In this direction, the guidelines of University Grants Commission on Choice Based Credit System (CBCS) is mandatory for all Higher Educational Institutions delivering education through conventional mode. Accordingly, for Post Graduate programmes in Open and Distance Learning mode, 16 credits per semester are assigned for a total of four semesters, on an indicative basis for explaining the concept, however shall be governed by the number of credits as defined by the Commission from time to time. In Open and Distance Learning mode Programme delivery, the component of contact with teachers is comparatively much lower than the conventional or face to face mode which is complemented by self-learning on the part of the learner.

The following table is provided for norms for counselling sessions in theory and practical courses for Open and Distance Learning mode programme delivery.

Table: ODL programmes - Contact Sessions for Theory and Practical Courses; on an indicative basis

Four Courses, each of 04 Credits, with a total of 16 Credits per semester			
Number of Assignments	10-12 credits for theory and 6-4 Credits for practical courses		Counselling for theory only Courses: Four courses of 4 credits each
	Contact sessions- practical	Contact sessions-theory	
Four per semester	60 hours of guided experiments with support of internal supervisor per 2 credits	30-36 hours	12 hours per course

Note (1): Contact session up to the extent of twenty per cent., or as defined by the Commission from time to time, could be arranged by providing Massive Open Online Courses and other online programme delivery systems.

Note (2): Practical sessions to the extent of twenty per cent., or as defined by the Commission from time to time, could be provided through virtual lab mode.

IV. Deployment of work force and other support at study or Learner Support Centres

1. The Study Centres or Learner Support Centres shall be headed by a Coordinator, not below the rank of an Assistant Professor and shall be augmented with academic and non-academic staff depending on the number of learner, assigned for adequate support to the learners. There shall not be any restrictions in the capacity of intake in Open and Distance Learning programme at the Learning Support Centre or Study Centre and Main campus. The capacity of intake per programme should be commensurate with the available qualified faculty in relevant area, well equipped laboratory, library, online connectivity and Information and Communication Technology facilities, and appropriate infrastructure, along with the following:

(i) Number of qualified counsellor to number of students shall be 1:100 per theory course;

(ii) Number of qualified supervisors per practical course of 2 credits: 1 or more;

(iii) Availability of laboratory: The laboratory should be in a recognised Higher Educational Institution offering a similar programme in conventional mode for a period of not less than 3years.

V. Monitoring of functioning of the Learner Support Centres or Study Centres

The Higher Education Institution shall have dynamic Information and Communication Technology based interactive communication system between Head Quarters, Regional Centres and Study Centres.`

(i) Log in email ID shall be generated for every learner so that learners can have a two-way communication, interact with various functionaries of the Institution and provide constructive feedback for improvement in Open and Distance Learning programme delivery;

(ii) Head Quarters, Regional Centres and Study Centre or Learner Support Centres shall maintain a web portal giving all relevant and updated information about the Open and Distance Learning programmes being delivered. The content of these shall be updated at least on a weekly basis;

(iii) Regional Centres, as applicable shall collect a holistic report about all aspects of the functioning and quality of programme delivery of Study Centres or Learner Support Centres periodically especially during the Admissions, Examinations, and Counselling Sessions etc., and share a consolidated report with the Head Quarters on a weekly basis;

(iv) These reports alongwith responses by learners shall be periodically

(v) analysed for the quality audit of a programme and its delivery besides the quality of performance of the Study Centres or Learner Support Centres;

(vi) Any remedial action shall be jointly ensured by the Head Quarters, Regional Centres and Study Centres or Learner Support Centres promptly;

(vii) Regular visits, at least twice a year by the academic staff of the Higher Educational Institution for on the spot monitoring and interaction with functionaries of the Regional Centres and Study Centres or Learner Support Centres, the learners and the counsellors; and

(viii) Ensuring access of "SWAYAM" and other repositories of Massive Open Online Courses by the learners at Study Centres or Learner Support Centres.

VI. Closure of Non-performing Study Centre or Learner Support Centre:

In case a Study Centre or Learner Support Centre fails to adhere to the prescribed norms or guidelines, the Higher Educational Institution shall initiate action for closure of the centre by following due procedures, so that interests of learners are taken care by some alternative arrangement.

Annexure IX

ASSESSMENT CRITERIA FOR OFFERING ONLINE PROGRAMMES THROUGH NON-SWAYAM LEARNING PLATFORM

I. Provisions:

Learning Platform, other than SWAYAM, used for delivery of online programmes shall be assessed by a Technical Expert Committee duly constituted by the Commission and the learning platform shall broadly have the following provisions:

1. **User and Course management**

   (i) **User Management**: Role Based authentication, User Registration, User Profiling along with personlised dashboard. User's activities analytics. Learning Management System should have Application Programming Interface Integration facility to integrate with external Application/tools.

   (ii) **Course Content Management**: Learning Management System must support all types of files (PDFs, docs, MP3s, MP4s etc.) and e-Learning formats, and data collection capabilities.

   (iii) **Capability for Personalized Learning Experience**: The platform should allow to create personalised learning paths along with criteria that are necessary to be met before they move on to the next content.

2. **Collaboration and Communication:** The platform shall be able to foster communication and peer-to-peer interaction among learners with features such as online chats, discussion forums, user groups, built-in messenger etc.

3. **Assignment and Quiz management:** Self-assessment creation (assignment, quiz), announcement. It shall support all types of Questions (Multiple Choice Questions, True and False, Matching, subjective short and long questions etc.).

4. **Accessibility across Devices and Mobile Learning:** Learning Management System shall allow its learners to access courses on different devices, i.e. Personal Computers**,** Laptop, tab or smart phones.

5. **Security and Privacy:** As Learning Management System holds personal records of learners' it is important to ensure that the Learning Management System has privacy controls, protected logins, and utilizes secure server locations to keep users' data safe.

II. Parameters for Assessment of Online Platform:

The assessment of a non-SWAYAM platform by the technical Expert Committee shall be broadly based on the following parameters, alongwith any other criteria as notified by the Commission from time to time:

1. User friendliness

   Indicative terms of reference:

   (i) Ease of use/proper navigation/attractive presentations in User Interface.

   (ii) Availability of Interfaces/delivery mechanisms–web, mobile desktop, instant messaging, video conferencing, audio graphic systems etc.

   (iii) Availability of proper internet connection in case of web-based interfaces.

   (iv) Representation of content-text/graphical, exercises, tutorials, Examples, case studies etc.

2. Content Storage and Management provisions

   Indicative terms of reference:

   (i) Production of contents;

   (ii) Video-Audio Storage mechanism (name of cloud service provider; streaming services used);

   (iii) Ease of access to content;

   (iv) Reliability and availability of content at all times.

3. Synchronous Interaction provisions (video/audio conferencing, live chat etc.)

4. Asynchronous Interaction provisions (Discussion Forum, Blogs, Wikis etc).

5. Learner engagement provisions (interactive content, activity management, group projects).

6. Peer group interaction provisions (social media integration, group activity, breakout rooms etc.).

7. Learning Communities/Research forums.

Indicative terms of reference:

(i) Collaboration of internal/external communities;

(ii) Collaboration methodology.

8. Adaptive learning provisions (skill gap analysis, personalised content).

9. Provision for grouping the learners with different mentors

(i) One mentor to be assigned for 250 learners as per the regulations

10. Dashboard options for all the stakeholders.

11. Proctored examination methodology.

Examination support- formative and summative Indicative terms of reference:

(i) Online question bank management, paper setting, valuations

(ii) Online student registrations and exam scheduling

(iii) Online generation of grades based on continuous evaluation

(iv) Learner authentication

12. Examination support- Multiple choice and Long/ Short answers

13. Provisions for Online assignment creation, submission and grading

14. Availability of tool to keep students informed about activities, performance etc.

15. Plagiarism check provisions.

16. Methodology for online payment gateway

17. Flexibility.

Indicative terms of reference:

(i) Browsers supported,

(ii) Main site having responsive design.

18. Support for the standard four quadrant approach, which is followed by SWAYAM.

19. Provision of online award of certificates/degrees.

20. Proposed methodology to train the faculty to effectively Design Develop and Deliver Massive Open Online Courses (MOOCs).

21. Security features from transparency and credibility perspective.

Indicative terms of reference: (i) at all levels including IP tracking of the learner.

22. Scalability

Indicative terms of reference:

(i) Maximum users;

(ii) Number of users able to log in simultaneously.

23. Proposed methodology to ensure that the faculty engages with the student, motivates them and assesses them.

24. Provision for an appropriate organizational setup in the HEI for maintaining and running the platform.

25. Proposed methodology to ensure the quality of courses.

Annexure X

GRIEVANCE REDRESS MECHANISM

I. Scope of Grievance Redress System for Learner

The Higher Educational Institutions, offering programmes through the Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall have a Grievance Redress System and Procedure which shall be published on the portal of Higher Educational Institution and it shall be the responsibility of the concerned Higher Educational Institution to update the same as and when required. Each of the Higher Educational Institutions shall provide an online facility for submitting grievances and track their status. The Higher Educational Institution shall also be responsible for monitoring, assessing and reviewing the effectiveness of its Grievance Redressal Procedures.

II. Guidelines and Standards for the Grievance Redress System

The Higher Educational Institution shall have a policy on Grievance Redress System based on following guidelines and standards, namely:

(i) the policy shall be unbiased and understandable;

(ii) there shall be time line for each stage of the process;

(iii) the policy shall be published on Higher Educational Institutions portal so that the learners may read and refer to;

(iv) the policy shall be made available to learners with disability in appropriate format and the provision shall be made accordingly in the policy document;

(v) the authority or authorities involved in the grievance redressal process shall treat and investigate the facts impartially;

(vi) the Higher Educational Institutions shall address the grievances in a timely manner so as to lessen interruption in learning process of the learner;

(vii) the Higher Educational Institution shall have a proper communication and escalation mechanism which shall be operated and maintained through the online software application;

(viii) the Higher Educational Institution shall maintain the confidentiality of the complainant as far as possible;

(ix) the Higher Educational Institution shall ensure that officer(s) deputed for the learner support at the Higher Educational Institution, the Regional Centres and Learner Support Centre(s) (for Open and Distance Learning programmes) are able to provide guidance on submitting grievances in the portal;

(x) there shall be a provision to withdraw a complaint without prejudice at any time during the procedure; and

(xi) the learner shall be kept informed of the status in relation to his or her queries or grievance on priority.

III. Rights and responsibilities of learner

The rights and responsibilities of a learner shall be as under:

(i) The learner has right to complain regarding any aspect related to his or her learning path including programme quality, learning resources, learner support and guidance, teaching, learning and assessment.

(ii) The learner is entitled to approach the respective Learner Support Centres (for ODL programmes) for submitting his or her complaint. The learners of online mode may submit their complaint directly to the Higher Educational Institution. The complaint can be submitted individually or collectively by a group of learners.

(iii) The learner shall submit a formal complaint in a manner prescribed by the Higher Educational Institution regarding expression of dissatisfaction with a service provided or the lack of a service or the quality of a service. Such expression shall be correlated with what the learners were entitled to receive.

IV. Responsibilities of the Higher Educational Institution

The responsibilities of the Higher Educational Institution shall be as under:

(i) A Higher Educational Institution shall work with the principles of openness and collaboration.

(ii) A Higher Educational Institution shall continuously improve the services it offers. As and when a grievance is received, the Higher Educational Institution shall investigate it thoroughly and make the necessary improvement(s) in its services.

(iii) A Higher Educational Institution shall encourage Learner Support Centres (for Open and Distance Learning programmes) to make initial attempts to address and resolve complaints as close as possible to the point of origin, and with the minimum of formality.

(iv) A Higher Educational Institution shall also monitor the Grievance Redressal process through its Learner Support Centres (for Open and Distance Learning programmes).

(v) A Higher Educational Institution is responsible for privacy and confidentiality unless disclosure is necessary to proceed in the matter.

(vi) The grievance shall be accompanied with the reasons for dissatisfaction and expected remedy. The learner shall also give the reference of Online Grievance Registration Number generated at the time of submitting the complaint at the Learner Support Centre.

(vii) The Head of concerned School/Department/Centre of the Higher Educational Institution shall investigate the complaint(s) or refer the matter(s) to a more appropriate person, body or committee or departments, as appropriate.

(viii) It shall be the responsibility of the Head of School/Department/Centre of the Higher Educational Institution to monitor the progress and to timely resolve the matter.

(ix) The Head of concerned School/Department/Centre of the Higher Educational Institution shall respond in writing (letters or email etc.) through offline or online mode giving reasons for a decision and action taken there to.

V. Complaint Handling Mechanism

The Online "Complaint Handling Mechanism" facilitates learners to submit online complaints through the interactive web portal and track their resolution status. The Higher Educational Institutions shall take action as under:

(i) The Higher Educational Institutions recognised to offer programmes through the Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall follow guidelines related to the Complaint Handling Mechanism notified by the Commission.

(ii) The Higher Educational Institutions shall upload all information issued by the Commission regarding the Complaint Handling Mechanism on their website.

(iii) The Higher Educational Institutions shall inform learners enrolled in Open and Distance Learning programmes and/or Online programmes about the Compliant Handling Mechanism.

(iv) The Higher Educational Institutions shall provide a link with title 'Complaint Handling Mechanism' on homepage of Higher Educational Institution website for creating awareness amongst the stakeholders.

(v) The Higher Educational Institutions shall comply with all instructions as issued by the Commission regarding timely and judicious resolution of all complaints raised by the learners.

RAJNISH JAIN, Secy. (UGC)

[ADVT.-III/4/Exty./212/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.05 14:49:23 +05'30'

Extracts from the Memorandum of Association of AMET Deemed to be University – 2023

1. Name, Address and Registration details of the Trust/Society/Company registered for the Institution deemed to be University

a) The name of the trust shall be "Academy of Maritime Education and Training (AMET) Trust"

b) **Address:** The registered office of the Trust shall continue to remain situated in 5107, H2, 2nd Avenue, 1st Floor, Anna Nagar, Chennai – 600 040 and the official address of the Institution shall be 135, East Coast Road, Kanathur, Chennai, Tamil Nadu- 603 112

c) **Registration details:** The original trust deed dated 27.01.1992 (registered as Document No. 176 of 1992 in the Office of the Sub –Registrar, Anna Nagar) duly amended by an Amendment Deed dated 23.01.2006 (registered as Document No.119 of 2006 in the Office of the Sub-Registrar, Anna Nagar), the Deed of Amendment dated 23.11.2006 (registered as Document No. 2779 of 2006 in the Office of the Sub-Registrar, Anna Nagar), the Deed of Amendment dated 20.05.2014 (registered as Document No. 190 of 2014 in the Office of the Sub-Registrar, Anna Nagar) and the Deed of Amendment dated 06.02.2020 (registered as Document No. 27 of 2020 in the Office of the Sub-Registrar, Anna Nagar).

2. Name of the Institution Deemed to be University, its approved constitution units/off-campuses/off shore campus

The Name of the Registered Institution shall continue to be Academy of Maritime Education and Training (AMET) Deemed to be University.

.
.

27. Online or distance education —

Institutions deemed to be Universities may offer courses online or distance courses or degrees in accordance with the regulations notified by the Commission from time to time.

VICE-CHANCELLOR

Prof. Dr. V. RAJENDRAN
VICE - CHANCELLOR
ACADEMY OF MARITIME EDUCATION AND TRAINING
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act. 1956)
135, East Coast Road,
Kanathur, Chennai - 603 112, India.

Dr.M.Jayaprakashvel M.Sc., Ph.D.,
Registrar i/c

Date: 22.11.2023

Certified True Extract of the Minutes of the Academic Council Meeting in respect of offering Open and Distance Learning (ODL) Programmes

The following is an extract of the resolution passed in the meeting of the Academic Council of AMET Deemed to be University, Chennai (Deemed to be University under section 3 of the UGC Act 1956) held on 24.08.2022.

Item No: 6

Resolved that the proposal brought forward by Director Centre for Online and Distance Education to offer following programmes in Open and Distance Learning and Online Learning mode with the due approval from the Distance Education Bureau of UGC in dual mode was considered and approved for the submission of Board of Management.

1. Master of Business Administration (M.B.A) - Shipping and Logistics Management
2. Bachelor of Business Administration (B.B.A)
3. Bachelor of Commerce (B.Com)

Registrar i/c

Dr. M. JAYAPRAKASHVEL
Registrar i/c
ACADEMY OF MARITIME EDUCATION AND TRAINING
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act. 1956)
135, East Coast Road,
Kanathur - 603 112, Chennai, India.

Dr.M.Jayaprakashvel M.Sc., Ph.D.,
Registrar i/c

Date: 22.11.2023

Certified True Extract of the Minutes of the Academic Council Meeting in respect of offering Online Learning (OL) Programmes

The following is an extract of the resolution passed in the meeting of the Academic Council of AMET Deemed to be University, Chennai (Deemed to be University under section 3 of the UGC Act 1956) held on 24.08.2022.

Item No: 6(a)

Resolved that the proposal brought forward by Director Centre for Online and Distance Education to offer following programmes in Open and Distance Learning and Online Learning mode with the due approval from the Distance Education Bureau of UGC in dual mode was considered and approved for the submission of Board of Management.

1. Master of Business Administration (M.B.A) - Shipping and Logistics Management
2. Bachelor of Business Administration (B.B.A)
3. Bachelor of Commerce (B.Com)

Registrar i/c
Dr. M. JAYAPRAKASHVEL
Registrar i/c
ACADEMY OF MARITIME EDUCATION AND TRAINING
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act. 1956)
135, East Coast Road,
Kanathur - 603 112, Chennai, India.

Dr.M.Jayaprakashvel M.Sc., Ph.D.,
Registrar i/c

Date: 22.11.2023

Certified True Extract of the Minutes of the Board of Management Meeting in respect of offering Open and Distance Learning (ODL) Programmes

The following is an extract of the resolution passed in the meeting of the Board of Management of AMET Deemed to be University, Chennai (Deemed to be University under section 3 of the UGC Act 1956) held on 12.10.2022 (Agenda Item No 11).

Item No: 11

Resolved that the recommendation made by the Academic Council to offer following programmes in Open and Distance Learning and Online Learning mode with the due approval from the Distance Education Bureau of UGC in dual mode was considered and approved.

1. Master of Business Administration (M.B.A) - Shipping and Logistics Management
2. Bachelor of Business Administration (B.B.A)
3. Bachelor of Commerce (B.Com)

The Director, Centre for Online and Distance Education is authorized to make necessary applications at appropriate times with due approval from the University Authorities.

Registrar i/c
Dr. M. JAYAPRAKASHVEL
Registrar i/c
ACADEMY OF MARITIME EDUCATION AND TRAINING
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act. 1956)
135, East Coast Road,
Kanathur - 603 112, Chennai, India.

Dr.M.Jayaprakashvel M.Sc., Ph.D.,
Registrar i/c

Date: 22.11.2023

Certified True Extract of the Minutes of the Board of Management Meeting in respect of offering Online Learning (OL) Programmes

The following is an extract of the resolution passed in the meeting of the Board of Management of AMET Deemed to be University, Chennai (Deemed to be University under section 3 of the UGC Act 1956) held on 12.10.2022 (Agenda Item No 11(a)).

Item No: 11(a)

Resolved that the recommendation made by the Academic Council to offer following programmes in Open and Distance Learning and Online Learning mode with the due approval from the Distance Education Bureau of UGC in dual mode was considered and approved.

1. Master of Business Administration (M.B.A) - Shipping and Logistics Management
2. Bachelor of Business Administration (B.B.A)
3. Bachelor of Commerce (B.Com)

The Director, Centre for Online and Distance Education is authorized to make necessary applications at appropriate times with due approval from the University Authorities.

Registrar i/c

Dr. M. JAYAPRAKASHVEL
Registrar i/c
ACADEMY OF MARITIME EDUCATION AND TRAINING
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act. 1956)
135, East Coast Road,
Kanathur - 603 112, Chennai, India.

Dr.M.Jayaprakashvel M.Sc., Ph.D.,
Registrar i/c

Date: 22.11.2023

Certified True Extract of the Minutes of the Academic Council Meeting in respect of the Programme Project Report of Open and Distance Learning (ODL) \ Online Learning (OL) Programmes

The following is an extract of the resolution passed in the meeting of the Academic Council of AMET Deemed to be University Chennai held on 06.10.2023.

Item No: 1

Resolved that the Programme Project Report for the following programme to be offered in dual mode (ODL & OL) through the Centre for Online and Distance Education with the due approval of Distance Education Bureau DEB-UGC be approved. Further resolved that these documents are to be approved by the Executive Council and to be uploaded in the UGC, Distance Education Bureau Portal for the application of approval to the conduct of ODL and OL programme.

1. Master of Business Administration (M.B.A) - Shipping and Logistics Management
2. Bachelor of Business Administration (B.B.A)
3. Bachelor of Commerce (B.Com)

The programme Project Reports of the above programmes are recommended and approved. The same may be placed in the Board of Management of University which has been renamed as Executive Council in Compliance with the UGC Regulations 2023 for further processing.

Registrar i/c
Dr. M. JAYAPRAKASHVEL
Registrar i/c
ACADEMY OF MARITIME EDUCATION AND TRAINING
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act. 1956)
135, East Coast Road,
Kanathur - 603 112, Chennai, India.

Dr.M.Jayaprakashvel M.Sc., Ph.D.,
Registrar i/c

Date: 22.11.2023

Certified True Extract of the Minutes of the Executive Council Meeting in respect of the Programme Project Report of Open and Distance Learning (ODL) and Online Learning (OL) Programmes

The following is an extract of the resolution passed in the meeting of Executive Council held on 7.10.2023 (The Board of Management has been renamed as Executive Council in compliance with the UGC Regulations 2023).

Item No: 1

Resolved that the recommendation of Academic Council meeting held on 6.10.2023 for the Programme Project Report for the programmes such as

1. Master of Business Administration (M.B.A) - Shipping and Logistics Management
2. Bachelor of Business Administration (B.B.A)
3. Bachelor of Commerce (B.Com)

to be offered in dual mode (Centre for Online and Distance Education) through the University's Centre for Online and Distance Learning with due approval of Distance Education Bureau DEB UGC, was considered and approved.

Registrar i/c

Dr. M. JAYAPRAKASHVEL
Registrar i/c
ACADEMY OF MARITIME EDUCATION AND TRAINING
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act. 1956)
135, East Coast Road,
Kanathur - 603 112, Chennai, India.

Dr.M.Jayaprakashvel M.Sc., Ph.D.,
Registrar i/c

Date: 22.11.2023

Certified True Extract of the Minutes of the Academic Council Meeting in respect of Report on the Self-Learning Materials (SLM) of M.B.A, B.B.A and B.Com in Open and Distance Learning (ODL) Mode

The following is an extract of the resolution passed in the meeting of the Academic Council of AMET Deemed to be University, Chennai held on 06.10.2023.

Item No: 2

Resolved that the Report on the Self Learning Materials (SLM) for Master of Business Administration (M.B.A) Shipping and Logistics Management, Bachelor of Business Administration (B.B.A) and Bachelor of Commerce (B.Com) programmes recommended by the respective Board of Studies held on 12.07.2023 and approved for implementation and to upload in the UGC, Distance Education Bureau portal.

The report is considered and approved and recommended for the admission to the Board of Management which has been renamed as Executive Council.

Registrar i/c

Dr. M. JAYAPRAKASHVEL
Registrar i/c
ACADEMY OF MARITIME EDUCATION AND TRAINING
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act. 1956)
135, East Coast Road,
Kanathur - 603 112, Chennai, India.

Dr.M.Jayaprakashvel
Registrar i/c

Date: 22.11.2023

Certified True Extract of the Minutes of the Executive Council Meeting in respect of Report on the Self-Learning Materials (SLM) of M.B.A, B.B.A and B.Com in Open and Distance Learning (ODL) Programme

The following is an extract of the resolution passed in the meeting of Executive Council held on 7.10.2023 (The Board of Management has been renamed as Executive Council in compliance with the UGC Regulations 2023).

Item No: 2

Resolved that the recommendation of Academic Council meeting held on 6.10.2023 for the Report on Self-Learning Materials (SLM) for the Master of Business Administration (M.B.A) Shipping and Logistics Management, Bachelor of Business Administration (B.B.A) and Bachelor of Commerce (B.Com) Programmes recommended by respective Board of Studies held on 12.07.2023 was considered and approved.

Registrar i/c

Dr. M. JAYAPRAKASHVEL
Registrar i/c
ACADEMY OF MARITIME EDUCATION AND TRAINING
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act. 1956)
135, East Coast Road,
Kanathur - 603 112, Chennai, India.

Dr.M.Jayaprakashvel M.Sc., Ph.D.,
Registrar i/c

Date: 22.11.2023

Certified True Extract of the Minutes of the Academic Council Meeting in respect of Report on the E-Learning Materials of M.B.A, B.B.A and B.Com in ODL/OL Mode

The following is an extract of the resolution passed in the meeting of the Academic Council of AMET Deemed to be University, Chennai held on 06.10.2023.

Item No: 2

Resolved that the Report on the E-Learning Materials for Master of Business Administration (M.B.A) Shipping and Logistics Management, Bachelor of Business Administration (B.B.A) and Bachelor of Commerce (B.Com) programmes recommended by the respective Board of Studies held on 12.07.2023 and approved for implementation and to upload in the UGC, Distance Education Bureau portal.

The report is considered and approved and recommended for the admission to the Board of Management which has been renamed as Executive Council.

Registrar i/c

Dr. M. JAYAPRAKASHVEL
Registrar i/c
ACADEMY OF MARITIME EDUCATION AND TRAINING
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act. 1956)
135, East Coast Road,
Kanathur - 603 112, Chennai, India.

Dr.M.Jayaprakashvel M.Sc., Ph.D.,
Registrar i/c

Date: 22.11.2023

Certified True Extract of the Minutes of the Executive Council Meeting in respect of Report on the E-Learning Materials of M.B.A, B.B.A and B.Com in ODL/OL Mode

The following is an extract of the resolution passed in the meeting of Executive Council held on 7.10.2023 (The Board of Management has been renamed as Executive Council in compliance with the UGC Regulations 2023).

Item No: 2

Resolved that the recommendation of Academic Council meeting held on 6.10.2023 for the Report on E-Learning Materials for the Master of Business Administration (M.B.A) Shipping and Logistics Management, Bachelor of Business Administration (B.B.A) and Bachelor of Commerce (B.Com) Programmes recommended by respective Board of Studies held on 12.07.2023 was considered and approved.

Registrar i/c

Dr. M. JAYAPRAKASHVEL
Registrar i/c
ACADEMY OF MARITIME EDUCATION AND TRAINING
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act. 1956)
135, East Coast Road,
Kanathur - 603 112, Chennai, India.